Drishti IAS Presents...

PT SPRINT 2024

अर्थव्यवस्था

(मार्च 2023 – मार्च 2024)

Drishti IAS, 641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi

Drishti IAS, 21 Pusa Road, Karol Bagh New Delhi - 05

Drishti IAS, Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh

Drishti IAS, Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

e-mail: englishsupport@groupdrishti.com, **Website:** www.drishtiias.com

Contact: 011430665089, 7669806814, 8010440440

अनुक्रम

- अंतरिम बजट 2024-2025 6
- भारतीय अर्थव्यवस्था: एक समीक्षा The Indian Economy: A Review 11
- भारतीय अर्थव्यवस्था: अतीत, वर्तमान और भविष्य 11
- भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में योगदान करने वाले महत्त्वपूर्ण कारक 15
- केंद्रीय बजट 2023-24 28
- अमृत काल के लिये बजट का विज़न 29
- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 44
- विनिवेश की स्थिति और प्राप्ति 52
- श्रीलंका और मॉरीशस में UPI सेवाएँ 53
- इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030: IEA 55
- वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिये ASI परिणाम 56
- राजकोषीय घाटा और इसका प्रबंधन 57
- IEA की नवीकरणीय ऊर्जा 2023 रिपोर्ट 59
- उधार पर राज्य की गारंटी पर दिशा-निर्देश 59
- इलेक्ट्रिक वाहनों के विकल्प के रूप में हाइब्रिड वाहन 60
- IEA की इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट 62
- सरकारी प्रतिभूतियाँ 63
- बिटकॉइन हॉल्विंग 65
- अंतरिक्ष क्षेत्र के लिये आसान FDI नीति 65
- प्रयोगशाला में निर्मित हीरे 67
- भारत की परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश 68
- स्थानीय फिनटेक अभिकर्त्ताओं को प्रोत्साहन 70
- भारत का औद्योगिक क्षेत्र 71
- लक्षद्वीप की संभावनाएँ 72
- EFTA के साथ व्यापार वार्ता में डेटा विशिष्टता 73
- भारत का अक्षय ऊर्जा विज़न: IREDA 74
- द्विपक्षीय निवेश संधियाँ 74
- RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया प्रतिबंध लगाया 75
- वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट: विश्व बैंक 77
- विश्व रोज़गार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2024 77
- GST संबंधी चुनौतियों का समाधान 78
- विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ रिपोर्ट, 2024 79
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर चिंताएँ 80
- ऋण स्थिरता और विनिमय दर प्रबंधन 81
- अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 83
- लघु बचत योजनाओं में ब्याज दर समायोजन 84
- ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिये विस्तारित PLI योजना 85
- निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमाराशियों पर RBI के दिशा-निर्देश 86
- भारत का इस्पात क्षेत्र 87
- भारत में मुद्रास्फीति: मांग बनाम आपूर्ति 88

- बैंकों के सकल NPA में 3.2% की गिरावट 91
- FPI डिस्क्लोज़र मानदंड 92
- भारत का भौगोलिक संकेतक परिदृश्य 94
- स्टार्ट-अप्स पर फंडिंग विंटर प्रभाव 94
- राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 95
- राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 क्या है? 98
- भारत में बाज़ार एकाधिकार और कानून 98
- PLI योजनाओं के तहत निवेश 100
- केरल में अवसंरचना को प्रोत्साहन 100
- विश्व आर्थिक मंच 100
- भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में परिवर्तन 101
- चार भारतीय उत्पादों पर प्रतिकारी शुल्क 102
- क्रिप्टो परिसंपत्ति मध्यस्थों के बारे में FSB की चिंताएँ 103
- मौद्रिक नीति समिति के निर्णय: RBI 104
- महत्त्वपूर्ण खनिज 105
- शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर 107
- सेबी बोर्ड ने नियामक ढाँचे को स्वीकृति प्रदान की 108
- भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण 110
- T+0 और त्वरित निपटान चक्र 111
- RBI ने AIF में ऋणदाताओं के लिये मानदंड मज़बूत किये 111
- उन्नति, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बनी 112
- सूरत डायमंड बाज़ार 113
- विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ 2023 113
- हरित हाइड्रोजन परियोजनाएँ और SEZs 114
- भौतिक से डिजिटल सोने की ओर बदलाव 116
- NBFC और डिजिटल ऋण प्रथाओं पर CAFRAL की चिंता 119
- फॉरेन एक्सचेंज पर डायरेक्ट लिस्टिंग 120
- सतत् व्यापार और मानकों पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 120
- भारत का बढ़ता कर आधार 121
- न्यूनतम वेतन नीति और गिग श्रमिक 122
- खाद्य लेबल के लिये QR कोड 123
- डॉलरीकरण और आर्थिक बदलाव 123
- निवेशक जोखिम न्यूनीकरण अभिगम मंच 124
- ग्रेट निकोबार द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट 124
- भारत ने 2023-34 में सर्वाधिक पेटेंट प्रदान किये 126
- प्रतिभूति रहित ऋण के लिये RBI के सख्त पूंजी मानदंड 127
- टैक्स हेवेन के रूप में साइप्रस 127
- अपस्फीति क्षेत्र में थोक मूल्य 128
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट, 2022-2023 129
- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक: IMF 132
- भारत में खाद्य मुद्रास्फीति 132
- अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, 2023 133
- भारत का विमानन उद्योग 134
- भारत में अवैध व्यापार 135
- ई-कॉमर्स का जटिल परिदृश्य 135
- गोवा के काजू को जीआई GI मिला 136
- विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना 137
- भारत-जापान के बीच चिप आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी 139
- संयुक्त राज्य में भारतीय खाद्य पदार्थों के निर्यात की अस्वीकृति 139

- ग्लोबल टैक्स इवैशन रिपोर्ट, 2024 140
- दूरसंचार कंपनियों पर पूंजी कराधान 141
- चीन द्वारा ग्रेफाइट उत्पादों के निर्यात पर अंकुश 142
- बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिये प्रस्तावित सुधार 142
- एंजेल टैक्स पर CBDT के निर्देश 143
- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 144
- ग्रेशम का नियम और मुद्रा विनिमय दर 145
- RBI द्वारा I-CRR को वापस लेने का निर्णय 146
- GDP से परे आर्थिक अंतर्दृष्टि: ICOR 148
- भारत में बेरोज़गारी का मापन 148
- वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा 150
- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 150
- भारतीय अर्थव्यवस्था और इम्पॉसिबल ट्रिनिटी 152
- शहरी सहकारी बैंकों में प्रशासन 152
- इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी 153
- प्रतिभूति बॉण्ड 154
- वैश्विक ऋण प्रवृत्ति एवं निहितार्थ 154
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद डेटा से संबंधित चिंताएँ 154
- भारतीय बॉण्ड का JP मॉर्गन GBI-EM सूचकांक में समावेश 156
- स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023 156
- भारत का आउटवार्ड और इनवार्ड इन्वेस्टमेंट रुझान 156
- बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क 157
- AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड 159
- MSME के लिये आत्मनिर्भर भारत कोष 159
- चीन में अत्यधिक अपस्फीति की चिंता 160
- भारत में औपचारिक रोज़गार की स्थिति 160
- भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और मुद्रास्फीति 162
- फ्लोटिंग रेट ऋण 162
- ऋण सुलभता के लिये सार्वजनिक तकनीकी मंच 164
- बैंकिंग तथा वित्तीय धोखाधड़ीपर सलाहकार बोर्ड 165
- आयुष क्षेत्र की प्रगति 166
- GST परिषद की 50वीं बैठक 166
- सामाजिक उद्यमिता 167
- भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण 168
- लघु वित्त बैंक 168
- कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास निधि 169
- व्हाइट लेबल एटीएम 170
- फुल-रिज़र्व बैंकिंग बनाम फ्रैक्शनल-रिज़र्व बैंकिंग 171
- इथेनॉल 172
- सीमा पार प्रेषण हेतु UPU द्वारा UPI का आकलन 173
- राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति 174
- बीमा वाहक 175
- भारत में अपस्फीति 175
- विलफुल डिफॉल्टर हेतु समाधान समझौता: RBI 175
- UCB हेतु RBI का विनियमन 177
- अधिशेष तरलता 177
- एवरग्रीनिंग लोन 178
- प्रीपेड भुगतान साधन 179
- RBI का नियोजित लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम 180

- नमक गुफा आधारित तेल भंडार: SPR 181
- चक्रीय अर्थव्यवस्था और लिथियम-आयन बैटरी पुनर्चक्रण तकनीक 182
- उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जीआई टैग 182
- भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम 183
- ग्रीडफ्लेशन 184
- उद्यमी भारत-MSME दिवस 2023 184
- मणिपुर ने RBI के दंगा प्रावधानों को लागू किया 186
- प्रेषण अंतर्वाह 187
- भारत अवसंरचना परियोजना विकास वित्तपोषण 187
- CBIC ने नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी (NTRS) 2023 रिपोर्ट जारी की 188
- वैश्विक पवन दिवस 188
- सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम 2023-24 189
- E20 ईंधन को अपनाना और हरित हाइड्रोजन उत्पादन 190
- ई-चालान और कर चोरी पर अंकुश 191
- कार्बन सीमा समायोजन तंत्र 191
- असम में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क 192
- मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट 2022-23 192
- केंद्रीय प्रतिपक्ष 193
- IRDAI विज़न - 2047 194
- लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (LIBOR) 195
- RBI ने 2,000 रुपए के नोट को प्रचलन से हटाया 196
- ECL आधारित लोन लॉस प्रोविज़निंग फ्रेमवर्क 197
- LRS के तहत भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड व्यय 198
- थोक मूल्य सूचकांक 199
- CBDT ने 95 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किये 200
- निफ्टी के रीट्स (Reits) और इनविट्स (InvITs) सूचकांक 200
- विदेश व्यापार नीति 2023 201
- भारत और मलेशिया भारतीय रुपए में व्यापार करने पर सहमत 202
- सामान्य रिपोर्टिंग मानक: OECD 202
- लघु बचत योजनाएँ 203
- यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो विनियमन हेतु MiCA की शुरुआत की 203
- विश्व व्यापार संगठन पैनल का भारत के खिलाफ फैसला 204
- हर पेमेंट डिजिटल मिशन 204
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज 205
- MSME प्रतिस्पर्द्धी (LEAN) योजना 205
- पीएम मित्र योजना एवं वस्त्र क्षेत्र 206
- IBC सुधार: आय का वितरण 207
- केंद्रीय कर वितरण में अंतर्राज्यीय भिन्नता 208
- प्रयोगशाला निर्मित हीरे 208
- शेयर बाज़ार विनियमन 209
- वोस्त्रो अकाउंट 210
- सागर परिक्रमा 210
- भुगतान एग्रीगेटर्स 211
- सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र 212
- क्रय प्रबंधक सूचकांक 212
- चलन में मौजूद मुद्रा 213
- गंगा विलास क्रूज़ 214
- डीप टेक स्टार्टअप्स 214

अंतरिम बजट 2024-2025

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संसद में अंतरिम बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया। इसमें सर्वांगीण, सर्वव्यापी तथा सर्व-समावेशी विकास के साथ वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' की परिकल्पना की गई है।

अंतरिम बजट क्या है ?

- अंतरिम बजट एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुज़र रही है या आम चुनाव से पूर्व अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है।
- अंतरिम बजट का उद्देश्य नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करने तक सरकारी व्यय तथा आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

अंतरिम बजट और लेखानुदान के बीच क्या अंतर है?

विशेषता	अंतरिम बजट	लेखानुदान
सांविधानिक उपबंध	**अनुच्छेद 112**	**अनुच्छेद 116**
उद्देश्य	आम चुनाव से पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया वित्तीय विवरण।	बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि के लिये आवश्यक सरकारी व्ययों की पूर्ति करना।
व्यय की अवधि	इसमें अमूमन नई सरकार स्थापित होने तथा पूर्ण बजट पेश होने तक कुछ महीने की अवधि शामिल होती है।	अनुदान की राशि सामान्यत: पूरे वर्ष के लिये कुल अनुमानित व्यय के छठे हिस्से के बराबर दो महीने के लिये प्रदान की जाती है।
नीति परिवर्तन	इसके अंतर्गत कर व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव दे सकते हैं।	किसी भी परिस्थिति में कर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
शासन व्यवस्था पर प्रभाव	दो सरकारों के बीच संक्रमण काल के दौरान शासन में निरंतरता प्रदान करता है।	नियमित बजट स्वीकृत होने तक सरकार और सार्वजनिक सेवाओं का सुचारू कामकाज़ सुनिश्चित करता है।

अंतरिम बजट 2024-25 से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- **पूंजीगत व्यय:** वर्ष 2024-2025 के लिये पूंजीगत व्यय में 11.1% की वृद्धि की घोषणा की गई।
  - पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया गया जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा।
- **आर्थिक विकास अनुमान:** वित्त वर्ष 2023-24 के लिये वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है, जो RBI के संशोधित विकास अनुमान के अनुरूप है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF)** ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिये भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.3% कर दिया। इसका यह भी अनुमान है कि वर्ष 2027 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
- **राजस्व तथा व्यय अनुमान (2024-25):**
  - **कुल प्राप्तियाँ:** ऋण ग्रहण के अतिरिक्त 30.80 लाख करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियाँ होने का अनुमान है।
  - **कुल व्यय:** अनुमानित रूप से 47.66 लाख करोड़ रुपए का कुल व्यय।
  - **कर प्राप्तियाँ:** अनुमानित रूप से 26.02 लाख करोड़ रुपए की कुल कर प्राप्तियाँ।
- **GST संग्रह: GST संग्रह** दिसंबर 2023 में ₹1.65 लाख करोड़ रहा है जो सातवीं बार सकल GST राजस्व 1.6 लाख करोड़ रुपए के आँकड़ें के पार चला गया है।
- **राजकोषीय घाटा तथा बाज़ार ऋण-ग्रहण: राजकोषीय घाटा** वर्ष 2024-25 में GDP का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो वर्ष 2025-26 तक इसे 4.5% से कम करने (बजट 2021-22 में घोषित) के लक्ष्य के अनुरूप है।
  - वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों (Dated Securities) के माध्यम से सकल तथा निवल बाज़ार ऋण-ग्रहण क्रमश: 14.13 तथा 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
- **करारोपण:** अंतरिम बजट में आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बनाए रखा गया है।
  - कॉर्पोरेट करों के लिये: मौजूदा घरेलू कंपनियों हेतु 22% और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिये 15%।
  - नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं के लिये कोई कर देनदारी नहीं।
  - स्टार्ट-अप और निवेश के लिये कुछ कर लाभ 31 मार्च, 2025 तक एक वर्ष हेतु बढ़ाए गए।
- **प्राथमिकताएँ:** गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करना।
  - **गरीब:** 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का सफल अभियान।
    - PM-स्वनिधि के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट सहायता प्रदान की गई।
  - **महिला:** महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण का वितरण।
    - STEM पाठ्यक्रमों में 43% महिला नामांकन।
    - 83 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को सहायता, 'लखपति दीदियों' को बढ़ावा देना।
    - एक दशक में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 28% की वृद्धि।
  - **युवा:** कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण।
    - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत करके उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देना।

- **किसान:** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
  - फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ किसानों तक फसल बीमा पहुँचाया गया।
  - सुव्यवस्थित कृषि व्यापार के लिये राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM) के तहत 1,361 मंडियों का एकीकरण।

प्रमुख विकास योजनाएँ:

- आधारभूत संरचना:
  - रेलवे: तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किये जाएंगे- ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर तथा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर।
    - बेहतर सुरक्षा, सुविधा और यात्री सुविधा के लिये 40 हज़ार सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा।
  - विमानन: उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास।
  - शहरी परिवहन: मेट्रो रेल और नमो भारत के माध्यम से शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देना।
- स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र:
  - पवन ऊर्जा के लिये व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण
    - यह 1 गीगावाट की प्रारंभिक क्षमता के लक्ष्य के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन करने में मदद करेगा।
  - वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण एवं द्रवीकरण क्षमता की स्थापना।
  - CNG, PNG और संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य सम्मिश्रण।
  - बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिये वित्तीय सहायता
  - रूफटॉप सोलर: 1 करोड़ परिवार प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
  - विनिर्माण और चार्जिंग का समर्थन करके ई-वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना।
  - पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का समर्थन करने के लिये बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायो-फाउंड्री की नई योजना शुरू की जाएगी।
- आवास क्षेत्र: सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिलियन किफायती घरों के निर्माण पर सब्सिडी देने की है।
  - मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने/बनाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु मध्यम वर्ग के लिये आवास योजना शुरू की जाएगी।
- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र: लड़कियों (9-14 वर्ष) के लिये सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को प्रोत्साहित करना।
  - मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयासों के लिये यू-विन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा।
  - सभी आशा कार्यकर्त्ताओं, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिकाओं को शामिल करने के लिये आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करना।
- कृषि क्षेत्र: सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के लिये 'नैनो DAP' के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
  - डेयरी किसानों को समर्थन देने और खुरपका एवं मुंहपका रोग से निपटने के लिये नीतियाँ बनाना।
  - तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिये रणनीति बनाना, अनुसंधान, खरीद, मूल्य संवर्धन और फसल बीमा को कवर करना।
    - नैनो-DAP (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited - IFFCO) द्वारा विकसित एक नैनो तकनीक आधारित कृषि इनपुट है। यह खड़ी फसलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूर्ण करने में मदद करता है।
- मत्स्य पालन क्षेत्र: मछुआरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एक नया विभाग, 'मत्स्य सम्पदा' की स्थापना।
- राज्यों के कैपेक्स के लिये: राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु पचास वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण योजना जारी रखने की घोषणा की गई।
  - राज्य के नेतृत्व वाले सुधारों का समर्थन करने के लिये पचास वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण हेतु 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 1.3 लाख करोड़ रुपए का कुल परिव्यय।
  - पूर्वी क्षेत्र को भारत के विकास का एक शक्तिशाली चालक बनाने के लिये विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- अन्य:
  - सूर्योदय डोमेन में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिये पचास साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की स्थापना।
    - साथ ही, अनुसंधान और नवाचार में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
  - तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय बदलाव के लिये सरकार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएगी।
    - समिति 'विकसित भारत' के लक्ष्य के अनुरूप व्यापक सिफारिशें प्रदान करेगी।

रुपया कहाँ से आता है (Rupee Comes From):

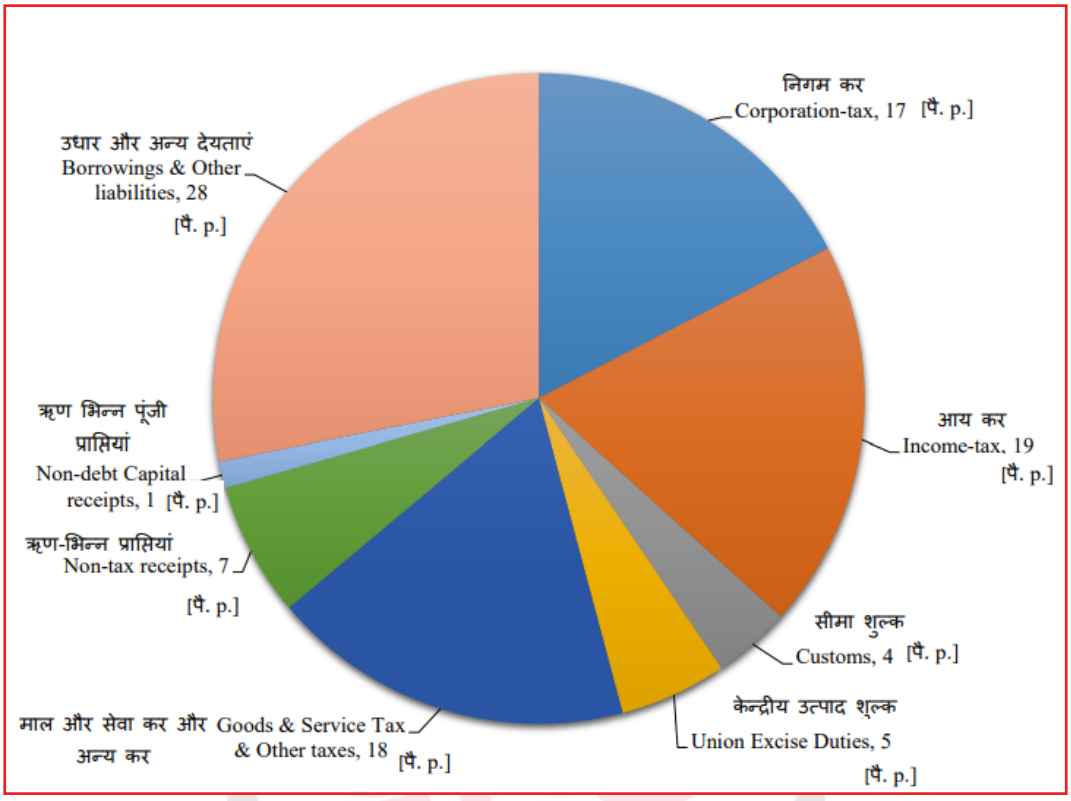

रुपया कहाँ जाता है (Rupee Goes To):

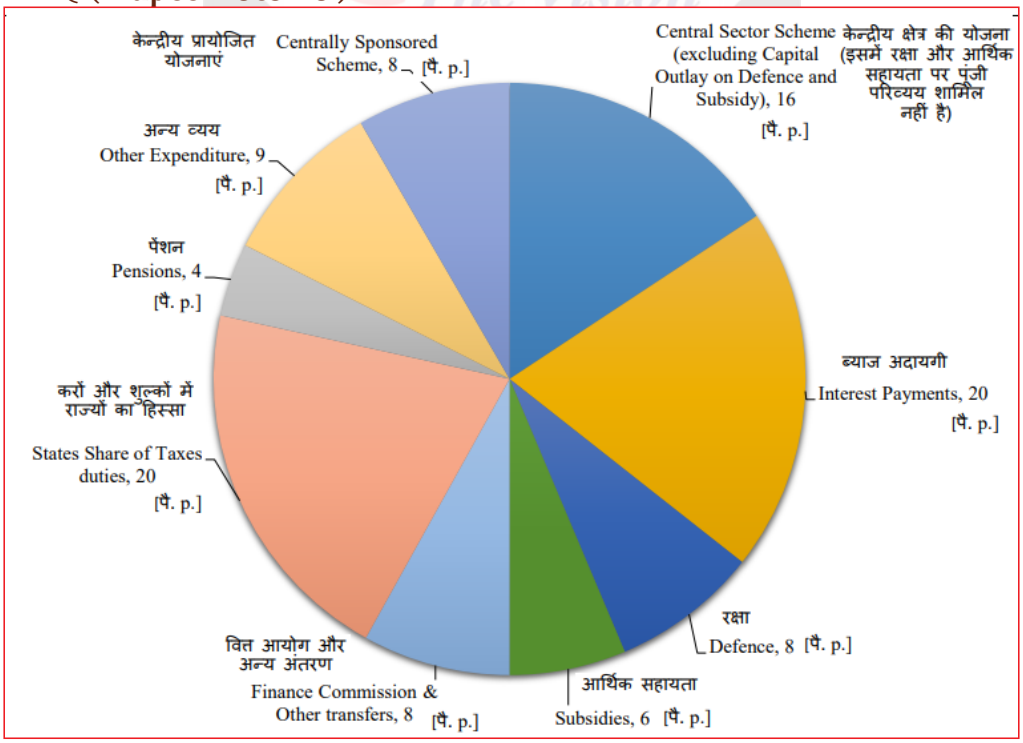

प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन (₹ करोड़ में)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना

सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम

सौर ऊर्जा (ग्रिड)

राष्ट्रीय हरित हाईड्रोजन मिशन

भारत में बजट से संबंधित निधि क्या हैं ?

- भारत की संचित निधि: संविधान का अनुच्छेद 266 (1) केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ऋण और ऋण पुनर्भुगतान को एक एकल निधि में समेकित करता है जिसे भारत की संचित निधि के रूप में जाना जाता है।
  - निकासी के लिये संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है (न्यायाधीशों के वेतन जैसे आरोपित व्यय को छोड़कर)।
- भारत का लोक लेखा: संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियाँ भारत के लोक लेखों में जमा की जाती हैं।
  - सरकार धन को इधर से उधर स्थानांतरित करने वाले बैंकर के समान कार्य करती है इसलिये संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है।
- भारत की आकस्मिक निधि: इसे भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के तहत स्थापित किया गया है और अनुच्छेद 267(1) के अनुसार अग्रदाय के रूप में कार्य करती है। इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है।
  - यह वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रत्याशित खर्चों के लिये सरकार को अग्रिम राशि की पेशकश करने के उद्देश्य से कार्य करती है, जो संसद द्वारा प्राधिकरण के लिये लंबित है।
  - आकस्मिक निधि से निकाली गई धनराशि को अनुदान की अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसदीय अनुमोदन पर पुनः जमा कर दिया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था: एक समीक्षा The Indian Economy: A Review

(भाग - I)

रिपोर्ट की प्रमुख हाइलाइट्स

अंतरिम बजट 2024-25 पूर्व वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की 10 साल की समीक्षा प्रस्तुत की।

- **वृद्धि अनुमान:** समीक्षा में यह पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2020-25 में भारत की GDP 7% के करीब बढ़ेगी, जिसमें वर्ष 2030 तक 7% से ऊपर जाने की क्षमता है।
  - अर्थव्यवस्था को इस वर्ष के लगभग $ 3.7 ट्रिलियन से बढ़कर तीन वर्षों में $ 5 ट्रिलियन होने की उम्मीद है, जो इसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा और वर्ष 2030 तक यह $7 ट्रिलियन तक पहुँच सकता है।
- **वृद्धि के दो चरण:** यह समीक्षा भारत के विकास की कहानी को दो चरणों में विभाजित करती है:
  - वर्ष 1950-2014 और वर्ष 2014 से "परिवर्तनकारी विकास का दशक"।
  - यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि संरचनात्मक बाधाओं, निर्णय लेने में देरी और उच्च मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति "प्रोत्साहक" नहीं थी।
  - हालाँकि वर्ष 2014 के बाद के सुधारों ने अर्थव्यवस्था की स्वस्थ तरीके से बढ़ने की क्षमता को बहाल कर दिया है, जिससे भारत सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला G-20 राष्ट्र बन गया है।
- **गुणात्मक श्रेष्ठता:** समीक्षा में यह दावा किया गया है कि भारत की 7% की वृद्धि (जब विश्व की वृद्धि दर 2% है) पिछले युग (जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4% की दर से वृद्धि हुई थी) के दौरान हासिल की गई 8%-9% की वृद्धि की तुलना में "गुणात्मक रूप से बेहतर" है।

रिपोर्ट का सार

अध्याय-1

भारतीय अर्थव्यवस्था: अतीत, वर्तमान और भविष्य

भारत के विकास की कहानी (वर्ष 1950 से 2014)

- **स्वतंत्रता-पूर्व आर्थिक हिस्सेदारी:**
  - वैश्विक आय में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 1700 के 22.6% से घटकर वर्ष 1952 में 3.8% तक पहुँच गई।
- **स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक रणनीति (1950 का दशक):**
  - भारत सरकार ने 1950 के दशक में एक रणनीति अपनाई।
  - आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया।
    - तीव्र औद्योगीकरण
    - राज्य के स्वामित्व वाले बड़े उद्यम (State-Owned Enterprises- SOEs) बनाए गए
  - दशकीय औसत विकास दर (1952-60): 3.9%
- **1960 के दशक में चुनौतियाँ:**
  - 1960 के दशक के दौरान आर्थिक वृद्धि की दर धीमी हुई।
    - दशकीय वृद्धि दर 4.1%।

- वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध।
- वर्ष 1965-66 में भारत-पाकिस्तान युद्ध।
- वर्ष 1965 में भयंकर सूखा।

1970 के दशक में बाधाएँ:

- 1970 के दशक के दौरान भारतीय रुपए के मूल्य में 57% का अवमूल्यन।
- 1970 के दशक को गंभीर राजनीतिक अस्थिरता के रूप में चिह्नित किया जाना।
- वर्ष 1975 में आपातकाल का लागू होना।
- 1970 के दशक के दौरान दशकीय औसत वृद्धि दर में गिरावट, वृद्धि दर 2.9% तक पहुँच गई।

1980 के दशक में सुधारात्मक पहल:

- मूल्य नियंत्रण को हटाना, राजकोषीय सुधारों की शुरुआत, सार्वजनिक क्षेत्र का पुनरुद्धार, आयात शुल्क में कटौती, घरेलू उद्योग को डी-लाइसेंस करना, निर्यात को प्रोत्साहित करना।
- 1980 के दशक में निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकरण भी देखा गया।
- महत्त्वपूर्ण सरकारी खर्च के साथ मामूली उदारीकरण के कारण सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि में सुधार हुआ, जो 1980 के दशक में 5.7% तक पहुँच गया।

1990 के दशक की शुरुआत में बाह्य झटके:

- सोवियत गुट के टूटने से बाहरी झटका लगा।
- इराक-कुवैत युद्ध ने व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और वर्ष 1990-1991 के दौरान चालू खाता शेष को बाधित कर दिया।
- बाहरी संकट, अस्थिर सरकारी खर्च और आंतरिक सामाजिक-राजनीतिक कारकों के कारण वर्ष 1991 में भुगतान शेष (BoP) संकट उत्पन्न हो गया।

वर्ष 1991 में सुधार:

- नियमों, अनुमतियों और लाइसेंसों की जटिल प्रणाली को समाप्त करना।
- उत्पादन सुविधाओं पर राज्य के स्वामित्व की ओर पर्याप्त झुकाव को उलटना।
- अंतर्मुखी व्यापार रणनीति को समाप्त करना।
- 1990 के दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि औसतन 5.8% प्रति वर्ष थी।

2000 के दशक की शुरुआत में आर्थिक गति:

भारत के सुधारों से प्राप्त वृद्धि और पूंजी प्रवाह:

- वर्ष 1998-2002 की अवधि के दौरान लागू किये गए परिवर्तनकारी सुधारों से प्राप्त विकास लाभांश ने आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में वैश्विक विकास में तेज़ी देखी गई और भारत ने महत्त्वपूर्ण पूंजी प्रवाह को आकर्षित किया।

लागू किये गए प्रमुख उपाय:

- सर्व शिक्षा अभियान (SSA): सार्वभौमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM): ग्रामीण स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लागू किया गया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (NREGS): ग्रामीण रोज़गार प्रदान करना।
- दशकीय औसत विकास दर: 2000 के दशक में विकास दर 6.3% प्रति वर्ष थी।

वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव (2008): वैश्विक वित्तीय संकट ने भारत में विकास की नाज़ुक नींव को उजागर कर दिया।

- बैंकों में अशोध्य ऋण जमा होने लगे।
- मार्च 2018 में खराब ऋण अनुपात 11.2% के शिखर पर पहुँचकर दोहरे अंक के प्रतिशत तक पहुँच गया।
- अधिकांश खराब ऋण वर्ष 2006 और 2008 के दौरान उत्पन्न हुए।

उच्च राजकोषीय घाटा और शिथिल मौद्रिक नीति (2009-2014):

- वर्ष 2009-2014 की अवधि में, सरकार ने उच्च राजकोषीय घाटे और विस्तारित अवधि के लिये शिथिल मौद्रिक नीति को बनाए रखते हुए उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने का प्रयास किया।
- इस अवधि के दौरान नाममात्र GDP वृद्धि ऊँची रही।
- भारत ने वर्ष 2009 से 2014 तक लगातार 5 वर्षों तक वार्षिक दोहरे अंक की मुद्रास्फीति दर का अनुभव किया।

दोहरा घाटा और अधिक मूल्य वाला रुपया:

- भारत को उच्च दोहरे घाटे का सामना करना पड़ा, जिसमें वित्त वर्ष 2013 में 4.9% का राजकोषीय घाटा भी शामिल था।

- चालू खाता घाटा भी बढ़ा हुआ था, जो वित्त वर्ष 2013 में 4.8% तक पहुँच गया।
- इस अवधि के दौरान भारतीय रुपए का मूल्य अत्यधिक था।

➲ **वर्ष 2013 में भारतीय रुपए की गिरावट:**

- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में बड़ी गिरावट देखी गई।
- वर्ष 2009 और 2014 के दौरान भारतीय रुपए में सालाना औसतन 5.9% की गिरावट आई।

➲ **चुनौतियों का परिणाम:** उच्च राजकोषीय घाटे, ढीली मौद्रिक नीति, दोहरे घाटे और अधिक मूल्य वाले रुपए के संयोजन के कारण इस अवधि के दौरान आर्थिक विकास रुक गया।

वर्ष 2014 तक विकास के अनुभव से सबक

➲ **बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में संक्रमण (1950-1980):**

- आयात प्रतिस्थापन, निर्यात सब्सिडी, प्रौद्योगिकी और निवेश सहयोग पर कड़े प्रतिबंध।
- विनिर्माण उद्योगों के लिये क्षमता विस्तार, लाइसेंसिंग आवश्यकताओं पर नियंत्रण।

➲ **वर्ष 1980 के बाद व्यवसाय समर्थक सुधार:**

- आयात उदारीकरण, निर्यात प्रोत्साहन, विनिमय दर नीतियाँ और विस्तारवादी राजकोषीय नीति।
- इन सुधारों को बेहतर ऋण उपलब्धता और उच्च सार्वजनिक व्यय के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने तथा मांग को बढ़ावा देने के लिये देखा गया था।
- इसके साथ ही, अस्थिर निवेश, संदिग्ध ऋण, संसाधनों का अपारदर्शी आवंटन और उच्च राजकोषीय घाटे के कारण वर्ष 1990-91 में BoP संकट उपन्न हो गया।
- BoP संकट ने बाज़ार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए, व्यापक आर्थिक नीति में बदलाव की शुरुआत की।
  - व्यापार नीति सुधार
  - औद्योगिक नीति में सुधार
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) उदारीकरण
- वर्ष 1990 और 2000 के दशक के दौरान निजी क्षेत्र विकास तथा रोज़गार सृजन का प्रमुख इंजन बन गया।
- बंद अर्थव्यवस्था, संसाधनों की कमी और सुरक्षा कारणों से विदेशी प्रौद्योगिकियों को अस्वीकार कर दिया गया।
- 1980 के दशक से, भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने के लिये प्रौद्योगिकी का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

➲ **भारतीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियाँ (वर्ष 2014 से पूर्व):**

- 5% से नीचे GDP विकास
- खाद्य वस्तुओं में उच्च थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति
- संवर्द्धित संरचनात्मक बाधाएँ।

➲ **संरचनात्मक बाधाएँ:**

- त्वरित निर्णय लेने में कठिनाइयाँ।
- सार्वजनिक निवेश के लिये राजकोषीय गुंजाइश को सीमित करने वाली सब्सिडी।
- विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं और विनिर्माण में कम मूल्यवर्द्धन।
- एक बड़े अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति और औपचारिक क्षेत्र में अपर्याप्त श्रम अवशोषण।
- बिचौलियों, भंडारण की कमी और अंतर-राज्य आंदोलन के मुद्दों के कारण कम कृषि उत्पादकता।

वर्ष 2014-2024: परिवर्तनकारी विकास का दशक

➲ **संरचनात्मक सुधार और व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांत (वर्ष 2014 से):**

- भारत सरकार ने व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों को मज़बूत करते हुए कई संरचनात्मक सुधार शुरू किये।
- भारत G20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा।
- 9.1% (FY22) और 7.2% (FY23) के बाद वर्ष 2023-24 में 7.3% की अनुमानित वृद्धि।

➲ **महामारी के बाद पुनर्प्राप्ति और रोज़गार सृजन:**

- शहरी बेरोज़गारी दर गिरकर 6.6% हो गई।
- मई 2023 से 18-25 आयु वर्ग के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के निवल नए ग्राहक लगातार कुल नए EPF ग्राहकों के 55% से अधिक हो गए हैं।

➲ **बुनियादी ढाँचे का विकास:**

- सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क का रिकॉर्ड विस्तार।
- पिछले नौ वर्षों में 74 हवाई अड्डे बनाए गए और विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 2014 में 723 से बढ़कर वर्ष 2023 में 1,113 हो गई।
- लड़कियों के लिये सकल नामांकन अनुपात (GER) वित्त वर्ष 2010 में 12.7% से बढ़कर वर्ष 2020 में 27.9% हो गया।

- उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2014 में 3.4 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023 में 4.1 करोड़ छात्र हो गया।

प्रभावी कच्चे तेल प्रबंधन और वित्तीय सहायता:

- सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में राज्यों को ₹1 लाख करोड़ का 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया और वित्त वर्ष 24 में ₹1.3 लाख करोड़ की घोषणा की।
- राज्यों ने वित्त वर्ष 2024 के पहले आठ महीनों में पूंजी निवेश के लिये ₹1.3 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण में से ₹97,000 करोड़ से अधिक का उपयोग किया।

राज्यों के पूंजीगत व्यय में वृद्धि:

- अप्रैल-सितंबर 2023 के पहले छह महीनों में राज्यों का पूंजीगत व्यय वर्ष 2022 की इसी अवधि की तुलना में 47% से अधिक बढ़ गया।

पिछले दशक में भारत के विकास के संचालक

वित्तीय क्षेत्र सुधार (वर्ष 2020 के बाद):

- पुनर्पूंजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) विलय, एवं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI), 2002 में संशोधन जैसे सुधारों के साथ वर्ष 2020 के बाद वित्तीय प्रणाली संकट से निपटना।
- दिवाला और शोध अक्षमता संहिता (IBC) के कार्यान्वयन से बैलेंस शीट को साफ-सुथरा बनाने में मदद मिली।

नियामक ढाँचे और सुधारों का सरलीकरण (वर्ष 2014 से):

- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का अधिनियमन पारदर्शी लेन-देन को बढ़ावा देता है और काले धन के प्रसार को कम करता है।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) का परिचय, कॉर्पोरेट और आयकर दरों में कमी, संप्रभु धन निधि एवं पेंशन फंड के लिये छूट, व्यक्ति विशेष तथा व्यवसायों पर कर का बोझ कम करने हेतु लाभांश वितरण कर को हटाना।
- बढ़ा हुआ कर आधार, कम अनुपालन, अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण और लगातार बढ़ता मासिक सकल संग्रह।

निजी क्षेत्र की भागीदारी और विनिवेश नीति:

- विनिवेश नीति का पुनरुद्धार, PSE में सरकारी उपस्थिति को कम करने के लिये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (PSE) नीति की शुरुआत।
- विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) प्रदान करने के लिये पहल की शुरुआत।

व्यवसाय करने में आसानी और MSME क्षेत्र में सुधार:

- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत छोटे आर्थिक अपराधों को अपराधमुक्त किया गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार करने में आसानी हुई।
- 25,000 अनावश्यक अनुपालनों का उन्मूलन और 1,400 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त करना।
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS), आत्मनिर्भर भारत के तहत MSME की पुनर्परिभाषा, विलंबित भुगतान से निपटने के लिये TReDS और MSME हेतु गैर-कर लाभों का विस्तार जैसी पहल की शुरुआत।

बुनियादी ढाँचे पर सार्वजनिक व्यय (वर्ष 2014 से):

- केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2014 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.8% से बढ़कर 2023-24 (BE) में 4.5% हो गया।
- भारतमाला, सागरमाला, उड़ान और अन्य जैसे कार्यक्रम बुनियादी ढाँचे तथा रसद बाधाओं से निपटते हैं।

समावेशी विकास नीतियाँ (पिछला दशक):

- 10.11 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिये गए हैं।
- गरीबों के लिये 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया।
- 51.6 करोड़ जनधन खाते खोले गए।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत 6.27 करोड़ से अधिक लोगों को अस्पताल में दाखिले मिले।
- गरीबों के लिये 2.6 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण किया गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

ऊर्जा सुरक्षा और संक्रमण:

- ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकता के विरुद्ध ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को संतुलित करना बहुआयामी चुनौतियाँ खड़े करता है।
- ऊर्जा विकल्पों से संबंधित नीतिगत कार्रवाइयों के भू-राजनीतिक, तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक आयाम हैं।

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोज़गार:**
  - AI के आगमन से रोज़गार पर, विशेषकर सेवा क्षेत्रों में इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
  - IMF के एक पेपर का अनुमान है कि वैश्विक रोज़गार का 40% AI के संपर्क में है, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी ढाँचे में निवेश और डिजिटल रूप से कुशल श्रम बल की आवश्यकता पर बल देता है।

चुनौतियों पर नियंत्रण का ट्रैक रिकॉर्ड

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): इसका उद्देश्य बेहतर आजीविका के लिये भारतीय युवाओं को प्रासंगिक उद्योग कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिसके तहत दिसंबर 2023 तक लगभग 1.3 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 24 लाख व्यक्तियों को रोज़गार दिया गया।
- नवीकरणीय ऊर्जा संवर्द्धन: नवीकरणीय ऊर्जा के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिये केंद्रित प्रयास, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2023 तक बड़े जलविद्युत सहित नवीकरणीय स्रोतों से 179.57 गीगावॉट की संयुक्त स्थापित क्षमता प्राप्त हुई।
- इंटरनेट पहुँच: भारत में इंटरनेट पहुँच वर्ष 2022 में 50% को पार कर गई, जो वर्ष 2014 के बाद से तीन गुना बढ़ गई है।
- आधार कार्यान्वयन: आधार ने मासिक 200 करोड़ से अधिक आधार-आधारित प्रामाणीकरण के साथ, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के तहत 1167 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को ₹34 लाख करोड़ से अधिक के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की।
- वित्तीय समावेशन: मार्च 2015 से 3.5 गुना वृद्धि के साथ, प्रधानमंत्री जन धन योजना 10 जनवरी 2024 तक 51.5 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँच गई। उल्लेखनीय रूप से, 56% खाताधारक महिलाएँ हैं और दो-तिहाई खाताधारक ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी क्षेत्र से हैं।
- कोविड-19 प्रतिक्रिया: CoWin एप का प्रयोग द्वारा 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी का 221 करोड़ वैक्सीन खुराक देते हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक का सफल कार्यान्वयन।
- अंतरिक्ष अन्वेषण में तकनीकी छलांग: 431 विदेशी उपग्रह लॉन्च किये गए, जिनमें से जून 2014 के बाद से 396 उपग्रह लॉन्च किये गए, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति का प्रदर्शन करते हैं।
- सक्रिय दृष्टिकोण: भारत का 'मिशन मोड' दृष्टिकोण मौजूदा और उभरती दोनों चुनौतियों से निपटने में प्रभावी रहा है।
- अनुकूलनशीलता: देश की कमियों को शक्तियों में बदलने और समावेशी विकास के लिये प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की क्षमता अनुकूलनशीलता एवं लचीलेपन को प्रदर्शित करती है।
- ग्रोथ आउटलुक: वित्त वर्ष 24 में भारत की ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है, जिसमें लगातार प्रबल विकास की उम्मीद है।
- चालू खाता घाटा: वित्त वर्ष 24 में चालू खाता घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के 1% तक कम करना।
- MSME फोकस: सुव्यवस्थित नियामक और अनुपालन दायित्वों के साथ भारत के MSME की उत्पादक क्षमता को उजागर करने वाले सुधार।
- भूमि उपलब्धता: उचित मूल्य पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ऊर्जा आवश्यकताएँ: बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के उपाय।
- G20 प्रेसीडेंसी: G20 प्रेसीडेंसी की सफल मेज़बानी, वैश्विक मंच पर एक प्रमुख सर्वसम्मति निर्माता के रूप में भारत के आगमन का प्रतीक है।
- चंद्रयान-3: चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचने में भारत की सफलता।
- 5G परिनियोजन: वैश्विक स्तर पर 5G की सबसे तेज़ तैनाती हासिल की गई।

वैश्विक महत्त्व और विश्वास:

- वैश्विक उपस्थिति: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बढ़ता महत्त्व।
- वैश्विक उपलब्धियाँ: अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी तैनाती सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख प्रगति।
- नागरिक समुत्थानशक्ति: पथ विश्वास पर स्थापित भारतीय नागरिकों के समुत्थानशक्ति और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

अध्याय-2

भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में योगदान करने वाले महत्त्वपूर्ण कारक

- **महामारी के बाद की रिकवरी:**
  - 7% से ऊपर की वृद्धि: वित्त वर्ष 2011 में महामारी से प्रेरित संकुचन के बाद लगातार दो वर्षों में 7% से अधिक की वृद्धि के साथ लचीलापन प्रदर्शित किया।

- संभावित तीसरा वर्ष: वित्त वर्ष 2024 में भी 7% से ऊपर की वृद्धि होने की आशा है।

वित्तीय वर्ष 24 में प्रदर्शन:

- वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही की तुलना में वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में वास्तविक रूप से 7.6% की वृद्धि प्राप्त की।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अनुमान के पहले अग्रिम अनुमान से वित्त वर्ष 2024 में अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि 7.3% होने का संकेत है, जो विभिन्न एजेंसियों के पूर्वानुमान से अधिक है।

सकारात्मक आकलन:

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का अनुमान विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किये गए पूर्वानुमानों से अधिक है।
- RBI के 7% के अनुमान से अधिक वृद्धि की संभावना है, जो मज़बूत आर्थिक प्रदर्शन का भी संकेत देती है।

एकाधिक आयामों में लचीलापन:

- आर्थिक वृद्धि:
  - बेरोज़गारी दर में गिरावट एवं बढ़ती आर्थिक गतिविधि में लचीलापन स्पष्ट है।
  - ई-वे बिल जनरेशन, रेल माल ढुलाई एवं बंदरगाह कार्गो यातायात सहित उच्च आवृत्ति संकेतकों में स्वस्थ प्रदर्शन दर्शाते हैं।
  - बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करने तथा आवास की बढ़ती मांग के कारण निर्माण गतिविधि में वृद्धि हुई है, जो स्टील की खपत के साथ-साथ सीमेंट उत्पादन की वृद्धि में परिलक्षित होती है।
  - महामारी की चुनौतियों के बावजूद गतिशीलता, विशेष रूप से हवाई यात्रा, पूर्व-कोविड स्तर से अधिक हो गई।
- बैंकिंग क्षेत्र एवं राजकोषीय अनुशासन:
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मज़बूत बैलेंस शीट RBI की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा, पुनर्पूंजीकरण तथा दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड (IBC) के अधिनियमन में निहित है।
- विकास प्रेरकों की निरंतरता:
  - महामारी पूर्व से ही उच्च विकास को बनाए रखते हुए ऊर्जा सुरक्षा के साथ ऊर्जा में परिवर्तन के भी प्रयास एक साथ चल रहे हैं।
  - महामारी से पहले की घरेलू मांग पर निर्मित लचीलापन, भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाला एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है।
- दस वर्षों में सरकार द्वारा किये गए उपाय:
  - चार खंडों में पहचाने गए उपाय- घरेलू अर्थव्यवस्था, व्यापक आर्थिक स्थिरता, मानव संसाधन एवं बाह्य अर्थव्यवस्था।
  - जलवायु परिवर्तन के प्रतिरोध को मज़बूत करते हुए ऊर्जा सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण परिवर्तन की खोज को प्रोत्साहित करना।

घरेलू अर्थव्यवस्था:

- कोविड के बाद लगातार रिकवरी:
  - वित्त वर्ष 22 तथा वित्त वर्ष 24 के बीच औसतन 7.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
  - वैश्विक स्तर पर कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने भारत की तरह लगातार कोविड के बाद रिकवरी को बनाए रखा है।
- क्षेत्रीय योगदान:
  - मेक इन इंडिया मिशन के कारण सकल मूल्य वर्धित (GVA) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 17.2% (वित्त वर्ष 2014) से बढ़कर 18.4% (वित्त वर्ष 18) हो गई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं के साथ 17.7% (वित्त वर्ष 24) पर मज़बूत बना रहा।
  - कुल GVA में निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 8.8% (वित्त वर्ष 2014) थी और साथ ही रियल एस्टेट मूल्य वृद्धि तथा महामारी चुनौतियों का मुकाबला करने के बाद लगभग 8.7% (वित्त वर्ष 24) तक पहुँच गई।
  - महामारी और उसके बाद अनलॉकिंग के कारण कुल GVA में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 51.1% (वित्त वर्ष 14) से बढ़कर 54.6% (वित्त वर्ष 24) हो गई, जिससे गैर-संपर्क सेवाओं में वृद्धि हुई। डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार का अभियान, जिसका प्रतिनिधित्व इंडिया स्टैक द्वारा किया जाता है, जो एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE):
  - मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में PFCE की हिस्सेदारी महामारी से पहले के आठ वर्षों में औसतन 58.4% से बढ़कर वित्त वर्ष 2014 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में 60.8% हो गई।

Chart 1: Share of Private Final Consumption Expenditure in GDP

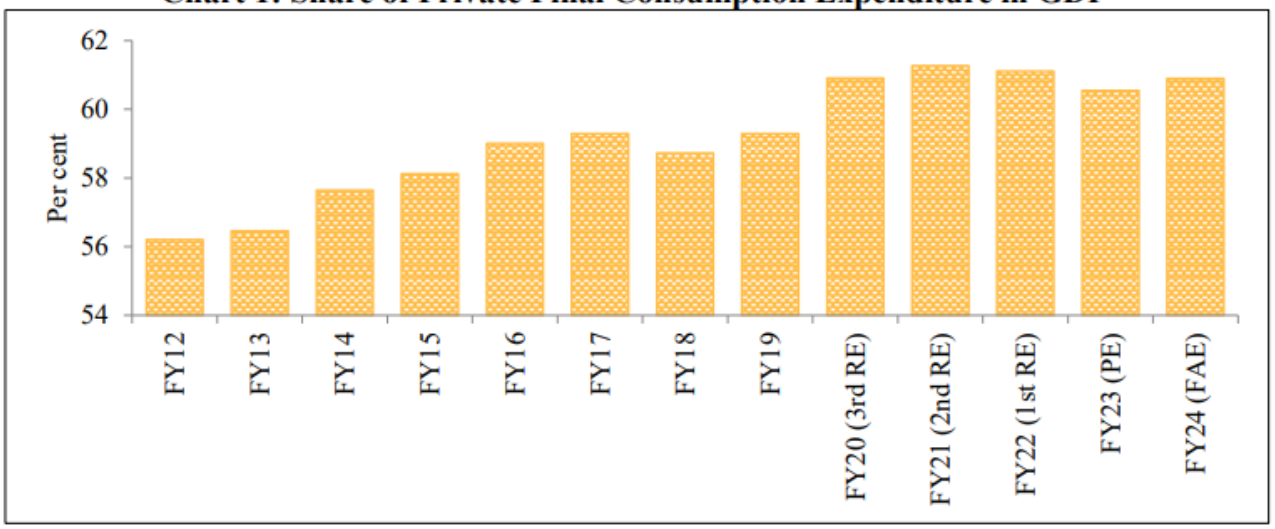

Source: NSO, MoSPI

Note: RE stands for Revised Estimates, PE for Provisional Estimates and FAE for First Advance Estimates

➲ **कोविड के बाद के विकास में PFCE की भूमिका:**

- निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) कोविड महामारी के बाद एक प्रमुख विकास चालक के रूप में उभरा है।
- भारत एक लचीली PFCE द्वारा समर्थित सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
- महामारी से पहले के नौ वर्षों में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय आय (GNI) में मज़बूत वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 20 तक 5.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की।
- सुदृढ़ सरकारी दृष्टिकोण, बाज़ार-अनुकूल सुधार, अनुपालन बोझ कम करना, सरलीकृत कानून, क्षेत्रों को खोलना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश ने निजी क्षेत्र के विकास में योगदान दिया।

Chart 2: Per Capita Real Gross National Income

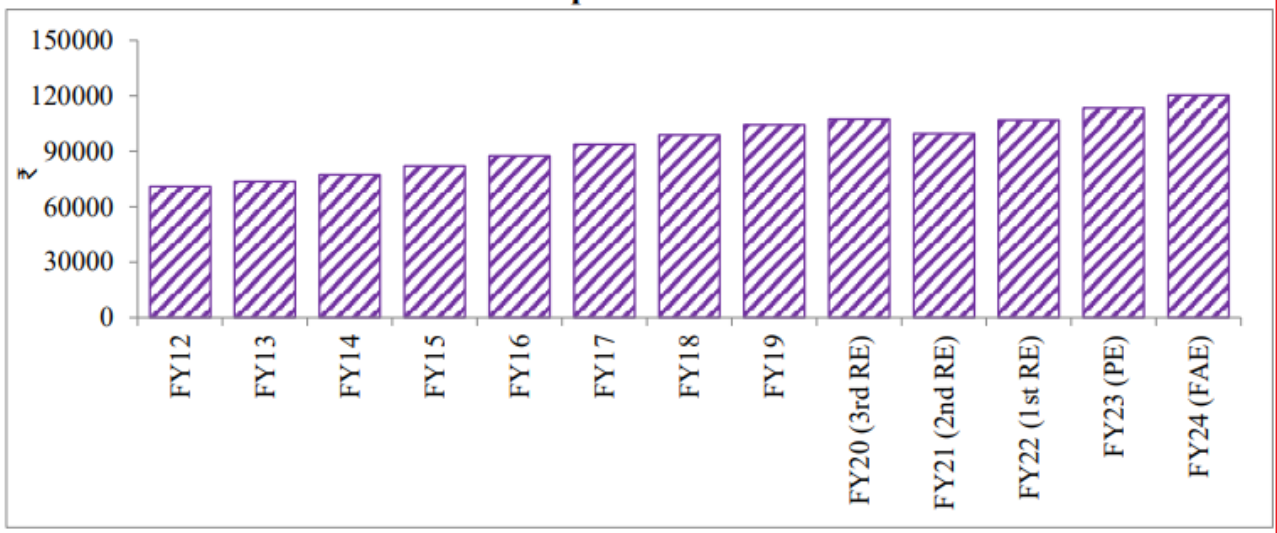

Source: NSO, MoSPI

Note: RE stands for Revised Estimates, PE for Provisional Estimates and FAE for First Advance Estimates

विदेशी निवेश एवं वित्तीय क्षेत्र:

- सरकार ने निवेशक-अनुकूल नीतियों को लागू किया है, जिससे अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति मिलती है।
- नीति निर्माताओं ने वित्तीय क्षेत्र को फिर से स्वस्थ बनाने में योगदान दिया।
- व्यावहारिक मौद्रिक नीति तथा आर्थिक एवं मौद्रिक नीतियों के समन्वय ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

PFCE वृद्धि के घटक:

- निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में वृद्धि टिकाऊ वस्तुओं,अर्ध टिकाऊ वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा संतुलित होता है।
- वित्त वर्ष 2011 में गिरावट देखने के बाद, टिकाऊ, अर्ध-टिकाऊ एवं सेवाओं ने वित्त वर्ष 2012 में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की।
- सेबी की बाज़ार पारदर्शिता में वृद्धि, शेयर बाज़ार में खुदरा भागीदारी में वृद्धि एवं डीमैट खातों में वृद्धि ने धन प्रभाव उत्पन्न किया।
- बुनियादी ढाँचे में निवेश को सरकार के प्रोत्साहन से अतिरिक्त आय एवं रोज़गार सृजन हुआ, जिससे PFCE मज़बूत हुआ।

डिजिटल अवसंरचना एवं आर्थिक क्षमता:

- डिजिटलीकरण से वित्तीय समावेशन, अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण, कुशल सेवा वितरण के साथ पारदर्शी शासन प्रक्रियाओं में वृद्धि हुई है।
- डिजिटलीकरण ने प्रत्यक्ष रूप से महामारी से पहले और बाद में निजी खपत बढ़ाने में सहायता प्रदान की।
- महामारी के दौरान आरोग्य सेतु और कोविन एप गेम-चेंजर थे, जिससे ट्रैकिंग, रोकथाम और टीकाकरण प्रयासों में वृद्धि हुई।
- महामारी के कारण व्यवहार में बदलाव आया, जैसे त्वरित भोजन खरीदारी, कंप्यूटरीकृत भुगतान एवं आभासी चिकित्सा नियुक्तियाँ।
- UPI जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने वर्ष 2022 तथा वर्ष 2026 के बीच 16% की अनुमानित CAGR के साथ ई-कॉमर्स के विकास में सहायता की।

ग्रामीण समावेशन एवं कल्याण दृष्टिकोण:

- ग्रामीण भारत में बढ़ती सामाजिक एवं आर्थिक समावेशिता दिखाई दे रही है।
- PMJDY ने कम लागत वाले बैंक खाते प्रदान किये साथ ही DBT ने इन खातों में लाभ के सीधे हस्तांतरण को आसान बना दिया जिससे ग्रामीण-शहरी विभाजन कम हो गया।
- आशा है कि सरकार के सर्व-समावेशी कल्याण दृष्टिकोण से मध्यम वर्ग के विस्तार में योगदान प्राप्त होगा।

निवेश वातावरण में परिवर्तन:

- पहले दशक में प्रतीत होने वाली प्रभावशाली निवेश दर अत्यधिक उधार लेने के साथ-साथ अति-आशावाद पर निर्भर थी, जिससे एक अस्थिर स्थिति उत्पन्न हुई।
- दूसरे दशक में बैंक कॉरपोरेट्स को ऋण देने हेतु अनिच्छुक थे, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में निवेश हिस्सेदारी में कमी आई।
- पहले दशक में बैलेंस शीट पर दबाव उत्पन्न हुआ, जिससे व्यापक कमज़ोरी, उच्च राजकोषीय घाटा, उच्च चालू खाता घाटा एवं निरंतर दोहरे अंक वाली मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई।
- भारत को उभरते देशों की श्रेणी में "फ्रैजाइल फाइव" के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

सरकारी पहल:

- सरकार द्वारा बैंकों को पुनर्पूंजीकरण के साथ उद्योग का पुनर्गठन करके उनकी बैलेंस शीट को मज़बूत करने में सहायता करने हेतु उपाय किये।
- गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्रों में मज़बूत बैलेंस शीट प्राप्त की गई है।

निवेश हेतु आउटलुक:

- निवेश और ऋण में वृद्धि के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक रुझान प्रदर्शित किये है।
- चार्ट 3 और 4 में प्रस्तुत आँकड़े इस दावे का समर्थन करते हैं कि मौजूदा दशक में निवेश तथा ऋण बढ़ने की संभावना है।

Chart 3-Trends in Investment rate over the years

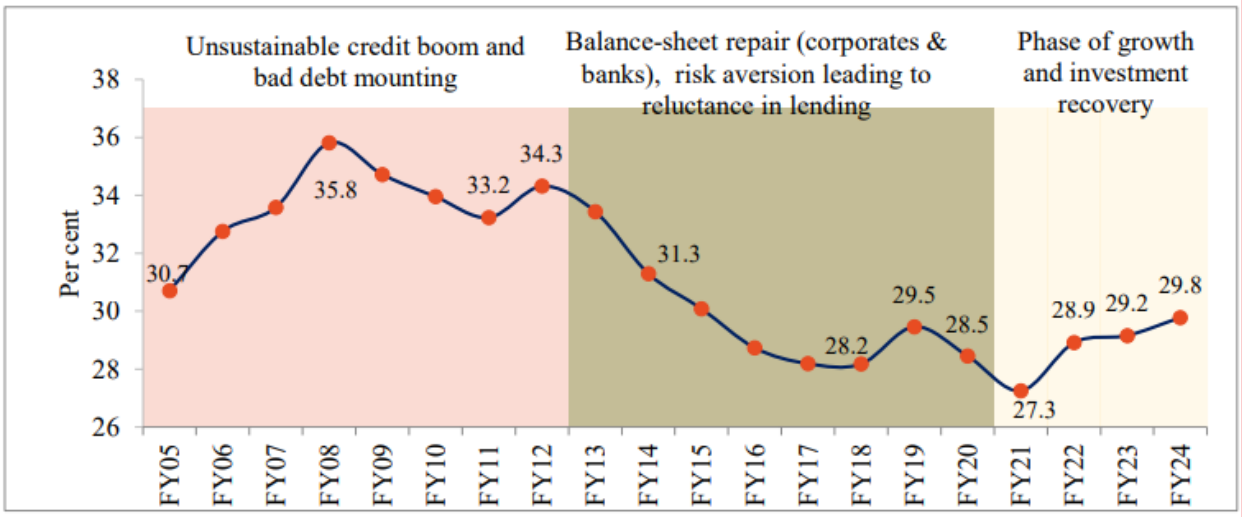

Note: Investment Rate is the ratio of Nominal GFCF over Nominal GDP
Data for FY24 is as per the First Advance Estimates
Source: NSO, MoSPI

- **सरकारी प्रयास एवं सकारात्मक परिणाम:**
  - प्रयासों के परिणामस्वरूप निजी कॉर्पोरेट एवं बैंकिंग क्षेत्र दोनों में स्वस्थ बैलेंस शीट प्राप्त हुई है।
  - सकारात्मक परिणामों में निजी कॉर्पोरेट निवेश में वृद्धि होना शामिल है।
  - बैंक ऋण संवितरण में वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
- **गैर-खाद्य बैंक ऋण वृद्धि:**
  - गैर-खाद्य बैंक ऋण वृद्धि, व्यक्तिगत ऋणों को छोड़कर वर्ष 2008 में 20% से घटकर वित्त वर्ष 2016 में 10% से भी कम हो गई थी।
  - वित्त वर्ष 2013 में 13% (चार्ट 4) के साथ वृद्धि हुई है।

Chart 4: Growth in Non-Food Bank Credit, Net of Personal Loans

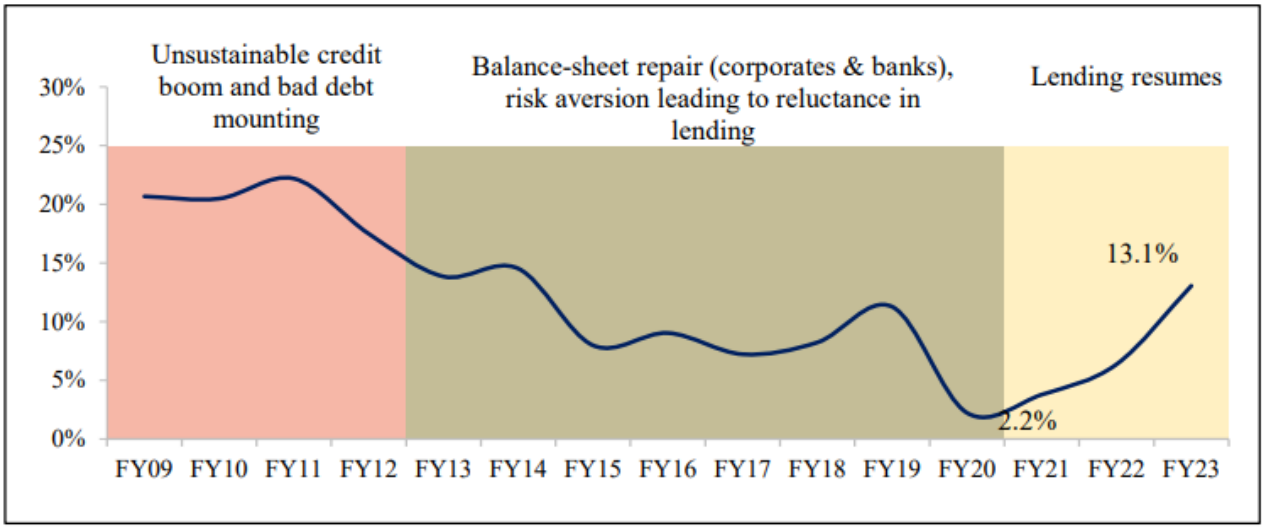

Source: RBI

➲ **सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजीगत व्यय (वित्त वर्ष 2015 से 2024):**

- केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय, पूंजीगत संपत्ति निर्माण हेतु राज्यों को अनुदान एवं केंद्रीय PSE के निवेश संसाधनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजीगत व्यय, वित्त वर्ष 2015 में ₹5.6 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹18.6 लाख करोड़ हो गया।
- इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में 5.1 गुना की वृद्धि हुई।
- पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण के लिये राज्यों के अनुदान में 2.8 गुना की वृद्धि हुई, और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संसाधनों में 2.1 गुना की वृद्धि हुई।

➲ **राजकोषीय व्यय का पुनर्संतुलन (वित्त वर्ष 2018 से 2024):**

- पूंजीगत व्यय में वृद्धि को सुविधाजनक बनाने हेतु केंद्र सरकार ने अपने राजकोषीय व्यय को पुनर्संतुलित किया।
- वित्त वर्ष 2018 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 12% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 22% (बजट अनुमान) हो गया।

➲ **बुनियादी ढाँचे में निवेश पर ज़ोर:**

- बुनियादी ढाँचे में निवेश पर ज़ोर देने का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही आपूर्ति पक्ष की कमियों को दूर करना है।

➲ **बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने हेतु सरकारी उपाय:**

- सरकार ने निर्माण में देरी, प्रशासनिक अक्षमताओं, वित्तपोषण चुनौतियों, कानूनी जटिलताओं के साथ-साथ भूमि मुद्दों जैसे मुद्दों को संबोधित करके रुकी हुई बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की एक बड़ी पाइपलाइन पर काम तेज़ कर दिया है।
- सरकार द्वारा नौकरशाही प्रक्रियाओं को डिजिटलीकृत किया, परियोजना अनुमोदन को सुव्यवस्थित किया, कानूनी बाधाओं को कम किया, कॉर्पोरेट कर दरों को कम किया, एक समान GST व्यवस्था लागू की और निजी निवेशकों के लिये नए रास्ते खोले।
- प्रगति एवं परियोजना निगरानी समूह (PMG) तंत्र ने लंबे समय से विलंबित परियोजनाओं के निष्पादन में तेज़ी लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

➲ **निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि हेतु प्रॉक्सी संकेतक:**

- कई प्रॉक्सी संकेतक एवं उद्योग रिपोर्ट महामारी के बाद के वर्षों में निजी पूंजीगत व्यय चक्र के नए उद्भव का सुझाव देते हैं।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) डेटा वित्त वर्ष 2013 में पूंजीगत सामान सूचकांक (12.9%) और बुनियादी ढाँचे एवं निर्माण सामान सूचकांक (8.4%) में मज़बूत वृद्धि का संकेत देता है।
- सूचीबद्ध एवं गैर-सूचीबद्ध कॉरपोरेट वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में निजी निवेश बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं।

Chart 6: Rising Investment by Private Non-Financial Companies

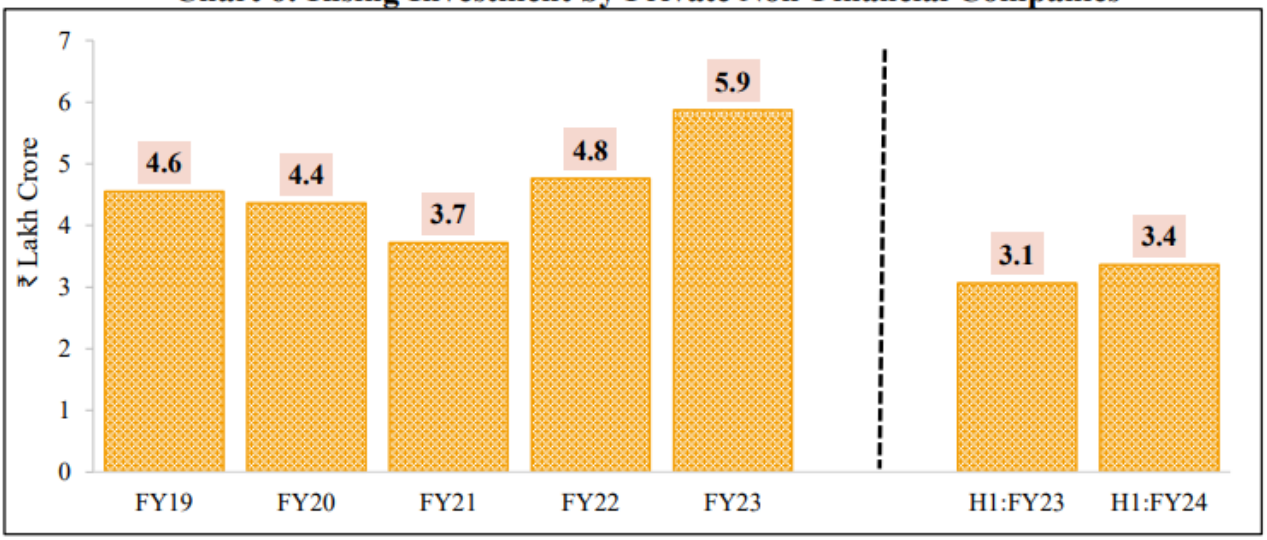

Source: Axis Bank Research

Note: Data is for a set of 3,336 companies

➲ **रियल एस्टेट में घरेलू निवेश बढ़ने से निवेश दर मज़बूत होती है:**

- घरेलू क्षेत्र का निवेश योगदान:
  - कुल सकल स्थिर पूंजी निर्माण में घरेलू क्षेत्र निवेश का हिस्सा सबसे बड़ा है।
  - महामारी से ठीक पहले घरेलू क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हो रही थी।
  - अचल संपत्ति की कीमतों में वृद्धि में धीरे-धीरे गिरावट देखी गई और साथ ही आवास हेतु बैंक ऋण में निरंतर वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप घरेलू क्षेत्र के निवेश भी में वृद्धि हुई।
  - महामारी के बाद, आवास की कीमतों में सुधार के साथ औसत वार्षिक वृद्धि वित्त वर्ष 2012 में 2.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2014 की पहली छमाही में 4.3% हो गई है।
  - यहाँ तक कि बढ़ती ब्याज दरों तथा रियल एस्टेट की कीमतों के बावजूद, आवासीय बिक्री में बढ़ोतरी आय वसूली के लचीलेपन के साथ भविष्य के लिये आशावाद को दर्शाती है।

Chart 7: Trends in real-estate prices (Average of quarterly YoY growth)

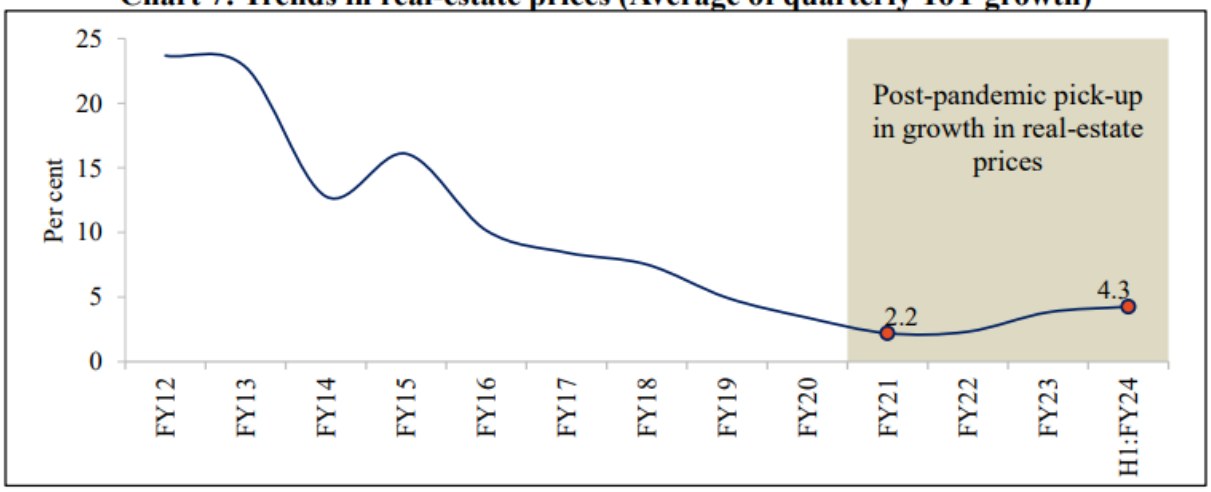

Source: RBI

Note: The figure for H1 FY24 is an average of quarterly YoY growth for the first two quarters of FY24.

Chart 8: Bank Credit for Housing (as a per cent of GDP)

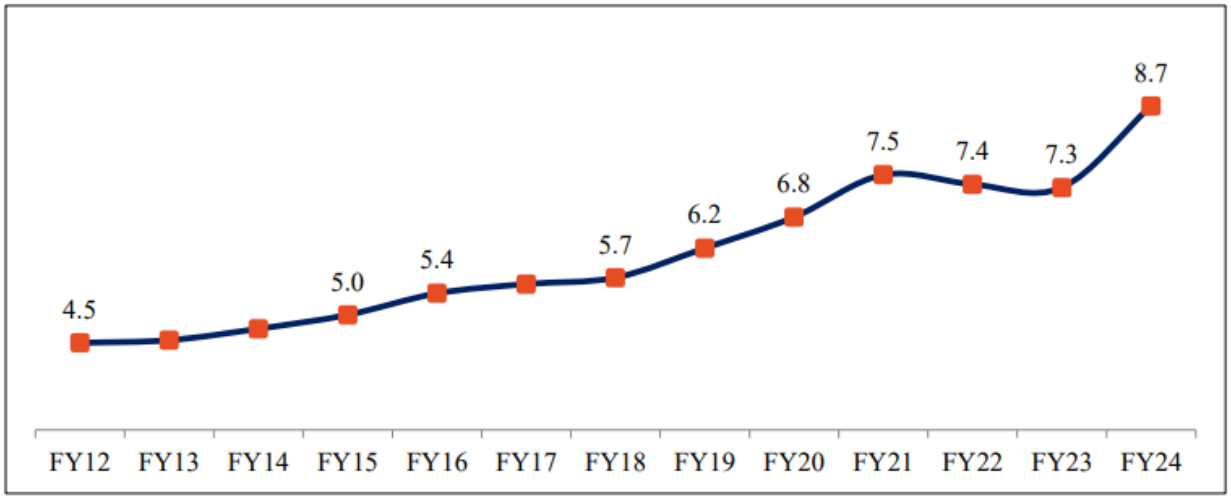

Source: MoSPI, RBI;

Note: The figure for Bank credit for FY24 is up to 17 November 2023, taken as a proportion of the GDP (First AE) for FY24.

Chart 9: Trends in housing sales and launches (in lakh)

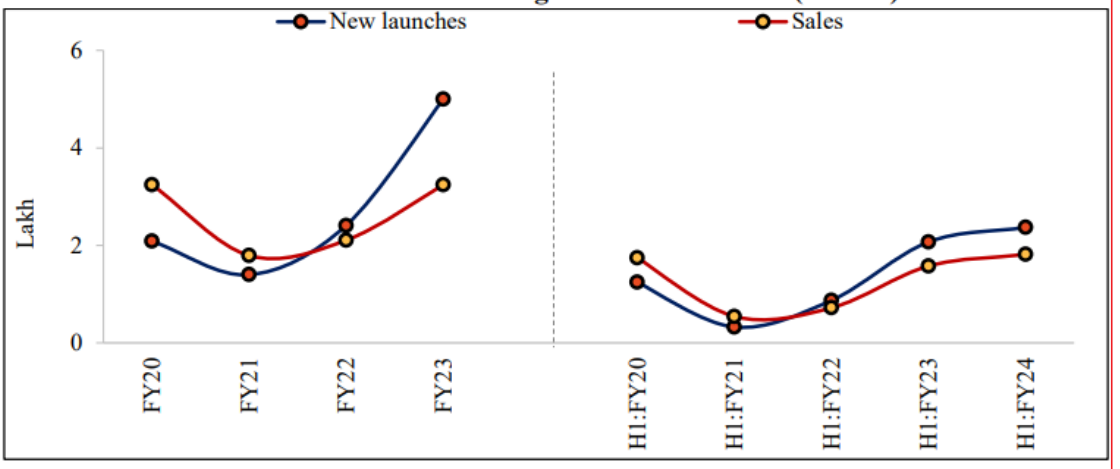

Source: PropTiger

Chart 10: Inventory overhang (in months)

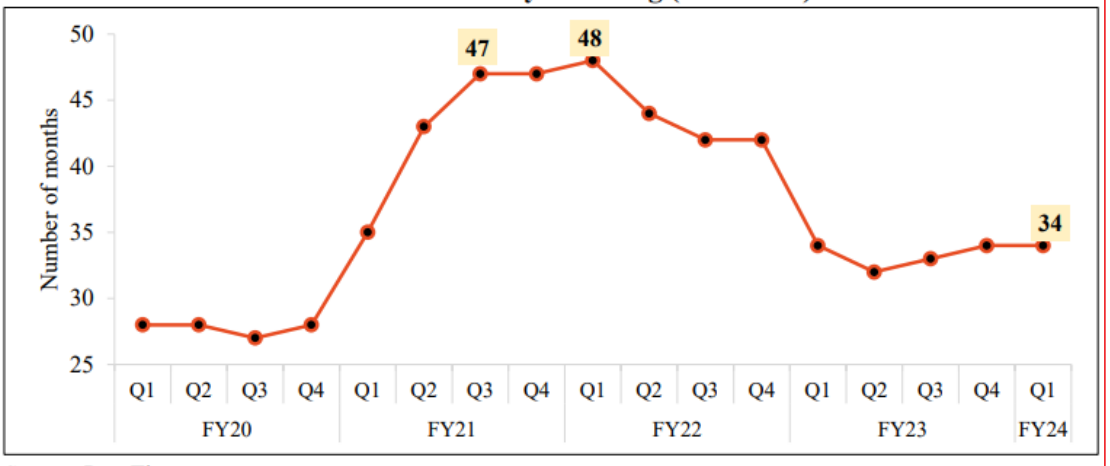

Source: PropTiger

Chart 11: Monthly Fresh Rupee Loans WALR by Scheduled Commercial Banks

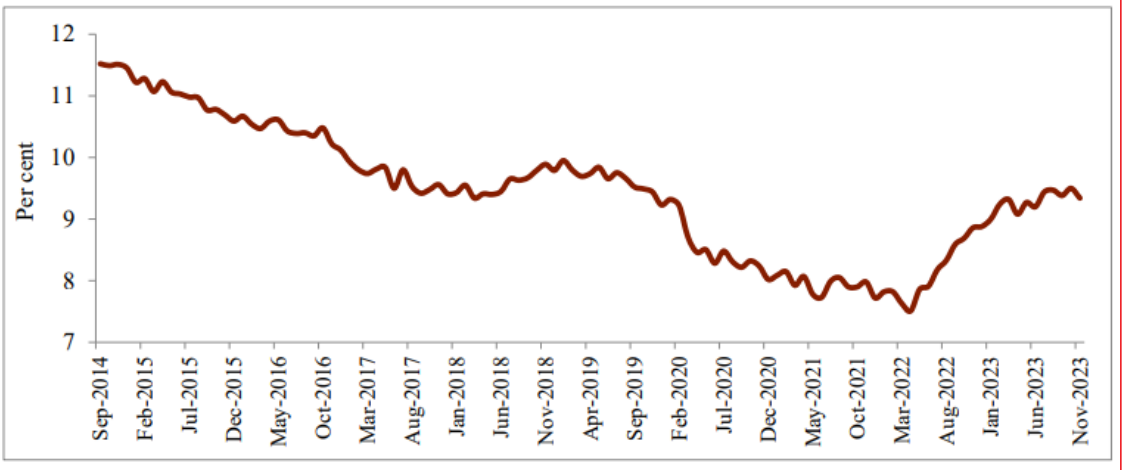

Source: RBI. Note: WALR- Weighted Average Lending Rate

➲ **निवेश दर में सतत् वृद्धि:**

- पिछले तीन वर्षों से अर्थव्यवस्था की समग्र निवेश दर लगातार सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वित्त वर्ष 2016 के स्तर को पार कर गई है।
- निवेश में वृद्धि अर्थव्यवस्था के सभी तीन क्षेत्रों- सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं घरेलू द्वारा संचालित है।
- यह देश की भविष्य की आर्थिक संभावनाओं के प्रति विश्वास को दर्शाता है।
- निवेश दर में निरंतर वृद्धि से अगले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश आधारित विकास की नींव रखने की आशा है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली कृषि क्षेत्र की नीतियाँ

➲ **कृषि क्षेत्र का योगदान:**

- वित्त वर्ष 2024 में भारत के सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में कृषि का योगदान 18% है।
- FY15 से FY23 तक 3.7% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई, जबकि FY05 से FY14 तक यह 3.4% थी।
- FY23 के लिये कुल खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मिलियन टन था, जो 14.1 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है।
- कृषि वस्तुओं में भारत का वैश्विक प्रभुत्व तथा दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक।
- फल, सब्ज़ियाँ, चाय, मत्स्य उत्पादन, गन्ना, गेहूँ, चावल, कपास और चीनी सहित विभिन्न वस्तुओं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक।
- वित्त वर्ष 2013 में कृषि निर्यात पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए ₹4.2 लाख करोड़ तक पहुँच गया।

➲ **सरकारी पहल:**

- 22 फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में लगातार वृद्धि।
- PM-KMY, PM-KISAN और PMFBY जैसी नीतिगत पहल किसानों को वित्तीय तथा आय सहायता प्रदान करती हैं।
- डिजिटल समावेशन और मशीनीकरण ने उत्पादकता को बढ़ावा दिया।
- वर्ष 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) का शुभारंभ, जिससे कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा मिल सके।
- किसानों को सस्ती ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराई गई।
- सहकारी आंदोलन को मज़बूत करने के प्रयास और योजनाओं की प्रभावी योजना एवं कार्यान्वयन के लिये एग्रीस्टैक का निर्माण।
- फसल कटाई के बाद बुनियादी ढाँचे के निवेश, संधारणीय कृषि पद्धतियों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित।

➲ **खाद्य सुरक्षा उपाय:**

- खाद्यान्नों की समय पर और कुशल खरीद एवं वितरण।
- गेहूँ की खरीद पिछले वर्ष की कुल खरीद को पार कर 262 LMT तक पहुँच गई है।
- वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना शुरू की गई।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का 1 जनवरी, 2024 से 5 वर्ष तक के लिये विस्तार।

भारतीय उद्योग में सुधार को बढ़ावा

➲ **औद्योगिक वृद्धि:**

- वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2019 तक औद्योगिक विकास बढ़कर 7.1% प्रति वर्ष हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2010 से वित्तीय वर्ष 2014 में यह 5.5% था।
- COVID-19 महामारी के कारण अल्पकालिक संकुचन के बावजूद, भारतीय उद्योग मार्च 2024 को समाप्त होने वाले त्रि-वार्षिक के दौरान प्रति वर्ष 8% की प्रबल वृद्धि दर्ज करने की संभावना है।

➲ **सरकारी पहल:**

- मेक इन इंडिया:
  - घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत लक्षित उपाय।
  - निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिये 14 क्षेत्रों को कवर करने वाली उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना।

- PLI योजना के तहत ₹1.07 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, ₹8.7 लाख करोड़ का उत्पादन/बिक्री और 7 लाख से अधिक का रोज़गार सृजन।

◆ स्टार्टअप इंडिया:

- 1.14 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई, जिससे 12 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ।
- डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क द्वारा नवंबर 2023 में 6.3 मिलियन से अधिक लेनदेन दर्ज किये गए।
- 3,600 अनुपालनों को अपराधमुक्त करने सहित विनियामक सुधारों से व्यापार करने में आसानी में सुधार हुआ।

◆ MSME समर्थन:

- सहायक उपायों के साथ उद्यमी और गतिशील MSME
- FY24 के केंद्रीय बजट MSME के लिये समय पर भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
- उद्यम पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (UAP) MSME जानकारी को समेकित कर रहे हैं।
- PM विश्वकर्मा, कारीगरों को समर्थन की पेशकश करते हुए 48.8 लाख नामांकन आकर्षित कर रहे हैं।

◆ ऋण योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ₹25.98 लाख करोड़ वितरित किये।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) की सीमा बढ़ाकर ₹5 करोड़ की गई।
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) द्वारा ₹2.4 लाख करोड़ की गारंटी प्रदान की गई।

➲ **रसद और बुनियादी ढाँचा:**

◆ राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) 8 मंत्रालयों की 35 प्रणालियों के साथ एकीकृत है, जिसमें 699 उद्योग भागीदार पंजीकृत हैं।

◆ वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2022 के बीच अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद के 0.8 से 0.9 प्रतिशत अंक तक कम हो गई।

◆ प्रमुख बंदरगाहों पर औसत टर्नअराउंड टाइम 4.2 दिन (FY04-FY14) से घटकर 2.9 दिन (FY14-FY22) हो गया।

◆ सरकार के पूंजीगत व्यय ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम कर दिया, निर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया, और FY22 से FY24 तक निर्माण में लगभग 12% प्रति वर्ष की वृद्धि में योगदान दिया।

Chart 12: Reduction in Logistics Cost for Trucks after implementation of GST accompanied by a rise in distance travelled per day

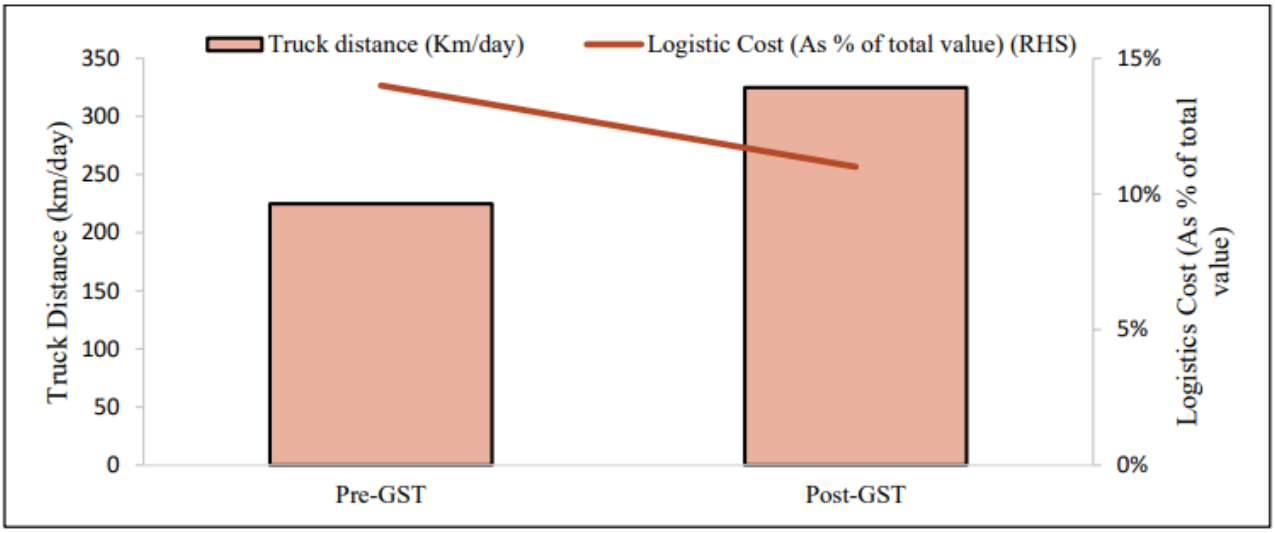

Source: Bernstein [Original source: data sourced from Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH)]

डिजिटल अवसंरचना और नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी

➲ **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) - इंडिया स्टैक:**

- तीन परस्पर संबद्ध स्तर: पहचान स्तर (आधार), भुगतान स्तर (UPI, आधार भुगतान ब्रिज, आधार सक्षम भुगतान सेवा) और डेटा स्तर (अकाउंट एग्रीगेटर)।
- आइडेंटिटी लेयर/पहचान स्तर (आधार) ने हर भारतीय को डिजिटल पहचान प्रदान की।
- पेमेंट लेयर/भुगतान स्तर में कैशलेस भुगतान में वृद्धि देखी गई, विशेषकर महामारी के दौरान।
- डेटा लेयर ने प्रामाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया, e-KYC लागत को ₹1000 से घटाकर ₹5 कर दिया।

➲ **PMJDY और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):**

- PMJDY ने लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfers- DBT) के लिये इंडिया स्टैक का प्रयोग किया।
- PMJDY खाते मार्च 2015 में 14.7 करोड़ से तीन गुना बढ़कर 10 जनवरी 2024 तक 51.5 करोड़ हो गए।
- DBT मोड में दिसंबर 2023 तक ₹33.6 लाख करोड़ से अधिक का हस्तांतरण हुआ।

➲ **वित्तीय समावेशन और फिनटेक विकास:**

- टेलीकॉम क्षेत्र में 100% FDI और भेदभावपूर्ण डेटा टैरिफ पर रोक से प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी।
- प्रति वायरलेस डेटा ग्राहक औसत मासिक डेटा खपत मार्च 2014 में 61.7 MB से लगभग 300 गुना बढ़कर जून 2023 में 18.4 GB हो गई।
- भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ते फिनटेक बाज़ारों में से एक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है।

➲ **वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC):**

- भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के प्रसार से जुड़ी व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में तीव्र वृद्धि।
- GCC का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1% से अधिक का योगदान है।

क्रेडिट सृजन की वापसी

➲ **बैंक ऋण वृद्धि:**

- जमाराशियों में वृद्धि को पीछे छोड़ दिया।
- वित्त वर्ष 2013 में गैर-खाद्य बैंक ऋण 15% की दर से बढ़ा, जो पिछले दशक में सबसे अधिक है।

➲ **परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार:**

- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB) समूहों में संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार।
- कुल अग्रिमों के सापेक्ष GNPA और शुद्ध NPA के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति। यह संपत्ति की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी का प्रतीक है।

Chart 13: Declining Gross Non-Performing Assets of SCBs (as % of Gross Advances)

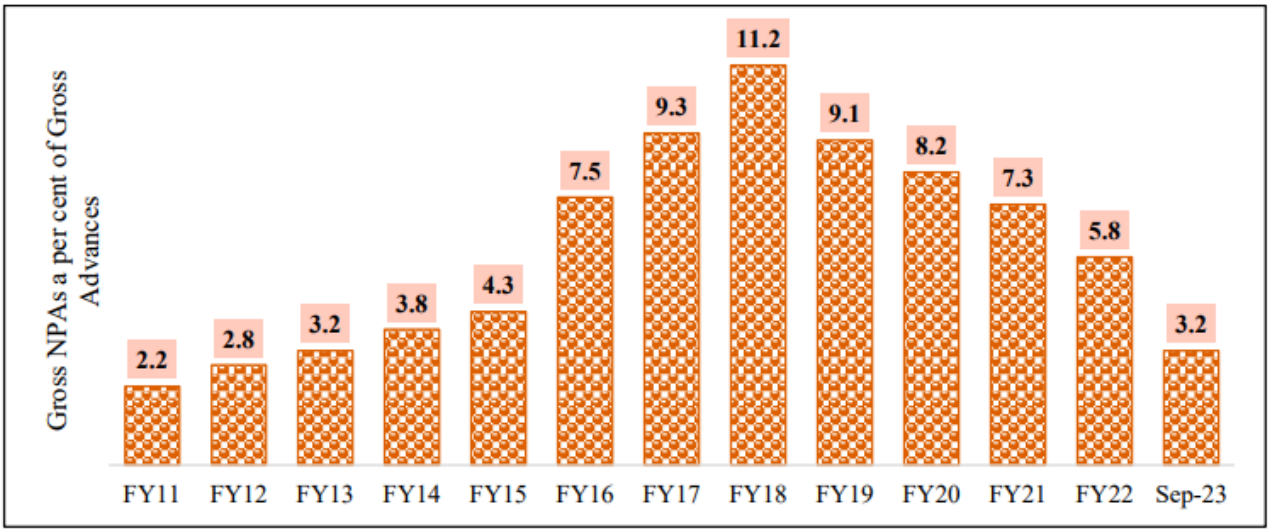

Source: RBI

➲ **वैश्विक रैंकिंग में सुधार:**

- IBC कार्यान्वयन के पहले तीन वर्षों में दिवालियापन मापदंडों के समाधान में भारत की वैश्विक रैंकिंग 136 से सुधरकर 52 हो गई।

➲ **पुनर्पूंजीकरण उपाय:**

- सरकारी पुनर्पूंजीकरण उपायों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लाभ मार्जिन में सुधार करने में मदद मिली।
- तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान, ऋण चुकाने की लागत में बचत के कारण कॉर्पोरेट लाभ मार्जिन में वृद्धि हुई।

➲ **MSME और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र को ऋण वितरण:**

- वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 तक MSME को बैंक ऋण में 14.2% की CAGR दर्ज की गई।
- हाल ही में पूंजीगत व्यय पर सरकार के प्रभाव ने बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में बैंक ऋण वितरण में वृद्धि के साथ ऋण चक्र को सुदृढ़ किया है।

Chart 14: Bank Credit to the Infrastructure Sector

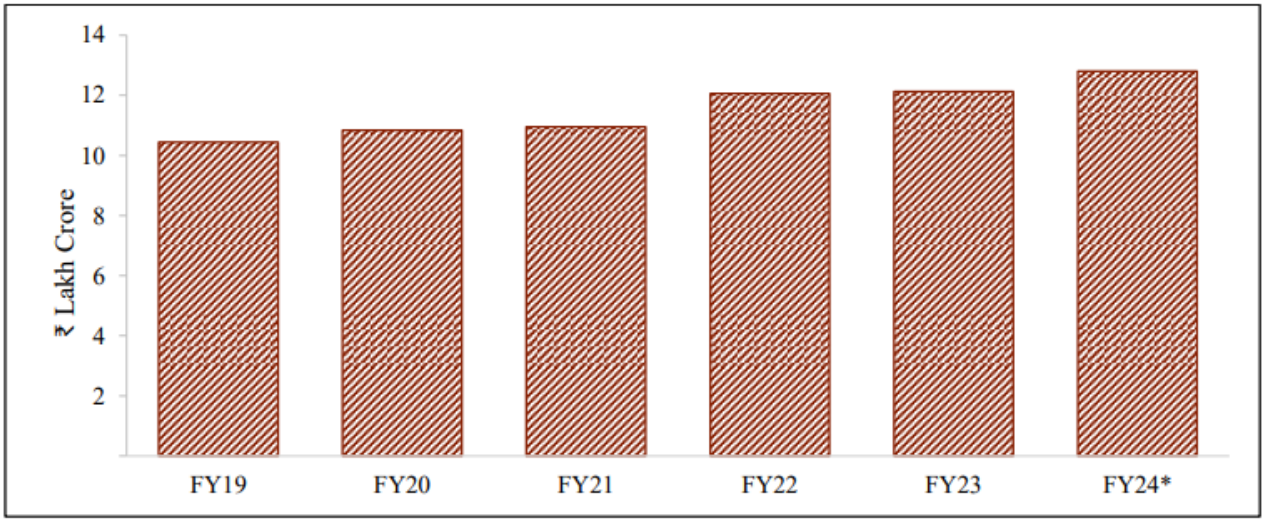

Source: RBI
Note: *Data for FY24 is as of 17th November 2023

प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वित्तीय बाज़ारों का विकास

➲ **भारत के इक्विटी बाज़ार में वृद्धि और डिजिटल क्रांति:**

- जनवरी 2014 से दिसंबर 2023 के बीच लगभग 13.5% की प्रभावशाली CAGR प्रदान कर भारतीय इक्विटी बाज़ारों का प्रदर्शन विश्व के अन्य समकक्षों से बेहतर हुआ है।
- वर्ष 2023 के लिये BSE सेंसेक्स के मानक विचलन/पथांतर द्वारा मापी गई अस्थिरता वर्ष 2019 के अंतिम स्तर तक कम हुई जो स्थिरता में हुई वृद्धि को दर्शाती है।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने से खुदरा निवेशकों की वित्तीय बाज़ारों तक पहुँच सुगम हुई है जिसका प्रमाण डीमैट खातों में हुई 536% की उल्लेखनीय वृद्धि है जो मार्च 2014 से दिसंबर 2023 तक 13.9 करोड़ तक पहुँच गया है।

➲ **IPO गतिविधि: SME क्षेत्र का विकास:**

- वित्त वर्ष 2015 के बाद से, कुल 1,050 कंपनियों ने IPO के माध्यम से सामूहिक रूप से 3.9 लाख करोड़ रुपए जुटाए जो बाज़ार के मूल्य में हुई भारी वृद्धि को दर्शाता है।
- निरंतर/अविरत IPO गतिविधि के फलस्वरूप बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर भारतीय बाज़ार विश्व स्तर पर पाँचवाँ सबसे बड़ा बाज़ार बना।
- भारत के बाज़ार पूंजीकरण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 2014 में 79% था जो सराहनीय सुधार के साथ वर्ष 2022 के अंत तक 104% हो गया।
- MSCI के इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के अनुसार भारत का सुदृढ़ इक्विटी बाज़ार वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार बन गया है।

- CRISIL के अनुसार, भारतीय कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹43 लाख करोड़ रहा जिसमें अनुमानित रूप से दोगुना वृद्धि होकर वित्त वर्ष 2030 में ₹100-120 लाख करोड़ होने की संभावना है।

बॉण्ड बाज़ार विकास को बढ़ावा देने वाली पहल:

- InvITs और म्यूनिसिपल बॉण्ड जैसे उपकरणों के लिये सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड की शुरुआत तथा SEBI के विनियामक उपायों ने बॉण्ड बाज़ार के विस्तार एवं वृद्धि में योगदान दिया है।
- नियम के तहत एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध बड़े निगमों को बाज़ार के विकास को बढ़ावा देने के लिये ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं का 25% पूरा करना अनिवार्य है।
- भारत के वित्तीय बाज़ार भविष्य में देश की पूंजी निवेश आवश्यकताओं के वित्तपोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- वित्तीय बाज़ारों तक पहुँच से निवेशकों के एक व्यापक समूह को सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिससे अधिक विविध निवेश विकल्प और सुरक्षित बचत विकास संभव हो सकेगा।

वृहद आर्थिक स्थिरता की संरक्षा

वृहद आर्थिक स्थिरता/स्थायित्व लक्ष्य:

- उत्पादन में निरंतर वृद्धि, मूल्य स्थिरता और एक सुदृढ़ बाह्य/विदेशी खाता के माध्यम से सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक का लक्ष्य वृहद आर्थिक स्थिरता है।
- विभिन्न चुनौतियों के बावजूद संस्थागत रूपरेखा आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है।

मुद्रास्फीति:

- FY09 और FY14 के बीच की अवधि में उच्च औसत खुदरा मुद्रास्फीति देखी गई लेकिन FY16 के बाद से मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते (Monetary Policy Framework Agreement) के तहत 4 +/- 2 प्रतिशत के बैंड के भीतर लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य अपनाया गया है।
- मूल्य/कीमत स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund- PSF) कृषि-बागवानी वस्तुओं में मूल्य अस्थिरता के प्रबंधन में प्रभावी रहा है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान मौजूद चुनौतियों के बावजूद, PSF और बेहतर राजकोषीय तथा बाह्य संतुलन की मदद से मुद्रास्फीति को 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में रखा गया।

महामारी के बाद की चुनौतियाँ और प्रतिक्रिया:

- FY22 में आर्थिक सुधार देखा गया किंतु FY22 के अंत तक भू-राजनीतिक संघर्षों और प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई।
- वैश्विक स्तर पर जिंस/पण्य (Commodity), विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा।
- सरकार ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने से बचाने के लिये ऊर्जा आपूर्ति स्रोतों में विस्तार किया जिससे भारत के विकास पुनरुद्धार में योगदान मिला।

मुद्रास्फीति के रुझान:

- वित्त वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति का स्तर कम हुआ और औसत खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.5 प्रतिशत हुई।
- दिसंबर 2023 में कोर मुद्रास्फीति 49 माह के निचले स्तर 3.8 प्रतिशत पर पहुँच गई।
- समग्र खुदरा मुद्रास्फीति स्थिर है और 2 से 6 प्रतिशत के अधिसूचित सहन (Tolerance) बैंड के भीतर है।

खाद्य मुद्रास्फीति की चुनौतियाँ और समाधान:

- बेमौसम बारिश और मौसम के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान सहित वैश्विक तथा घरेलू चुनौतियों ने खाद्य कीमतों को प्रभावित किया।
- आपूर्ति-पक्ष की पहल, खुले बाज़ार के आवधिक निर्मोचन, व्यापार नीति और जमाखोरी-रोधी उपायों की सहायता से खाद्य मुद्रास्फीति को कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मध्यम स्तर पर लाने में मदद मिली।

Chart 16: Global Food Price Inflation (per cent)

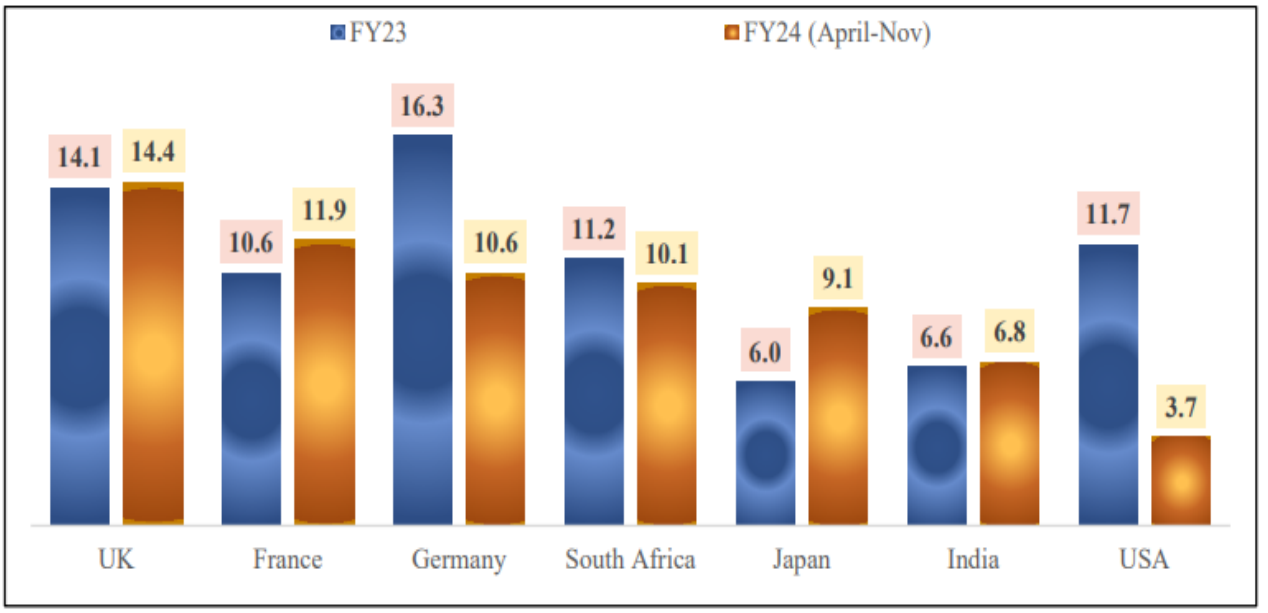

Source: MoSPI for India and OECD for other countries

➲ **मौद्रिक नीति सहायता:**

- भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायक मौद्रिक नीति, जिसमें पॉलिसी रेपो दर में प्रगतिशील वृद्धि शामिल है, का उद्देश्य विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य के साथ संरेखित करना है।
- RBI के अनुसार अधिसूचित सहन स्तर के भीतर वित्त वर्ष 24 में मुद्रास्फीति औसतन 5.4 प्रतिशत होगी।

➲ **भविष्य का आउटलुक:**

- राजकोषीय संतुलन और बाह्य चालू खाता शेष में संभावित सुधार के साथ, वृहद सुभेद्यता में सुधार होने की संभवाना है।
- सरकार और RBI ने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारत में वृहद आर्थिक स्थिरता हासिल करने तथा बनाए रखने के लिये मुद्रास्फीति नियंत्रण, राजकोषीय उपाय एवं आपूर्ति पक्ष की पहल सहित एक व्यापक दृष्टिकोण लागू किया है।

केंद्रीय बजट 2023-24

चर्चा में क्यों ?

भारत के वित्त मंत्री ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट (2023-24 के लिये) प्रस्तुत किया।

बजट 2023-24 के प्रमुख बिंदु:

➲ केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य विषय समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है जो विशेष रूप से सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है, जिसमें शामिल हैं:

- किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes- OBC), दिव्यांगजन (PwD) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Sections- EWS)।
- वंचितों को समग्र प्राथमिकता (वंचितों को वरीयता)।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र (Northeast Region- NER) के केंद्रशासित प्रदेशों पर भी निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है।

➲ यह बजट 2019 में पहली बार अनावरण की गई द्वि-आयामी विकास रणनीति की तर्ज पर है:

- निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोज़गार सृजित करना और विकास को आगे बढ़ाना।

- 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'; पूंजीगत परिव्यय (Capex) बढ़ाना और विनिवेश के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाना।

➲ **बजट की मुख्य उपलब्धियाँ:**

- नई आयकर व्यवस्था में बदलाव (छूट की सीमा में और टैक्स स्लैब में)।
- पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए (पिछले एक दशक में सबसे अधिक) किया गया है।
- सीमा शुल्क में परिवर्तन; मोबाइल फोन निर्माण, झींगा हेतु खाद्य आदि के लिये कुछ निविष्टियों के आयात में कमी और सिगरेट, सोने की वस्तुओं, यौगिक रबड़ आदि के आयात में वृद्धि की गई है।
- रेलवे के लिये पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर अब तक का सर्वाधिक 2.40 लाख करोड़ रुपए किया गया है।

भाग - A

अमृत काल के लिये बजट का विज़न

➲ **अमृत काल:**

- भारत के वित्त मंत्री ने इसे अमृत काल में पहला बजट कहा। अमृत काल का विज़न एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था है जो एक मज़बूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी-संचालित और ज्ञान-आधारित है।

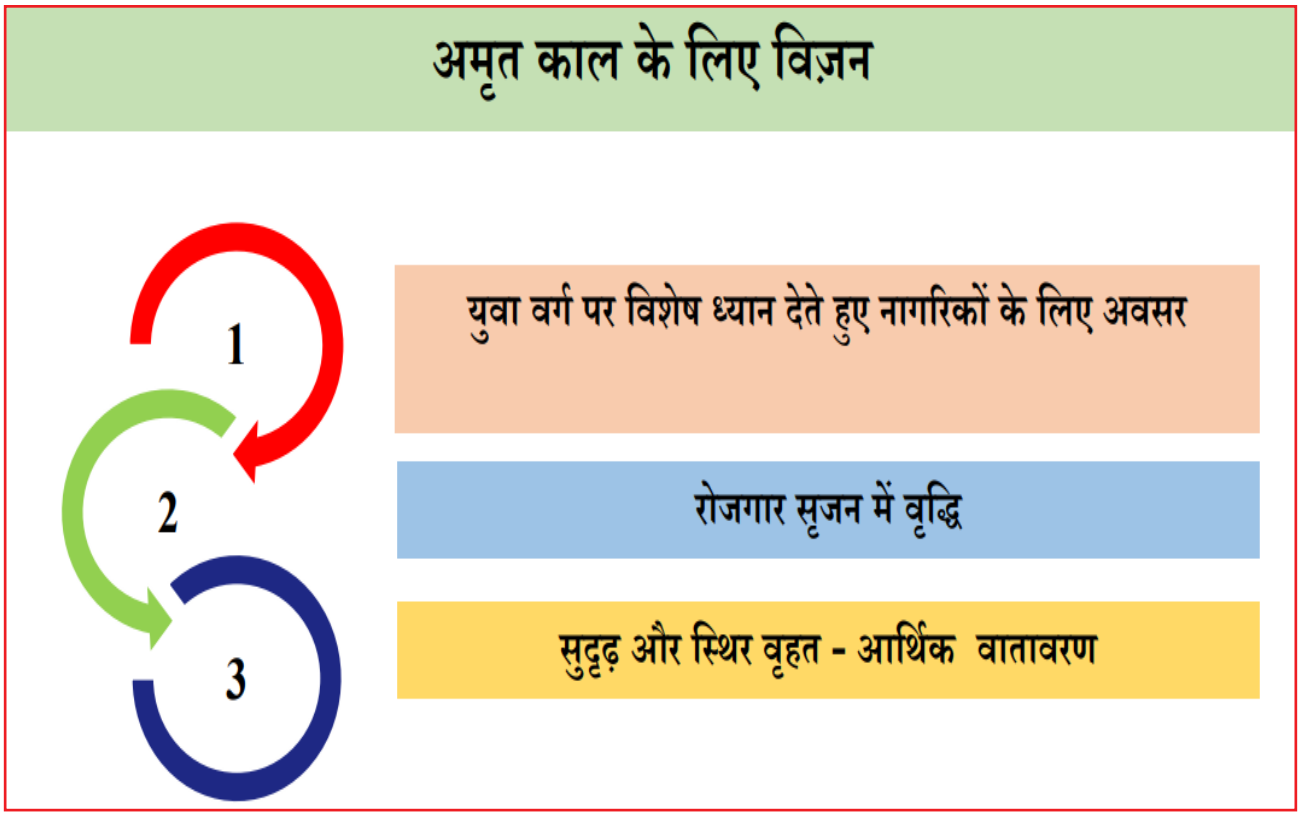

➲ **बजट में इंडिया@100 तक पहुँचने से पहले 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है:**

- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण
- पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (PM विकास)
- मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा
- हरित विकास

बजट 2023-24 की प्राथमिकताएँ:

प्राथमिकता- 1: समावेशी विकास:

कृषि:

- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक बेनिफिट के तौर पर कृषि के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिसके निम्नलिखित परिणाम होंगे:
  - समावेशी किसान-केंद्रित समाधान
  - फसल योजना/स्वास्थ्य के लिये प्रासंगिक सूचना सेवाएँ
  - कृषि इनपुट, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुँच
  - कृषि-प्रौद्योगिकी उद्योग और स्टार्ट-अप्स का विकास-समर्थन
- कृषि-स्टार्टअप के लिये वित्तपोषण: ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
- कृषि-ऋण: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
  - मछुआरों, मछली विक्रेताओं और MSME के लिये 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना शुरू की जाएगी।
- बागवानी: आत्मीनिर्भर स्व च्छि पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2,200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यआय के साथ उच्चो गुणवत्ता वाली बागवानी फसल हेतु रोग-मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्ध ता बढ़ाने के उद्देश्यत से किया जाएगा।
- कदन्न: भारत को 'श्री अन्न' (पोषक अनाज/कदन्न) हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिये 'भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद' को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को साझा करने हेतु उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा।
- कृषि सहकारी समितियाँ: "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिये सरकार अगले 5 वर्षों में विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने और कवर न किये गए गाँवों में कई सहकारी समितियों की स्थापना करने की योजना बना रही है।

शिक्षा और कौशल:

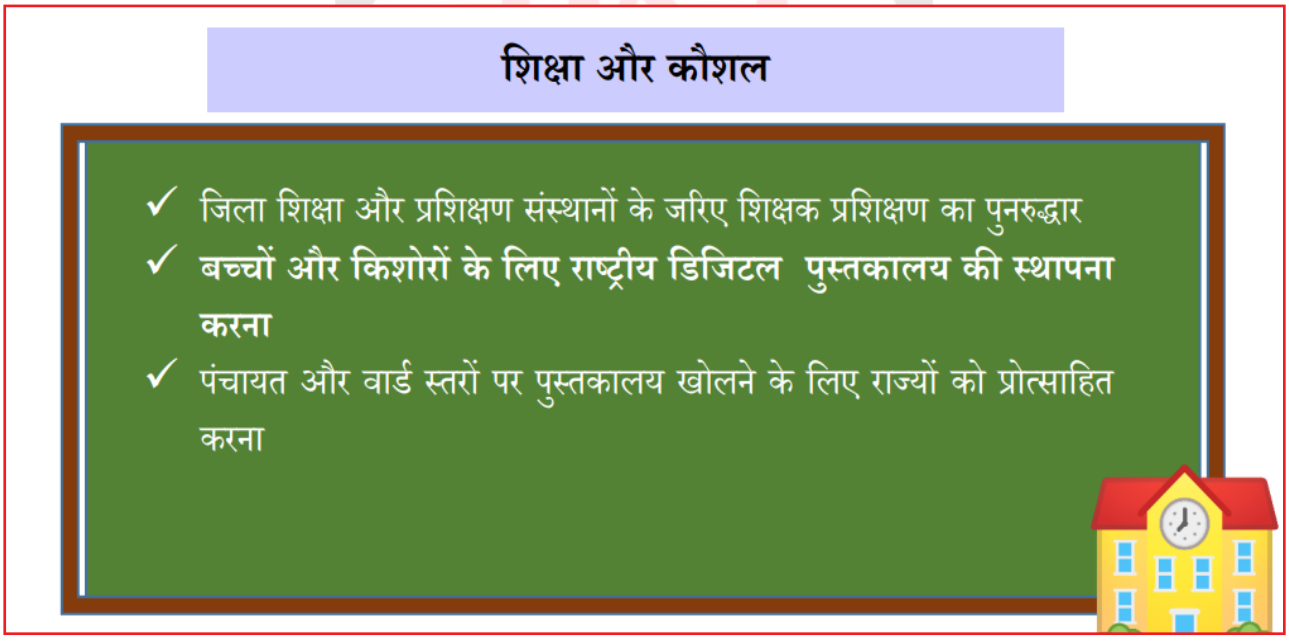

स्वास्थ्य:

- वर्ष 2014 से स्थाँपित मौजूदा 157 चिकित्सान महाविद्यालयों के साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
- वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें शामिल होगा:
  - जागरूकता बढ़ाना
  - प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 7 करोड़ लोगों (0-40 वर्ष की आयु) की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग
  - केंद्र और राज्यों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श

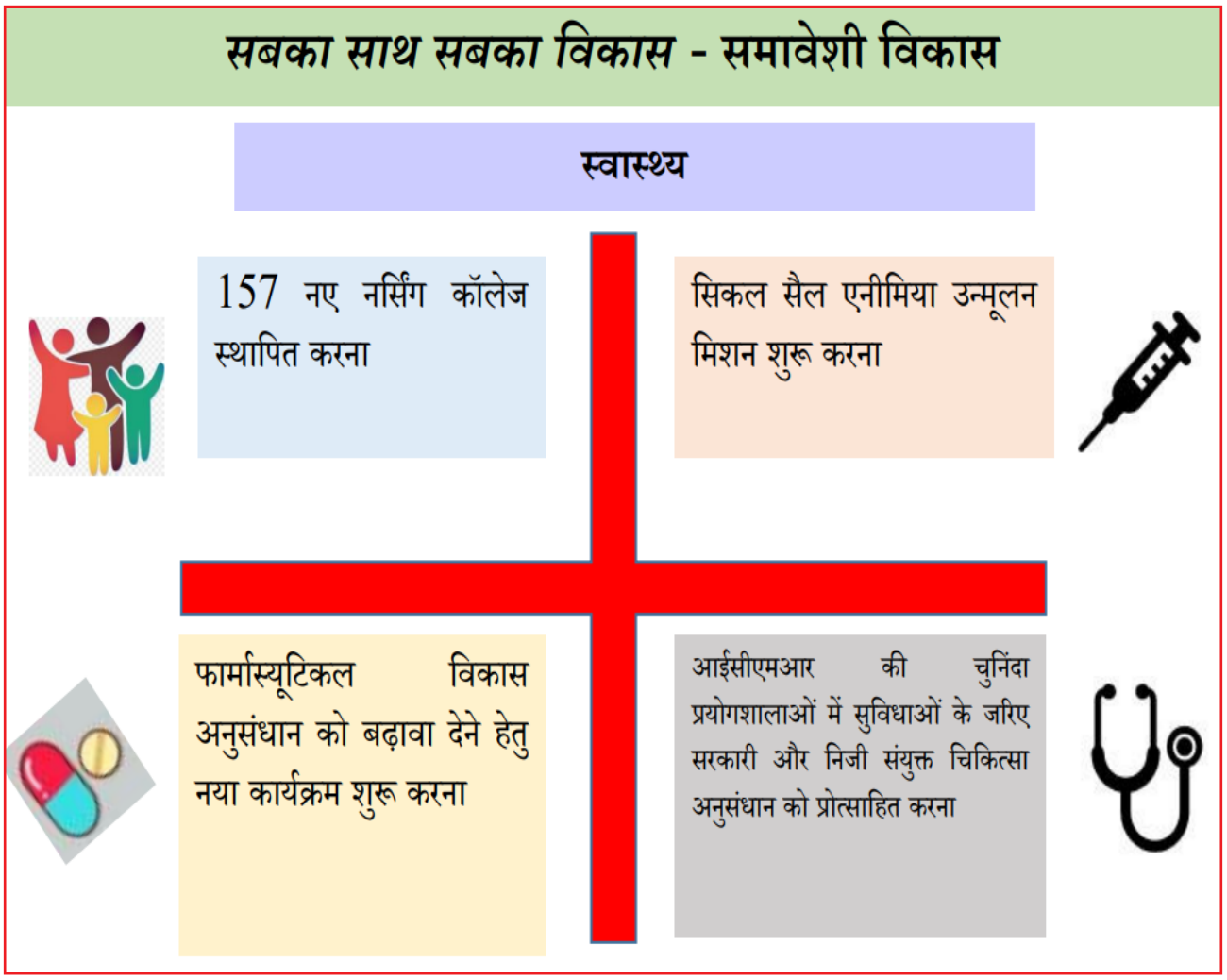

प्राथमिकता- 2: अंतिम छोर तक पहुँचना

➲ **नया 'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम':**

- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम हाल ही में 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे जैसे कई क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है।

➲ **प्रधानमंत्री कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) विकास मिशन:**

- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा।
- इससे PVTG परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुँच जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
- अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास कार्ययोजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिये 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिये 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भी भर्ती करेगा।

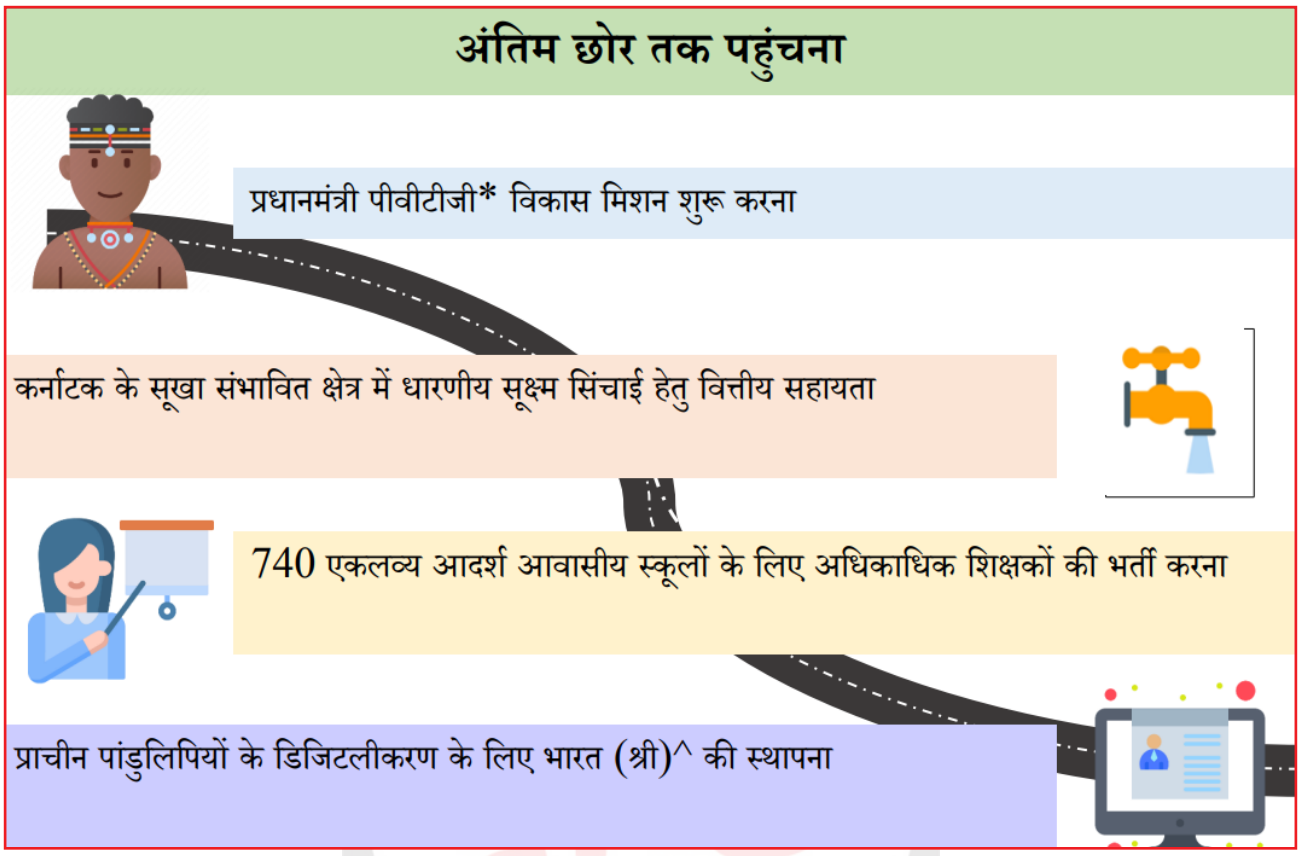

- **सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिये जल:**
  - कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र में ऊपरी भद्रा परियोजना को स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिये भूमिगत वाटर टैंकों को भरने हेतु 5,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
- **अन्य पहल:**
  - प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है
  - पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में 'भारत साझा शिलालेख (भारत श्री)' स्थापित किया जाएगा।

प्राथमिकता- 3: अवसंरचना और निवेश

- **अवसंरचना हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धि:**
  - पूंजी निवेश परिव्यय लगातार तीसरे वर्ष बढ़ा है जो 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% हो गया है।
  - 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए है जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है।
- **पूंजीगत निवेश हेतु राज्य सरकारों को सहायता:**
  - सरकार ने अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने और उन्हें पूरक नीतिगत कार्यों के लिये प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिये जारी रखने का फैसला किया है।
  - इसके लिये बढ़ा हुआ परिव्यय 1.3 लाख करोड़ रुपए है।
- **रेलवे:**
  - रेलवे के लिये 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है, यह अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है जो वर्ष 2013-14 में किये गए परिव्यय का लगभग 9 गुना अधिक है।
- **विमानन:**
  - क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार हेतु 50 अतिरिक्त हवाईअड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एयरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्विकसित किया जाएगा।

अवसंरचना और निवेश

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन --- गुणक प्रभाव ---> विकास और रोजगार में वृद्धि

पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर □10 लाख करोड़ करना

अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना

रेलवे के लिए □2.4 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय

पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं

यूआईडीएफ** की स्थापना द्वारा श्रेणी-2 और श्रेणी-3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन

अन्य परिवहन परियोजनाएँ:

- निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न उद्योगों के लिये अंतिम छोर तक पहुँच हेतु 100 महत्त्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की पहचान की गई है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिये ऋण की उपलब्धता हेतु एक शहरी अवसंरचना विकास निधि (Urban Infrastructure Development Fund- UIDF) की स्थापना की जाएगी।
  - UIDAF का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिये सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा।
  - इस उद्देश्य के लिये वार्षिक आधार पर 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।

प्राथमिकता- 4: क्षमता को उजागर करना:

अनुपालन को कम करना और जन विश्वास विधेयक:

- कंपनी अधिनियम 2013 में किये गए संशोधनों के तहत व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिये 39,000 से अधिक अनुपालन कम किये गए हैं और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया गया है।
- विश्वास पर आधारित शासन को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिये जन विश्वास विधेयक पेश किया।

AI के लिये उत्कृष्टता केंद्र:

- "मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया" के विज़न को साकार करने के लिये शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिये तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

- कृषि, स्वास्थ्य और स्थायी शहरों में अनुसंधान, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों को विकसित करने और बेहतर समाधान पेश करने में अग्रणी उद्योग के अभिकर्त्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राष्ट्रीय डेटा शासन नीति:

- स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार एवं अनुसंधान की सुविधा के लिये एक राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी, जो अज्ञात डेटा तक पहुँच को सक्षम करेगी।

डेटा शेयरिंग के लिये डिजीलॉकर:

- विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के सा, जब भी आवश्यक हो दस्तावेज़ों को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने और साझा करने के लिये MSME, बड़े व्यवसाय तथा धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा उपयोग के लिये एक डिजीलॉकर स्थापित किया जाएगा।

विवादों का समाधान:

- विवाद से विश्वास: MSME के लिये कम कठोर अनुबंध निष्पादन (कोविड अवधि के दौरान प्रभावित MSME को राहत के रूप में प्रदान किया जा रहा है)।
- सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों के तेज़ी से निपटान को सक्षम करने वाली आसान और मानकीकृत निपटान योजना।
- ई-न्यायालय: न्याय के प्रभावी प्रशासन के लिये ई-न्यायालय का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा।

5G प्रौद्योगिकी:

- इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिये 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी ताकि अवसरों, व्यापार मॉडल और रोज़गार की संभावनाओं की एक नई शृंखला को साकार किया जा सके।
- प्रयोगशालाओं में स्मार्ट क्लासरूम, सटीक खेती, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर एप जैसे एप्लीकेशन की सुविधा होगी।

प्राथमिकता- 5: हरित विकास:

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिये 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं ताकि अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में परिवर्तित करने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाज़ार का नेतृत्त्व करने के लिये तैयार किया जा सके।
- लक्ष्य: वर्ष 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन तक पहुँचने का लक्ष्य है।

गोबरधन योजना:

- चक्रीय अर्थव्यमवथा को बढ़ावा देने के उद्देश्यक से गोबरधन (गैल्वलनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक योजना के तहत 10,000 हज़ार करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए 'अपशिष्टे से आमदनी' संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।
- प्राकृतिक और बॉयोगेस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिये 5 प्रतिशत का कम्प्रे स्डर बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा।

भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र:

- सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिये प्रोत्साअहित कर उनकी सहायता करेगी। इसके लिये राष्ट्री य स्तआर पर वितरित सूक्ष्मग उर्वरक एवं कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्था पित किये जाएंगे।

हरित ऊर्जा में अन्य निवेश:

- ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्यों तथा ऊर्जा सुरक्षा (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिये 35,000 करोड़ रुपए।
- 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के साथ समर्थित किया जाएगा।
- लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिये 20,700 करोड़ रुपए (केंद्रीय सहायता- 8,300 करोड़ रुपए)।

प्राथमिकता- 6: युवा शक्ति:

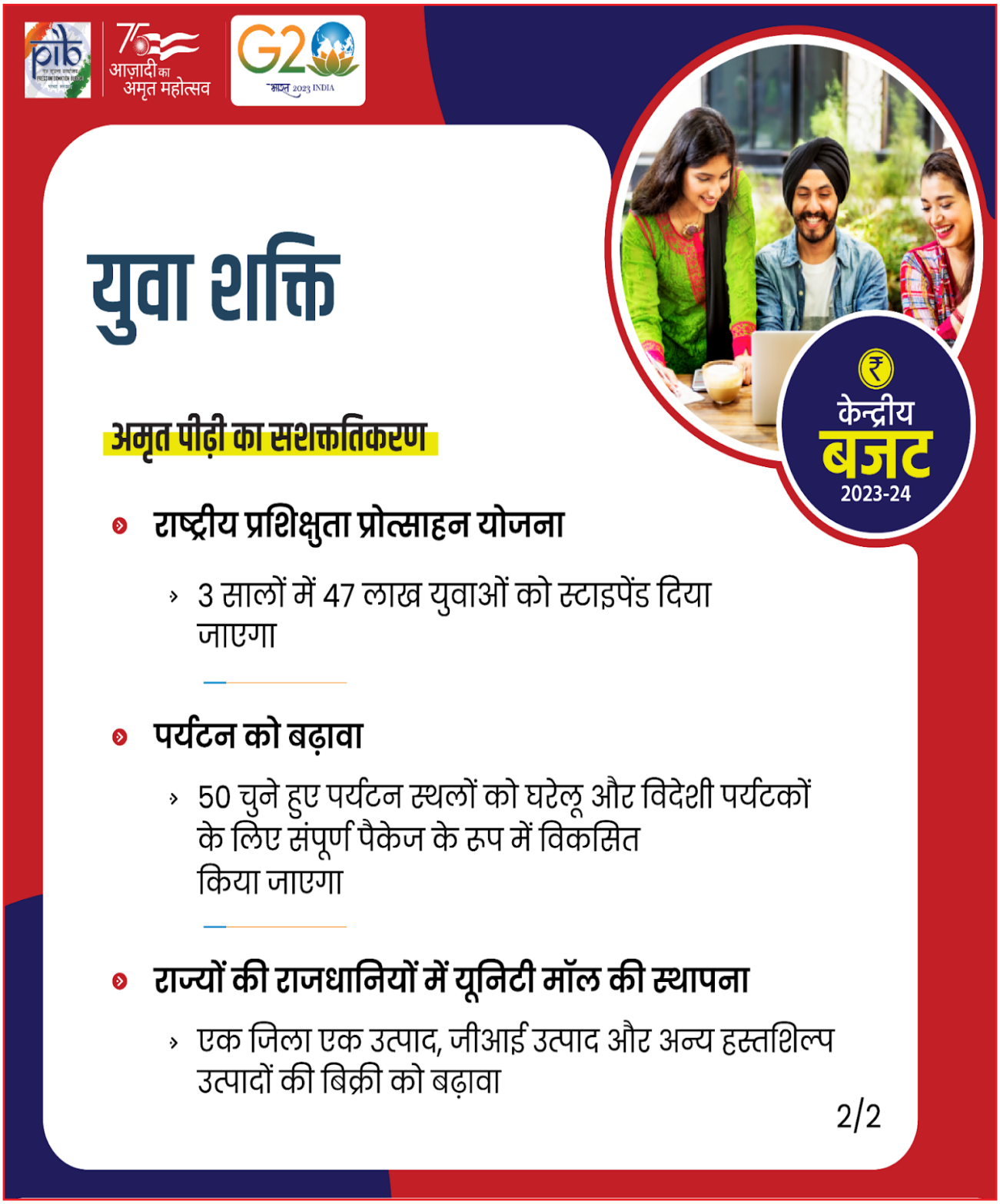

MSME के लिये क्रेडिट गारंटी:

- वर्ष 2022 में MSME के लिये क्रेडिट गारंटी योजना को नया प्रारूप दिया गया था और यह 1 अप्रैल, 2023 से 9,000 करोड़ रुपए की राशि के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगी।
  - इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए के संपार्श्विक (collateral) मुक्त गारंटीकृत ऋण की अनुमति मिलेगी।
  - क्रेडिट की लागत लगभग 1% कम हो जाएगी।
  - इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त गारंटीकृत ऋण प्रदान किया जा सकेगा।
  - क्रेडिट की लागत लगभग 1% कम हो जाएगी।

वित्तीय सूचना रजिस्ट्री:

- वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिये एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी।
- यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, जो वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा।
- एक नया विधायी ढाँचा, जिसे RBI के परामर्श से तैयार किया गया है, इस क्रेडिट सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को नियंत्रित करेगा।

लघु बचत योजनाएँ:

- आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु एक बार नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, को मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।
  - यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ महिलाओं या लड़कियों (7.5% की निश्चित ब्याज दर) के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिये अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी।
- मासिक आय खाता योजना के लिये अधिकतम जमा सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए (एकल खाते के लिये) और 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए (संयुक्त खाते के लिये) की जाएगी।

वित्तीय क्षेत्र

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना

ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा

केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्र की स्थापना

कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी आएगी।

महिला सम्मान बचत पत्र

महिलाओं के लिए ₹2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बारगी नई लघु बचत योजना

वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमाराशि को ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया गया है

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम

₹2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉर्पस निधि का विस्तार

अन्य पहलें

- जीआईएफटी आईएफएससी में व्यावसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहलें
- प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण-पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार करना

राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति:

पूंजीगत व्यय हेतु धन का उपयोग:

- वित्त मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को वर्ष 2023-24 के अंत तक पूंजीगत व्यय के लिये अपने 50 वर्षीय ऋण का उपयोग करना चाहिये।
- इसमें से अधिकांश राज्यों के विवेक पर निर्भर होगा, हालाँकि विशिष्ट उद्देश्यों के लिये नामित राज्यों हेतु एक हिस्सा सशर्त होगा, जैसे:
  - पुराने सरकारी वाहनों को बदलना।
  - शहरी नियोजन में सुधार।
  - शहरी स्थानीय निकायों को नगरपालिका बॉण्ड प्राप्त करने हेतु पात्र बनाना।
  - पुलिस अधिकारियों हेतु आवास का निर्माण।
  - एकीकृत मॉल का निर्माण।
  - बच्चों और किशोरों हेतु पुस्तकालयों तथा डिजिटल बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।
  - केंद्रीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय में योगदान करना।

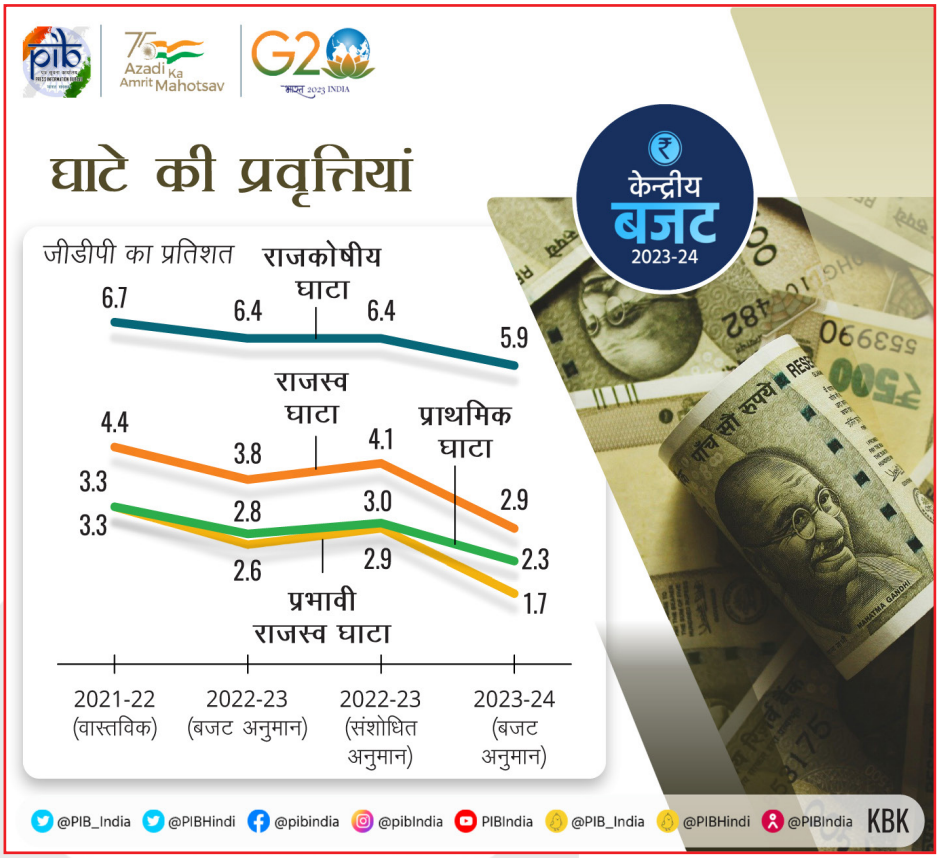

राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति:

- राज्यों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.5% घाटा रखने की अनुमति है, इस राशि का 0.5% विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिये निर्धारित है।

संशोधित अनुमान 2022-23:

- कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर): 24.3 लाख करोड़ रुपए।
  - शुद्ध कर प्राप्ति: 20.9 लाख करोड़ रुपए।
- कुल व्यय: 41.9 लाख करोड़ रुपए।
  - पूंजीगत व्यय: 7.3 लाख करोड़ रुपए।
- राजकोषीय घाटा: सकल घरेलू उत्पाद का 6.4%।

बजट अनुमान 2023-24:

- बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय क्रमश: 27.2 लाख करोड़ रुपए और 45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।
  - निवल कर प्राप्तियाँ 23.3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
- राजकोषीय घाटा GDP के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।
  - वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने के लिये दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाज़ार उधारियाँ 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
  - सकल बाज़ार उधारी का अनुमान 15.4 लाख करोड़ रुपए है।
- साथ ही सरकार वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने के लिये इस योजना पर अडिग रहने हेतु प्रतिबद्ध है।

भाग - B

प्रत्यक्ष कराधान में प्रस्तावित सुधार:

➲ व्यक्तिगत आयकर:

- व्यक्तिगत आयकर से संबंधित पाँच प्रमुख घोषणाएँ हैं। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है।
  - इसका मतलब है कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।
- नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था में कर ढाँचे में स्लैब की संख्या को घटाकर पाँच और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है।

➲ अन्य कर सुधार:

- मानक कटौती:
  - नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु मानक कटौती को बढ़ाकर 50,000 रुपए और पारिवारिक पेंशन के लिये कटौती को 15,000 रुपए तक करने का प्रस्ताव किया गया है।
- MSMEs:
  - सूक्ष्म उद्यमों और कुछ पेशेवरों के लिये प्रकल्पित कराधान की सीमा बढ़ा दी गई है, जब तक कि नकद में प्राप्त राशि कुल सकल प्राप्तियों/कारोबार के 5% से अधिक न हो।
  - MSME को किये गए भुगतान के लिये कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान वास्तव में भुगतान की समय पर प्राप्ति (Timely Receipt) में सहयोग करने के लिये किया गया हो।
- सहकारिता:
  - 31 मार्च, 2024 से पहले विनिर्माण शुरू करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर कर की दर 15% कम होगी।
  - प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नकद जमा तथा ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दिया गया है।
  - सहकारी समितियों की नकद निकासी पर स्रोत पर की गई टैक्स (कर) कटौती को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- स्टार्टअप:
  - स्टार्टअप्स को आयकर लाभ प्राप्त करने की तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिये हानियों को अग्रेषित करने की अवधि को निगमन के 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
- ऑनलाइन गेमिंग:
  - ऑनलाइन गेमिंग पर करदेयता को TDS के साथ और निकासी के समय अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में जीती गई कुल राशि पर करदेयता के साथ स्पष्ट किया जाएगा।
- सोना:
  - सोने के इलेक्ट्रोनिक गोल्ड रिसीप्ट में परिवर्तन और इसके विपरीत (Vice Versa) को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाएगा।
- आयकर से छूट:
  - आयकर प्राधिकरण बोर्ड और आयोग जिसकी स्थापना केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आवास, शहर, कस्बे और गाँव के विकास लिये नियामक एवं विकास गतिविधियों या कार्यों हेतु की गई हो उन्हें आयकर से बाहर रखने का प्रस्ताव।
  - अग्निवीर निधि को EEE स्तर प्रदान करने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किये गए भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव।
    - अग्निवीरों की कुल आय में की गई कटौती राशि को अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव, जो कि उन्होंने योगदान दिया है या केंद्र सरकार ने उनकी सेवा के लिये उनके खाते में हस्तांतरित किया है।

➲ कॉमन IT रिटर्न फॉर्म:

- करदाताओं की सेवाओं में सुधार के लिये सरकार ने शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत करने की योजना के साथ-साथ करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म के लिये एक प्रस्ताव पेश किया।

➲ वर्तमान और प्रस्तावित कर दरें:

कर की दर	वर्तमान आय स्लैब	प्रस्तावित आय स्लैब
शून्य	2.5 लाख रूपए तक	3 लाख रूपए तक
5%	2.5 लाख से 5 लाख रूपए तक	3 लाख से 6 लाख रूपए तक
10%	5 लाख से 7.5 लाख रूपए तक	6 लाख से 9 लाख रूपए तक
15%	7.5 लाख से 10 लाख रूपए तक	9 लाख से 12 लाख रूपए तक
20%	10 लाख से 12 लाख रूपए तक	12 लाख से 15 लाख रूपए तक
25%	12 लाख से 15 लाख रूपए तक	-
30%	15 लाख रूपए से अधिक	15 लाख रूपए से अधिक

अप्रत्यक्ष कराधान हेतु प्रस्तावित सुधार:

➲ **सीमा शुल्क:**

- वस्त्र और कृषि के अलावा अन्य सामानों हेतु मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है।
- निर्दिष्ट सिगरेट्स पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (National Calamity Contingent Duty-NCCD) में लगभग 16% की वृद्धि की गई है।
- शुल्क में वृद्धि:
  - सोने और प्लेटिनम से बनी वस्तुएँ
  - चाँदी की डोर, बार और वस्तुओं पर आयात शुल्क
- शुल्क से छूट:
  - मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस में निहित संपीड़ित बायोगैस।
  - परीक्षण एजेंसियाँ जो परीक्षण और/या प्रमाणन उद्देश्यों हेतु वाहनों, ऑटोमोबाइल उपकरण/घटकों, उप-प्रणालियों तथा टायरों का आयात करती हैं।
    - साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी हेतु लिथियम-आयन सेल निर्माण के लिये निर्दिष्ट मशीनरी पर सीमा शुल्क की समयसीमा को बढ़ाकर 31.03.2024 कर दिया गया है।
  - रासायनिक उद्योग में प्रयुक्त विकृत एथिल अल्कोहल।

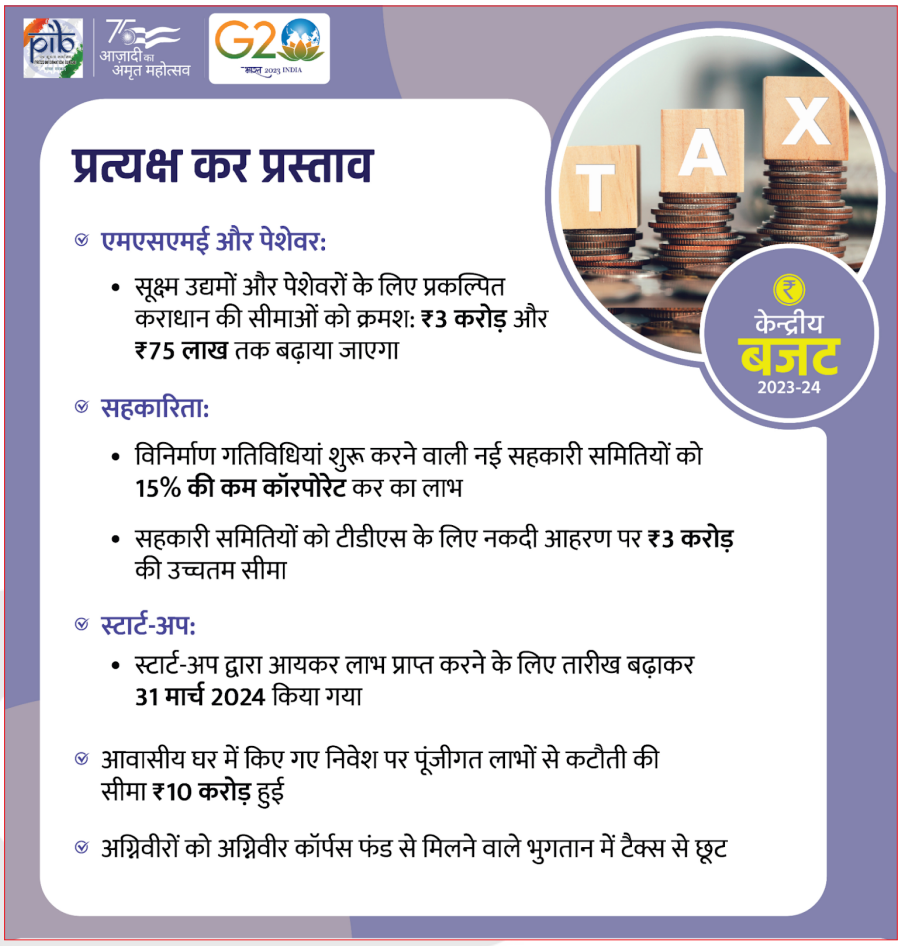

➲ **सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन:**

- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को संशोधित किया जा रहा है ताकि आवेदन दायर होने के बाद समाधान हेतु अंतिम निर्णय लेने के लिये नौ महीने की समयसीमा निर्धारित की जा सके।
- एंटी डंपिंग ड्यूटी (ADD), काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) और सेफगार्ड उपायों के उद्देश्य एवं दायरे को स्पष्ट करने के लिये सीमा शुल्क अधिनियम को संशोधित किया जाएगा।
- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में भी किये जाएँगे बदलाव:
  - GST के तहत अभियोजन शुरू करने हेतु कर की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जाएगी।
  - कर के लिये चक्रवृद्धि राशि को कर राशि के 50-150% से घटाकर 25-100% कर दिया जाएगा।
  - कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा।
  - रिटर्न या स्टेटमेंट दाखिल करने की अवधि नियत तारीख से अधिकतम तीन वर्ष तक सीमित होगी।
  - अपंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं और कंपोजिशन करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ECO) के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी।

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

केन्द्रीय बजट 2023-24

समुद्री उत्पाद:

- श्रीम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी

प्रयोगशाला-निर्मित हीरा:

- इनके विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाया जाएगा

बहुमूल्य धातु :

- सोने और प्लेटिनम से बने सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि
- चांदी से निर्मित डोरे, बार और सामानों पर आयात शुल्क में वृद्धि

संमिश्रित रबर :

- संमिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया

सिगरेट:

- विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिता शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि

2/2

रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है ?

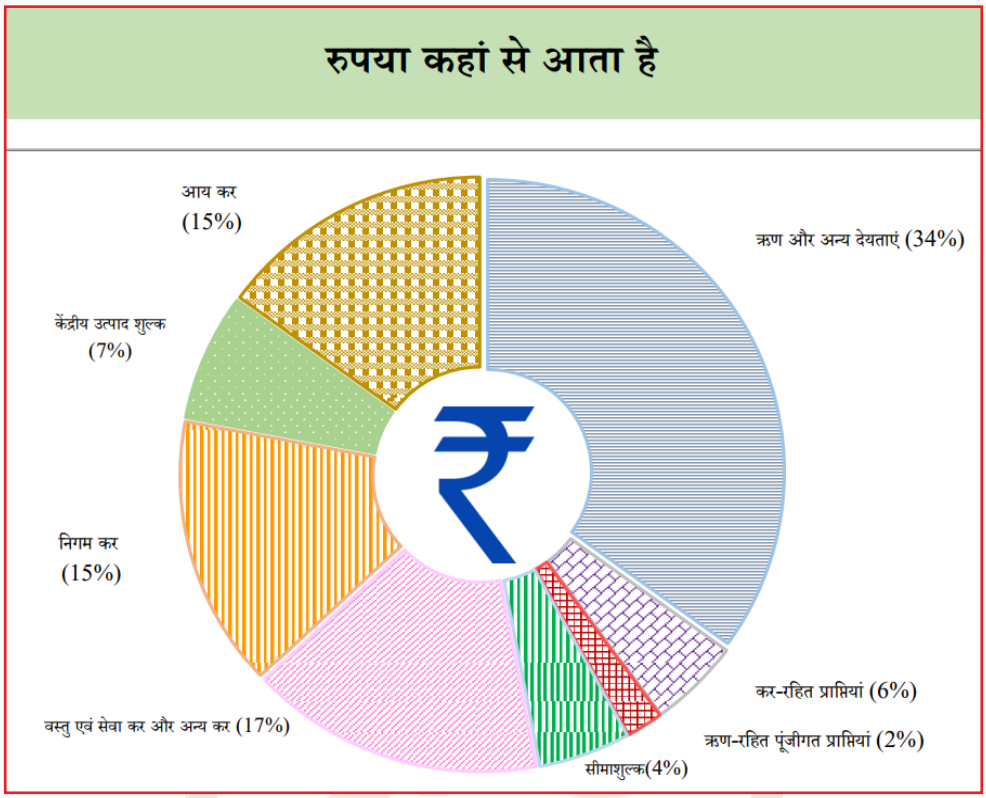

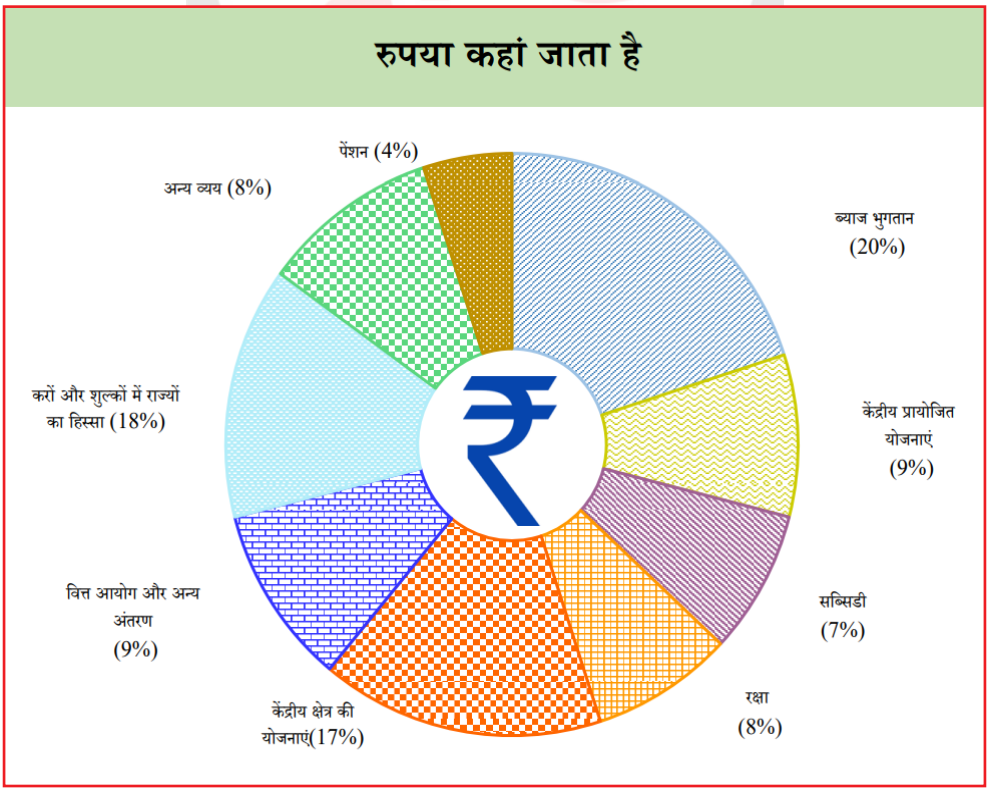

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त वर्ष 2022-23 के लिये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महामारी से भारत की अर्थव्यवस्था बाहर निकल चुकी है और आने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था के 6% से 6.8% के मध्य बढ़ने की उम्मीद है।

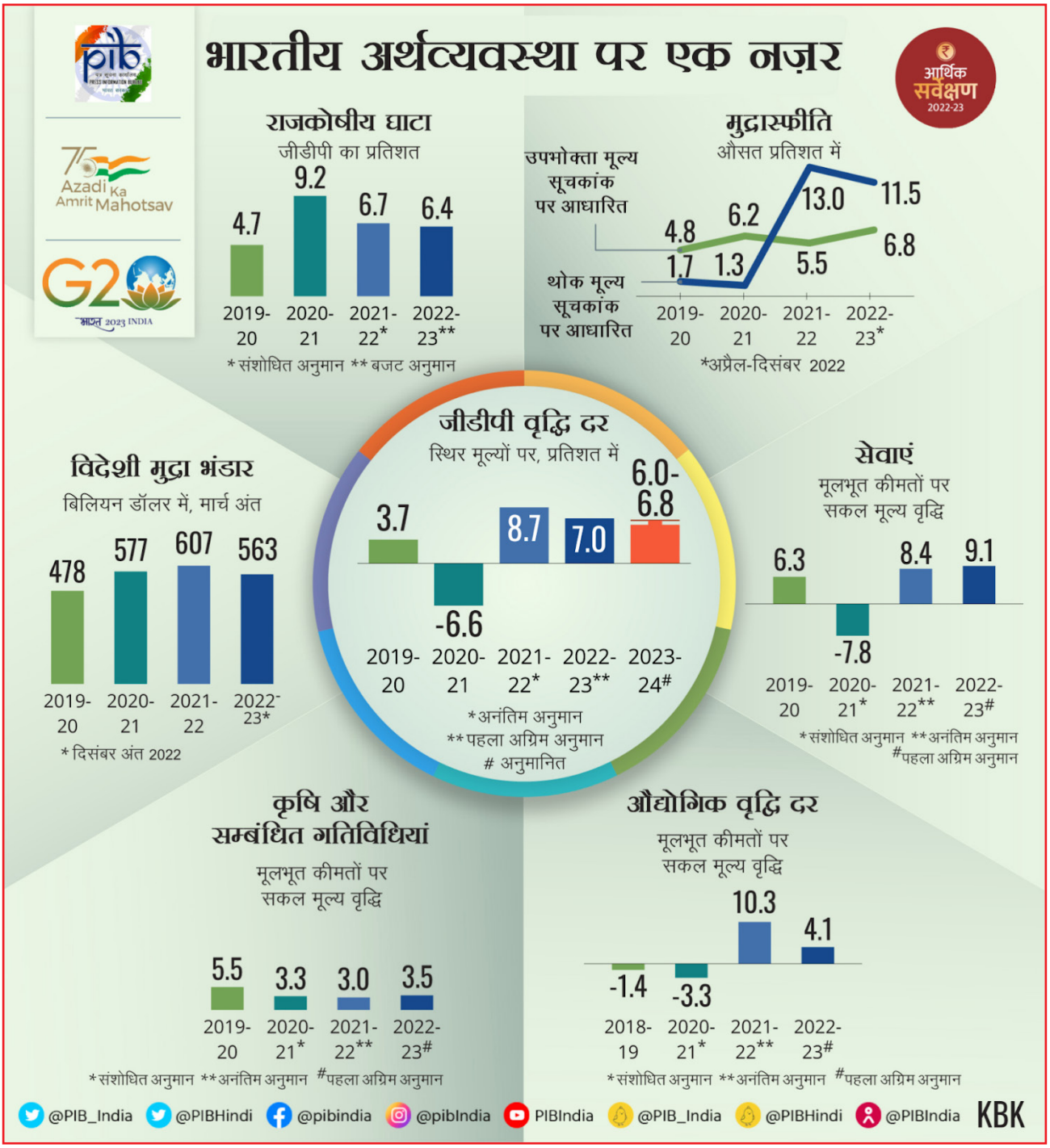

आर्थिक सर्वेक्षण:

- भारत का 'आर्थिक सर्वेक्षण' वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज़ है। इसे प्राय: संसद में केंद्रीय बजट पेश किये जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।
- इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
- यह पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा करता है और चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को भी दर्शाता है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (GDP), मुद्रास्फीति, रोज़गार और व्यापार पर डेटा शामिल है।
- भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था।
- वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। इसके बाद से इसे बजट से अलग कर दिया गया है।

वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति:

- **प्रदर्शन:**
  - भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलने वाला देश है जिसने 2 बिलियन से अधिक वैक्सीन की खुराक उपयोग किया।
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार ने उन्हें ऋण आपूर्ति बढ़ाने में सक्षम बनाया है, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small, and Medium Enterprises- MSME) हेतु ऋण में तेज़ी से वृद्धि हुई है।
- **वर्तमान चुनौतियाँ:**
  - भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें रुपए में गिरावट और यूएस फेड की ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना शामिल है।
  - चालू खाता घाटा (Current Account Deficit-CAD) भी बढ़ना जारी रह सकता है क्योंकि वैश्विक पण्य कीमतें ऊँची बनी हुई हैं।
- **आउटलुक 2023-24:**
  - वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का नेतृत्त्व निजी संस्थाओं और पूंजी निर्माण उद्योगों द्वारा हो रहा है, जिससे रोज़गार का सृजन हो रहा है।
    - आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (Emergency Credit Linked Guarantee Scheme- ECGS) द्वारा MSME से ऋण की प्राप्ति सरलता से हो रही है, जिससे उनकी ऋण संबंधी समस्याओं में कमी आई है।
  - वर्ष 2023 में वैश्विक विकास में गिरावट का अनुमान है, किंतु वित्त वर्ष 2024 में भारत में सशक्त क्रेडिट वितरण और पूंजी निवेश चक्र के साथ तेज़ वृद्धि होने की संभावना है।
  - सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विस्तार और पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय रसद नीति तथा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे उपायों से आर्थिक विकास का समर्थन होगा एवं विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

भारत का मध्यम अवधि विकास परिदृश्य:

- **संदर्भ:**
  - वर्तमान दशक वर्ष 1998-2002 के समान है, जहाँ परिवर्तनकारी सुधारों की वजह से अस्थायी झटकों के कारण विकास प्रतिफल प्राप्त करने में देरी हुई थी लेकिन संरचनात्मक सुधारों का प्रतिफल बाद में विकास लाभांश के रूप प्राप्त हुआ।
- **वर्ष 2014-2022 की अवधि:**
  - वर्ष 2014-2022 भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण अवधि है जिनमें विभिन्न सुधारों का उद्देश्य जीवन को सरल और व्यवसाय को आसान बनाना है।
  - ये सुधार सार्वजनिक उत्पाद बनाने, विश्वसनीय शासन, निजी क्षेत्र के साथ सह-भागीदारी और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर आधारित थे।
  - हालाँकि बैलेंस शीट संबंधी तनाव और वैश्विक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान प्रमुख मैक्रोइकोनॉमिक घटक (Variables) नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए।
- **परिदृश्य 2023-2030:**
  - महामारी से पहले के वर्षों की तुलना में विकास का परिदृश्य बेहतर है और भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में अपनी क्षमता से बढ़ने हेतु तैयार है।

1998-2002	2014-2022
अर्थव्यवस्था को झटका	
• परमाणु उपकरण परीक्षण 1998; प्रतिबंधों का पालन किया	• बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की बैलेंस-शीट स्ट्रैस की अवधि
• बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्र तुलन-पत्रों को कम तरजीह देना करना और उनको ठीक करना	• महामारी के अभूतपूर्व आधात के बाद मुद्रास्फीति वैश्विक वस्तु मूल्य आघात के बाद वित्तीय स्थिति खराब हो गई
• लगातार दो सूखे	
• प्रौद्योगिकी बस्ट; अमेरिकी मंदी और 09/11	
अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार	
ब्याज दर विनियमन	अनूठी पहचान
निजीकरण	वित्तीय समावेशन
बैंकों के लिए संपत्ति वसूली	जीएसटी औपचारिकता की ओर ले जा रहा है
इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्वर्णिम चतुर्भुज)	दिवालियापन और दिवालियापन संहिता
एफआरबीएम अधिनियम	निजीकरण
	कर दरों का युक्तिकरण और कर प्रशासन (ईओडीबी) सुधार;
	अपराधों का विमुद्रीकरण
	टीके रोल-आउट
	व्यय प्रबंधन सुधार
	आत्मानिर्भर
	पब्लिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

राजस्व से संबंधित प्रमुख राजकोषीय विकास:

➲ **संदर्भ:**

- प्रत्यक्ष करों और वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) राजस्व में वृद्धि जैसे विभिन्न कारकों के कारण वित्तीय वर्ष 2023 में लचीलापन देखा गया।

➲ **राजस्व वृद्धि और प्रदर्शन:**

- अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल कर राजस्व में 15.5% की साल-दर-साल वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष करों और GST दोनों की मज़बूत वृद्धि से प्रेरित थी।
- GST ने खुद को केंद्र और राज्य सरकारों के लिये राजस्व के एक महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्थापित किया है, जैसा कि अप्रैल से दिसंबर 2022 तक 24.8% की सालाना वृद्धि से प्रदर्शित होता है।
- पिछले कुछ वर्षों में केंद्र का पूंजीगत व्यय GDP (वित्त वर्ष 2009 से वित्त वर्ष 2020) के 1.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 अनंतिम वास्तविक (Provisional Actual) में 2.5% हो गया है।
  - पूंजीगत व्यय पर खर्च को प्राथमिकता देने हेतु केंद्र ने ब्याज मुक्त ऋण और उधार सीमा में वृद्धि के माध्यम से राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया।
  - विशेष रूप से सड़क और राजमार्ग, रेलवे, आवास तथा शहरी मामलों जैसे बुनियादी ढाँचे एवं गहन क्षेत्रों में बढ़े हुए पूंजीगत व्यय का मध्यम अवधि के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

➲ **सतत् ऋण-से-जीडीपी अनुपात की ओर:**

- पूंजीगत व्यय आधारित वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की सरकार की रणनीति से वृद्धि-ब्याज दर अंतर सकारात्मक रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप मध्यम अवधि में एक स्थायी ऋण-जीडीपी अनुपात प्राप्त होगा।

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता की स्थिति:

➲ **संदर्भ:**

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2022 में अपना सख्त मौद्रिक चक्र शुरू किया और तब से उन्होंने रेपो दर में 225 आधार अंकों की वृद्धि की है।
  - इससे अधिशेष तरलता में कमी आई है और वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट में सुधार हुआ है जिससे उनके लिये पैसा उधार देना आसान हो गया है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि क्रेडिट वृद्धि में विस्तार का समर्थन जारी रखेगी, जिससे एक सकारात्मक निवेश चक्र शुरू होगा।

➲ **प्रदर्शन और वृद्धि:**

- SCB (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) का सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (GNPA) अनुपात 5.0 के रूप में 7 वर्ष के निचले स्तर पर आ गया है, और पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) 16.0 पर बना हुआ है।
- वित्त वर्ष 2022 में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (IBC) के माध्यम से रिकवरी दर अन्य माध्यमों की तुलना में सबसे अधिक थी, जो SCB के प्रति सकारात्मक रुझान दर्शाती है।

वर्ष 2022-23 में कीमतों और मुद्रास्फीति नियंत्रित:

➲ **संदर्भ:**

- वर्ष 2022 में भारत ने उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के तीन चरणों का सामना किया। पहले चरण के दौरान जनवरी से अप्रैल तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तथा देश के कुछ हिस्सों में हीट वेव के कारण फसल उत्पादकता में कमी की वजह से मुद्रास्फीति 7.8% पर पहुँच गई।
  - हालाँकि सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की त्वरित कार्रवाई ने दिसंबर तक 5.7% की गिरावट के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने में मदद की।

➲ **बाधाएँ:**

- थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच का अंतर और अधिक बढ़ गया, साथ ही कोर मुद्रास्फीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

➲ **विनियामक उपाय:**

- सरकार ने कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें शामिल थे- पेट्रोल और डीज़ल के निर्यात शुल्क को कम करना, प्रमुख आदानों पर आयात शुल्क को शून्य पर लाना, गेहूँ उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध व चावल पर निर्यात शुल्क लगाना, कच्चे और परिष्कृत पाम तेल पर मूल शुल्क (Basic Duty) को कम करना।
- कम आवास ऋण ब्याज दरों के साथ-साथ आवास क्षेत्र में सरकार के समय पर नीतिगत हस्तक्षेप ने किफायती आवास खंड की मांग में वृद्धि की तथा वित्त वर्ष 2023 में अधिक खरीदारों को आकर्षित किया।

➲ **RBI का पूर्वानुमान:**

- RBI ने निकट भविष्य में अनाज, मसालों और दूध के लिये उच्च घरेलू कीमतों का अनुमान लगाया है, मुख्य रूप से आपूर्ति की कमी और बढ़ती फीड लागत के कारण।
  - बदलती जलवायु भी विश्व भर में उच्च खाद्य कीमतों के जोखिम को बढ़ा रही है।

वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में सामाजिक बुनियादी ढाँचे और रोज़गार की स्थिति:

➲ **संदर्भ:**

- सरकार ने सामाजिक क्षेत्र पर खर्च बढ़ाया। मानव पूंजी निर्माण हेतु शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जुड़वाँ स्तंभों को मज़बूत किया जा रहा है।
  - कुल मिलाकर सरकार का सामाजिक क्षेत्र का खर्च वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 21.3 लाख करोड़ रुपए हो गया।

➲ **सामाजिक अवसंरचना:**

- शिक्षा:
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से देश के वृद्धि और विकास की संभावनाओं के समृद्ध होने की उम्मीद है।
  - सरकार के प्रयासों से स्कूलों में नामांकन अनुपात और लैंगिक समानता में सुधार हुआ है।

- स्वास्थ्य देखभाल:
  - वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का बजट खर्च GDP का 2.1% था, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था।
  - 4 जनवरी, 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग 22 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं और देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किये गए हैं।
- गरीबी उन्मूलन:
  - वर्ष 2030 तक गरीबी को कम करने के सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रगति इस तथ्य से प्रदर्शित होती है कि संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2005-06 और 2019-21 के बीच 41 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं।
- आधार और को-विन:
  - आधार ने को-विन (Co-WIN) प्लेटफॉर्म को विकसित करने और 2 बिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम:
  - आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम को खासकर दूर-दराज़ के इलाकों में सुशासन के एक मॉडल के रूप में देखा जाता है।

रोज़गार:

- श्रम बल की भागीदारी: श्रम बाज़ार कोविड-19 के प्रभाव से उबर चुके हैं, साथ ही बेरोज़गारी दर वर्ष 2018-19 में 5.8% से गिरकर 2020-21 में 4.2% हो गई है।
  - ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2018-19 में 19.7% से बढ़कर 2020-21 में 27.7% हो गई है, जो एक सकारात्मक विकास है।
- ई-श्रम पोर्टल: असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिये ई-श्रम पोर्टल बनाया गया था और 31 दिसंबर, 2022 तक 28.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया गया था।
- जैम ट्रिनिटी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: जैम (JAM) ट्रिनिटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer- DBT) के साथ संयुक्त रूप से हाशिये पर पड़े लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल कर उन्हें सशक्त बनाया गया है।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में भारत का आर्थिक प्रदर्शन:

संदर्भ:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने 'जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण' पर एक अध्याय प्रस्तुत किया जिसमें भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में परिवर्तन, वर्ष 2070 तक "शुद्ध-शून्य" उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिये उठाए गए कदम शामिल हैं।

Figure VII.1: Net Zero Pledges of countries (the Year pledged is on top of the bars)

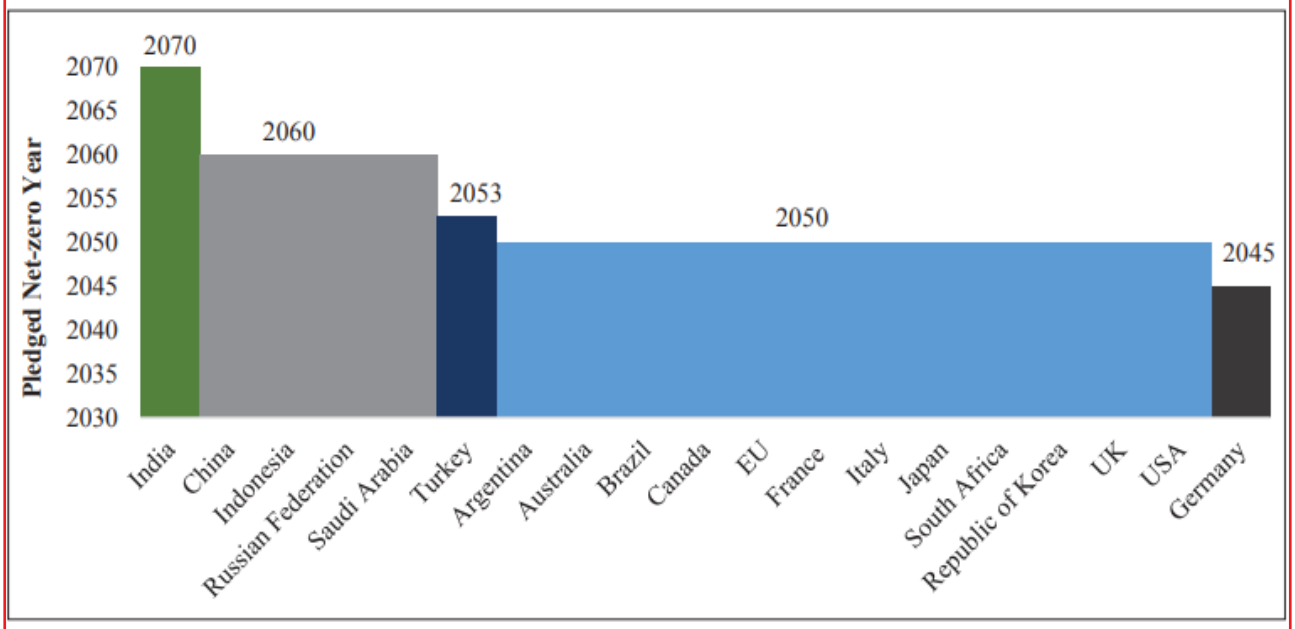

Source: Emissions Gap Report 2022, UNEP

➲ **प्रदर्शन और लक्ष्य:**

- भारत अब वर्ष 2030 तक 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का एक और लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से स्थापित क्षमता 500GW से अधिक होने की संभावना है।
  - इससे वर्ष 2029-30 तक (2014-15 की तुलना में) औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की गिरावट आएगी।
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC COP26) के अवसर पर ग्लासगो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लोगों को व्यक्तिगत रूप से शामिल करने के लिये "LiFE (पर्यावरण हेतु जीवनशैली)" अभियान का शुभारंभ किया गया।
- नवंबर 2022 में भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (SGrBs) फ्रेमवर्क जारी किया गया था। RBI ने 4000 करोड़ रुपए के सॉवरेन गोल्ड। बॉण्ड फ्रेमवर्क की दो किस्तोंह की नीलामी की।
- सर्वेक्षण में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन पर निर्भर होकर वर्ष 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की भारत की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया।
- सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत पिछले 7 वर्षों में 78.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के लिये एक पसंदीदा स्थान बना हुआ है।
  - अक्तूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत एक प्रमुख मीट्रिक, स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 61.6 GW थी।

कृषि और खाद्य प्रबंधन में भारत का आर्थिक प्रदर्शन:

➲ **संदर्भ:**

- भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है। इसने कृषि को देश के समग्र प्रगति, विकास और खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाया है।

- **प्रदर्शन:**
  - हाल के वर्षों में भारत कृषि उत्पादों के सकल निर्यातक के रूप में उभरा है और वर्ष 2021-22 में निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तवर पर पहुँचा है।
  - सरकार द्वारा किये गए निम्नलिखित उपायों के कारण कृषि क्षेत्र में तेज़ी देखी गई:
    - फसल और पशुधन उत्पादकता में वृद्धि।
    - सभी अनिवार्य फसलों के लिये MSP अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना पर तय किया जाना।
    - फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना।
    - मशीनीकरण एवं बागवानी तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना।
- वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया। कृषि क्षेत्र के लिये संस्थागत ऋण वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपए हो गया।
- भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई और यह वर्ष 2021-22 में 315.7 मिलियन टन रहा।
  - वर्ष 2022-23 (केवल खरीफ) के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 149.9 मिलियन टन अनुमानित है जो पिछले पाँच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत खरीफ खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है।
  - साथ ही भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिये NFSA 2013 के तहत लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया है।
- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) योजना ने किसानों को उनकी उपज (1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को कवर करते हुए) के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु एक ऑनलाइन, प्रतिस्पर्द्धी, पारदर्शी बोली प्रणाली स्थापित की है।
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (IYM) घोषित किये जाने के बाद भारत पोषक अनाज को बढ़ावा देने में अग्रणी है।

औद्योगिक क्षेत्र में भारत का आर्थिक प्रदर्शन:

- **संदर्भ:**
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र (वित्त वर्ष 22-23 की पहली छमाही के लिये) द्वारा सकल मूल्यवर्द्धन (GVA) में 3.7% की वृद्धि देखी गई है, जो पिछले दशक की पहली छमाही में हासिल 2.8% की औसत वृद्धि से अधिक है।
- **प्रदर्शन:**
  - निजी अंतिम उपभोग व्यय में मज़बूत वृद्धि, वर्ष की पहली छमाही के दौरान निर्यात प्रोत्साहन, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि से निवेश मांग में वृद्धि और मज़बूत बैंक तथा कॉर्पोरेट बैलेंस शीट ने औद्योगिक विकास के लिये मांग प्रोत्साहन प्रदान किया है।
    - माँग प्रोत्साहन हेतु उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया मज़बूत रही है।
  - जुलाई 2021 से क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) दोनों में प्रक्षेपित रूप से वृद्धि हो रही है।
- MSMEs और बड़े उद्योगों दोनों के ऋण में दो अंकों की वृद्धि देखने को मिली है (जनवरी 2022 से MSMEs में 30% की वृद्धि)।
- वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लेकर वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग तीन गुना बढ़ गया है, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है।
- फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह चार गुना बढ़ गया है, अत: यह वित्त वर्ष 2019 के 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर से वित्त वर्ष 2022 में 699 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिये अगले पाँच वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित कैपेक्स (Capex) के साथ 14 श्रेणियों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएँ (पीएलआई) भी शुरू की गई है।
- कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करके जनवरी 2023 तक 39,000 से अधिक प्रावधानों को कम तथा 3500 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के एकीकरण को और बढ़ावा देने के लिये 'मेक इन इंडिया 2.0' अब 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र एवं 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

सेवा क्षेत्र में भारत का आर्थिक प्रदर्शन:

➲ **संदर्भ:**

- भारत में सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2022 में 8.4% (YoY) की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 9.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

➲ **प्रदर्शन:**

- जुलाई 2022 से क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) सेवाओं में सर्वाधिक विस्तार देखा गया है।
- विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में 4% की हिस्सेदारी के साथ भारत वर्ष 2021 में शीर्ष दस सेवा निर्यातक देशों में शामिल था।
- डिजिटल समर्थन, क्लाउड सेवाओं और बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण की उच्च मांग के कारण भारत का सेवा क्षेत्र कोविड-19 महामारी के दौरान तथा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण लचीला रहा है।
- रियल-एस्टेट क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे वर्ष 2021 और 2022 के बीच 50% की वृद्धि के साथ महामारी-पूर्व आवास बिक्री के स्तर में वृद्धि देखने को मिली है।
- पर्यटन क्षेत्र में होटल अधिभोग दर अप्रैल 2021 में 30-32% के सुधार के साथ नवंबर 2022 में 68-70% हो गई है, जिससे वित्त वर्ष 2023 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के साथ पुनरुद्धार के संकेत देखने को मिल रहे है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत की वित्तीय सेवाओं में बदलाव ला रहे हैं; भारत का ई-कॉमर्स बाज़ार वर्ष 2025 तक सालाना 18% के दर से बढ़ने का अनुमान है।

बाह्य क्षेत्रक में भारत का प्रदर्शन

➲ **संदर्भ:**

- हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण, भारत के बाह्य क्षेत्रक वैश्विक रूप से अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है।
- तथापि भारत ने अपने बाज़ारों में विविधता लाने कार्य किया है और ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका तथा सऊदी अरब को किये जाने वाले अपने निर्यात में वृद्धि की है।

➲ **प्रदर्शन:**

- वित्तीय वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही (Q2) में भारत के चालू खाता शेष (CAB) में 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 4.4%) का घाटा दर्ज किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 22 की दूसरी तिमाही में 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 1.3%) का घाटा था।
  - इसका प्रमुख कारण 83.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्च व्यापारिक व्यापार घाटा और शुद्ध निवेश आय में वृद्धि था।
- अपने बाज़ार का आकार बढ़ाने और बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2022 में, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ CEPA और ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA पर हस्ताक्षर किये।
- वर्ष 2022 में भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने के साथ विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता बना।
  - सेवा निर्यात के बाद प्रेषण बाह्य वित्तपोषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।
- दिसंबर 2022 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.3 महीनों के आयात को कवर करते हुए 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (यह वित्तीय वर्ष 21-22 में आयात के 13 महीनों की तुलना में कम है)।
  - इसके बावजूद भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारत का आर्थिक प्रदर्शन

➲ **संदर्भ:**

- भारत का डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) भारत की संभावित GDP विकास दर में लगभग 60-100 आधार अंक (BPS) जोड़ सकता है।
- निकट भविष्य में, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) जैसे प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों हेतु ई-कॉमर्स बाज़ार तक पहुँच और क्रेडिट उपलब्धता के मार्ग खोलेंगे तथा अपेक्षित आर्थिक विकास को मज़बूती प्रदान करेंगे।

➲ **प्रदर्शन:**

- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI):
  - UPI-आधारित लेनदेन ने वर्ष 2019-22 के बीच मूल्य (121%) एवं मात्रा (115%) दोनों ही दृष्टि से वृद्धि की, जिसके चलते इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- टेलीफोन तथा रेडियो- डिजिटल सशक्तीकरण के लिये
  - ग्रामीण भारत में 44.3% उपभोक्ताओं के साथ, भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117.8 करोड़ (सितंबर 2022 तक) है।
    - कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 98% से अधिक वायरलेस रूप से जुड़े हुए हैं।
    - मार्च 2022 तक भारत में कुल टेलीडेंसिटी (प्रति 100 लोगों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या) 84.8% थी।

- आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ दूरसंचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
  - इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2022 टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को तीव्र और आसान बना देगा, जिससे 5G का विस्तार तीव्र गति से हो सकेगा।
- प्रसार भारती, भारत का स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक, को 479 स्टेशनों से 23 भाषाओं और 179 बोलियों में प्रसारित किया जाता है और भारत के कुल क्षेत्रफल के 92% तथा प्रसारण कुल आबादी के 99.1% को कवर करता है।
- डिजिटल सार्वजनिक गुड्स:
  - माईस्कीम, TrEDS, GEM, ई-नाम, उमंग जैसी योजनाओं ने भारत के बाज़ार स्थान को बदल दिया है और नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं तक पहुँच हेतु सक्षम बनाया है।
  - ओपन क्रेडिट एनैबलमेंट नेटवर्क का उद्देश्य एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण अनुप्रयोगों की अनुमति देते हुए ऋण परिचालन का लोकतंत्रीकरण करना है।
  - राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल ने 1520 लेख, 262 वीडियो और 120 सरकारी पहल प्रकाशित किये हैं, भाषायी बाधा को दूर करने के लिये इसे एक उपकरण के रूप में देखा जा रहा है।
  - ई-रूपी, ई-वे बिल आदि जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पादों ने उत्पादकों के लिये अनुपालन बोझ को कम करते हुए उपभोक्ताओं हेतु मुद्रा के वास्तविक मूल्य को सुनिश्चित किया है।

विनिवेश की स्थिति और प्राप्ति

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है, जो चालू वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 21% कम है और संशोधित अनुमान से सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए अधिक है। यह सात वर्षों में सबसे कम विनिवेश लक्ष्य भी है।

विनिवेश (Disinvestment):

- **परिचय:**
  - विनिवेश प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रणनीतिक या वित्तीय खरीदारों को सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है, जिसे स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की बिक्री के माध्यम से या सीधे खरीदारों को शेयरों की बिक्री के माध्यम से किया जाता।
  - विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग विभिन्न सामाजिक और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये एवं सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु किया जाता है।
- **विधि:**
  - अल्पांश विनिवेश (Minority Disinvestment): इसमें सरकार कंपनी में बहुमत रखती है, आमतौर पर 51% से अधिक शेयर अपने पास रखती है ताकि प्रबंधन नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
  - बहुमत विनिवेश (Majority Divestment): सरकार अधिग्रहण करने वाली इकाई को नियंत्रण सौंपती है लेकिन कुछ हिस्सेदारी बरकरार रखती है।
  - पूर्ण निजीकरण: कंपनी का 100% नियंत्रण खरीदार को दिया जाता है।
- **प्रक्रिया:**
  - भारत में विनिवेश प्रक्रिया का संचालन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management- DIPAM) द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
  - DIPAM का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार के निवेश का प्रबंधन करना और इन उद्यमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश की देख-रेख करना है।
  - सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष (National Investment Fund- NIF) का गठन किया था जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को चैनलाइज़ किया जाना था।

वर्ष 2023-24 के लिये विनिवेश योजना:

- केंद्र वर्ष 2023-24 में विनिवेश किये जाने वाले CPSE की सूची में नई कंपनियों को नहीं जोड़ने की योजना बना रहा है।

- सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के पहले से ही घोषित और नियोजित निजीकरण पर निर्भर रहने का फैसला किया है।
  - इनमें IDBI बैंक, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI), कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ConCor), NMDC स्टील लिमिटेड, BEML, HLL LIFECARE आदि शामिल हैं।
  - संयोग से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SCI और ConCor के विनिवेश को सरकार ने वर्ष 2019 में मंज़ूरी दी थी लेकिन यह भी तक नहीं पूरी हो पाई है।

श्रीलंका और मॉरीशस में UPI सेवाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से श्रीलंका तथा मॉरीशस में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payment Interface - UPI) सेवाओं एवं रुपे कार्ड (RuPay card) सेवाओं के शुभारंभ का मॉरीशस में उद्घाटन किया।

- इस कदम का उद्देश्य मज़बूत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए तीनों देशों के नागरिकों के बीच निर्बाध डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना है।
- इन परियोजनाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन और समर्थन के तहत मॉरीशस तथा श्रीलंका के साझेदार बैंकों/गैर-बैंकों के साथ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड(NPCL) द्वारा विकसित तथा निष्पादित किया गया है।

RuPay और UPI क्या हैं ?

- **RuPay:**
  - रुपे कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India - NPCI) द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली और वित्तीय सेवा उत्पाद है।
  - यह एक घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसका उपयोग पूरे भारत में स्वचालित टेलर मशीन (automated teller machines- ATMs), पॉइंट ऑफ सेल/बिक्री का एक बिंदु (PoS) उपकरणों और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर किया जा सकता है।
  - भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ (Indian Banks' Association-IBA) को भारत में एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं निपटान प्रणाली बनाने का अधिकार देता है।
  - RuPay ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिये विभिन्न कार्ड वेरिएंट लॉन्च किये हैं।
    - सरकारी योजना कार्डों के अलावा, RuPay क्लासिक, प्लैटिनम और सेलेक्ट वेरिएंट कार्ड आम जनता तथा समृद्ध ग्राहकों के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।
  - RuPay कार्ड अब मॉरीशस के माध्यम से अफ्रीका में उपलब्ध है, जो नेपाल, भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के बाद इसे जारी करने वाला पहला गैर-एशियाई देश है।
    - RuPay तकनीक के उपयोग से मॉरीशस में बैंकों को मॉरीशस सेंट्रल ऑटोमेटेड स्विच (MauCAS) कार्ड नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय रूप से RuPay कार्ड जारी करने की अनुमति मिलेगी।
      - MauCAS ऑपरेटरों के बीच भुगतान रूट करने के लिये बैंक ऑफ मॉरीशस द्वारा पूरी तरह से स्वामित्व और संचालित एक अनोखा अत्याधुनिक डिजिटल हब है।

- **UPI:**
  - एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payment Interface - UPI) एक डिजिटल और वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जिसे NPCI द्वारा वर्ष 2016 में विकसित किया गया था।.
  - UPI, IMPS (तत्काल भुगतान सेवा) बुनियादी अवसंरचना पर बनाया गया है और उपयोगकर्त्ताओं को किसी भी दो पक्षों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है।
  - UPI कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक मोबाइल एप्लिकेशन में विलय करने की अनुमति देता है।
  - वर्ष 2023 में UPI के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए के 100 अरब से अधिक लेन-देन हुए।
  - UPI भुगतान स्वीकार करने वाले देश फ्राँस, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान और नेपाल हैं।

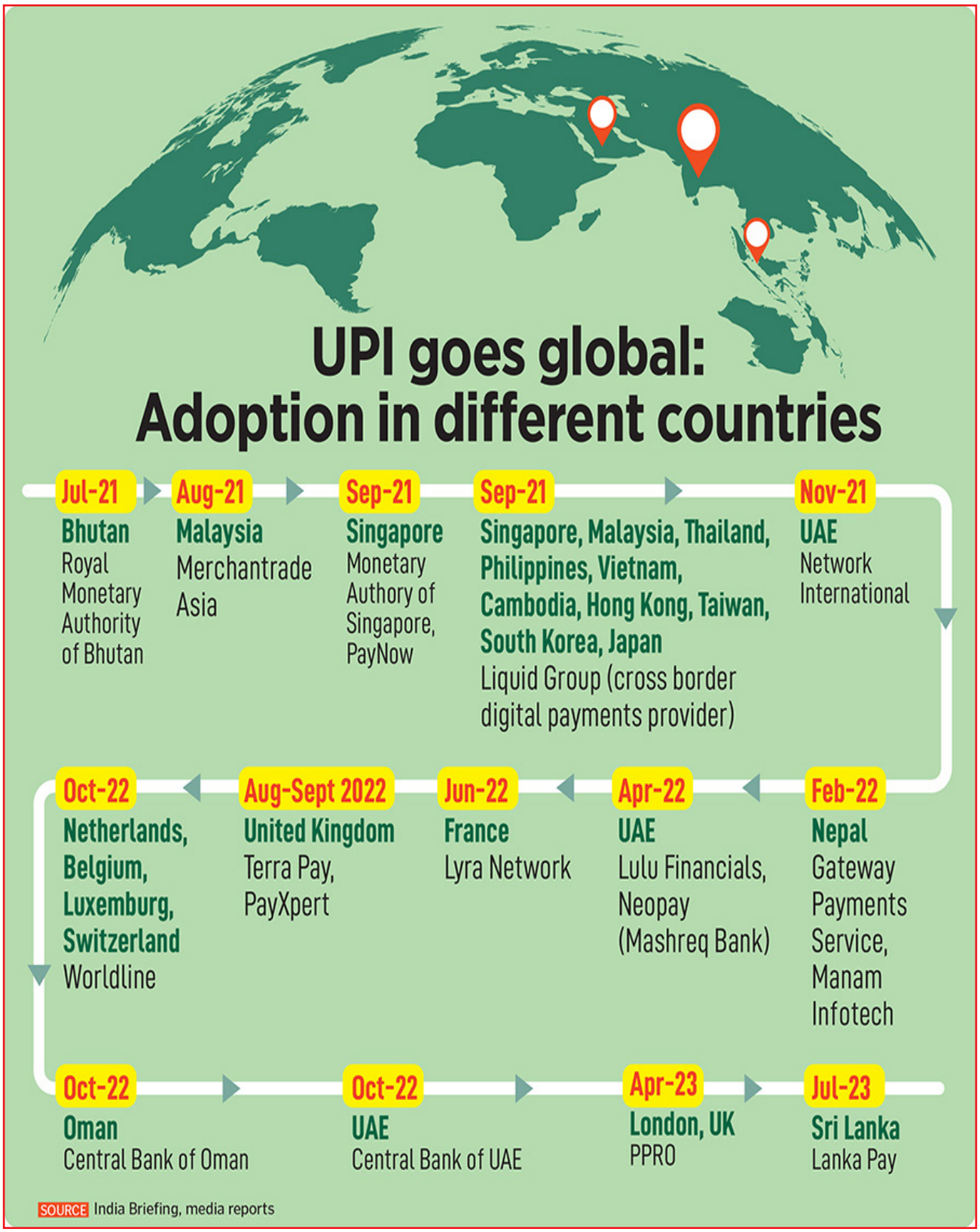
UPI goes global:
Adoption in different countries
Jul-21
Bhutan
Royal Monetary Authority of Bhutan
Aug-21
Malaysia
Merchantrade Asia
Sep-21
Singapore
Monetary Authory of Singapore, PayNow
Sep-21
Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Japan
Liquid Group (cross border digital payments provider)
Nov-21
UAE
Network International
Feb-22
Nepal
Gateway Payments Service, Manam Infotech
Apr-22
UAE
Lulu Financials, Neopay (Mashreq Bank)
Jun-22
France
Lyra Network
Aug-Sept 2022
United Kingdom
Terra Pay, PayXpert
Oct-22
Netherlands, Belgium, Luxemburg, Switzerland
Worldline
Oct-22
Oman
Central Bank of Oman
Oct-22
UAE
Central Bank of UAE
Apr-23
London, UK
PPRO
Jul-23
Sri Lanka
Lanka Pay
SOURCE India Briefing, media reports

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

- भारत का DPI जिसे इंडिया स्टैक के रूप में भी जाना जाता है, मुक्त और अंतर-संचालित प्लेटफॉर्मों का एक समूह है जिसमें स्वतंत्र 'ब्लॉक' (Blocks) मौजूद होते हैं जो विभिन्न डिजिटल अनुप्रयोगों के लिये पहचान, भुगतान, डेटा साझाकरण तथा सहमति प्रणाली प्रदान करता है।
- ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्त्ता-केंद्रित डिज़ाइन, नीति उद्देश्यों, विकासशील उपयोग के मामलों और सहभागिता के सिद्धांतों पर विकसित किये गए हैं।
- भारत के DPI के कुछ प्रमुख घटकों में आधार, डिजियात्रा, डिजीलॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर (AA) शामिल हैं।
- DPI में समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन को गति प्रदान करने की क्षमता है। इंडिया स्टैक की मॉड्यूलर परतें डिजिटल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता, समावेशिता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं।

इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030: IEA

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency -IEA) ने इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 रिपोर्ट जारी की है, जो इस बात प्रकाश डालती है कि वर्ष 2030 तक की अवधि में वैश्विक तेल बाज़ार में भारत की भूमिका कैसे विकसित हो सकती है।

- यह रिपोर्ट ऊर्जा परिवर्तन के रुझानों पर गौर करती है जो विभिन्न क्षेत्रों में तेल की मांग को प्रभावित कर सकते हैं और ये परिवर्तन देश की ऊर्जा सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार क्या हैं ?

- सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) कच्चे तेल के वे भंडार हैं जिन्हें भू-राजनीतिक अनिश्चितता या आपूर्ति व्यवधान के समय में कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले देशों द्वारा बनाए रखा जाता है।
- देश की वृद्धि और विकास के लिये ऐसी भूमिगत भंडारण सुविधाएँ ऊर्जा संसाधनों के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - भारत के पास वर्तमान में 5.33 मिलियन टन कच्चे तेल की भंडारण क्षमता है।
  - देश के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत 6.5 मिलियन टन कच्चा तेल रखने की संयुक्त क्षमता वाले अधिक रणनीतिक भंडार बनाए जाएंगे।

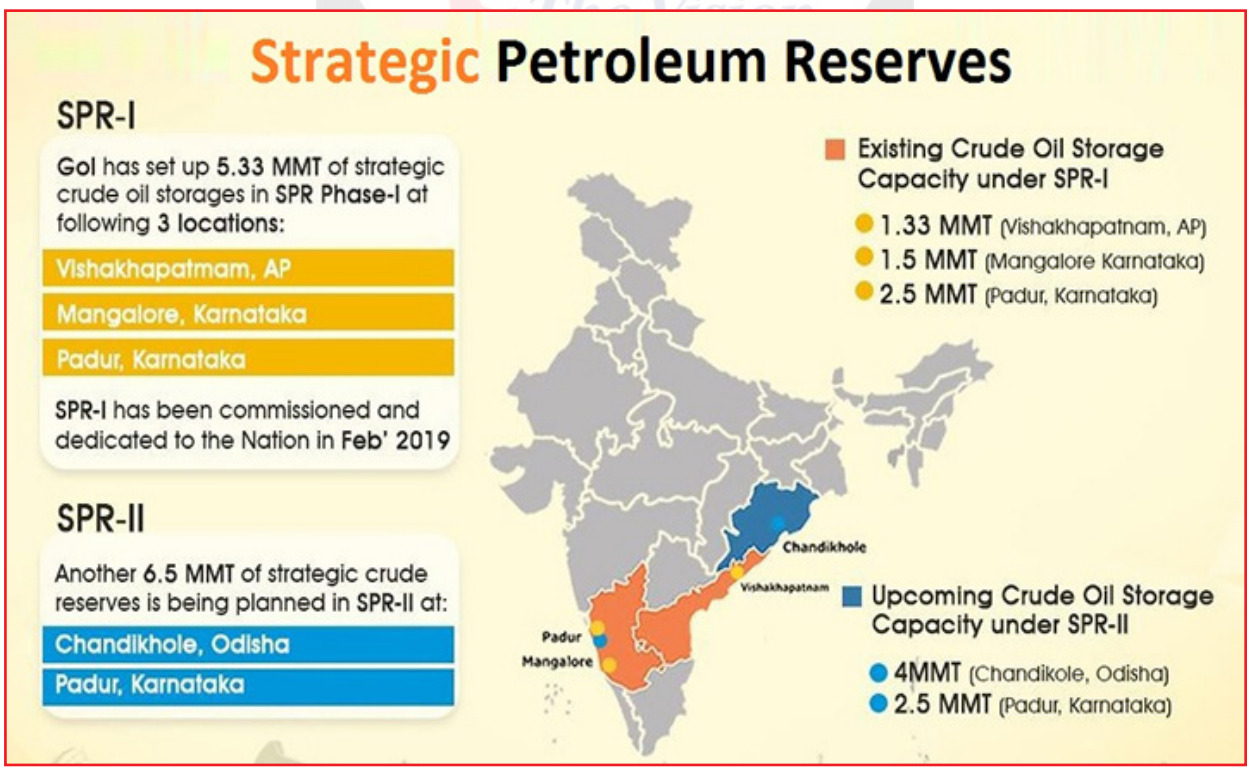

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है?

- **परिचय:**
  - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA), जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्राँस में है, को 1970 के दशक के मध्य में हुए तेल संकट का सामना करने हेतु आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1974 में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।
  - IEA का केंद्र मुख्य रूप से ऊर्जा संबंधी नीतियाँ हैं, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं।
  - IEA अंतर्राष्ट्रीय तेल बाज़ार से संबंधित जानकारी प्रदान करने तथा तेल की आपूर्ति में किसी भी भौतिक व्यवधान के विरुद्ध कार्रवाई करने में भी प्रमुख भूमिका निभाता है।
- **सदस्य:**
  - IEA में 31 सदस्य देश (भारत सहित) 13 सहयोगी देश और 4 परिग्रहण देश शामिल हैं।
    - IEA के लिये एक उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य देश होना चाहिये।
- **प्रमुख रिपोर्ट:**
  - वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक।
  - विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट।
  - इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट।

वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिये ASI परिणाम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation- MoSPI) ने वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 की संदर्भ अवधि के लिये उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries- ASI) के परिणाम जारी किये जिन्हें ASI 2020-21 और ASI 2021-22 कहा जाता है।

ASI 2020-21 और ASI 2021-22 परिणामों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **सकल वर्द्धित मूल्य (GVA) में वृद्धि:**
  - वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में GVA में 8.8% की वृद्धि हुई है जो कि मुख्य रूप से इनपुट में तेज़ गिरावट (4.1%) के कारण, जो कि कोविड द्वारा प्रभावित वर्ष के दौरान सेक्टर में आउटपुट के संक्षेपण (1.9%) की भरपाई के कारण हुआ है।
- **प्रमुख उद्योग चालक:**
  - वर्ष 2021-22 में इस वृद्धि के मुख्य चालक मूल धातु, कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्युटिकल उत्पाद, मोटर वाहन, खाद्य उत्पाद तथा रासायनिक एवं रसायन उत्पादों की विनिर्माण जैसे उद्योग थे।
- **क्षेत्रीय प्रदर्शन:**
  - GVA के संदर्भ में गुजरात वर्ष 2020-21 में शीर्ष पर तथा वर्ष 2021-22 में दूसरे स्थान पर रहा जबकि महाराष्ट्र वर्ष 2021-22 में पहले और वर्ष 2020-21 में दूसरे स्थान पर रहा।
    - तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने विनिर्माण GVA में योगदान देने वाले शीर्ष पाँच राज्यों में निरंतर अपना स्थान बनाए रखा है।
- **रोज़गार रुझान:**
  - महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में रोज़गार में मामूली गिरावट के बावजूद वर्ष 2021-22 में क्षेत्र में कुल अनुमानित रोज़गार में वर्ष-प्रति-वर्ष (Y-o-Y) 7.0% की वृद्धि देखी गई।
    - इन राज्यों ने कुल मिलाकर दोनों वर्षों में देश के कुल विनिर्माण नियोजन में लगभग 54% का योगदान दिया।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) क्या है?

- **परिचय:**
  - उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) भारत में औद्योगिक आँकड़ों का प्रमुख स्रोत है। इसकी शुरुआत वर्ष 1960 में वर्ष 1959 को आधार वर्ष मानकर की गई थी साथ ही वर्ष 1953 के सांख्यिकी संग्रह अधिनियम के तहत वर्ष 1972 को छोड़कर यह सर्वेक्षण वार्षिक रूप से जारी किया जाता है।

- ASI 2010-11 से सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत आयोजित किया जा रहा है।
  - सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 को वर्ष 2017 में सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017 के रूप में संशोधित किया गया है, जो संपूर्ण भारत में लागू है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ASI का संचालन करता है। NSO, MoSPI का हिस्सा है।
  - MoSPI जारी आँकड़ों एवं गुणवत्ता के लिये ज़िम्मेदार है।

राजकोषीय घाटा और इसका प्रबंधन

भारत राष्ट्रीय ऋणों से निपटने में वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिये वित्त मंत्रालय ने अपने अंतरिम बजट 2024-25 में भारत के राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product - GDP) के 5.1% तक कम करने का निर्णय लिया है।

राजकोषीय घाटा क्या है?

परिचय:

- राजकोषीय घाटा किसी सरकार के खर्च की तुलना में उसके राजस्व में कमी को संदर्भित करता है।
- जब किसी सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, तो सरकार को घाटे को पूरा करने के लिये धन उधार लेना होगा या संपत्ति बेचनी होगी।
- कर किसी भी सरकार के लिये राजस्व का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। वर्ष 2024-25 में सरकार की कर प्राप्तियाँ 26.02 लाख करोड़ रुपए जबकि कुल राजस्व 30.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
- दूसरी ओर, जब किसी सरकार के पास राजकोषीय अधिशेष होता है, तो उसकी आय उसके खर्चों से अधिक हो जाती है।
  - हालाँकि सरकारें अक्सर अधिशेष में नहीं चलती हैं। इन दिनों, अधिकांश सरकारें राजकोषीय अधिशेष बनाने या बजट को संतुलित करने के बजाय राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने को प्राथमिकता देती हैं।

अनुमान:

- सरकार का अनुमान है कि बजट 2021-22 में घोषित वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम हो जाएगा।
- सरकार के संशोधित अनुमानों ने वर्ष 2023-24 के लिये राजकोषीय घाटे के अनुमान को भी घटाकर राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product - GDP) का 5.8% कर दिया।

राजकोषीय घाटा और राष्ट्रीय ऋण:

- राष्ट्रीय ऋण वह कुल राशि है जो किसी देश की सरकार अपने ऋणदाताओं को एक निश्चित समय पर देना चाहती है।
  - सरकारी ऋण में छोटी बचत, भविष्य निधि और विशेष प्रतिभूतियों जैसी योजनाओं के दायित्वों के साथ-साथ घरेलू तथा बाहरी ऋण सहित विभिन्न देनदारियाँ शामिल हैं।
  - इन देनदारियों में ब्याज भुगतान और मूल राशि का पुनर्भुगतान दोनों शामिल होते हैं, जिससे सरकार के वित्त पर काफी वित्तीय बोझ पड़ता है।
- यह आम तौर पर ऋण की वह राशि है जो सरकार ने कई वर्षों के राजकोषीय घाटे और घाटे को पाटने के लिये उधार लेने के दौरान जमा की है।
- सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में सरकार का राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा, उसके ऋणदाताओं को बिना किसी परेशानी के भुगतान किये जाने की संभावना उतनी ही कम होगी।
  - बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का राजकोषीय घाटा अधिक हो सकता है। वर्ष 2022 तक, प्रमुख घाटे वाले धारकों में इटली -7.8%, हंगरी -6.3%, दक्षिण अफ्रीका -4.8%, स्पेन -4.7%, फ्राँस -4.7% शामिल हैं।

राष्ट्रीय ऋण में प्रवृत्तियाँ:

- वर्ष 2003-04 में ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात अनुपात 84.4% था, जिसमें बाद में विभिन्न प्रशासनों के तहत गिरावट और वृद्धि देखी गई।
- वर्ष 2014 के बाद, सरकार ने ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि देखी, जो वर्ष 2020-21 में 88.5% के शिखर पर पहुँच गया, जो मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों से प्रेरित था।
- बाद के वित्तीय वर्षों में मामूली सुधार के बावजूद, अनुपात ऊँचा बना हुआ है, वर्ष 2024-25 के लिये 82.4% का अनुमान है, जो राजकोषीय प्रबंधन के लिये महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है।

CHART 1

GENERAL GOVERNMENT DEBT (% of GDP)

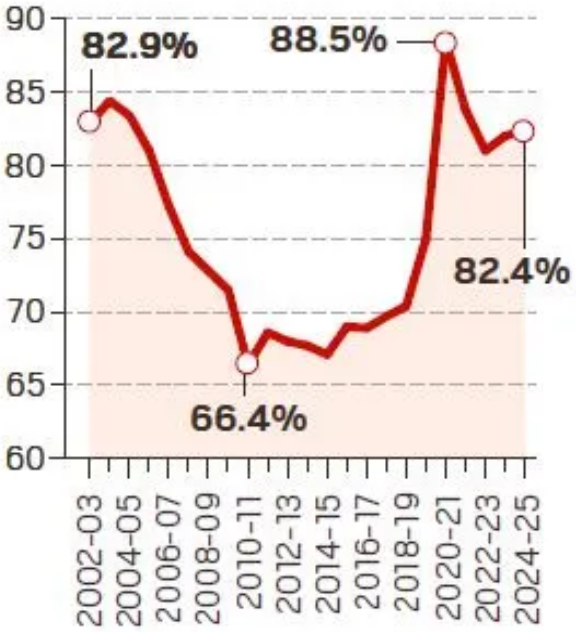

Note: Figures for 2022-23 are estimates and those for 2023-24 and 2024-25 are projections.
Source: International Monetary Fund

CHART 2

CENTRE'S INTEREST AND CAPITAL SPENDING (% of GDP)

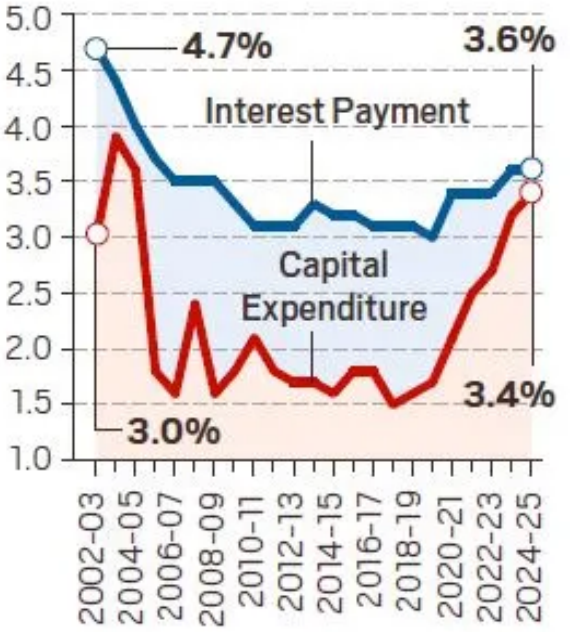

Note: Figures for 2023-24 are Revised Estimates and those for 2024-25 Budget Estimates.
Source: Union Budget documents, various years.

मुख्य सूत्र:

- राजकोषीय घाटा = कुल व्यय- कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर)।
- राजस्व घाटा: किसी सरकार या व्यवसाय का यह घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों को कुल आय व्यय से घटाकर निर्धारित किया जा सकता है।
  - राजस्व घाटा = कुल राजस्व प्राप्तियाँ - कुल राजस्व व्यय।
- ऋणात्मक सकल घरेलू उत्पाद अनुपात: यह मापता है कि किसी देश पर उसकी जीडीपी के संबंध में कितना बकाया है।
  - सकल घरेलू उत्पाद पर ऋण = देश का कुल ऋण/देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) ढाँचा:**
  - वर्ष 2003 में स्थापित FRBM अधिनियम ने ऋण कटौती के लिये महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60% तक सीमित करना था।
  - हालाँकि बाद के राजकोषीय प्रक्षेप पथ इन लक्ष्यों से भटक गए, केंद्र का बकाया ऋण मूल रूप से कल्पना की गई सीमा से अधिक हो गया।
    - FRBM समीक्षा समिति की रिपोर्ट ने वर्ष 2023 तक सामान्य (संयुक्त) सरकार के लिये ऋण-GDP अनुपात 60% की सिफारिश की है, जिसमें केंद्र सरकार हेतु 40% और राज्य सरकारों के लिये 20% शामिल है।

IEA की नवीकरणीय ऊर्जा 2023 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) की हालिया नवीकरणीय ऊर्जा 2023 रिपोर्ट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की एक जटिल छवि प्रस्तुत करती है, जो प्रगति और चुनौतियों दोनों को उजागर करती है।

नवीकरणीय ऊर्जा 2023 रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ?

- रिकॉर्ड वृद्धि और चीन का प्रभुत्व: वर्ष 2023 में वैश्विक वार्षिक नवीकरणीय क्षमता वृद्धि लगभग 50% बढ़कर लगभग 510 गीगावाट (GW) हो गई, जो दो दशकों में सबसे तेज़ विकास दर है।
  - चीन ने वर्ष 2023 में उतने ही सोलर फोटोवोल्टिक (Solar Photovoltaic- SPV) को चालू करके एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जितनी पूरी दुनिया ने वर्ष 2022 में की थी, जबकि पवन संयोजन में वर्ष-दर-वर्ष 66% की वृद्धि हुई।
- वैश्विक पावर मिक्स परिवर्तन: वर्ष 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा के बिजली उत्पादन के सबसे बड़े स्रोत के रूप में कोयले को पीछे छोड़ने का अनुमान है, वर्ष 2028 तक पवन और सौर पीवी प्रमुख स्रोत बन जाएंगे।
- वैश्विक पावर मिक्स परिवर्तन: अनुमान है कि वर्ष 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन के सबसे बड़े स्रोत के रूप में कोयले से आगे निकल जाएगी और वर्ष 2028 तक पवन और सौर PV प्रमुख स्रोत बन जाएंगे।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और संबंधित सरकारी हस्तक्षेप क्या हैं ?

- **भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य:**
  - पंचामृत लक्ष्य
    - वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना।
    - वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का कम-से-कम आधा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना
    - वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना।
    - वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।
  - अगस्त 2022 में, भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution - NDC) को अद्यतन किया जिसके अनुसार अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 45% तक बढ़ाया गया है।
- **संबंधित सरकारी पहल:**
  - किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM)
  - उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive-PLI) योजना
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
  - वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG)
  - राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन
  - राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति
  - वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन
  - हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल वाहन
  - सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम: इसका उद्देश्य बढ़ती सौर ऊर्जा ऊर्जा परियोजना की स्थापनाओं में रोज़गार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए युवाओं के बीच कौशल विकास करना है।

उधार पर राज्य की गारंटी पर दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा गठित एक कार्य समूह ने राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये कुछ सिफारिशें की हैं।

- जुलाई 2022 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन के दौरान कार्य समूह का गठन किया गया।

गारंटी क्या है ?

- **परिचय:**
  - भुगतान करने और किसी निवेशक/ऋणदाता को उधारकर्त्ता द्वारा डिफॉल्ट के जोखिम से बचाने के लिये 'गारंटी' राज्य हेतु एक कानूनी दायित्व है।

- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार, एक गारंटी, किसी तीसरे व्यक्ति के डिफॉल्ट के मामले में "वादा पूरा करने या दायित्व का निर्वहन करने" का एक अनुबंध है। इसमें तीन पक्ष शामिल हैं: प्रमुख देनदार, लेनदार और ज़मानतदार।
  - लेनदार: वह संस्था जिसे गारंटी दी गई है। यह वह पक्ष है जिसे भुगतान देय है और वे गारंटी द्वारा सुरक्षित हैं।
  - प्रमुख देनदार: वह संस्था जिसकी ओर से गारंटी दी गई है। यह वह पार्टी है जिस पर क़र्ज़ बकाया या देनदारी है।
  - ज़मानतदार: गारंटी प्रदान करने वाली इकाई (इस संदर्भ में राज्य सरकारें), जो वादा पूरा करने या डिफॉल्ट के मामले में मुख्य देनदार की देनदारी का निर्वहन करने का वादा करती है।
    - यदि गारंटीकर्त्ता डिफॉल्ट करता है तो वह वादा पूरा करने या प्रमुख देनदार की देनदारी का निर्वहन करने के लिये कानूनी दायित्व लेता है।
- एक गारंटी को 'क्षतिपूर्ति' अनुबंध के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिये जो ऋणदाता को वचनकर्त्ता/प्रॉमिसर (या मूल देनदार) के आचरण से होने वाले नुकसान से बचाता है।

सरकार द्वारा दी गई विभिन्न गारंटियाँ क्या हैं?

- धन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान, नकद ऋण सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण तथा कंपनियों, निगम सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों के संबंध में कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिये RBI, अन्य बैंकों व वित्तीय संस्थानों (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,भारतीय बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट) को दी गई गारंटी।
- धन की अदायगी, ब्याज के भुगतान आदि के लिये भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ किये गए समझौतों के अनुसरण में दी गई गारंटी।
- बैंकों द्वारा कंपनियों/निगमों के पक्ष में क्रेडिट आधार पर की गई आपूर्ति/सेवाओं के लिये विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को प्राधिकार पत्र जारी करने पर विचार करते हुए बैंकों को जवाबी गारंटी।
- कंपनियों/निगमों द्वारा बकाया/माल ढुलाई शुल्क के उचित और समय पर भुगतान के लिये रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटी। (पिछले कुछ वर्षों से शून्य)
- भारतीय कंपनियों या विदेशी कंपनियों को विदेशों में किये गए अनुबंधों/परियोजनाओं की पूर्ति के लिये दी गई प्रदर्शन की गारंटी। (पिछले कुछ वर्षों से शून्य)

इलेक्ट्रिक वाहनों के विकल्प के रूप में हाइब्रिड वाहन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में HSBC ग्लोबल रिसर्च ने रिपोर्ट जारी की जिसमें सुझाव दिया गया कि आगामी 5-10 वर्षों में भारत को आवागमन हेतु सतत् समाधान के रूप में बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) के स्थान पर हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- हाइब्रिड वाहन के संचालन हेतु पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन के साथ इलेक्ट्रिक नोदन प्रणाली (Electric Propulsion System) एकीकृत की जाती है।

बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) क्या हैं?

- **परिचय:**
  - बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) एक प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन हैं जो पूरी तरह से उच्च क्षमता वाली बैटरी में संग्रहीत विद्युत शक्ति पर चलते हैं।
  - आंतरिक दहन इंजन नहीं होने के कारण ये शून्य टेलपाइप उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं।
  - BEV के पहियों को चलाने के लिये इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है, जो तत्काल आघूर्ण बल (Torque) और गति प्रदान करते हैं।
- **बैटरी प्रौद्योगिकी:**
  - BEV उन्नत बैटरी तकनीक, मुख्य रूप से लिथियम-आयन (Li- Ion) बैटरी पर निर्भर करती है।
  - Li-आयन बैटरियों में ऊर्जा घनत्त्व उच्च होता है, इससे लंबी दूरी तय की जा सकती है और इसका प्रदर्शन बेहतर होता है।
- **चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर:**
  - BEV को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिये चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की आवश्यकता होती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में विभिन्न प्रकार के चार्जर शामिल हैं:
    - स्तर 1 (घरेलू आउटलेट)।
    - स्तर 2 (समर्पित चार्जिंग स्टेशन)।
    - स्तर 3 (DC फास्ट चार्जर)।
  - सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, कार्यस्थल और आवासीय भवन चार्जिंग सुविधाएँ बुनियादी ढाँचे के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

FOUR TYPES OF EVs

HEVs: Conventional hybrid electric vehicles (such as variants of the Toyota Hyryder Hybrid or Honda City e:HEV in India) combine a conventional ICE system with an electric propulsion system, resulting in a hybrid drivetrain that substantially lowers fuel usage. The onboard battery in a conventional hybrid is charged when the IC engine is powering the drivetrain.

PHEVs: Plug-in hybrid vehicles (such as the Chevrolet Volt) also have a hybrid drivetrain that uses both an ICE and electric power for motive power, backed by rechargeable batteries that can be, in this case, plugged into a power source.

BEVs: Vehicles like the Tata Nexon in India, or the Nissan Leaf and Tesla Model S, have no ICE or fuel tank, and run on a fully electric drivetrain powered by rechargeable batteries.

FCVs: Fuel cell vehicles (such as Toyota's Mirai and Honda's Clarity) use hydrogen to power an onboard electric motor. FCVs combine hydrogen and oxygen to produce electricity, which runs the motor, and the only residue of the chemical process is water. Since they're powered entirely by electricity, FCVs are considered EVs — but unlike BEVs, their range and refuelling processes are comparable to conventional cars and trucks.

हाइब्रिड वाहन क्या हैं?

- **परिचय:**
  - हाइब्रिड वाहन एक पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, जिससे वाहन को एक या दोनों विद्युत स्रोतों का उपयोग करके संचालित करने की अनुमति प्राप्त होती है।
  - विभिन्न प्रकार के हाइब्रिड सिस्टम हैं, किंतु सामान्य में समानांतर हाइब्रिड (इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों वाहन को स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान कर सकते हैं) और श्रेणी हाइब्रिड (केवल इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाती है, जबकि इंजन बिजली उत्पन्न करता है) शामिल हैं।
- **महत्त्व:**
  - मध्यम अवधि में व्यावहारिकता (5-10 वर्ष):
    - मध्यम अवधि के लिये हाइब्रिड को एक व्यावहारिक और व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखा जाता है क्योंकि भारत धीरे-धीरे अपने वाहन बेड़े के पूर्ण विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहा है। इस परिवर्तन में 5-10 वर्ष लगने की आशा है।
  - स्वामित्व की लागत पर दृष्टिकोण:
    - हाइब्रिड को लागत प्रभावी माना जाता है, जो उन्हें उपभोक्ताओं के लिये एक आकर्षक विकल्प का निर्माण करता है।
    - हाइब्रिड कारों को चलाने के लिये ईंधन एवं विद्युत शक्ति दोनों का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक ईंधन कारों की तुलना में बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था होती है। इससे ड्राइवरों के लिये समय के साथ लागत में बचत होगी।
  - डीकार्बोनाइजेशन प्रक्रिया के लिये महत्त्वपूर्ण:
    - हाइब्रिड वाहन भारत के डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में भूमिका निभाते हैं। समान आकार के वाहनों के लिये इलेक्ट्रिक और पारंपरिक ICE वाहनों की तुलना में हाइब्रिड वाहनों में कुल (वेल-टू-व्हील या WTW) कार्बन उत्सर्जन कम होता है।

- हाइब्रिड 133 ग्राम प्रति किलोमीटर (ग्राम/किमी.) CO_2 उत्सर्जित करते हैं, जबकि EVs 158 ग्राम/किमी. उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब है कि हाइब्रिड संबंधित ईवी की तुलना में 16% कम प्रदूषणकारी है।
- कुल (वेल-टू-व्हील या WTW) कार्बन उत्सर्जन केवल टेलपाइप उत्सर्जन पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इसमें वाहन उत्सर्जन (टैंक-टू-व्हील या TTW) एवं कच्चे खनन, रिफाइनिंग तथा बिजली उत्पादन से उत्सर्जन भी शामिल है।

- भारत के डीकार्बोनाइजेशन अभियान के लिये हाइब्रिड भी महत्त्वपूर्ण हैं। हाइब्रिड की सस्ती अग्रिम लागत कई और लोगों को कम उत्सर्जन वाले वाहनों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करेगी।

BEVs के लिये अन्य संभावित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं?

- **इथेनॉल एवं फ्लेक्स ईंधन:**
  - फ्लेक्स ईंधन वाहन, इथेनॉल सहित विभिन्न प्रकार के ईंधन पर चल सकते हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाती है।
- **ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEVs) एवं हाइड्रोजन ICE:**
  - हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलते हैं, जो BEVs के लिये एक स्वच्छ और कुशल विकल्प प्रदान करने वाले एकमात्र उप-उत्पाद के रूप में बिजली तथा पानी का उत्पादन करते हैं।
  - हाइड्रोजन ICE वाहन ICE में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं जो BEV का सरल और सस्ता विकल्प प्रदान करते हैं।
    - हालाँकि बुनियादी ढाँचे और शून्य उत्सर्जन के मामले में FCEV एवं हाइड्रोजन ICE दोनों की अपनी-अपनी कमियाँ हैं।
- **सिंथेटिक ईंधन:**
  - आंतरिक दहन इंजन (ICE) को कार्बन तटस्थ बनाने के साथ ही उनके जीवनकाल को बढ़ाने के प्रयास में पोर्श सिंथेटिक ईंधन बना रहा है।
  - नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन से उत्पादित इन ईंधनों का व्यापक अनुप्रयोग हो सकता है।

EV को बढ़ावा देने के हेतु सरकारी पहल क्या हैं?

- इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाना और विनिर्माण करना (FAME) योजना I
- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP)
- परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन
- गो-इलेक्ट्रिक अभियान
- **प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना:**
  - EVs और उसके घटकों के विनिर्माण के लिये प्रोत्साहन।
- **चार्जिंग बुनियादी ढाँचे पर विद्युत मंत्रालय के संशोधित दिशा-निर्देश:**
  - राजमार्गों के दोनों ओर 3 किमी. के ग्रिड के साथ प्रत्येक 25 किमी. पर कम-से-कम एक चार्जिंग स्टेशन मौजूद होना चाहिये।
- **मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज़, 2016 (MBBL) में संशोधन:**
  - आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में EVs चार्जिंग सुविधाओं के लिये पार्किंग स्थान का 20% अलग रखना अनिवार्य है।
  - ग्लोबल EV30@30 अभियान को भारत का समर्थन प्रदान करना।

IEA की इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) ने अपनी रिपोर्ट "इलेक्ट्रिसिटी 2024" के साथ भारत के ऊर्जा भविष्य में प्रमुख अंतर्दृष्टि का खुलासा किया।

- यह व्यापक विश्लेषण वर्ष 2026 तक भारत के विद्युत क्षेत्र को आकार देने वाले रुझानों पर प्रकाश डालता है, जैसे- कोयले की निरंतर भूमिका, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उद्भव और परमाणु ऊर्जा की आशाजनक वृद्धि।

भारत के ऊर्जा क्षेत्र का अवलोकन:

- मई 2023 तक संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता (ईंधनवार):
- कुल संस्थापित क्षमता (जीवाश्म ईंधन और गैर-जीवाश्म ईंधन) 417 गीगावॉट है।

- **कुल विद्युत उत्पादन में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी इस प्रकार है:**
  - जीवाश्म ईंधन (कोयला सहित)- 56.8%
  - नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत सहित)- 41.4%
  - परमाणु ईंधन- 1.60%

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य:

- भारत पंचामृत कार्य योजना के अंतर्गत अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये तैयार है, जैसे-
  - वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट की गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करना;
  - वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का कम-से-कम आधा हिस्सा प्राप्त करना;
  - वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन तक कम करना; वर्ष 2030 तक कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करना;
  - वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना।
- अगस्त 2022 में भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution-NDC) को अद्यतन किया जिसके अनुसार अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 45 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।

सरकारी प्रतिभूतियाँ

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिये सरकारी प्रतिभूति उधार पूरा कर लिया है और उसे वित्तीय वर्ष 25 (FR 25) में भारतीय रिज़र्व बैंक से वित्त वर्ष 24 के समान ही लाभांश की आशा है।

- उधार लेने के प्रति सरकार का दृष्टिकोण सतर्क रहता है, वह विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि उधार वास्तविक ज़रूरतों के अनुरूप हो।
- G-Sec उधार का पूरा होना, RBI से लाभांश आय की अपेक्षाओं के साथ मिलकर, राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ व्यय लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों को दर्शाता है।

RBI द्वारा सरकार को अधिशेष हस्तांतरित करने को कौन-से नियम नियंत्रित करते हैं ?

- RBI भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 (अधिशेष लाभ का आवंटन) के अनुसार अपना अधिशेष सरकार को हस्तांतरित करता है।
  - वाई.एच.मालेगाम (2013) की अध्यक्षता में RBI बोर्ड की एक तकनीकी समिति, जिसने भंडार की पर्याप्तता एवं अधिशेष वितरण नीति की समीक्षा के अनुरूप सरकार को उच्च हस्तांतरण की सिफारिश की।
- इस खंड में कहा गया है कि RBI, आरक्षित एवं बनाए रखे गए राजस्व की अनुमति देने के बाद अतिरिक्त राशि सरकार को हस्तांतरित करता है।
- हस्तांतरित राशि विभिन्न कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसमें घरेलू एवं विदेशी प्रतिभूतियों की होल्डिंग्स पर ब्याज, इसकी सेवाओं से शुल्क तथा कमीशन, विदेशी मुद्रा लेन-देन से लाभ के साथ-साथ सहायक कंपनियों एवं सहयोगियों से रिटर्न जैसे स्रोतों से RBI की आय शामिल है।
  - व्यय में, RBI मुद्रा नोटों की छपाई, जमा तथा उधार पर ब्याज का भुगतान, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कार्यालयों तथा शाखाओं के परिचालन व्यय साथ ही आकस्मिकताओं व मूल्यह्रास के प्रावधान जैसी लागतें वहन करता है।

सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Sec) क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखत (Instrument) है।
  - G-Sec एक प्रकार का ऋण साधन है जो सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु जनता से धन उधार लेने के लिये जारी किया जाता है।
    - ऋण लेख एक वित्तीय साधन है जो जारीकर्त्ता द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर धारक को एक निश्चित राशि, जिसे मूलधन अथवा अंकित मूल्य के रूप में जाना जाता है, का भुगतान करने के लिये संविदात्मक दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है।
  - यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है।
    - ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पावधि (आमतौर पर राजकोष/खजाना बिल कहलाती हैं, एक वर्ष से कम की मूल

परिपक्वता के साथ- वर्तमान में तीन अवधियों में जारी की जाती हैं अर्थात् 91-दिन, 182 दिन और 364 दिन) अथवा दीर्घावधि (जिसे आमतौर पर सरकारी बॉण्ड या दिनांकित कहा जाता है, एक वर्ष अथवा उससे अधिक की मूल परिपक्वता वाली प्रतिभूतियाँ) की होती हैं।

- भारत में केंद्र सरकार राजकोष बिल (Treasury Bill) और बॉण्ड अथवा दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण कहा जाता है।
- G-Sec में व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है और इसलिये ये जोखिम मुक्त श्रेष्ठ प्रतिभूति लिखत (Risk-Free Gilt-Edged Instruments) कहलाते हैं।
  - श्रेष्ठ प्रतिभूति, उच्च-श्रेणी के निवेश बॉण्ड हैं जो सरकारों और बड़े निगमों द्वारा ऋण ग्रहण करने के साधन के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों के प्रकार:

- राजकोष बिल (T-बिल):
  - राजकोष/ट्रेज़री बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ हैं और उन पर कोई ब्याज प्रदान नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वव होने पर इनका मोचन (Redeem) अंकित मूल्य पर किया जाता है।
- नकद प्रबंधन बिल (CMBs):
  - वर्ष 2010 में भारत सरकार ने RBI के परामर्श से भारत सरकार के नकदी प्रवाह में अस्थायी विसंगतियों का समाधान करने के लिये एक नया अल्पकालिक साधन पेश किया जिसे CMB के रूप में जाना जाता है।
    - CMBs में सामान्यत: T-बिल के समान विशेषताएँ होती हैं किंतु यह 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिये जारी किया जाता है।
- दिनाँकित G-Sec:
  - दिनांकित G-Sec ऐसी प्रतिभूतियाँ हैं जिनमें एक निश्चित अथवा अस्थिर (Floating) कूपन दर (ब्याज दर) होती है जिसका भुगतान अंकित मूल्य पर अर्द्ध-वार्षिक आधार पर किया जाता है। दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि सामान्यत: 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है।
- राज्य विकास ऋण (SDL):
  - राज्य सरकारें भी बाज़ार से ऋण लेती हैं जिन्हें SDL कहा जाता है। SDL, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों के लिये आयोजित नीलामी के समान सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ हैं।

जारी करने का तंत्र:

- RBI धन की आपूर्ति की स्थिति को समायोजित करने के हेतु G-secs की बिक्री या खरीद के लिये खुला बाज़ार परिचालन आयोजित करता है।
  - RBI द्वारा सिस्टम से तरलता को हटाने हेतु जी-सेक की बिक्री की जाती है और सिस्टम में तरलता बढ़ाने के लिये जी-सेक को वापस खरीदा जाता है।
- बैंकों को उधार देना जारी रखने की अनुमति देते हुए मुद्रास्फीति को संतुलित करने हेतु इन कार्यों को अक्सर दैनिक आधार पर किया जाता है।
- RBI वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से खुला बाज़ार परिचालन (OMO) आयोजित करता है और जनता के साथ सीधे व्यवहार नहीं करता है।
- RBI सिस्टम में रुपए की मात्रा और कीमत को समायोजित करने हेतु रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात जैसे अन्य मौद्रिक नीति उपकरणों के साथ OMO का उपयोग करता है।

T-बिलों की खुदरा बिक्री और खरीद:

- खरीद की विधि: खुदरा निवेशक सीधे टी-बिल खरीदने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ एक ऑनलाइन रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (RDG) खाता खोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे चुनिंदा बैंकों और पंजीकृत प्राथमिक एजेंटों के माध्यम से बोली लगा सकते हैं।
- खरीद के लिये पोर्टल: RBI द्वारा प्रदान किया गया रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (RDG) प्लेटफॉर्म खुदरा निवेशकों हेतु टी-बिल की खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- खरीद और बिक्री के संबंध में नियम: खुदरा निवेशकों को टी-बिल खरीदते और बेचते समय कुछ नियमों तथा विनियमों का पालन करना चाहिये। इसमें न्यूनतम निवेश राशि की आवश्यकता (विभिन्न अवधियों के लिये प्रति लॉट 10,000 रुपए) को पूरा करना और RBI दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है।

- प्राथमिक बाज़ार में भागीदारी: खुदरा निवेशक पहले उल्लिखित निर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से टी-बिल के लिये बोली लगाकर प्राथमिक बाज़ार में भाग ले सकते हैं। इससे उन्हें भारत सरकार की ओर से सीधे RBI से नए जारी किये गए टी-बिल खरीदने की अनुमति मिलती है।
- द्वितीयक बाज़ार में भागीदारी: खुदरा निवेशक अपने डीमैट खातों के माध्यम से T-बिल के लिये द्वितीयक बाज़ार में भी भाग ले सकते हैं। द्वितीयक बाज़ार में, निवेशक अपनी परिपक्वता तिथि से पहले T-बिल खरीद और बेच सकते हैं, जिससे चल निधि तथा व्यापार के अवसर मिलते हैं।

बिटकॉइन हॉल्विंग

अप्रैल 2024 में, प्रत्याशित बिटकॉइन (BTC) हॉल्विंग की संभावना है, जिसका क्रिप्टोकरेंसी के बाज़ार मूल्य पर संभावित गहरा प्रभाव पड़ेगा।

बिटकॉइन हॉल्विंग क्या है?

- **परिचय:**
  - बिटकॉइन हॉल्विंग में बिटकॉइन माइनर्स को दिये जाने वाले इनाम को आधा कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि लेन-देन को सत्यापित करने के लिये माइनर्स को 50% कम बिटकॉइन प्राप्त होते हैं।
  - जब तक नेटवर्क द्वारा 21 मिलियन बिटकॉइन की अधिकतम आपूर्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक लगभग हर चार वर्ष में प्रत्येक 210,000 ब्लॉकों में एक बार बिटकॉइन हॉल्विंग होने वाली है।
  - बिटकॉइन हॉल्विंग व्यापारियों के लिये महत्त्वपूर्ण घटना है क्योंकि वे नेटवर्क द्वारा उत्पन्न होने वाले नए बिटकॉइन की संख्या को कम करते हैं। इससे नए कॉइन की आपूर्ति सीमित हो जाती है, इसलिये यदि मांग तेज़ रही तो कीमतें बढ़ सकती हैं।

बिटकॉइन क्या है?

- **परिचय:**
  - बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जो किसी को भी त्वरित भुगतान करने में सक्षम बनाती है। बिटकॉइन को वर्ष 2009 में पेश किया गया था। बिटकॉइन एक ओपन-सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है और इसे किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है।
- **पृष्ठभूमि:**
  - बिटकॉइन की स्थापना और उत्पत्ति के संबंध में जानकारी स्पष्ट नहीं है। कुछ मतों के अनुसार सातोशी नाकामोतो नामक एक व्यक्ति अथवा लोगों के समूह ने वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद एक लेखांकन प्रणाली की संकल्पना की थी।
- **उपयोग:**
  - मूल रूप से बिटकॉइन का उद्देश्य वैध/कागज़ी मुद्रा का विकल्प प्रदान करना तथा दो शामिल पक्षों के बीच प्रत्यक्ष विनिमय का एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत माध्यम बनना था।
- **बिटकॉइन का रिकॉर्ड:**
  - अभी तक किये गए लेन-देन/संव्यवहार का संपूर्ण डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध चालू/खुले बही-खाते में समाहित हैं किंतु यह डेटा अज्ञात और एन्क्रिप्टेड रूप में उपलब्ध है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है।
    - किये गए लेन-देन को बिटकॉइन की उप-इकाइयों में दर्शाया जा सकता है।
      - सातोशी बिटकॉइन का सबसे छोटा अंश संदर्भित करता है।

भारत और क्रिप्टोकरेंसी

- भारत में क्रिप्टोकरेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स श्रेणी में आती है और कराधान के अधीन है।
  - क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग से उत्पन्न मुनाफे पर अतिरिक्त 4% उपकर (केंद्रीय बजट 2022-23) के साथ 30% की दर से कर लगाया जाता है।
- वर्ष 2022 में, RBI ने अपनी स्वयं की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की, जिसे ई-रुपी (e-Rupee) के नाम से जाना जाता है, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है।

अंतरिक्ष क्षेत्र के लिये आसान FDI नीति

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष उद्योग से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन को मंज़ूरी दी।

- यह विकास भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 के अनुरूप है, जो संवर्द्धित निजी भागीदारी के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में देश के सामर्थ्य का विस्तार करने का प्रयास करती है।

अंतरिक्ष क्षेत्र के लिये FDI नीति में हालिया संशोधन क्या हैं?

- 100% FDI की अनुमति: संशोधित नीति के तहत, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है, जिसका उद्देश्य संभावित निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों में आकर्षित करना है।
- उदारीकृत प्रवेश मार्ग: विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिये प्रवेश मार्ग इस प्रकार हैं:
  - स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74% तक: उपग्रह-विनिर्माण और प्रचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद तथा ग्राउंड सेगमेंट तथा यूज़र सेगमेंट।
    - 74% के बाद ये गतिविधियाँ सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं।
  - स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% तक: प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणालियाँ या उपप्रणालियाँ, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने तथा रिसीव करने के लिये स्पेसपोर्ट का निर्माण।
    - 49% के बाद ये गतिविधियाँ सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं।
  - स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक: उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और यूज़र सेगमेंट के लिये घटकों (पार्ट-पुर्ज़ों) तथा प्रणालियों/उप-प्रणालियों का विनिर्माण।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख विकास क्या हैं?

- **परिचय:**
  - वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 2-3% (यूएस: 40%, यूके: 7%) है और साथ ही यह भी आशा है कि वर्ष 2030 तक इसकी हिस्सेदारी 10% से अधिक हो जाएगी।
    - इसरो, विश्व की छह सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है।
- **हाल के प्रमुख सफल मिशन:**
  - आदित्य एल1
  - चंद्रयान 3
  - मंगल ऑर्बिटर मिशन (मंगलयान)
- **प्रक्षेपण यानों में प्रगति:**
  - जीएसएलवी मार्क III
  - लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)
  - पीएसएलवी
- **अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिये मिशन:**
  - TeLEOS-2 (2023): सिंगापुर का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह
  - PSLV-C51 (2021): ब्राज़ील के अमेजोनिया-1 उपग्रह तथा 18 छोटे उपग्रहों को लॉन्च किया।
- **अन्य प्रमुख विकास:**
  - नाविक
  - भुवन
  - बढ़ती अंतरिक्ष स्टार्ट-अप की संख्या (वर्ष 2023 में 189)

भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- इसरो की भूमिका में परिवर्तन: इसरो परिचालन अंतरिक्ष प्रणालियों के निर्माण से बाहर निकलकर उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- **निजी सहभागिता प्रोत्साहन:**
  - गैर-सरकारी संस्थाओं (NGE) को स्व-स्वामित्व वाली, खरीदी गई अथवा पट्टे पर ली गई उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति है।
  - NGE को लॉन्च वाहनों, शटल सहित अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों का निर्माण एवं संचालन करने के साथ-साथ अंतरिक्ष परिवहन के लिये पुनर्प्रयोज्य, पुनर्प्राप्ति योग्य तथा पुनर्विन्यास करने योग्य प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया गया।
  - NGE को क्षुद्रग्रह संसाधनों अथवा अंतरिक्ष संसाधनों की व्यावसायिक पुनर्प्राप्ति में संलग्न होने की अनुमति दी गई।
    - लागू कानूनों के अनुसार प्राप्त संसाधनों के साथ-साथ स्वामित्व रखने, परिवहन एवं उपयोग करने तथा विक्रय करने का हकदार है।
- उद्योग सहयोग तथा व्यावसायीकरण: भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को स्वायत्त रूप से अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, मार्गदर्शन करने तथा अधिकृत करने का अधिकार प्राप्त है।
  - न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड विभिन्न कार्य करता है जिनमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्मों का व्यावसायीकरण, अंतरिक्ष घटकों का निर्माण करना, उनकी लीज़िंग अथवा खरीद करना तथा अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं का विपणन शामिल है।

प्रयोगशाला में निर्मित हीरे

चर्चा में क्यों ?

प्रयोगशाला में निर्मित हीरे, जिन्हें सिंथेटिक हीरे के रूप में भी जाना जाता है, पारंपरिक हीरा बाज़ार के लिये एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में उभरे हैं।

- ये रत्न उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, जिनमें गहन पृथ्वी में हीरे बनाने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल किया जाता है।

प्रयोगशाला में निर्मित हीरे क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरों के विपरीत, LGD का निर्माण प्रयोगशालाओं में किया जाता है। हालाँकि दोनों की रासायनिक संरचना और अन्य भौतिक व प्रकाशिक/ऑप्टिकल गुण समान होते हैं।
  - प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं; इनका निर्माण तब होता है जब पृथ्वी के भीतर दबे कार्बन भंडार अत्यधिक उष्मा/ताप और दाब के संपर्क में आते हैं।

Growth Process	Typical Growth Morphology
Natural	Shape: Octahedron Growth: 8 directions
High Pressure, High Temperature (HPHT)	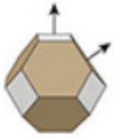 Shape: Cuboctohedron Growth: 14 directions
Chemical Vapor Deposition (CVD)	Shape: Cube Growth: 1 direction

भारत में प्रयोगशाला में निर्मित हीरों का परिदृश्य क्या है ?

- सूरत: हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का केंद्र
  - वैश्विक हीरा व्यापार में सूरत एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व के लगभग 90% हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में की जाती है।
- भारत से प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के निर्यात में वृद्धि
  - वर्ष 2019 और वर्ष 2022 के दौरान भारत के प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के निर्यात मूल्य में तीन गुना वृद्धि हुई।
  - अप्रैल और अक्तूबर 2023 के बीच निर्यात मात्रा में 25% की वृद्धि हुई जो एक वर्ष पूर्व के समान अवधि में 15% थी।
  - प्रयोगशाला में निर्मित हीरों की उचित कीमत और नैतिक अपील के कारण विश्व स्तर पर इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।
    - प्रयोगशाला में निर्मित हीरों "रक्त-मुक्त हीरे" (Blood-Free Diamonds) कहा जाता है क्योंकि वे हिंसा और मानवाधिकारों के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं।
- **बाज़ार हिस्सेदारी और उद्योग प्रभाव:**
  - वैश्विक बाज़ार में प्रयोगशाला में निर्मित हीरों की हिस्सेदारी वर्ष 2018 में 3.5% थी जो वर्ष 2023 में बढ़कर 18.5% हो गई।
    - उद्योग विश्लेषकों के अनुसार वर्ष 2024-25 में इसकी हिस्सेदारी 20% से अधिक होने की संभावना है।
  - इस वृद्धि से भूराजनीतिक चुनौतियों तथा प्राकृतिक हीरों की घटती मांग से जूझ रहे उद्योग को और प्रभावित किया है।

नोट: प्रमुख हीरा उत्पादक देशों में रूस, बोत्सवाना, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य शामिल हैं।

- रूस विश्व में कच्चे हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसने वर्ष 2022 में लगभग 42 मिलियन कैरेट का खनन किया।

किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (KPCS) क्या है ?

- **परिचय:**
  - किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (KPCS) वर्ष 2003 में स्थापित एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य मुख्यधारा के कच्चे हीरे के बाज़ार में विवादित हीरों के व्यापार को घुसपैठ करने से रोकना है।
  - KPCS यह सुनिश्चित करता है कि वैध आपूर्ति श्रृंखला में कच्चे हीरे किम्बर्ली प्रोसेस (KP) के अनुरूप हैं।
  - इसे KP भागीदार देशों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लागू किया जाता है।
  - KPCS के माध्यम से, राज्य कच्चे हीरों के शिपमेंट पर सुरक्षा उपाय लागू करते हैं और उन्हें "संघर्ष-मुक्त" के रूप में प्रामाणित करते हैं।

- KPCS की स्थापना फाउलर रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 55/56 द्वारा की गई थी।

KPCS के बारे में मुख्य तथ्य:

- KP में दुनिया भर के 85 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 59 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
- KP पर्यवेक्षकों में हीरा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ल्ड डायमंड काउंसिल भी शामिल है।
- वर्ष 2003 से भारत KPCS प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और KP के लगभग सभी कार्य समूहों (कारीगर और जलोढ़ उत्पादन (WGAAP) पर कार्य समूह को छोड़कर) का सदस्य है।
  - वाणिज्य विभाग नोडल विभाग है, और
  - रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (Gem & Jewellery Export Promotion Council- GJEPC) को भारत में KPCS आयात और निर्यात प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।
    - GJEPC, किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिये ज़िम्मेदार है और देश में प्राप्त KP सर्टिफिकेशन का संरक्षक भी है।

भारत की परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश

चर्चा में क्यों?

भारत निजी कंपनियों को लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने हेतु आमंत्रित करके अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिये तैयार है, जो इसकी ऊर्जा नीति में एक महत्त्वपूर्ण विस्थापन का प्रतीक है।

- इस कदम का उद्देश्य गैर-कार्बन उत्सर्जक स्रोतों से विद्युत् ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के भारत के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है।

निवेश योजना किस प्रकार क्रियान्वित होगी?

- निजी कंपनियाँ परमाणु संयंत्रों में निवेश करने, भूमि एवं जल का अधिग्रहण करने और निर्माण गतिविधियों के लिये ज़िम्मेदार होंगी।
- हालाँकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार, परमाणु स्टेशनों के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के साथ-साथ ईंधन प्रबंधन का अधिकार राज्य संचालित न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के पास होगा।
- निजी कंपनियों को विद्युत ऊर्जा के विक्रय से राजस्व उत्पन्न करने की उम्मीद है, जबकि NPCIL शुल्क के लिये परियोजनाओं का संचालन करेगा।

नोट:

- भारत की समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर रोक लगाती है।
  - इसके विपरीत, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अन्य संबंधित सुविधाओं के लिये परमाणु उपकरण तथा पार्ट-पुर्जों के निर्माण के लिये उद्योग में FDI पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- 'परमाणु ऊर्जा' का विषय भारत के परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 द्वारा शासित है और भारत सरकार परमाणु सुविधाओं के विकास, संचालन एवं प्रतिबंध/सेवामुक्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- हाल ही में नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) पैनल ने भारत सरकार से भारत के परमाणु क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति देने की अनुशंसा की।

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

मौजूदा ऊर्जा परिदृश्य:

- वर्तमान में भारत की कुल संस्थापित ऊर्जा क्षमता 428 गीगावॉट है जिसमें वर्ष 2030 तक 810 गीगावॉट के साथ दोगुना वृद्धि होने की उम्मीद है।
  - भारत के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 3% है।

वर्तमान परमाणु ऊर्जा परिदृश्य:

- भारत 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन करता है जिनकी कुल क्षमता 6.8 गीगावॉट है जिसका देश के ऊर्जा मिश्रण में लगभग 3% का योगदान है।
- अतिरिक्त 11 परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन हैं, जिनका लक्ष्य कुल क्षमता में 8,700 मेगावाट की वृद्धि करना है।
  - इसमें रूसी तकनीक पर आधारित एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) और चार दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर शामिल हैं।
- सरकार ने वर्ष 2031 तक महत्त्वपूर्ण क्षमता विस्तार के लक्ष्य के साथ दस स्वदेशी दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR) को भी मंज़ूरी दी जिनकी क्षमता 700 मेगावाट है।

➲ **प्रमुख संगठन और विनियामक ढाँचा:**

- प्रमुख संगठन:
  - परमाणु ऊर्जा विभाग, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (NPCIL) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड प्रमुख संगठन हैं जो भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    - ये तीनों केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं।
    - सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR), DEA के स्वामित्व वाले PFBR वेरिएंट के आतिरिक्त) का सवामित्व NPCIL के पास और साथ ही यह इन सभी का संचालक भी है। यह भारत में सभी परमाणु व्यवसाय के लिये प्राथमिक संपर्क के रूप में भूमिका निभाता है।
    - NTPC कोयले से विद्युत का उत्पादन करने वाला प्रमुख उत्पादक है और इसकी क्षमता 70GW है तथा यह पुराने कोयला संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने हेतु परमाणु रिएक्टरों को अपनाने का आह्वान करता है।

- नियामक निरीक्षण:
  - परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड साइट चयन, निर्माण, संचालन और डीकमीशनिंग सहित परमाणु सुरक्षा तथा नियामक प्रक्रियाओं की देखरेख करता है।
    - AERB का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु अनुप्रयोगों की देखरेख करने तक विस्तारित है।

परमाणु दायित्व और बीमा:

- भारत ने वर्ष 2016 में परमाणु क्षति के लिये पूरक क्षतिपूर्ति (CSC) पर अभिसमय की पुष्टि की जिससे विश्व में घटित होने वाली परमाणु दुर्घटनाओं के लिये क्षतिपूर्ति व्यवस्था की स्थापना हुई।
- परमाणुवीय नुकसान के लिये सिविल दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act- CLND), 2010 संचालकों के लिये देनदारियाँ निर्धारित करता है और संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये बीमा की अनिवार्यता करता है।
- भारतीय सामान्य बीमा निगम और अन्य बीमाकर्त्ताओं द्वारा समर्थित भारतीय परमाणु बीमा पूल (INIP), आपूर्तिकर्त्ताओं को देयता दावों से बचाने के लिये 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कवरेज प्रदान करता है।

स्थानीय फिनटेक अभिकर्त्ताओं को प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों ?

संसद में पेश की गई हालिया रिपोर्ट में, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में विदेशी स्वामित्व वाले फिनटेक (Fintech) ऐप्स के प्रभुत्व को लेकर चिंता व्यक्त की है।

- फिनटेक का आशय वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से है।

फिनटेक क्या है ?

परिचय:

- फिनटेक, एक वित्तीय प्रौद्योगिकी, भुगतान, उधार, बीमा, धन प्रबंधन तथा अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने अथवा उनको अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं का उपयोग है।

महत्त्व:

- फिनटेक, भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायता कर सकता है:
  - भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरदराज़ के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बैंक रहित तथा कम बैंकिंग सुविधा वाली आबादी तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच के साथ समावेशन का विस्तार करना है ।
  - पारंपरिक तरीकों में शामिल लागत, समय एवं घर्षण को कम करके वित्तीय लेन-देन की दक्षता तथा सुविधा को बढ़ाना।
  - उद्यमियों, स्टार्टअप एवं उपभोक्ताओं के लिये नए अवसर एवं बाज़ार सृजित करके भारतीय अर्थव्यवस्था के नवाचार एवं विकास को बढ़ावा देना।

भारत के फिनटेक उद्योग के भाग एवं कार्यप्रणाली:

- फिनटेक के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों में भुगतान, डिजिटल ऋण, इंश्योरटेक, वेल्थटेक शामिल हैं।
  - डिजिटल भुगतान, जो ऑनलाइन या मोबाइल प्लेटफॉर्म, जैसे कि QR, वॉलेट, कार्ड एवं QR कोड के माध्यम से धन अथवा मूल्य के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।
  - डिजिटल ऋण, जो वैकल्पिक डेटा स्रोतों एवं एल्गोरिदम का उपयोग करके ऑनलाइन अथवा मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्तियों अथवा व्यवसायों को ऋण प्रदान करता है।
  - इंश्योरटेक, जो बीमा उत्पादों के साथ-साथ सेवाओं के वितरण, एवं प्रबंधन में सुधार के लिये प्रौद्योगिकी लागू करता है।
  - वेल्थटेक, जो निवेश, धन प्रबंधन एवं वित्तीय सलाहकरी सेवाओं के लिये ऑनलाइन अथवा मोबाइल मंच प्रदान करता है।
- भारत, दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ते फिनटेक बाज़ारों में से एक है। यहाँ लगभग 7,000 से अधिक फिनटेक स्टार्ट-अप हैं।
- भारतीय फिनटेक उद्योग का बाज़ार आकार वर्ष 2021 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा और साथ ही वर्ष 2025 तक इसके लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

➲ **भारत में फिनटेक के लिये प्रमुख नियामक संस्थाएँ:**

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI):
  - RBI, बैंकों, NBFC, PSP तथा क्रेडिट ब्यूरो को विनियमित करता है।
  - भारत के मुद्रा बाज़ार तथा विदेशी मुद्रा बाज़ार को विनियमित करने के लिये ज़िम्मेदार है।
  - डिजिटल भुगतान जैसे फिनटेक क्षेत्रों की निगरानी करता है,
  - डिजिटल ऋण तथा डिजिटल अथवा नव-बैंक(नियोबैंक)।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):
  - प्रतिभूति बाज़ारों एवं स्टॉकब्रोकरों तथा निवेश सलाहकारों जैसे मध्यस्थों को विनियमित करता है।
  - प्रतिभूति, बाज़ारों और स्टॉकब्रोकरों तथा निवेश सलाहकारों जैसे मध्यस्थों को नियंत्रित करता है।
  - स्टॉकब्रोकिंग और निवेश सलाहकार जैसी सेवाएँ इसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI):
  - बीमाकर्त्ताओं, कॉर्पोरेट एजेंटों, बीमा के लिये वेब एग्रीगेटर्स और तीसरे पक्ष के एजेंटों को विनियमित करता है।
  - बीमा क्षेत्र में अनुपालन और अखंडता सुनिश्चित करता है।

भारत का औद्योगिक क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

महामारी के बाद तेज़ी से सुधार होने के बावजूद, भारत 'समयपूर्व वि-औद्योगीकरण' का अनुभव कर रहा है, जिससे असमानता बढ़ गई है क्योंकि तेज़ी से विकास का लाभ एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग को मिलता है, जिससे मौजूदा असमानताएँ बढ़ जाती हैं।

समयपूर्व वि-औद्योगीकरण क्या है?

➲ समयपूर्व वि-औद्योगीकरण एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि विकास की दिशा में समय से पहले धीमी होने लगती है।

- इस अवधारणा को वर्ष 2015 में तुर्की के अर्थशास्त्री दानी रोड्रिक (Dani Rodrik) द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था।

➲ अर्थशास्त्री आमतौर पर आर्थिक विकास को कृषि से विनिर्माण और फिर सेवाओं में संक्रमण के रूप में देखते हैं।

- हालाँकि कुछ अर्थव्यवस्थाएँ सेवा क्षेत्र में समय से पहले बदलाव का अनुभव कर सकती हैं, जिससे विनिर्माण विकास में बाधा आ सकती है।

भारत के औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

➲ श्रम-गहन औद्योगिकीकरण के लक्ष्य के साथ वर्ष 1991 में LPG सुधारों के बावजूद, यह प्रवृत्ति बनी रही।

- स्थिति: विशेष रूप से भारत की औद्योगीकरण की प्रगति अपर्याप्त रही है, वर्ष 2003-2008 (2003-08 के दौरान औद्योगिक विकास को 'ड्रीम रन' कहा जाता है) को छोड़कर, उत्पादन और रोज़गार में विनिर्माण का योगदान लगातार 20% से कम रहा है।

➲ **भारत में स्थिर औद्योगीकरण के लिये ज़िम्मेदार कारक:**

- अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास निवेश: यह भारतीय उद्योगों में नवाचार और तकनीकी प्रगति को सीमित करता है, जिससे वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा आती है।
- भ्रष्टाचार और लालफीताशाही: परमिट, लाइसेंस और मंज़ूरी प्राप्त करने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा नौकरशाही की अक्षमताएँ बाधाएँ पैदा करती हैं एवं व्यापार करने की लागत में वृद्धि करती हैं, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बाधित होता है।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का आशय नियामक ढाँचे के बाहर संचालित होने वाली आर्थव्यवस्था से है जिसमें अक्सर कर की चोरी की जाती है जिनसे प्रतिस्पर्द्धा के दौरान औपचारिक औद्योगिक उद्यमों को नुकसान होता है और उनकी विकास संभावनाओं पर असर पड़ता है।

- कौशल भिन्नता: कार्यबल का कौशल और जो कौशल उद्योग तलाशते हैं, दोनों में भिन्नता है जो औद्योगिक क्षेत्र में अल्परोज़गार तथा अक्षमताओं में योगदान करती हैं।
  - स्किल इंडिया रिपोर्ट के अनुसार केवल 5% भारतीय आबादी ही औपचारिक रूप से कुशल है जबकि यह आँकड़ा ब्रिटेन में 68% और जर्मनी में 75% है।

➲ आपूर्ति शृंखला की सुभेद्यता और लचीलापन: आयातित कच्चे माल पर निर्भरता वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भारतीय उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करती है जिसका समाधान करने के लिये घरेलू आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये रणनीतियाँ बनाने की आवश्यकता है।

➲ औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये दृष्टिकोण: भारत को संबद्ध क्षेत्र में विकास के लिये प्रगतिशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- विनिर्माण विकास को प्रोत्साहित करने के लिये उच्च कौशल सेवाओं, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (IT) को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
- यह उस पारंपरिक दृष्टिकोण का खंडन करता है जिसके अनुसार सेवाओं के विस्तार के लिये एक सुदृढ़ विनिर्माण आधार आवश्यक है।

लक्षद्वीप की संभावनाएँ

चर्चा में क्यों?

लक्षद्वीप की अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से निकटता इसे लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता प्रदान करती है, द्वीपसमूह का निकटतम पड़ोसी मंगलुरु ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों को ऊपर उठाने की योजना बना रहा है।

लक्षद्वीप के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

➲ **परिचय:**

- भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है जिसमें 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले 36 द्वीप हैं।
- केवल एक ज़िले वाले इस केंद्रशासित प्रदेश में दस बसे हुए द्वीप, तीन चट्टानें, पाँच जलमग्न तट एवं बारह एटोल हैं।
- सभी द्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित हैं।
- यह प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण किया जाता है।

➲ **द्वीपों के तीन मुख्य समूह हैं:**

- अमिनदीवी द्वीप समूह (सबसे उत्तरी द्वीप)
- लक्कादीव द्वीप समूह
- मिनिकॉय द्वीप (सबसे दक्षिणी द्वीप)
  - सभी कोरल मूल (एटोल) के छोटे द्वीप हैं तथा किनारे की चट्टानों से घिरे हुए हैं।
  - राजधानी कवारत्ती है और यह केंद्रशासित प्रदेश का प्रमुख शहर भी है।

➲ जैविक कृषि क्षेत्र: भारत की सहभागिता गारंटी प्रणाली (Participatory Guarantee System-PGS) के तहत पूरे लक्षद्वीप द्वीप समूह को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है।

➲ ब्लू फ्लैग प्रमाणन: लक्षद्वीप के दो नए समुद्र तटों- मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है।

EFTA के साथ व्यापार वार्ता में डेटा विशिष्टता

भारत ने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते के लिये यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (European Free Trade Association-EFTA) के साथ चल रही चर्चा में 'डेटा विशिष्टता' खंड को शामिल करने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।

व्यापार समझौते के तहत डेटा विशिष्टता क्या है?

- परिचय: डेटा विशिष्टता इस मसौदा समझौते के एक खंड से संबंधित है जो किसी दवा के परीक्षण और विकास के दौरान उत्पन्न नैदानिक परीक्षण डेटा पर न्यूनतम 6 वर्ष का प्रतिबंध (वाणिज्य पर कानूनी प्रतिबंध) लगाता है।
  - इस प्रकार दवाओं के जेनेरिक संस्करण का उत्पादन करने के इच्छुक निर्माताओं को या तो स्वयं ऐसा डेटा तैयार करने की आवश्यकता होगी, जो एक महँगा प्रस्ताव है या भारत में अपने संस्करण बेचने से पहले उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि तक प्रतीक्षा करना होगा।
- भारत के जेनेरिक दवा उद्योग पर प्रभाव: भारत का जेनेरिक दवा उद्योग विश्व स्तर पर महँगी दवाओं के किफायती विकल्प प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण रहा है।
  - हालाँकि डेटा विशिष्टता लागू करने से इस उद्योग के विकास और सस्ती दवाओं की पहुँच गंभीर रूप से बाधित हो सकती है।
- ऐतिहासिक संदर्भ और अस्वीकृति: भारत के साथ व्यापार वार्ता के दौरान यूरोपीय यूनियन (EU) और EFTA दोनों की ओर से वर्ष 2008 से डेटा विशिष्टता की मांग लगातार उठ रही है।
  - इसके बावजूद भारत ने लगातार इन अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन क्या है?

- परिचय: यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड (ये चारों यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं हैं) का अंतर-सरकारी संगठन है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा की गई थी।
  - इसका उद्देश्य अपने चार सदस्य देशों और विश्व भर में उनके व्यापारिक भागीदारों के लाभ के लिये मुक्त व्यापार तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

- भारत और EFTA: EFTA सदस्यों और भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार का कुल मूल्य वर्ष 2022 में 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा।
  - फार्मास्युटिकल उत्पाद (11.4%) तथा मशीनरी (17.5%) भारत के शीर्ष निर्यात थे, जबकि कार्बनिक रसायन (27.5%) EFTA आयात के बहुमत के लिये ज़िम्मेदार थे।

मुक्त व्यापार समझौता क्या है?

- परिचय: मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच उनके बीच आयात और निर्यात की बाधाओं को कम करने के लिये एक समझौता है।
  - इस समझौते के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार बहुत कम या बिना किसी सरकारी टैरिफ, कोटा या उनके विनिमय को बाधित करने वाले प्रतिबंधों के साथ क्रय-विक्रय किया जा सकता है।
  - यह व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है।
- ऐतिहासिक संदर्भ: इसे पहली बार वर्ष 1817 में अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक "ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन" में लोकप्रिय बनाया था।
  - उन्होंने तर्क दिया कि मुक्त व्यापार विविधता का विस्तार करता है और साथ ही किसी देश में उपलब्ध वस्तुओं की कीमतें कम करता है जबकि अपने घरेलू संसाधनों, ज्ञान तथा विशेष कौशल का बेहतर दोहन करता है।
- भारत का FTA: अब तक भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 13 मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसमें दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) पर समझौता भी शामिल है।

- भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA),
- भारत-जापान CEPA एवं भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA)।

भारत का अक्षय ऊर्जा विज़न: IREDA

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (IREDA) ने विश्व बैंक (WB) द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित किया जिसमें भारत के अक्षय ऊर्जा परिदृश्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया।

IREDA क्या है ?

- भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (IREDA) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार का एक मिनी रत्न प्रतिष्ठान है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1987 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये एक विशेष गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी।
- IREDA नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो वित्तीय संस्थानों/बैंकों को इस क्षेत्र में ऋण प्रदान करने का विश्वास दिलाता है।

द्विपक्षीय निवेश संधियाँ

चर्चा में क्यों ?

अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत करते हुए, भारतीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign direct investment- FDI) के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिये अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों (Bilateral Investment Treaty- BITs) पर बातचीत करेगा।

- विशेष रूप से वर्ष 2016 में BIT मॉडल को अपनाने के बाद से भारत की द्विपक्षीय संधियाँ समाप्त हो गई हैं।

द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (BITs) क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - BITs दो देशों के बीच एक-दूसरे के क्षेत्रों में विदेशी निजी निवेश को बढ़ावा देने एवं उसकी सुरक्षा करने के लिये पारस्परिक समझौते हैं।
  - 90 के दशक के मध्य से भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों एवं निवेशों को अनुकूल परिस्थितियों के साथ संधि-आधारित सुरक्षा प्रदान करने के लिये BIT की शुरुआत की।
- **न्यूनतम गारंटी:**
  - BIT विदेशी निवेश व्यवहार के संबंध में दोनों देशों के बीच न्यूनतम गारंटी स्थापित करते हैं, जैसे,
    - राष्ट्रीय व्यवहार (विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू कंपनियों के समान व्यवहार करना)
    - निष्पक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार (अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार)
    - ज़ब्ती से सुरक्षा (प्रत्येक देश की अपने क्षेत्र में विदेशी निवेश प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करना)।
- **BITs के अंतर्गत मध्यस्थता:**
  - BITs सामान्य रूप से निवेशकों एवं निवेश करने वाले देश के बीच विवादों को निपटाने के लिये एक तंत्र प्रदान करते हैं।
  - ऐसे विवादों को निपटाने के लिये सर्वाधिक चुना जाने वाला तरीका मध्यस्थता है, जहाँ पक्ष न्यायालय में जाने के स्थान पर अपने विवाद का निर्णय किसी तटस्थ व्यक्ति (मध्यस्थ) द्वार कराये जाने पर सहमती व्यक्त करते हैं।
- **इतिहास:**
  - भारत द्वारा पहला BITs, वर्ष 1994 में UK के साथ हस्ताक्षरित किया गया था।
  - वर्ष 2010 में भारत के खिलाफ दायर पहली निवेशक संधि दावे के निपटान के साथ BITs संधि ने ध्यान आकर्षित किया।
  - वर्ष 2011 में भारत को ऑस्ट्रेलिया-भारत BITs (व्हाइट इंडस्ट्रीज़ बनाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया) से उत्पन्न विवाद में अपना पहला प्रतिकूल भुगतान करना पड़ा, जहाँ भारत सरकार को इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 4.1 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
  - वर्ष 2015 तक भारत को 17 ज्ञात BITs दावों का सामना करना पड़ा, जिसमें ब्रिटिश तेल और गैस कंपनी केयर्न एनर्जी Plc का दावा भी शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिला।

- सरकारी खजाने पर बढ़ रहे बोझ को देखते हुए, सरकार वर्ष 1993, BIT मॉडल पर फिर से विचार करने के लिये विवश हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016 मॉडल BIT को अपनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने संशोधित पाठ के आधार पर शर्तों पर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ वर्ष 2015 तक निष्पादित 74 संधियों में से 68 को समाप्त कर दिया।
    - वर्ष 2016, BIT मॉडल को अपनाने को विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये एक सूक्ष्म तथा कैलिब्रेटेड (अंशांकित) दृष्टिकोण के स्थान पर एक तत्काल संरक्षणवादी उपाय के रूप में देखा गया था।

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया प्रतिबंध लगाया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Ltd- PPBL) पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। यह कदम एक ऑडिट रिपोर्ट द्वारा बैंक के भीतर लगातार गैर-अनुपालन और पर्यवेक्षी चिंताओं को उजागर करने के बाद उठाया गया है।

PPBL पर कौन-से प्रमुख प्रतिबंध लगाए गए हैं ?

- पृष्ठभूमि: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A, RBI को बैंकों को निर्देश जारी करने और किसी भी बैंकिंग इकाई के संचालन को जमाकर्त्ताओं के हितों के संबंध में हानिकारक या बैंक के स्वयं के हित में प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोकने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करती है।
    - इस मामले से जुड़े सूत्र इस बात का संकेत देते हैं कि पेटीएम और उससे जुड़ी बैंकिंग इकाई के बीच आवश्यक रकम से जुड़े संदिग्ध लेनदेन पर चिंताओं ने RBI को इसके खिलाफ कार्रवाई के लिये प्रेरित किया।
        - कथित तौर पर PPBL में गैर-अनुपालन वाले कई खाते थे जिनमें उचित KYC सत्यापन का अभाव था, ऐसे हज़ारों उदाहरण थे जहाँ एक ही पैन नंबर का उपयोग कई खाते खोलने के लिये किया गया था।
    - इसके अतिरिक्त, न्यूनतम KYC प्रीपेड जैसे साधनों के ज़रिये नियामक सीमा से अधिक लेनदेन ने संभावित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का संकेत दिया।
- **प्रमुख प्रतिबंध:**
    - जमा पर रोक: PPBL को 29 फरवरी, 2024 से अपने खातों या वॉलेट में आगे जमा, टॉप-अप या क्रेडिट लेनदेन स्वीकार करने से रोक दिया गया है।
        - यह FASTag और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) कार्ड के लिये इसके प्रीपेड उपायों पर भी लागू होता है।
    - सेवा सीमाएँ: यह प्रतिबंध आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, तत्काल भुगतान सेवा, बिल भुगतान और UPI हस्तांतरण जैसी बैंकिंग सेवाओं तक विस्तारित है।
        - बैंक को 29 मार्च, 2024 तक सभी पाइपलाइन और नोडल खाता हस्तांतरण का निपटान करना होगा, उसके बाद कोई अन्य हस्तांतरण करने की अनुमति नहीं होगी।
    - नोडल खातों को बंद करना: PPBL को 29 फरवरी, 2024 से पहले अपनी मूल कंपनी और पेटीएम भुगतान सेवाओं के नोडल खातों को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।

नोट: नोडल खाते व्यवसायों द्वारा स्थापित विशेष बैंक खातों के रूप में कार्य करते हैं, जो वित्तीय मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं।

- इन खातों को उपभोक्ताओं की ओर से भाग लेने वाले बैंकों से एकत्र किये गए धन को रखने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य है बाद में इन निधियों को विशिष्ट व्यापारियों को हस्तांतरित करना।

पेमेंट बैंक क्या हैं ?

- **परिचय:**
    - पेमेंट बैंक वर्ष 2014 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किये गए एक विशेष प्रकार के बैंक हैं। इन्हें बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं वाली आबादी को बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये अभिकल्पित किया गया है।

- इन्हें छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिये वित्तीय सेवाओं की जाँच हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।
- उदाहरण: एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आदि।

➲ लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ: इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत लाइसेंस प्राप्त है।

- ये भारतीय रिज़र्व बैंक की विभेदित बैंक लाइसेंस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पूरी शृंखला की पेशकश करने से प्रतिबंधित हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक दो प्रकार के बैंकिंग लाइसेंस देता है: सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस और विभेदित बैंक लाइसेंस।

➲ **विशेषताएँ:**

- नकदी निधि आवश्यकताएँ: उन्हें आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) बनाए रखना आवश्यक होता है।
  - एक वर्ष तक की परिपक्वता के साथ सांविधिक चलनिधि अनुपात अर्हत G-प्रतिभूतियों/टी-बिलों में इसकी मांग निक्षेप शेष राशि का न्यूनतम 75% होता है।
  - आरक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी आवश्यकताओं को बनाए रखने के अलावा अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में चालू और सावधि/सावधि जमा अधिकतम 25% होना चाहिये।
- न्यूनतम चुकता पूंजी: न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपए तय की गई है।
  - प्रवर्तक का प्रदत्त इक्विटी पूंजी में न्यूनतम प्रारंभिक योगदान पहले 5 वर्षों के लिये कम से कम 40% होगा।
- निषिद्ध सेवाएँ: उन्हें ऋण देने या क्रेडिट कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित किया गया है।
  - इसलिये, उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नियमों से भी छूट दी गई है जो आम तौर पर पारंपरिक बैंकों पर लागू होते हैं।
- ग्रामीण अभिगम आवश्यकताएँ: पेमेंट्स बैंक के कम से कम 25% भौतिक अभिगम बिंदु ग्रामीण केंद्रों में होने चाहिये।

➲ **पेमेंट बैंकों द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ:**

- व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों से एक निश्चित सीमा तक (वर्तमान में प्रति खाता 2 लाख रुपए निर्धारित) जमा स्वीकार करना।
- प्रेषण सेवाएँ प्रदान करना और घरेलू धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना।
- ATM/डेबिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान उपाय और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधियाँ प्रस्तुत करना।
- ऑनलाइन निधि अंतरण और बिल भुगतान सहित इंटरनेट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना।

System	Access Deposit	Advance Loan	Make Payment
Commercial banks like SBI, PNB	YES	YES	YES
Payments network operators(Master card, VISA)	NO	NO	YES
Payments bank	YES	NO	YES

वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट: विश्व बैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व बैंक (World Bank- WB) ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट (Global Economic Prospects Report) जारी की है जिसके अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है जो 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाला अर्द्ध दशक सिद्ध हो सकता है।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं ?

- 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का सबसे धीमा अर्द्ध दशक:
- विगत वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन:
- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मध्यम अवधि प्रदर्शन में गिरावट:
- वैश्विक व्यापार तथा उधार ग्रहण करने की लागत में चुनौतियाँ:
- वैश्विक वृद्धि लगातार तीसरे वर्ष धीमी रहने का अनुमान है जिसके अनुसार वर्ष 2023 में 2.6% की तुलना में वर्ष 2024 में यह घटकर 2.4% हो जाएगी।

विश्व बैंक क्या है ?

- **परिचय:**
  - इसे वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया।
  - विश्व बैंक समूह पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये कार्य कर रहा है।
  - विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है।
- **सदस्य:**
  - विशव के 189 देश इसके सदस्य हैं।
  - भारत भी इसका सदस्य है।
- **प्रमुख रिपोर्ट:**
  - मानव पूंजी सूचकांक
  - वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट
- **पाँच विकास संस्थान:**
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD)
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
  - बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (MIGA)
  - निवेश विवादों के निपटान के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)
    - भारत ICSID का सदस्य नहीं है।

विश्व रोज़गार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने विश्व रोज़गार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2024 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि वैश्विक बेरोज़गारी दर वर्ष 2024 में बढ़ने वाली है और बढ़ती असमानताएँ एवं स्थिर उत्पादकता चिंता का कारण हैं।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **बिगड़ती आर्थिक स्थितियों के बीच लचीलापन:**
- वैश्विक बेरोज़गारी रुझान:
  - वर्ष 2023 में वैश्विक बेरोज़गारी दर 5.1% थी, जो वर्ष 2022 की तुलना में मामूली सुधार है।
- **असमान पुनर्प्राप्ति:**
  - महामारी से उबरना असमान है, नई कमज़ोरियों और कई संकटों के कारण व्यापक सामाजिक न्याय की संभावनाएँ कम हो रही हैं।
- **आय असमानता में वृद्धि:**
  - आय असमानता में वृद्धि हुई है तथा अधिकांश G20 देशों में प्रयोज्य आय में गिरावट आई है।
- कामकाज़ी गरीबी की स्थिति: कामकाज़ी गरीबी एक चुनौती के रूप में बनी रहने की संभावना है।
- **अनौपचारिक कार्य दरों की स्थिति:**
  - अनौपचारिक कार्य की दरों में स्थिरता रहने की उम्मीद है जो वर्ष 2024 में वैश्विक कार्यबल का लगभग 58% है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है ?

- **परिचय:**
  - इसे वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली वर्साय की संधि के हिस्से के रूप में बनाया गया था, इस

विश्वास को प्रतिबिंबित करने के लिये कि सार्वभौमिक तथा स्थायी शांति केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो।

- यह वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई।

◆ यह एक त्रिपक्षीय संगठन है, जो अपनी तरह का एकमात्र संगठन है जो अपने कार्यकारी निकायों में सरकारों, नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है।

➲ **सदस्य:**

◆ कुल 187 सदस्य देशों के साथ भारत ILO का संस्थापक सदस्य है।

◆ 2020 में भारत ने ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की।

➲ **मुख्यालय:**

◆ जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

➲ **पुरस्कार:**

◆ वर्ष1969 में, ILO को राष्ट्रों के बीच भाईचारा और शांति में सुधार करने, श्रमिकों के लिये सभ्य कार्य और न्याय प्रदान करने के साथ-साथ अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

GST संबंधी चुनौतियों का समाधान

चर्चा में क्यों?

हालिया वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) राजस्व डेटा एक चिंताजनक परिदृश्य उजागर करता है जिसके अनुसार भारतीय राज्यों में उपभोग वृद्धि एक समान नहीं है जिससे राष्ट्रीय आर्थिक सुधार में संभावित असंगति का पता चलता है।

हाल के GST से संबंधित आँकड़ों के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

➲ कुल GST संग्रह: वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के प्रथम नौ महीनों में इसमें 11.7% की वृद्धि दर्ज की गई।

◆ केंद्रीय GST की तुलना में राज्य GST संग्रह उच्च दर (15.2%) से बढ़ा जो राज्यों में मौजूद विविध उपभोग/खपत स्वरूप का सुझाव देता है।

➲ राज्यों के बीच असमानताएँ: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में राज्य GST राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि (17% से 18.8%) दर्ज की गई जबकि गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में एकल-अंकीय वृद्धि हुई।

➲ सबसे कम निजी उपभोग विस्तार: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) का अनुमान है कि वर्तमान वर्ष के लिये निजी अंतिम उपभोग व्यय (Private Final Consumption Expenditure- PFCE) की वृद्धि केवल 4.4% होगी जो वर्ष 2002-03 (महामारी के समय के अतिरिक्त) के बाद से सबसे धीमी है।

◆ PFCE को निवासी परिवारों और परिवारों की सेवा करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों (Non-Profit Institutions Serving Households- NPISH) द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतिम खपत पर किये गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है, इसमें आर्थिक क्षेत्र के भीतर अथवा बाह्य व्यय दोनों शामिल हैं।

वस्तु एवं सेवा कर क्या है?

➲ परिचय: GST एक मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।

◆ यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई, 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से 'एक राष्ट्र एक कर' के नारे के साथ भारत में लागू किया गया था।

➲ कर स्लैब: नियमित करदाताओं के लिये प्राथमिक GST स्लैब वर्तमान में 0% (शून्य-रेटेड), 5%, 12%, 18% और 28% हैं।

◆ कुछ GST दरें हैं जिनका आमतौर पर कम उपयोग किया जाता है, जैसे– 3% और 0.25%।

➲ **GST के लाभ:**

◆ सरलीकृत कर व्यवस्था: GST ने कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे अनुपालन आसान हो गया और व्यवसायों के लिये कागज़ी कार्रवाई कम हो गई।

◆ पारदर्शिता में वृद्धि: ऑनलाइन GST पोर्टल कर प्रशासन को सरल बनाता है और प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

◆ कर का बोझ कम होना: व्यापक करों के समाप्त होने से कीमतें कम होने से उपभोक्ताओं को लाभ होता है।

◆ आर्थिक विकास को बढ़ावा: कर बाधाओं को दूर करके और दक्षता में सुधार करके, GST से उच्च आर्थिक विकास तथा रोज़गार सृजन में योगदान की उम्मीद है।

➲ GST परिषद: GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में GST के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिये ज़िम्मेदार है।

◆ संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार, GST परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ रिपोर्ट, 2024

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2024 के लिये विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट(World Economic Situation and Prospects report) नामक संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) की हालिया रिपोर्ट में वर्ष 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति में गिरावट का अनुमान लगाया गया है, लेकिन विशेष रूप से विकासशील देशों में खाद्य मुद्रास्फीति (food inflation) में एक साथ वृद्धि की चेतावनी दी गई है।

- इस घटना के निहितार्थ, जलवायु संबंधी चुनौतियों और भू-राजनीतिक तनावों के साथ मिलकर, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास के लिये खतरा पैदा करते हैं।

वर्ष 2024 के लिये विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **वैश्विक जीडीपी वृद्धि:**
  - रिपोर्ट में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (global gross domestic product - GDP) की वृद्धि में गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2023 में अनुमानित 2.7% से घटकर वर्ष 2024 में 2.4% हो जाएगी।
  - विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ, विशेष रूप से, महामारी से उत्पन्न नुकसान से उबरने के लिये संघर्ष कर रही हैं, जिनमें से कई को उच्च ऋण और निवेश की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि कई कम आय वाले और कमज़ोर राष्ट्र आगामी वर्षों में केवल मध्यम विकास का अनुभव करेंगे।
    - इसके कारण लगातार उच्च ब्याज दरें, बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष, कम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जलवायु संबंधी आपदाओं में वृद्धि हैं।
- **भारत का दृष्टिकोण:**
  - दक्षिण एशिया में वर्ष 2023 में अनुमानित 5.3% की वृद्धि हुई और 2024 में 5.2% की वृद्धि का अनुमान है, भारत में अधिक विस्तार से प्रेरित है, जो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
  - घरेलू मांग और विनिर्माण तथा सेवाओं में वृद्धि से समर्थित, वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.2% होने का अनुमान है।
- **मुद्रास्फीति:**
  - वैश्विक मुद्रास्फीति, जो पिछले दो वर्षों में एक प्रमुख चिंता का विषय रही है, कम होने के संकेत दिख रही है।
    - वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2022 में 8.1% से गिरकर 2023 में अनुमानित 5.7% हो गई और वर्ष 2024 में घटकर 3.9% होने का अनुमान है।
      - हेडलाइन मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति को मापती है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें जैसी वस्तुएँ शामिल होती हैं।
    - मुद्रास्फीति में गिरावट का कारण अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में जारी नरमी और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मौद्रिक सख्ती के कारण मांग में कमी है।
  - हालाँकि खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति गंभीर बनी हुई है, जिससे विशेष रूप से विकासशील देशों में खाद्य असुरक्षा और गरीबी बढ़ रही है।
    - अनुमान है कि वर्ष 2023 में 238 मिलियन लोगों ने तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया, जो वर्ष 2022 से 21.6 मिलियन की वृद्धि है।
      - कमज़ोर स्थानीय मुद्राएँ, जलवायु संबंधी झटके और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से स्थानीय कीमतों तक सीमित अंतरण खाद्य मुद्रास्फीति में इस निरंतर वृद्धि का कारण होंगे।
    - अल नीनो का पुनरुत्थान जलवायु पैटर्न को बाधित कर सकता है, जिससे अत्यधिक और अपर्याप्त वर्षा दोनों ही खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्त और ऋण:**
  - बढ़ता विदेशी ऋण और बढ़ी हुई ब्याज दरें विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ारों तक अभिगम में बाधा डालती हैं।
  - आधिकारिक विकास सहायता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट कम आय वाले देशों के लिये वित्तीय बाधाओं को बढ़ाती है।
  - ऋण स्थिरता एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जिससे बढ़ते वित्तीय बोझ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिये ऋण पुनर्गठन और राहत प्रयासों की आवश्यकता होती है।
- **बहुपक्षवाद और सतत् विकास:**
  - वर्ष 2024 की WESP रिपोर्ट, विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई, सतत् विकास वित्तपोषण और निम्न व मध्यम आय वाले देशों की ऋण स्थिरता चुनौतियों का समाधान करने जैसे क्षेत्रों में मज़बूत वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर देती है।

- यह रिपोर्ट जटिल वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से निपटने और संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने में बहुपक्षवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2016 में लागू हुई, जिसमें देनदार की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना और हितधारकों के हितों को संतुलित किया जाता है।

- हालाँकि, हाल के घटनाक्रमों ने इस संहिता की प्रभावशीलता और समाधान प्रक्रिया के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **परिचय:**
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 कंपनियों, व्यक्तियों एवं साझेदारियों के दिवालियेपन को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है।
    - दिवाला एक ऐसी स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति या संगठन की देनदारियाँ उसकी संपत्ति से अधिक हो जाती हैं और वह संस्था अपने दायित्वों या ऋणों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नकदी जुटाने में असमर्थ होती है क्योंकि उनका भुगतान बकाया हो जाता है।
    - दिवालियापन तब होता है जब किसी व्यक्ति या कंपनी को कानूनी तौर पर उनके देय और देय बिलों का भुगतान करने में असमर्थ घोषित कर दिया जाता है।
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में संशोधन करता है।
    - इस संशोधन का उद्देश्य कूट के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये एक कुशल वैकल्पिक दिवाला समाधान ढाँचा प्रदान करना है।
    - इसका लक्ष्य सभी हितधारकों के लिये त्वरित, लागत प्रभावी और परिणाम सुनिश्चित करना है।
- **IBC कार्यवाही:**
  - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI):
    - IBBI भारत में दिवाला कार्यवाही की देखरेख करने वाले नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
      - इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं।
    - IBBI के अध्यक्ष एवं तीन पूर्णकालिक सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा वे वित्त, कानून और दिवालियापन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं।
  - कार्यवाही का निर्णय:
    - राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) कंपनियों के लिये कार्यवाही का निर्णय करता है।
    - ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) व्यक्तियों के लिये कार्यवाही संभालता है।
      - समाधान प्रक्रिया की शुरुआत को मंज़ूरी देने, पेशेवरों की नियुक्ति करने और लेनदारों के अंतिम निर्णयों का समर्थन करने में अदालतें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - संहिता के तहत दिवाला समाधान की प्रक्रिया:
    - डिफॉल्ट पर देनदार या लेनदार द्वारा शुरू किया गया।
    - दिवाला पेशेवर प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं, लेनदारों को वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं और देनदार परिसंपत्ति प्रबंधन की देखरेख करते हैं।
    - 180 दिन की अवधि समाधान प्रक्रिया के दौरान देनदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाती है।
  - ऋणदाताओं की समिति (CoC):
    - दिवाला पेशेवरों द्वारा गठित, CoC में वित्तीय ऋणदाता शामिल हैं।
      - CoC बकाया ऋणों के भाग्य का निर्धारण करती है, ऋण पुनरुद्धार, पुनर्भुगतान अनुसूची में बदलाव या परिसंपत्ति परिसमापन पर निर्णय लेती है।
    - 180 दिनों के भीतर निर्णय न लेने पर देनदार की संपत्ति परिसमापन में चली जाती है।
  - परिसमापन प्रक्रिया:
    - देनदार की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय को निम्नलिखित क्रम में वितरित किया जाता है:
      - पहला दिवाला समाधान लागत, जिसमें दिवाला पेशेवर का पारिश्रमिक शामिल है, दूसरा सुरक्षित लेनदार, जिनके ऋण संपार्श्विक द्वारा समर्थित हैं और तीसरा श्रमिकों, अन्य कर्मचारियों का बकाया, अगला असुरक्षित लेनदार।

ऋण स्थिरता और विनिमय दर प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF) ने हाल ही में भारत पर अपनी वार्षिक अनुच्छेद IV परामर्श रिपोर्ट जारी की, जिसमें देश की ऋण स्थिरता और विनिमय दर प्रबंधन से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों का अवलोकन किया गया है।

भारत के आर्थिक आउटलुक से संबंधित IMF के अनुमान क्या हैं?

- ऋण स्थिरता: IMF ने भारत की दीर्घकालिक ऋण स्थिरता के बारे में चिंता व्यक्त की।
  - इसने अनुमान लगाया कि भारत का सामान्य सरकारी ऋण, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, संभावित रूप से वित्तीय वर्ष 2028 तक विशेष रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में सकल घरेलू उत्पाद के 100% तक बढ़ सकता है।
- ऋण प्रबंधन की चुनौतियाँ: रिपोर्ट में अधिक विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लचीलापन बढ़ाने के लिये वित्तपोषण की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया गया है।
  - भारतीय वित्त मंत्रालय ने IMF के ऋण अनुमानों का विरोध किया और उन्हें आसन्न वास्तविकता के बजाय सबसे खराब स्थिति के रूप में खारिज कर दिया।
- विनिमय दर गतिशीलता: IMF ने दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के लिये भारत की वास्तविक विनिमय दर व्यवस्था को "फ्लोटिंग" से "स्थिर व्यवस्था (stabilized arrangement)" में पुनर्वर्गीकृत किया।
  - यह पुनर्वर्गीकरण RBI के हस्तक्षेप के कारण रुपए के मूल्य में नियंत्रित उतार-चढ़ाव के बारे में निष्कर्ष शामिल हैं।
- स्थिर क्रेडिट रेटिंग: सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में सराहना पाने के बावजूद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग काफी समय से स्थिर बनी हुई है।
  - फिच रेटिंग्स और एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स जैसी एजेंसियों ने कमज़ोर राजकोषीय प्रदर्शन, बोझिल कर्ज़ और कम प्रति व्यक्ति आय के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए वर्ष 2006 से भारत की क्रेडिट रेटिंग को 'बीबीबी-स्थिर दृष्टिकोण के साथ' पर बनाए रखा है।

वैश्विक ऋण परिदृश्य क्या है ?

- बढ़ता वैश्विक ऋण: वैश्विक स्तर पर, सार्वजनिक ऋण में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2022 में 92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है, जो कि वर्ष 2000 के बाद से चार गुना से अधिक की वृद्धि है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को पार कर गया है।
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2022 में 3.3 अरब लोग ऐसे देशों में रहते हैं जो शिक्षा या स्वास्थ्य की तुलना में ब्याज भुगतान पर अधिक व्यय करते हैं।
  - विकासशील देशों की कुल हिस्सेदारी लगभग 30% है, जिनमें से लगभग 70% चीन, भारत और ब्राज़ील के लिये ज़िम्मेदार है, जो बड़े पैमाने पर महामारी, जीवन-यापन संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे विविध कारकों से प्रेरित है।
- विकसित और विकासशील देशों के बीच ऋण विषमता: अफ्रीका सहित विकासशील देश, विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक उधार लेने की लागत का सामना करते हैं।
  - उधार दरों में यह असमानता विकासशील देशों के लिये ऋण स्थिरता से समझौता करती है, जिससे सार्वजनिक राजस्व के सापेक्ष ब्याज खर्च में वृद्धि होती है।

भारत का वर्तमान ऋण परिदृश्य क्या है ?

- सरकार का वर्तमान ऋण स्तर: मार्च 2023 तक केंद्र सरकार का ऋण ₹155.6 ट्रिलियन था, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 57.1% था। इस बीच, राज्य सरकारों पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 28% ऋण था।
  - वित्त मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2022-23 में भारत का सार्वजनिक ऋण-से-GDP (debt-to-GDP) अनुपात 81% है। यह, FRBM लक्ष्य द्वारा निर्दिष्ट स्तरों से कहीं अधिक है।
    - FRBM अधिनियम में वर्ष 2018 के संशोधन ने केंद्र, राज्यों और उनके संयुक्त खातों के लिये क्रमशः 40%, 20% तथा 60% पर ऋण-GDP लक्ष्य निर्दिष्ट किये।
- **भारत के बढ़ते ऋण स्तर से संबंधित परस्पर जुड़े कारक:**
  - उच्च राजकोषीय घाटा: सरकार लगातार अपनी आय से अधिक व्यय करती है, जिसके कारण घाटे को उधार के माध्यम से पूरा किया जाता है। यह घाटा निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है:
    - उच्च व्यय प्रतिबद्धताएँ: सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, सब्सिडी और रक्षा व्यय सरकारी परिव्यय में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- धीमी राजस्व वृद्धि: कर सुधारों से राजस्व संग्रह में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, जिससे राजस्व-व्यय में अंतर उत्पन्न हो गया है।

- वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाएँ: रूस-यूक्रेन युद्ध और बढ़ती कमोडिटी कीमतों जैसी घटनाओं से आर्थिक व्यवधान एवं उच्च आयात लागत हो सकती है, जिससे सरकार को स्थिरता बनाए रखने के लिये उधार लेने हेतु मजबूर होना पड़ सकता है।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और कर रिसाव: भारत की बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कुशल कर संग्रह के लिये चुनौतियाँ पेश करती है।
  - कृषि और छोटे व्यवसायों जैसे क्षेत्रों में कर चोरी तथा औपचारिकता की कमी राजस्व सृजन को सीमित करती है, जिससे संभावित रूप से सरकार को ऋण वित्तपोषण पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- गारंटी और आकस्मिकताएँ: सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लिये गए ऋण या आकस्मिक देनदारियों हेतु सरकार की गारंटी, जैसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी से संभावित नुकसान, अप्रत्यक्ष रूप से ऋण में काफी वृद्धि करते हैं।
- विनिमय दर में उतार-चढ़ाव: विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव विदेशी मुद्रा-मूल्य वाले ऋण की सेवा की लागत को प्रभावित करते हैं, जिससे संभावित रूप से समग्र ऋण बोझ बढ़ जाता है।

➲ भारत में ऋण प्रबंधन हेतु विधान:

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBM अधिनियम): FRBM अधिनियम एक भारतीय कानून है जो सरकार के राजकोषीय संचालन में वित्तीय अनुशासन लाने और देश के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिये बनाया गया है।
  - FRBM का लक्ष्य केंद्र और राज्यों के लिये विशिष्ट ऋण-GDP लक्ष्य निर्धारित करना है।
    - हालाँकि महामारी से उत्पन्न व्यवधान ने निर्दिष्ट सीमा को पार करते हुए ऋण-GDP अनुपात को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
  - इसके अलावा इसके अधिनियमन के कई वर्षों के बावजूद, भारत सरकार FRBM अधिनियम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये संघर्ष कर रही है।

अस्थाई विनिमय दर गतिशीलता को स्थिर व्यवस्था से क्या अलग करता है?

➲ अस्थायी विनिमय दर:

- बाज़ार-संचालित: मुद्रा का मूल्य न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ, विदेशी मुद्रा बाज़ार में पूरी तरह से आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है।
- उच्च अस्थिरता: आर्थिक समाचारों, घटनाओं या बाज़ार की धारणा के जवाब में विनिमय दर में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है।
- लचीलेपन में वृद्धि: व्यवसाय और व्यक्ति बाज़ार-निर्धारित विनिमय दरों के माध्यम से बदलती आर्थिक स्थितियों के साथ तालमेल बैठा सकते हैं।

➲ स्थिर व्यवस्था:

- विशुद्ध रूप से अस्थाई से अधिक प्रबंधित: अत्यधिक अस्थिरता को दूर करने या मुद्रा के लिये लक्ष्य सीमा बनाए रखने हेतु सरकार या केंद्रीय बैंक कभी-कभी विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप कर सकता है।
- मध्यम अस्थिरता: शुद्ध फ्लोट की तुलना में अधिक स्थिरता का लक्ष्य, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उतार-चढ़ाव स्वीकार करना।
- पूर्वानुमान की पेशकश: व्यवसाय और व्यक्ति अधिक स्थिर विनिमय दर वातावरण के साथ योजना बना सकते हैं।

➲ स्थिर व्यवस्था का IMF का वर्गीकरण:

- IMF एक विनिमय दर व्यवस्था को एक स्थिर व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करता है जब यह निर्धारित करता है कि विनिमय दर 6 महीनों में 2% बैंड से आगे नहीं बढ़ी है और यह स्थिरता बाज़ार की स्थितियों के बजाय बाज़ार के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप हुई है।

सतत् ऋण प्रबंधन के लिये भारत क्या उपाय कर सकता है?

➲ अल्पकालिक: राजकोषीय समेकन:

- लक्षित सुधार: सब्सिडी को सुव्यवस्थित करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार करना तथा प्रशासनिक अक्षमताओं को कम करना एवं FRBM अधिनियम के लक्ष्यों का सख्ती से अनुपालन करना ऋण चुकौती व लाभकारी निवेश के लिये संसाधनों की बचत कर सकता है।
- बेहतर कर दक्षता: कर प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा कर चोरी की रोकथाम से अत्यधिक उधार लिये बिना राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

- **दीर्घकालिक: विकासोन्मुख रणनीतियाँ:**
  - कौशल विकास और शिक्षा: शिक्षा तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश करने से उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि होती है जिससे उच्च आर्थिक विकास होता है तथा कराधान में सुधार होता है।
- निर्यात संवर्द्धन: निर्यात बाज़ारों में विविधता लाने, उच्च मूल्य वाले निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक चुनौतियों का समाधान करने से विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा मिल सकता है जिससे संभावित रूप से बाह्य ऋण की आवश्यकता कम हो सकती है।

अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

चर्चा में क्यों ?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका स्थित फर्म, हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित याचिकाओं की एक श्रृंखला पर अपना फैसला सुनाया।

- शीर्ष अदालत ने मामले को संभालने में SEBI के प्रति अपने विश्वास की पुष्टि करते हुए जाँच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अन्य निकायों में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।
- साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को यह निर्धारित करने के लिये अपने जाँच अधिकार का उपयोग करने का निर्देश दिया कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट की कम बिक्री वाली कार्रवाइयों ने कानूनों का उल्लंघन किया है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को नुकसान हुआ है।

शॉर्ट सेलिंग क्या है ?

- **परिचय:**
  - शॉर्ट सेलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक निवेशक किसी स्टॉक अथवा प्रतिभूति को उधार लेता है तथा उसका विक्रय खुले बाज़ार में करता है एवं भविष्य में कीमत में संभावित गिरावट का अनुमान लगाते हुए बाद में उसी परिसंपत्ति को कम कीमत पर पुनर्खरीद करने का लक्ष्य रखता है।
    - SEBI शॉर्ट सेलिंग को उस स्टॉक का विक्रय करने के रूप में परिभाषित करता है जिस पर व्यापार के समय विक्रेता का स्वामित्व नहीं होता है।

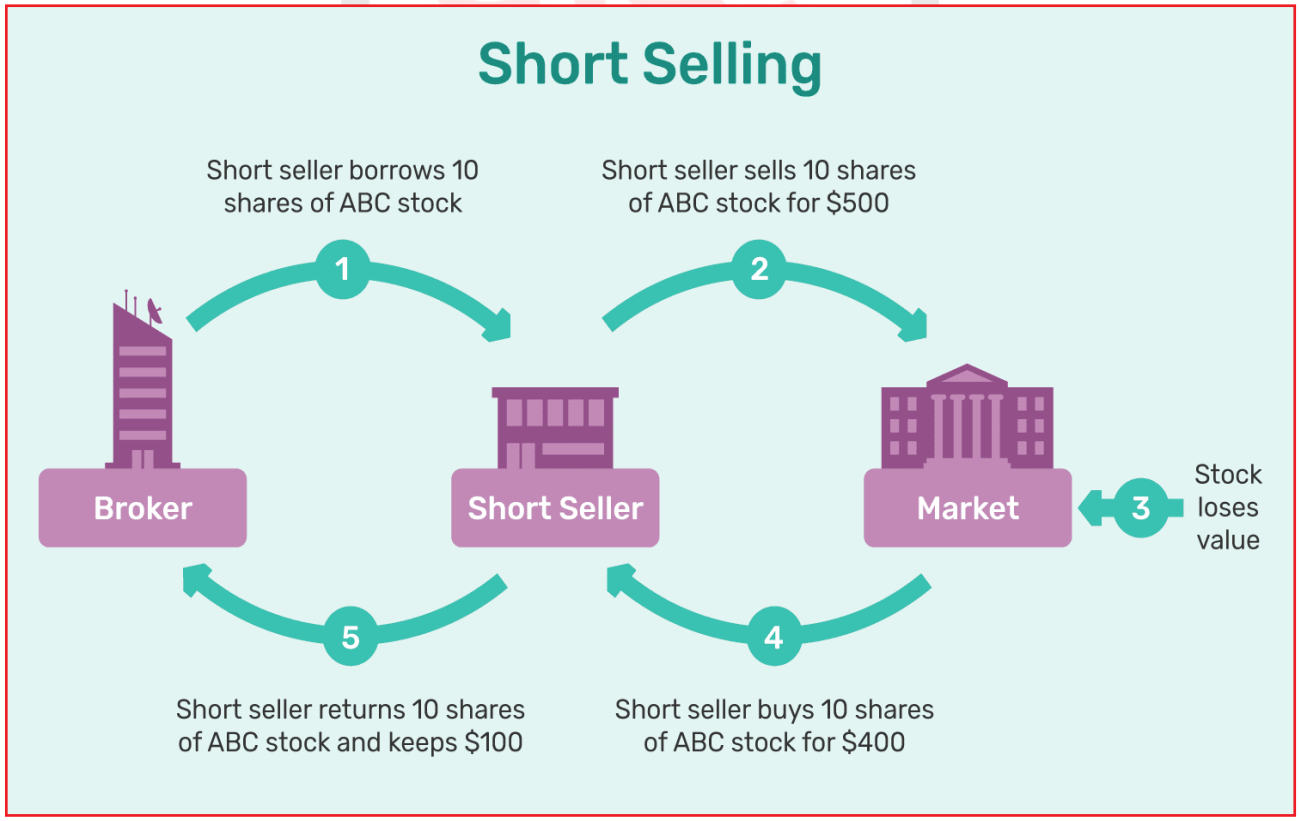

➲ **भारत में शॉर्ट-सेलिंग का विनियमन:**

- SEBI ने हाल ही में कहा है कि सभी श्रेणियों के निवेशकों को शॉर्ट-सेलिंग की अनुमति दी जाएगी हालाँकि नेकेड शॉर्ट-सेलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  - नतीजतन सभी निवेशकों को निपटान अवधि के दौरान प्रतिभूतियाँ वितरित करने के अपने कर्त्तव्य को पूरा करना आवश्यक है।
  - जब कोई निवेशक स्टॉक अथवा प्रतिभूतियों को उधार लेने की व्यवस्था किये बिना अथवा यह सुनिश्चित किये बिना बेचता है कि उन्हें उधार लिया जा सकता है तो इसे नेकेड शॉर्ट सेलिंग के रूप में जाना जाता है।
- खुदरा निवेशकों के पास दिन के समापन से पहले लेनदेन की शॉर्ट-सेल स्थिति का विवरण देने का विकल्प होता है जबकि संस्थागत निवेशकों को पहले से ही यह सूचित करना आवश्यक होता है कि लेनदेन शॉर्ट-सेल है अथवा नहीं।
- इसके अलावा, सेबी द्वारा पात्र शेयरों की आवधिक समीक्षा के अधीन, F&O (वायदा और विकल्प) खंड में कारोबार की जाने वाली प्रतिभूतियों के लिये शॉर्ट सेलिंग की अनुमति है।
  - वायदा और विकल्प (F&O) व्युत्पन्न उपकरण हैं। वायदा में असीमित जोखिम के साथ एक निर्धारित तिथि पर सहमत मूल्य पर संपत्ति खरीदने/बेचने का दायित्व शामिल होता है।
    - विकल्प एक निश्चित तिथि तक संपत्ति खरीदने/बेचने का अधिकार (लेकिन दायित्व नहीं) देते हैं, जिसमें प्रीमियम का अग्रिम भुगतान संभावित नुकसान को सीमित करता है।

भविष्य	विकल्प
एक खरीदार को डिलीवरी के समय स्टॉक खरीदना होगा चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो (भले ही वह कम हो रही हो)	स्टॉक में गिरावट होने पर खरीदार स्टॉक खरीदने का निर्णय छोड़ सकता है या बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता है।
विकल्पों की तुलना में अधिक मार्जिन भुगतान की आवश्यकता होती है।	वायदा की तुलना में कम मार्जिन का भुगतान होता है।
इसमें असीमित लाभ है और जोखिम भी अधिक है।	उक्त तिथि पर स्टॉक खरीदने या न खरीदने के फ्लेक्सीबिलिटी के कारण नुकसान की सीमित संभावना और असीमित लाभ होते हैं।
कमीशन के अलावा किसी अग्रिम लागत की आवश्यकता नहीं है।	भुगतान करने के लिये एक प्रीमियम आवश्यक है।
वायदा में अंतर्निहित स्थिति विकल्पों से कहीं अधिक होता है।	अंतर्निहित स्थिति वायदा से कम होती है।

लघु बचत योजनाओं में ब्याज दर समायोजन

हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना (SSAS) पर रिटर्न 8% से बढ़ाकर 8.2% और 3-वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉज़िट स्कीम (POTDS) पर रिटर्न 7% से बढ़ाकर 7.1% करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2024 की तिमाही, जबकि अन्य सभी लघु बचत योजनाओं के लिये ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना क्या है?

➲ **परिचय:**

- सुकन्या समृद्धि खाता योजना (SSAS) वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से एक बालिका के लिये एक छोटी जमा योजना है और इसे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है।
  - यह योजना किसी लड़की/बालिका की शिक्षा और विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिये सरकार की एक पहल है।

➲ **पात्रता:**

- ऐसी कोई भी बालिका जो खाता खोलने से लेकर इसकी परिपक्वता/क्लोज़र की अवधि तक भारतीय निवासी हो।
- यह खाता अभिभावकों में से किसी एक द्वारा उस बालिका के नाम पर खोला जा सकता है, जिसने खाता खोलने की तारीख तक 10 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो।
- इस योजना के तहत एक परिवार बालिकाओं के लिये अधिकतम दो खाते खोल सकता है। हालाँकि, अपवादों में

पहले या दूसरे क्रम में पैदा हुए जुड़वाँ या तीन बच्चों के लिये दो से अधिक खाते खोलने की अनुमति होती है, जो एक हलफनामे/शपथपत्र और जन्म प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित होते हैं।

- **लाभ:**
  - योजना के तहत न्यूनतम निवेश की राशि 250 रुपए तथा अधिकतम निवेश की राशि 1,50,000 रुपए प्रतिवर्ष है एवं मैच्योरिटी/परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है।
    - वर्तमान में SSAS में कई कर लाभ हैं और सभी लघु बचत योजनाओं में इसकी ब्याज दर सबसे अधिक है।

डाकघर सावधि जमा योजना क्या है?

- **परिचय:**
  - POTDS को राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना के रूप में भी जाना जाता है, यह एक सरकार समर्थित बचत विकल्प है जो व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिये राशि जमा करने और अपने निवेश पर पूर्व निर्धारित ब्याज दर अर्जित करने की अनुमति देता है। यह योजना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) द्वारा शुरू की गई है।
- **POTDS की विशेषताएँ:**
  - यह अलग-अलग परिपक्वता अवधि वाले चार प्रकार के खाते प्रदान करती है: 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष।
  - यह 100 रुपए के गुणकों में 1,000 रुपए से लेकर किसी भी राशि तक जमा करने की अनुमति देता है।
  - यह संयुक्त खाते, लघु खाते और नामांकन सुविधा की अनुमति देता है।
  - यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत 5-वर्षीय खाते के लिये आयकर लाभ प्रदान करता है।
    - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C, व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) द्वारा किये गए कुछ निवेशों एवं खर्चों के लिये सकल कुल आय से कटौती की अनुमति देती है।
    - इससे विशिष्ट तरीकों से बचत और निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके तहत कर योग्य देय कम होता है तथा करदाताओं को कर लाभ मिलता है।

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिये विस्तारित PLI योजना

हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries- MoHI) ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिये उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive- PLI) योजना की अवधि एक वर्ष बढ़ा दी है, यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होकर अगले पाँच वर्षों के लिये लागू है।

- यह निर्णय सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries- EGoS) की मंज़ूरी मिलने के बाद लिया गया है।
- इसके तहत पहले वर्ष की बिक्री वृद्धि सीमा को पूरा करने में विफल रहने वाली कंपनियों को उस वर्ष हेतु प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।
  - हालाँकि वे पहले वर्ष की सीमा से 10% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्राप्त करके भविष्य के लाभों के लिये पात्र बने रहते हैं।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजना क्या है?

- परिचय: PLI योजना भारत में एक सरकारी पहल है जो कंपनियों को भारत में निर्मित उत्पादों की बढ़ती बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
  - इस योजना का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण, रोज़गार सृज़न एवं निर्यात को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना और आयात निर्भरता को कम करना है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - क्षेत्र-विशिष्ट: यह योजना वर्तमान में 14 प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय है: मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएँ, विशिष्ट इस्पात, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, श्वेत वस्तुएँ (AC व LED), खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, सौर PV मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल (Advanced Chemistry Cell- ACC) बैटरी तथा ड्रोन व ड्रोन कंपोनेंट्स।
  - प्रोत्साहन दर: प्रोत्साहन दर क्षेत्र और उत्पाद श्रेणी के आधार पर भिन्न होती है, यह कुल वृद्धिशील विक्रय के 4% से 6% तक हो सकती है।

भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्थिति क्या है?

- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाज़ार है। सितंबर 2023 DPIIT रिपोर्ट के अनुसार, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुल FDI संचलन का हिस्सा 5.41% रहा।
- वर्ष 2022-2030 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार 49% की कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR से बढ़ने की उम्मीद है और EV उद्योग में वर्ष 2030 तक 5 मिलियन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियाँ उत्पन्न होंगी।
- **संबंधित सरकारी पहल:**
  - FAME योजना
  - ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016-26 (AMP 2026)

निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमाराशियों पर RBI के दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में वर्गीकरण तथा सक्रियण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से निष्क्रिय खातों (Inoperative Account) तथा अदावी/दावा न किये गए जमा (Unclaimed Deposits) के संबंध में दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

- संशोधित दिशा-निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों तथा सभी सहकारी बैंकों पर लागू होंगे तथा 1 अप्रैल 2024 से क्रियान्वित किये जाएँगे।

निष्क्रिय खाते और अदावी जमा क्या हैं?

- **निष्क्रिय खाता:**
  - दो वर्षों से अधिक समय तक कोई 'ग्राहक-प्रेरित लेन-देन' नहीं करने वाला खाता निष्क्रिय माना जाता है।
    - ग्राहक-प्रेरित विनिमय, बैंक अथवा तीसरे पक्ष द्वारा खाताधारक के अनुरोध पर शुरू किया गया अथवा पूर्व में किया गया वित्तीय लेन-देन, एक गैर-वित्तीय लेन-देन अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अथवा डिजिटल माध्यमों जैसे इंटरनेट बैंकिंग अथवा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन अपने ग्राहक को जानिये (Know Your Customer- KYC) के माध्यम से अपडेट हो सकता है।
  - निष्क्रिय बैंक खातों में लगभग ₹1-1.30 लाख करोड़ जमा होने का अनुमान है।
- **अदावी जमा:**
  - 10 वर्षों से निष्क्रिय बचत/चालू खातों में जमा राशि अथवा परिपक्वता के 10 वर्षों के बाद दावा नहीं किये गए मीयादी जमा (Term Deposit) को अदावी निक्षेप माना जाता है।
  - मार्च 2023 तक बैंकों में लगभग ₹42,270 करोड़ अदावी थे।

संशोधित RBI दिशा-निर्देश क्या हैं?

- **निष्क्रिय खातों के लिये वर्गीकरण मानदंड:**
  - वर्गीकरण के लिये केवल ग्राहक-प्रेरित विनिमय पर विचार किया जाता है, न कि बैंक-प्रेरित विनिमय पर।
    - स्थायी निर्देश या बिना किसी अन्य परिचालन के स्वत: नवीनीकरण जैसे अधिदेशों को भी ग्राहक-प्रेरित विनिमय माना जाता है।
    - बैंक-प्रेरित विनिमय में भुगतान शुल्क, शुल्क, ब्याज भुगतान, जुर्माना और कर शामिल हैं।
  - किसी खाते का निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकरण, ग्राहक के किसी विशेष खाते के संदर्भ में होगा न कि ग्राहक के।
- **निष्क्रिय वर्गीकरण से छूट:**
  - सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और छात्रों के लिये खोले गए खातों (शून्य बैलेंस के साथ) को कोर बैंकिंग समाधान में पृथक किया जाना चाहिये।
    - यह सुनिश्चित करता है कि दो वर्ष से अधिक समय तक खाते का संचालन न होने के कारण 'निष्क्रिय' लेबल लागू नहीं किया जाएगा।
- **पुनर्सक्रियन प्रक्रिया:**
  - निष्क्रिय खातों को पुन: सक्रिय करने के लिये KYC दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया गैर-घरेलू शाखाओं सहित सभी शाखाओं पर लागू होती है।
    - खाताधारक द्वारा अनुरोध किये जाने पर वीडियो-ग्राहक पहचान प्रक्रिया (Video based Customer Identification Process - V-CIP) का उपयोग पुन: सक्रियण के लिये भी किया जा सकता है।
    - निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिये किसी शुल्क की अनुमति नहीं है।

➲ **जमाकर्त्ता शिक्षा और जागरूकता कोष:**

- बैंकों में खोले गए किसी भी जमा खाते में क्रेडिट शेष, जो दस साल या उससे अधिक समय से संचालित नहीं है, को बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए जमाकर्त्ता शिक्षा और जागरूकता (Depositor Education and Awareness- DEA) कोष में स्थानांतरित करना आवश्यक है।

भारत का इस्पात क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

पिछले कुछ वर्षों में इस्पात क्षेत्र में ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है और भारत इस्पात उत्पादन में एक वैश्विक ताकत व चीन के बाद विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है।

भारत में इस्पात क्षेत्र की स्थिति क्या है ?

➲ **वर्तमान परिदृश्य:**

- वर्ष 2023 में भारत में इस्पात का कुल उत्पादन(कच्चा इस्पात) 125.32 मिलियन टन और संसाधित इस्पात (finished steel) का उत्पादन 121.29 मिलियन टन रहा है।

➲ **महत्त्व:**

- इस्पात विश्व में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में से एक है। लोहा और इस्पात उद्योग अन्य उत्पादक उद्योगों का आधार (bottom line producer) हैं।
  - इस्पात उद्योग निर्माण, बुनियादी ढाँचे, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और रक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में मुख्य भूमिका निभाता है।
- इस्पात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक प्रमुख क्षेत्र है (वित्तीय वर्ष 21-22 में यह देश की जी.डी.पी. का 2% हिस्सा था)।

➲ **उत्पादक राज्य:**

- भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादक राज्यों में ओडिशा अग्रणी है, इसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस्पात क्षेत्र के विकास के लिये सरकार की पहल क्या हैं ?

➲ **PLI योजना में विशेष इस्पात (स्पेशलिटी स्टील) को शामिल करना:**

- सरकार ने निवेश आकर्षित करने वाले विशेष इस्पात के विनिर्माण और क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिये 5 वर्ष की अवधि के लिये 6322 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंज़ूरी दी।

➲ **हरित इस्पात (ग्रीन स्टील) निर्माण:**

- इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइज़ेशन के विभिन्न स्तरों पर चर्चा, विचार-विमर्श और सिफारिश करने के लिये उद्योग, शिक्षा जगत, थिंक टैंक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निकायों, विभिन्न मंत्रालयों एवं अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ 13 टास्क फोर्स का गठन किया।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन एवं प्रयोग के लिये एक राष्ट्रीय हरित मिशन (National Green Mission) की घोषणा की है। इस मिशन में इस्पात क्षेत्र को भी हितधारक बनाया गया है।
- इस्पात क्षेत्र ने आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं हेतु विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों (Best Available Technologies- BAT) को अपनाया है।

➲ **PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ मंत्रालय की भागीदारी:**

- इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel) ने इस्पात उत्पादन सुविधाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिये 2000 से अधिक इस्पात इकाइयों के जियो-लोकेशन को अपलोड करते हुए, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में BISAG-N की क्षमताओं को एकीकृत किया है।
- यह जानकारी रेलवे लाइन विस्तार, अंतर्देशीय जलमार्ग, राजमार्ग, बंदरगाह और गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी की योजना बनाने में सहायता करेगी।

➲ **स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति:**

- स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति (Steel Scrap Recycling Policy- SSRP) को वर्ष 2019 में अधिसूचित किया गया है जो जर्जर हो चुके वाहनों (End of Life Vehicles- ELV) सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न लौह स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग के लिये देश में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने एवं बढ़ावा देने के लिये एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

➲ **राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017:**

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 तैयार की, जो वर्ष 2030-31 तक मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर भारतीय इस्पात उद्योग हेतु दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये व्यापक रोडमैप प्रदान करती है।

- गति-शक्ति मास्टर प्लान, विनिर्माण क्षेत्र के लिये 'मेक-इन-इंडिया' पहल और सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढाँचे के विकास पर सरकार का ज़ोर देश में स्टील की मांग एवं खपत को बढ़ावा देगा।

➲ **इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश:**

- इस्पात मंत्रालय ने इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पेश किया है, जिससे उद्योग, उपयोगकर्त्ताओं और जनता के लिये गुणवत्ता वाले इस्पात की बड़े पैमाने पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये उत्पादित एवं आयात दोनों प्रकार के इस्स्पात से निम्नस्तरीय/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि उपयोगकर्त्ताओं को प्रासंगिक BIS मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाला स्टील/इस्पात ही उपलब्ध कराया जाए।

भारत में मुद्रास्फीति: मांग बनाम आपूर्ति

चर्चा में क्यों ?

भारत की हालिया मुद्रास्फीति दर चिंता का एक विषय है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की हालिया अवलोकन से आपूर्ति और मांग दोनों कारकों से प्रभावित होने वाली बाज़ार की बदलती प्रवृत्ति के संकेत मिलते हैं।

➲ जनवरी 2019 से मई 2023 तक की पूरी अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) हेडलाइन मुद्रास्फीति का लगभग 55%, आपूर्ति-पक्ष से संबंधित कारकों के लिये ज़िम्मेदार है जबकि मुद्रास्फीति में मांग चालकों का योगदान 31% था।

हाल के वर्षों में भारत में मुद्रास्फीति का क्या कारण है ?

➲ कोविड-19 की दोनों लहरों के दौरा आपूर्ति में व्यवधान मुद्रास्फीति का मुख्य कारण था।

- महामारी की शुरुआत, लॉकडाउन के कारण उत्पादन और मांग में कमी से आर्थिक विकास में भारी गिरावट आई।
- इस चरण में कम मांग के कारण कमोडिटी की कीमतों में भी कमी देखी गई।
- टीकों के वितरण और नियंत्रित मांग जारी होने के साथ अर्थव्यवस्था में पुन: सुधार हुआ, आपूर्ति की तुलना में मांग में तेज़ी से वृद्धि हुई। इस असंतुलन के परिणामस्वरूप कमोडिटी/वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ गया।

➲ वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत ने आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों को और बढ़ा दिया तथा कमोडिटी की कीमतों पर दबाव डाला।

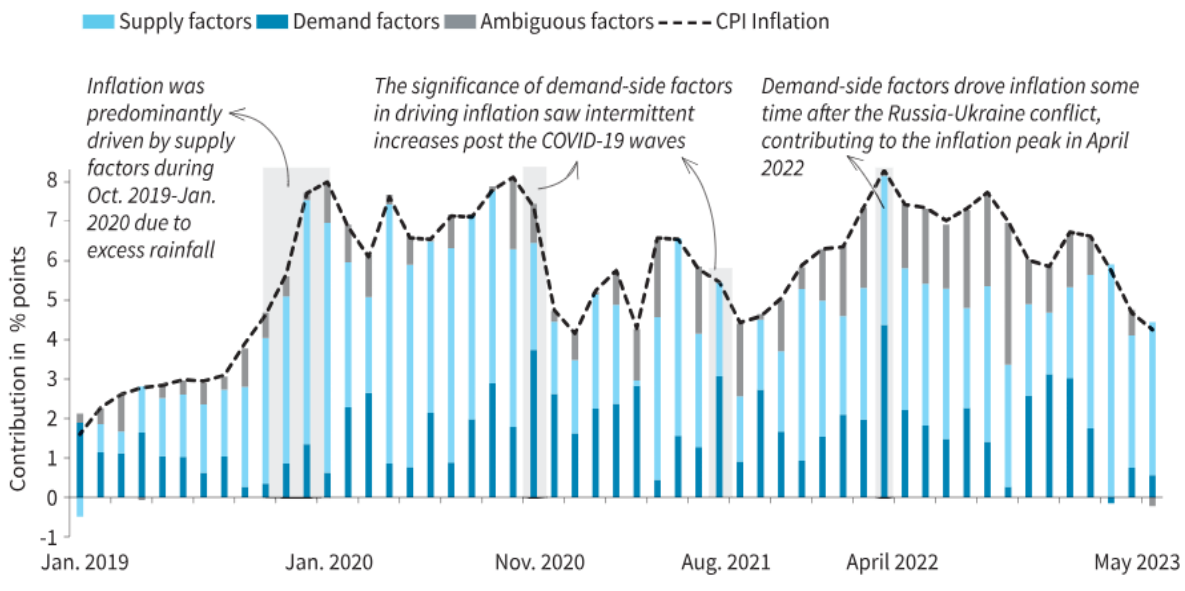

मुद्रास्फीति के कारणों का आकलन करने की पद्धति क्या है?

- एक महीने के भीतर कीमतों और वस्तु की मात्रा (prices and quantities) में अप्रत्याशित बदलाव यह निर्धारित करते हैं कि मुद्रास्फीति मांगजनित (जब कीमतें और मात्राएँ समानुपाती होती हैं) या आपूर्तिजनित (जब कीमतें और मात्राएँ व्युत्क्रमानुपाती होती हैं) है।
  - मांग (demand) में वृद्धि से कीमतों और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है जबकि मांग में कमी से दोनों में कमी आती है।
  - यदि कीमतों और मात्राओं में अप्रत्याशित परिवर्तन होता है जो एक-दूसरे के विपरीत बढ़ते हैं, तो मुद्रास्फीति को आपूर्ति-प्रेरित माना जाता है। आपूर्ति में कमी कम मात्रा लेकिन कीमत में वृद्धि से संबंधित है।
- समग्र हेडलाइन मुद्रास्फीति (overall headline inflation) का आकलन करने के लिये उप-समूह स्तर पर मांग और आपूर्ति कारकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer price index- CPI) का उपयोग करके जोड़ा गया था।
- हेडलाइन मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रास्फीति की माप है, जिसमें खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतें इत्यादि शामिल हैं, जो अधिक अस्थिर(volatile) होती हैं और इनसे मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावना होती है।
  - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI), जो यह निर्धारित करता है कि वस्तुओं की एक निश्चित टोकरी (basket of goods) खरीदने की लागत की गणना करके पूरी अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रास्फीति हुई है, इसका उपयोग हेडलाइन मुद्रास्फीति के आँकड़े ज्ञात करने के लिये किया जाता है।

मुद्रास्फीति क्या है?

- **परिचय:**
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) द्वारा परिभाषित मुद्रास्फीति, एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है, जिसमें समग्र मूल्य वृद्धि या विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की व्यापक माप शामिल है।
  - यह जीवन यापन की बढ़ती लागत को दर्शाता है और इंगित करता है कि एक निर्दिष्ट अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में, वस्तुओं और/या सेवाओं की लागत का एक समुच्चय कितना महँगा हो गया है।
    - आर्थिक असमानताओं और बड़ी आबादी के कारण भारत में मुद्रास्फीति का प्रभाव विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- **मुद्रास्फीति के विभिन्न कारण:**
  - मांगजनित मुद्रास्फीति (Demand Pull Inflation):
    - मांगजनित मुद्रास्फीति (Demand Pull Inflation) तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग अधिक होती है, तो उपभोक्ता उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं के लिये अधिक भुगतान करने को तैयार होते हैं, जिससे कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है।
      - उच्च उपभोक्ता व्यय वाली एक उभरती अर्थव्यवस्था अतिरिक्त मांग उत्पन्न कर सकती है, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।
  - लागतजनित मुद्रास्फीति:
    - लागतजनित मुद्रास्फीति (Cost-Push inflation) वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पादन लागत में वृद्धि से प्रेरित होती है। यह बढ़ी हुई आय, कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत अथवा आपूर्ति शृंखला में व्यवधान जैसे कारकों के कारण हो सकता है।
  - अंतर्निहित अथवा वेतन-मूल्य मुद्रास्फीति:
    - इस प्रकार की मुद्रास्फीति को अमूमन मज़दूरी तथा कीमतों के बीच फीडबैक लूप के रूप में वर्णित किया जाता है। जब श्रमिक अधिक वेतन की मांग करते हैं तो व्यवसाय बढ़ी हुई श्रम लागत की पूर्ति करने के लिये कीमतें बढ़ा सकते हैं। यह श्रमिकों को अधिक वेतन की मांग करने के लिये प्रेरित करता है तथा यह चक्र जारी रहता है।
      - श्रमिक संघों द्वारा सामूहिक सौदेबाज़ी के परिणामस्वरूप उच्च मज़दूरी दर प्राप्त हो सकती है, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है तथा बाद में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।

मुद्रास्फीति और इससे संबंधित पद

मुद्रास्फीति

- वस्तुओं/सेवाओं की कीमतों में वृद्धि; क्रय शक्ति में तदनुसार गिरावट
  - रेंगती हुई मुद्रास्फीति (Creeping Inflation): हल्की/मध्यम मुद्रास्फीति जहाँ मूल्य स्तर, एक निश्चित अवधि में लगातार कम दर (एकल अंकीय मुद्रास्फीति दर) पर बढ़ता है।
  - कूदती हुई मुद्रास्फीति (Galloping Inflation): यह तब होती है जब निम्न मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं किया जाता है (मुद्रास्फीति दोहरे/तिहरे अंकों में - 20/100/200% वार्षिक)
  - अति मुद्रास्फीति (Hyperinflation): कीमतें सालाना मिलियन या यहाँ तक कि एक ट्रिलियन प्रतिशत तक बढ़ जाती हैं (1920 के दशक में जर्मनी में देखी गई)

कोर मुद्रास्फीति

- वस्तुओं/सेवाओं की कीमत में परिवर्तन लेकिन खाद्य/ऊर्जा क्षेत्रों को छोड़कर (कीमतों में अस्थिरता के कारण)

हेडलाइन मुद्रास्फीति

- टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन (खाद्य और ऊर्जा सहित)

कोर = हेडलाइन - खाद्य एवं ईंधन सामग्री

स्टैगफ्लेशन

- जब मुद्रास्फीति, बेरोज़गारी और आर्थिक स्थिरता/मंदी एक साथ होती है; इस प्रकार की मुद्रास्फीति का प्रबंधन करना सबसे कठिन होता है
  - 1970 के दशक (अमेरिका, ब्रिटेन) में विकसित देशों द्वारा इस स्थिति का सामना किया गया जब विश्व में तेल की कीमतें नाटकीय रूप से बढ़ीं

अपस्फीति

- मुद्रास्फीति का प्रतिलोम - वस्तुओं/सेवाओं की कीमत में निरंतर गिरावट
  - यहाँ, वार्षिक मुद्रास्फीति दर 0% से नीचे गिर जाती है जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा के वास्तविक मूल्य में वृद्धि होती है (जापान को 1990 के दशक में लगभग एक दशक तक इसका सामना करना पड़ा)
  - यह मंदी/अवसाद में तब्दील हो सकता है, इसलिए यह मुद्रास्फीति से भी अधिक खतरनाक है

अवस्फीति

- जब मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है
  - इसका तात्पर्य यह है कि कीमतें प्रत्येक महीने के साथ धीमी गति से बढ़ रही हैं (मुद्रास्फीति हो रही है)

अपस्फीति कीमतों में गिरावट है, जबकि अवस्फीति मुद्रास्फीति दर में गिरावट है

मुद्रा संस्फीति

- आमतौर पर अपस्फीति का अनुसरण होता है
  - नीति निर्माता मुद्रास्फीति (अधिक सरकारी खर्च, कम ब्याज दरें आदि) उत्पन्न करके आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं।

स्क्यूफ्लेशन

- इस स्थिति में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की विषमता देखने को मिलती है; कुछ क्षेत्रों को भारी मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ कुछ क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की अनुपस्थिति देखने को मिलती है और कुछ क्षेत्रों को अपस्फीति का भी सामना करना पड़ रहा है

ग्रीडफ्लेशन

- वह स्थिति जहाँ (कॉर्पोरेट) लालच मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है; कंपनियाँ लाभ को अधिकतम करने के लिए लागत से परे अपनी कीमतें बढ़ाती हैं

श्रिंकफ्लेशन

- यह छिपी हुई मुद्रास्फीति का एक रूप है। इससे अक्सर ग्राहकों को निराशा/असंतोष होता है
  - श्रिंकफ्लेशन किसी उत्पाद के स्टिकर मूल्य को बनाए रखते हुए उसके आकार को कम करने की पद्धति है।

Drishti IAS

बैंकों के सकल NPA में 3.2% की गिरावट

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) के लिये सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात में महत्त्वपूर्ण गिरावट देखी गई, जो मार्च 2023 के अंत में 3.9% से गिरकर सितंबर, 2023 के अंत तक 3.2% हो गई।

- योगदान देने वाले कारक: बट्टे खाते में डालना, उन्नयन, और वसूली।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति क्या है?

- **परिचय:**
  - RBI के अनुसार, कोई परिसंपत्ति तब गैर-निष्पादित हो जाती है जब वह बैंक के लिये आय उत्पन्न करना बंद कर देती है।
  - NPA आमतौर पर एक ऋण या अग्रिम होता है जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान एक निश्चित अवधि के लिये अतिदेय रहता है।
    - ज़्यादातर मामलों में ऋण को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिये नहीं किया गया हो।
    - कृषि के लिये यदि 2 शस्य ऋतुओं/फसली मौसमों के लिये मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **प्रकार:**
  - बैंकों को उस अवधि के आधार पर NPA को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना आवश्यक है जिसके लिये परिसंपत्ति गैर-निष्पादित रही है और बकाया की वसूली:
    - अवमानक परिसंपत्ति: एक अवमानक संपत्ति 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिये NPA के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति है।
    - संदिग्ध परिसंपत्ति: संदिग्ध परिसंपत्ति वह संपत्ति है जो 12 महीने से अधिक की अवधि से गैर-निष्पादित चल रही हो।
    - हानि वाली परिसंपत्तियाँ: ऐसी परिसंपत्तियाँ जो संग्रहण योग्य नहीं हैं और जिनकी वसूली की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं है, साथ ही जिन्हें पूरी तरह से बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है।
- **सकल NPA(GNPA) और निवल NPA:**
  - यह अनंतिम राशि में कटौती किये बिना NPA की कुल राशि है।
  - निवल NPA: सकल NPA में से प्रावधान घटाने पर निवल NPA प्राप्त होता है।
    - प्रावधान का तात्पर्य ऋणों अथवा NPAs से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई करने के लिये बैंकों द्वारा अलग रखे गए धन से है।
- **भारत में NPA से निपटने के प्रावधान:**
  - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम (RDB अधिनियम), 1993: इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर शोध्य ऋणों पर त्वरित निर्णय लेने तथा उन्हें पुनर्प्राप्त करने के लिये ऋण वसूली अधिकरण (DRT) तथा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (DRAT) की स्थापना की गई।
  - वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act- SARFAESI अधिनियम), 2002: बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को नयायालय के हस्तक्षेप के बिना डिफॉल्ट उधारकर्त्ताओं की सुरक्षित परिसंपत्तियों को कब्ज़े में लेने और उसकी बिक्री करने का अधिकार देता है।
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), 2016: यह NPA सहित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिये एक फास्ट-ट्रैक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रदान करता है।
    - IBC ने अपनी स्थापना के बाद से 808 मामलों में फँसे 3.16 लाख करोड़ रुपए के ऋण को सुलझाने में मदद की है।
- लोन राइट-ऑफ: बट्टे खाते में डालना/अपलिखित करना (Write-off) का तात्पर्य किसी गैर-निष्पादित ऋण अथवा परिसंपत्ति को बैंक के रिकॉर्ड से इस स्वीकृति के रूप में हटाना है कि ऋण की वसूली की संभावना नहीं है।
  - यह कार्रवाई उधारकर्त्ता को चुकाने के दायित्व से मुक्त नहीं करती बल्कि वसूली की संभावना को स्वीकार करती है।
- उन्नयन (Upgrades): यह एक ऋण खाते को NPA से वापस "मानक" परिसंपत्ति श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यदि कुछ शर्तें पूरी होती हैं, जिनमें शामिल हैं: ब्याज और मूलधन का बकाया उधारकर्त्ता द्वारा भुगतान किया जाता है।

- पुनर्प्राप्ति (Recoveries): पुनर्प्राप्ति, डिफॉल्ट ऋणों या NPA पर इसके लिये कार्रवाई करने के बाद बैंक द्वारा प्राप्त धन या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है।
  - ये पुनर्प्राप्ति विधियों, संपार्श्विक परिसमापन (collateral liquidation), या पुनर्भुगतान (repayments) के बाद निपटान का रूप ले सकती हैं।

FPI डिस्क्लोज़र मानदंड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India - SEBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign portfolio investors - FPIs) द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान करने के लिये और महीने बढ़ा दिये हैं।

- मई 2023 में, SEBI ने अनुमान लगाया कि लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए की FPI प्रबंधन के तहत संपत्ति (Under Management - AUM) को संभावित रूप से उच्च जोखिम वाले FPI के रूप में पहचाना जा सकता है, जिसे 31 मार्च, 2023 तक के आँकड़ों के आधार पर अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता होगी।
- उच्च जोखिम वाले FPI जो एक ही कॉर्पोरेट इकाई में अपनी इक्विटी (AUM) के 50% या उससे अधिक के स्वामी हैं।

SEBI के FPI प्रकटीकरण मानदंड क्या हैं ?

- **अतिरिक्त प्रकटीकरण के लिए आवश्यकता:**
  - एकल भारतीय कॉर्पोरेट समूह में अपने भारतीय इक्विटी AUM का 50% से अधिक रखने वाले या भारतीय बाज़ारों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक इक्विटी AUM रखने वाले FPI को अतिरिक्त विवरण प्रदान करना आवश्यक है।
- **अनुपालन के लिये समय-सीमा:**
  - मौजूदा FPI जो अक्तूबर 2023 तक निवेश सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें 90 कैलेंडर दिनों के अंदर अपने एक्सपोज़र को कम करने की आवश्यकता है, जब तक कि वे किसी छूट वाली श्रेणी में नहीं आते।
  - यदि FPI अपने निवेशकों के बारे में डेटा का खुलासा करने के लिये जनवरी के अंत की समय-सीमा को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें कथित तौर पर अपनी होल्डिंग्स को समाप्त करने के लिये अतिरिक्त सात महीने का समय मिलेगा।
    - प्रतिभूतियों में किसी पद को छोड़ने का कार्य, आम तौर पर इसे नकदी के लिये बेचकर, होल्डिंग के परिसमापन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिये, एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में मौजूद सभी शेयरों या उसके एक हिस्से को नकदी के लिये बेचने का विकल्प चुन सकता है।
- **छूट प्राप्त श्रेणियाँ:**
  - FPI की कुछ श्रेणियों को अतिरिक्त छूट दी गई है।
    - इनमें सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign Wealth Funds - SWFs), कुछ वैश्विक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कंपनियाँ, सार्वजनिक खुदरा फंड और विविध वैश्विक होल्डिंग्स वाले अन्य विनियमित जमा निवेश वाहन शामिल हैं।

SEBI ने FPI को अतिरिक्त खुलासे प्रदान करने के लिये क्यों कहा है ?

- बाज़ार में व्यवधान का जोखिम: SEBI को चिंता है कि एकल निवेशित कंपनी या कॉर्पोरेट समूह में केंद्रित इक्विटी पोर्टफोलियो वाले FPI भारतीय प्रतिभूति बाज़ारों के व्यवस्थित कामकाज के लिये जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
  - ऐसी चिंता है कि ऐसी संस्थाएँ, विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी वाली संस्थाएँ, FPI मार्ग का दुरुपयोग करके संभावित रूप से बाज़ार को बाधित कर सकती हैं।
- संभावित नियामक धोखाधड़ी: नियामक इस संभावना से सावधान है कि निवेशित कंपनियों के प्रमोटर या एकजुट होकर काम करने वाले अन्य निवेशक नियामक आवश्यकताओं को दरकिनार करने के लिये FPI मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।
  - इसमें शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण विनियम, 2011 (SAST विनियम) द्वारा अनिवार्य खुलासे से बचना या सूचीबद्ध कंपनी में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल होना शामिल है।
- नियामक उद्देश्यों के साथ संरेखण: SEBI का लक्ष्य भारतीय प्रतिभूति बाज़ारों की अखंडता, पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करना है।
  - FPI से विस्तृत जानकारी प्राप्त करके, नियामक FPI गतिविधियों को नियामक उद्देश्यों के साथ संरेखित करना, दुरुपयोग को रोकना और बाज़ार की अखंडता को बनाए रखना चाहता है।
- PN3 बहिष्करण: जबकि अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट 3 (PN3) विशेष रूप से FPI निवेश पर लागू नहीं होता है, सेबी अभी भी FPI मार्ग के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंतित है।
  - SEBI का मानना है कि इन चिंताओं को दूर करने और भारतीय प्रतिभूति बाज़ारों के हितों की रक्षा के लिये FPI से अतिरिक्त खुलासे प्राप्त करना आवश्यक है।

FDI और FPI

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

FDI:
- किसी दूसरे देश में स्थित व्यवसायों और संपत्तियों में विदेशी संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा किया गया निवेश

FDI के अंतर्वाह हेतु मार्ग :
- स्वचालित मार्ग:
  - किसी पूर्व सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है
  - गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 100% तक की अनुमति
- सरकारी मार्ग:
  - कुछ क्षेत्रों में या विशिष्ट सीमा से ऊपर के निवेश के लिये आवश्यक
  - उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और RBI द्वारा प्रशासित

स्वचालित और सरकारी रूट के माध्यम से स्वीकृति के उदाहरण:
- बैंकिंग (निजी क्षेत्र): 49% तक (स्वायत्त) + 49% से ऊपर और 74% तक (सरकारी)
- रक्षा: 74% तक (स्वायत्त) + 74% से अधिक (सरकारी)
- हेल्थकेयर (ब्राउनफील्ड): 74% तक (स्वायत्त) + 74% से ऊपर (सरकारी)
- दूरसंचार सेवाएँ: 49% तक (स्वायत्त) + 49% से अधिक (सरकारी)

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB):
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है
- FDI प्रस्तावों को संसाधित करने के लिये ज़िम्मेदार - विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) द्वारा सुविधा प्रदान की गई
- सरकार की मंज़ूरी के लिये सिफारिशें करना

भारत (चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्याँमार और अफगानिस्तान) के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से FDI के लिये सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

भारत के शीर्ष 5 FDI स्रोत (वित्त वर्ष 2022-23):
- मॉरीशस
- सिंगापुर
- अमेरिका
- नीदरलैंड
- जापान

FDI आकर्षित करने वाले भारत के शीर्ष क्षेत्र (वित्त वर्ष 2022-23):
- सेवा क्षेत्र
- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर
- व्यापार
- दूरसंचार
- ऑटोमोबाइल उद्योग

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)

FPI:
- वित्तीय संपत्तियों में विदेशी व्यक्तियों, संस्थानों या निधियों द्वारा किये गए निवेश
- फ्लाई बाय नाइट या हॉट मनी के नाम से जाना जाता है

महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ:
- स्वामित्व प्राप्त किये बिना वित्तीय संपत्तियों की खरीद होती है
- निष्क्रिय निवेश दृष्टिकोण
- निवेशक लाभांश, ब्याज और पूंजी वृद्धि के माध्यम से रिटर्न अर्जित करते हैं

उदाहरण:
- स्टॉक, बॉण्ड आदि।

नियामक संस्था:
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

FDI और FPI के बीच अंतर

विशेषताएँ	FDI	FPI
निवेश की प्रकृति	दीर्घकालिक	अल्पकालिक
उद्देश्य	दूसरे देश में दीर्घकालिक निवेश	निवेश पर त्वरित रिटर्न अर्जित करना
नियंत्रण	महत्वपूर्ण (निवेशित इकाई पर)	नहीं या सीमित नियंत्रण
निवेश	मूर्त संपत्ति (जैसे, कारखाने, भवन)	वित्तीय संपत्ति (जैसे, स्टॉक, बॉण्ड)
रिटर्न्स	लाभ, लाभांश और पूंजी अभिमूल्यन	लाभांश, ब्याज, और पूंजी अभिमूल्यन
नीति विनियम	सरकार की नीतियाँ और क्षेत्र-विशिष्ट नियम	लचीले नियम और आसान प्रवेश/निकास
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	रोज़गार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक विकास	अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है और शेयर बाज़ार को प्रभावित करता है

Drishti IAS

प्रेस नोट 3 क्या है?

- कोविड-19 महामारी के दौरान, केंद्र सरकार ने एक प्रेस नोट 3 (2020) के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन किया।
  - ऐसा कहा गया था कि ये संशोधन सस्ते मूल्यांकन पर तनावग्रस्त भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिये किये गए थे।
- नए विनियमों के अनुसार, किसी देश की इकाई, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है या जहाँ भारत में निवेश का लाभकारी अधिकारी स्थित है या ऐसे किसी भी देश का नागरिक है, को केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश करने की आवश्यकता है।
  - विदेशी निवेशकों के लिये निवेश के दो मार्ग हैं, सरकारी रूट और ऑटोमैटिक रूट।
  - सरकारी मार्ग का तात्पर्य विदेशी निवेश के लिये नियामक निकायों से आधिकारिक अनुमोदन प्राप्त करना है, जबकि स्वचालित मार्ग पूर्व अनुमोदन के बिना निवेश की अनुमति देता है, जो उन क्षेत्रों में आम है जहाँ विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।

- साथ ही, भारत में किसी इकाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मौजूदा या भविष्य के FDI के स्वामित्व के हस्तांतरण की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप लाभकारी स्वामित्व उक्त नीति संशोधन के प्रतिबंध/दायरे के अंतर्गत आता है, लाभकारी स्वामित्व में ऐसे उत्तरोत्तर बदलाव के लिये भी सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- प्रेस नोट 3 (2020) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) संशोधन नियम, 2020 के माध्यम से लागू किया गया था।
  - प्रेस नोट 3 अभी भी जनवरी 2024 तक लागू है।

भारत का भौगोलिक संकेतक परिदृश्य

चर्चा में क्यों ?

भारत की दो दशकों से अधिक की भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication - GI) टैग यात्रा को सीमित परिणामों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो पंजीकरण प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता का संकेत देता है।

भौगोलिक संकेतक (GI) क्या है ?

- **परिचय:**
  - भौगोलिक संकेतक (GI) टैग, एक ऐसा नाम या चिह्न है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं।
  - भौगोलिक संकेतकों को पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(2) एवं 10 के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है और इन्हें बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS) समझौते के अनुच्छेद 22-24 के तहत भी मान्यता प्राप्त है।
    - कई यूरोपीय संघ के देशों में, GI को दो बुनियादी श्रेणियों संरक्षित GI (Protected GI - PGI) और संरक्षित मूल स्थान (Protected Destination of Origin - PDO) में वर्गीकृत किया गया है। भारत में केवल PGI श्रेणी मौजूद है।
  - यह प्रमाणीकरण गैर-कृषि उत्पादों तक भी बढ़ाया जाता है, जैसे मानव कौशल पर आधारित हस्तशिल्प, कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध सामग्री और संसाधन जो उत्पाद को अद्वितीय बनाते हैं।
  - GI का पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति की रक्षा के लिये एक शक्तिशाली उपकरण है और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है।
- **विधिक ढाँचा तथा दायित्व:**
  - यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलुओं (TRIPS) पर विश्व व्यापार संगठन (WTO) समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है।
  - वस्तुओं का 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण तथा बेहतर संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है।
  - इसके अतिरिक्त बौद्धिक संपदा के अभिन्न घटकों के रूप में औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतकों की सुरक्षा के महत्त्व को पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(2) एवं 10 में स्वीकार किया गया, साथ ही इसके संरक्षण पर अधिक बल भी दिया गया है।
- **GI-टैग पंजीकरण की स्थिति:**
  - अन्य देशों की तुलना में भारत GI पंजीकरण (registration) के मामले में पीछे है। GI रजिस्ट्री के अनुसार, दिसंबर 2023 तक, बौद्धिक संपदा भारत को केवल 1,167 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 547 उत्पाद पंजीकृत किये गए हैं।
  - विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के 2020 के आँकड़ों के अनुसार, 15,566 पंजीकृत उत्पादों के साथ जर्मनी GI पंजीकरण में सबसे आगे है, इसके बाद चीन (7,247) का स्थान आता है।
  - वैश्विक स्तर पर, पंजीकृत GI में वाइन और स्पिरिट का हिस्सा 51.8% है, इसके बाद कृषि उत्पाद एवं खाद्य पदार्थ (29.9%) आते हैं।
    - भारत में हस्तशिल्प (लगभग 45%) और कृषि (लगभग 30%) में अधिकांश GI उत्पाद शामिल हैं।

स्टार्ट-अप्स पर फंडिंग विंटर प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

बंगलुरु, जिसे अक्सर भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, को वैश्विक घटनाओं के कारण वित्तपोषण की कमी के फलस्वरूप स्टार्ट-

अप पारिस्थितिकी तंत्र में संकट का सामना करना पड़ा है। फंडिंग विंटर के बाद कई क्षेत्रीय स्टार्ट-अप को छँटनी से लेकर सतर्क निवेशक भावना के अभाव से जूझना पड़ा है।

फंडिंग विंटर क्या है ?

- **परिचय:**
  - 'फंडिंग विंटर' एक शब्द है जिसका उपयोग स्टार्टअप्स के लिये कम पूंजी प्रवाह की अवधि का वर्णन करने के लिये किया जाता है।
  - फंडिंग विंटर के दौरान निवेशक और ऋणदाता वित्तीय सहायता प्रदान करने में अधिक सतर्क (cautious) तथा चयनात्मक (selective) हो जाते हैं, जिससे बाज़ार में उपलब्ध कुल वित्तपोषण में कमी आती है।
  - फंडिंग विंटर व्यवसायों और उद्यमियों को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से उन लोगों पर जो विकास के शुरुआती चरण में हैं या जो अपने परिचालन का विस्तार करना चाहते हैं।
- **भारत में फंडिंग विंटर के कारण:**
  - भारतीय स्टार्ट-अप फंडिंग में उतार-चढ़ाव:
    - वर्ष 2021 में भारतीय स्टार्ट-अप फंडिंग बढ़कर रिकॉर्ड 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जिससे देशभर में 42 नए यूनिकॉर्न बने। हालाँकि वर्ष 2022 में फंडिंग में 40% की गिरावट देखी गई, जो महामारी से प्रेरित आशावाद में बदलाव का प्रतीक है।
- **वैश्विक व्यापक आर्थिक कारक:**
  - रूस-यूक्रेन और इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष सहित वैश्विक घटनाओं ने फंडिंग विंटर को शुरू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **निवेश प्रतिफल (Return on Investments) पर फोकस :**
  - निवेशकों ने स्टार्ट-अप की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और लाभप्रदता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिससे बाज़ार में गिरावट आई।
- **घरेलू पूंजी का अभाव:**
  - भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में घरेलू पूंजी की कमी से वित्तपोषण संकट और प्रभावित हुआ है।
  - घरेलू पेंशन निधि के तहत प्रौद्योगिकी, उद्यम और स्टार्ट-अप में निवेश नहीं किया जा रहा है जिससे मौजूदा अवसर व्यर्थ हो रहे हैं।
- **व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र संबंधी चुनौतियाँ:**
  - समष्टि (Macro) अर्थशास्त्र स्थितियों तथा कुछ स्टार्ट-अप संस्थापकों की मूल व्यावसायिक सिद्धांतों का अनुपालन करने में विफलता ने वित्तपोषण को प्रभावित किया।
  - यह संकट मात्र बाह्य कारकों का परिणाम नहीं था अपितु स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर आंतरिक निर्णयों एवं रणनीतियों का भी परिणाम था।

भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम:

- 3 अक्तूबर, 2023 तक देश के 763 ज़िलों में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त 1 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत ने वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के लिये तीसरे सबसे बड़े इकोसिस्टम के रूप में अपनी स्थिति को सशक्त किया।
- भारत मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच वैज्ञानिक प्रकाशनों की गुणवत्ता तथा अपने विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में शीर्ष स्थान के साथ नवाचार गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर है।

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022

चर्चा में क्यों ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry- MoCI) ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण के नतीजे जारी किये हैं।

- इस संस्करण के रैंकिंग अभ्यास में 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी देखी गई।
- भारत में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले अभ्यास को शामिल करने वाली 'राष्ट्रीय रिपोर्ट', साथ ही 'सर्वोत्तम प्रथाओं का एक संग्रह' और सभी भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य के लिये 'राज्यों की रिपोर्ट' भी लॉन्च की गई जिसमें कुल 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने राज्य स्टार्टअप नीतियाँ तैयार की हैं।

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग क्या है?

- **परिचय:**
  - भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल में नवाचार को बढ़ावा देने और नवोदित उद्यमियों को अवसर प्रदान करने के लिये देश में एक मज़बूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है।
  - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry- MoCI) के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का आयोजन कर रहा है।
    - यह अभ्यास देश में स्टार्टअप के लिये कारोबारी माहौल को आसान बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **उद्देश्य:**
  - स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति को सामने लाने में मदद करना।
  - प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सक्रिय रूप से काम करने के लिये प्रेरित करना।
  - राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अच्छे अभ्यासों की पहचान करना, सीखने और दोहराने के लिये सुविधा प्रदान करना।
- **वर्गीकरण: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:**
  - बेस्ट परफॉर्मर
  - टॉप परफॉर्मर
  - लीडर
  - अस्पाइरिंग लीडर
  - इमर्जिंग स्टार्ट-अप इकोसिस्टम
    - **नोट:** 'बिगिनर लिस्ट' पूर्ववर्ती रैंकिंग्स का हिस्सा थी लेकिन वर्ष 2019 से इसे बंद कर दिया गया है।

स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के निष्कर्ष क्या हैं?

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था:

- श्रेणी A (जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक) और श्रेणी B (जनसंख्या 1 करोड़ से कम)

श्रेणी A	श्रेणी B
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश	**राज्य और केंद्रशासित प्रदेश**
बेस्ट परफॉर्मर	**बेस्ट परफॉर्मर**
गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु	हिमाचल प्रदेश
टॉप परफॉर्मर	**टॉप परफॉर्मर**
महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय
लीडर	**लीडर**
आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा
अस्पाइरिंग लीडर	**अस्पाइरिंग लीडर**
बिहार, हरियाणा	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, नगालैंड
इमर्जिंग स्टार्ट-अप इकोसिस्टम	**इमर्जिंग स्टार्ट-अप इकोसिस्टम**
छत्तीसगढ, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर	चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लद्दाख, मिज़ोरम, पुदुचेरी, सिक्किम

- **7 व्यापक सुधार क्षेत्र:**
  - प्रतिभागियों का मूल्यांकन 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों के आधार पर किया गया, जिसमें 25 कार्य-बिंदु शामिल थे:
    - संस्थागत समर्थन (Institutional Support)
    - नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन (Fostering Innovation and Entrepreneurship)
    - बाज़ार तक पहुँच (Access to Market)
    - इन्क्यूबेशन और मेंटरशिप समर्थन (Incubation and Mentorship Support)
    - वित्तपोषण सहायता (Funding Support)
    - समर्थकों का क्षमता निर्माण (Capacity Building of Enablers)
    - सतत् भविष्य हेतु रोडमैप (Roadmap to a Sustainable Future)
  - कुल अंकों का 15% हिस्सा 9 भाषाओं (टेलीफोनिक और वेब-आधारित) में एकत्र 10,000 से अधिक सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रदान किया गया।

➲ **भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की स्थिति:**

- पिछले 7 वर्षों में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 120% (CAGR) की दर से बढ़ी है और अक्तूबर 2023 तक एक लाख से अधिक स्टार्टअप्स मौजूद थे।
- पिछले सात वर्षों में देश भर के लगभग 670+ ज़िलों में उपस्थिति के साथ स्टार्टअप का कवरेज छह गुना बढ़ गया है।
- लगभग 50% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थित हैं।

स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने हेतु कौन-सी पहलें की गई हैं?

➲ **फंड ऑफ फंड्स (FoF) योजना:**

- जून 2016 में 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्थापित स्टार्टअप योजना के लिये FoF का उद्देश्य कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग चक्रों में योगदान को बढ़ाकर घरेलू पूंजी तक पहुँच की सुविधा प्रदान करके भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है।

➲ **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISF):**

- SISF, 945 करोड़ रुपए के कोष की सहायता के साथ वर्ष 2021-22 से चार वर्ष की अवधि के लिये अनुमोदित किया गया था जिसके तहत अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश एवं व्यावसायीकरण के लिये स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

➲ **स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट:**

- स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट स्टार्टअप्स को निवेशकों से जोड़ने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित मैचमेकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उद्यमियों के लिये एक ही

एप्लीकेशन के माध्यम से कई निवेशकों तक अपने विचारों को पहुँचाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाता है।

- **स्टार्टअप इंडिया की बहुपक्षीय गतिविधियाँ: स्टार्टअप20:**
  - वर्ष 2023 में G20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान स्थापित स्टार्टअप20 (Startup20), स्टार्टअप के लिये एक समर्पित वैश्विक मंच है, जो बड़े उद्यमों के लिये B20 को प्रतिबिंबित करता है। भारत का स्टार्टअप20, जो अब वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, एक स्टार्टअप हब के रूप में अपनी स्थिति को प्रदर्शित करता है।
  - एक संवाद मंच के रूप में यह G20 इंडिया शेरपा तथा स्टार्टअप20 सचिवालय द्वारा समर्थित व्यापक आर्थिक मुद्दों पर G20 नेताओं को शामिल करता है।
- **स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत अन्य हस्तक्षेप:**
  - स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक:
    - DPIIT, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस (National Startup Day) यानी 16 जनवरी के समीप स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन करता है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, इनक्यूबेटरों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, नीति निर्माताओं एवं अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एकजुट करना है।
  - राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (NSA) के अंतर्गत सहायता प्रदान करना:
    - यह स्टार्टअप इंडिया द्वारा उन स्टार्टअप एवं पारिस्थितिकी तंत्र समर्थकों को पहचानने के साथ पुरस्कृत करने के लिये शुरू की गई एक पहल है जो रोज़गार अथवा धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ मापने योग्य सामाजिक प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए नवीन उत्पादों तथा स्केलेबल उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं।
  - MAARG पोर्टल:
    - स्टार्टअप इंडिया द्वारा MAARG पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भूगोल एवं पृष्ठभूमि में स्टार्टअप के लिये मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने वाला वन-स्टॉप मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है।

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 क्या है?

स्टार्टअप इंडिया के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023, उल्लेखनीय क्षमता प्रदर्शित करने वाले असाधारण स्टार्टअप एवं समर्थकों को सम्मानित और पुरस्कृत करता है।

- "आत्मनिर्भर भारत" मिशन की दिशा में भारत की विनिर्माण क्षमताओं में सुधार लाने पर ध्यान देने के साथ सरकार द्वारा पहचाने गए चैंपियन क्षेत्रों पर भी विचार किया गया है।
- **प्रमुख तथ्य:**
  - राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के चौथे संस्करण में 2,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो पूरे बोर्ड में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के बीच पहल की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण है।
  - NSA 2023 ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य किया है, साथ ही समावेशिता के लिये एक उल्लेखनीय प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित की है।
  - NSA 2023 के लिये बड़ी संख्या में स्टार्टअप उद्यमों में नेतृत्व वाले पदों हेतु महिलाओं ने आवेदन किया है।
  - इसके अतिरिक्त कई अनुप्रयोगों ने स्वयं को स्थिरता चैंपियन के रूप में भी नामांकित किया है, जो जलवायु परिवर्तन, स्थिरता, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा या संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।

भारत में बाज़ार एकाधिकार और कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) ने एक प्रमुख मल्टीप्लेक्स शृंखला PVR के विरुद्ध एक शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें कथित तौर पर अपनी प्रमुख बाज़ार स्थिति का दुरुपयोग करते हुए बाज़ार एकाधिकार की चिंता जताई गई थी।

आरोप और CCI का फैसला?

- यह आरोप लगाया गया था कि PVR ने शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों को प्रमुख वरीयता देकर अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया तथा इस प्रकार स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं की फिल्मों में प्रवेश में बाधाएँ उत्पन्न कीं।

बाज़ार एकाधिकार क्या है?

- **परिचय:**
  - बाज़ार एकाधिकार उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक एकल कंपनी या कंपनियों का समूह किसी विशेष बाज़ार या उद्योग के महत्त्वपूर्ण हिस्से पर हावी होता है और नियंत्रित करता है।

- एकाधिकार में, केवल एक विक्रेता या निर्माता होता है जो एक विशिष्ट उत्पाद या सेवा प्रदान करता है और उपभोक्ताओं के लिये कोई करीबी विकल्प उपलब्ध नहीं होता है।
- यह एकाधिकारवादी इकाई को पर्याप्त बाज़ार शक्ति प्रदान करता है, जिससे उसे बाज़ार की स्थितियों को प्रभावित करने, कीमतें निर्धारित करने और वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है।

बाज़ार एकाधिकार की विशेषताएँ:

- एकल विक्रेता या निर्माता:
- प्रवेश में उच्च बाधाएँ:
- कोई विकल्प न होना:
- बाज़ार की शक्ति एवं मूल्य नियंत्रण:
- आपूर्ति पर प्रभाव:
- प्रतिस्पर्द्धा का अभाव:

भारत बाज़ार एकाधिकार की प्रथाओं से कैसे निपटता है?

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002:

- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 भारत में अविश्वास संबंधी मुद्दों को संबोधित करने वाला प्राथमिक कानून है। इसे बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने एवं उसे बनाए रखने, प्रतिस्पर्द्धा विरोधी प्रथाओं को रोकने के साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये अधिनियमित किया गया था।
  - यह अधिनियम प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी समझौतों और उद्यमों द्वारा अपनी प्रधान स्थिति के दुरुपयोग का प्रतिषेध करता है तथा समुच्चयों का विनियमन करता है, क्योंकि इनकी वजह से भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- प्रतिस्पर्द्धा संशोधन विधेयक, 2022:
  - प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य नियामक ढाँचे को और मज़बूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना तथा प्रतिस्पर्द्धी कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI):

- CCI भारतीय बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिस्पर्धा का नियामक है, यह प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिये उत्तरदायी है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं।
- CCI प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं, प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग और प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी समझौतों की जाँच करती है तथा कार्रवाई करती है।

प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण और NCLAT:

- प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT) शुरू में CCI निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने के लिये उत्तरदायी था।
- हालाँकि वर्ष 2017 में सरकार ने COMPAT को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) से बदल दिया, जो अब प्रतिस्पर्द्धा मामलों से संबंधित अपीलों को संभालता है।

प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं पर अंकुश लगाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पहल क्या हैं?

OECD प्रतियोगिता समिति:

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) तथा OECD प्रतिस्पर्द्धा समिति सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं को संबोधित करता है, जो प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच चर्चा एवं सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD):

- UNCTAD अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास को बढ़ावा देने के लिये काम करता है। यह प्रतिस्पर्द्धा कानून और नीति पर अपने अंतर सरकारी विशेषज्ञों के समूह के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धा नीति तथा कानून पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, प्रभावी प्रतिस्पर्द्धा ढाँचे को लागू करने में देशों का समर्थन करता है।
- यह उपभोक्ताओं को दुरुपयोग से बचाने और प्रतिस्पर्द्धा को दबाने वाले नियमों पर अंकुश लगाने की नीतियों से भी संबंधित है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा नेटवर्क (ICN):

- ICN दुनिया भर के प्रतिस्पर्द्धा प्राधिकरणों का एक नेटवर्क है। यह वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा चुनौतियों से निपटने के लिये सदस्य न्यायालयों के बीच संचार और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। ICN प्रतिस्पर्द्धा कानून के विभिन्न पहलुओं पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा दिशा-निर्देश विकसित करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।

- **विश्व व्यापार संगठन (WTO):**
  - मुख्य रूप से व्यापार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, WTO व्यापार और प्रतिस्पर्द्धा नीति के बीच बातचीत पर अपने कार्य समूह के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धा नीति को संबोधित करता है।
    - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिस्पर्द्धा नीतियाँ व्यापार में अनावश्यक बाधाएँ पैदा न करें।

PLI योजनाओं के तहत निवेश

चर्चा में क्यों ?

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked Incentive- PLI) योजनाओं में नवंबर, 2023 तक 1.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है।

- इससे 8.61 लाख करोड़ रुपए के बराबर उत्पादन/बिक्री हुई है तथा 6.78 लाख से अधिक रोज़गार उत्पन्न हुए हैं।

PLI योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं ?

- PLI योजनाओं में वृहत् इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, औषध, खाद्य प्रसंस्करण तथा दूरसंचार व नेटवर्किंग उत्पाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के महत्त्वपूर्ण योगदान के साथ निर्यात 3.20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
- PLI के लाभार्थियों में थोक औषधि, चिकित्सा उपकरण, औषध, दूरसंचार, भारी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ (White Goods), खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और ड्रोन जैसे क्षेत्रों के 176 लघु तथा मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME) शामिल हैं।
- 8 क्षेत्रों के लिये PLI योजनाओं के तहत लगभग 4,415 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन धनराशि वितरित की गई। इनमें वृहत् इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Large-Scale Electronics Manufacturing- LSEM), IT हार्डवेयर, थोक औषधि, चिकित्सा उपकरण, औषध, दूरसंचार व नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और ड्रोन व इसके घटक शामिल हैं।

केरल में अवसंरचना को प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री (Prime Minister- PM) ने कोच्चि, केरल में तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिसमें कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) में न्यू ड्राई डॉक (NDD), CSL की अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ मरम्मत सुविधा (International Ship Repair Facility- ISRF) एवं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) का LPG आयात टर्मिनल शामिल हैं।

- ये प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएँ भारत के बंदरगाहों, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र को बदलने तथा इसमें क्षमता सृजन एवं आत्मनिर्भरता के लिये प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप हैं।

प्रमुख एवं छोटे बंदरगाह:

- **भारत के प्रमुख बंदरगाह:**
  - देश में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 गैर-प्रमुख बंदरगाह (छोटे बंदरगाह) हैं।
  - प्रमुख बंदरगाहों में दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मरमुगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजर (पहले एन्नोर), वी. ओ. चिदंबरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं।
- **प्रमुख बंदरगाह बनाम छोटे बंदरगाह:**
  - भारत में बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के तहत परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रमुख एवं छोटे बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - सभी 12 बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के तहत शासित हैं और केंद्र सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन में हैं।
  - सभी छोटे बंदरगाह, भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के तहत शासित हैं और राज्य सरकारों के स्वामित्व तथा प्रबंधन में हैं।
- **हाल में हुए विकास:**
  - भारतीय बंदरगाहों ने पिछले 10 वर्षों में दोहरे अंक की वार्षिक वृद्धि हासिल की है।
  - जब बदलाव के समय की बात आती है तो भारत कई विकसित देशों से आगे निकल गया है।
  - भारतीय नाविकों से संबंधित कानूनों में समय पर बदलाव से उनकी संख्या में 140% की वृद्धि हुई है।

विश्व आर्थिक मंच

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा 15 जनवरी से 19 जनवरी, 2024 तक स्विट्ज़रलैंड के दावोस में अपनी वार्षिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं ?

- परिचय: WEF सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह फोरम/मंच वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आयाम देने के लिये समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य अभिकर्त्ताओं को शामिल करता है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- स्थापना: मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि और हार्वर्ड से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री वाले जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने वर्ष 1971 में WEF की स्थापना की, जिसे मूल रूप से यूरोपीय प्रबंधन मंच (European Management Forum) के रूप में जाना जाता था।
- उन्होंने "हितधारक पूंजीवाद" की अवधारणा पेश की।
- श्वाब के अनुसार, "यह पूंजीवाद का एक रूप है जिसमें कंपनियाँ न केवल शेयरधारकों के लिये अल्पकालिक लाभ का अनुकूलन करती हैं, बल्कि अपने सभी हितधारकों और बड़े पैमाने पर समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं।"

नोट: यूरोपीय प्रबंधन मंच चीन के आर्थिक विकास आयोगों के साथ साझेदारी शुरू करने वाली पहली गैर-सरकारी संस्था थी, जिसने चीन में आर्थिक सुधार नीतियों को बढ़ावा दिया।

- विकास: वर्ष 1973 की घटनाओं अर्थात् ब्रेटन वुड्स निश्चित विनिमय दर तंत्र के पतन एवं अरब-इज़रायल युद्ध के कारण, वार्षिक बैठक ने प्रबंधन से लेकर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों तक अपना ध्यान केंद्रित किया।
  - दो वर्ष बाद, संगठन ने विश्व की 1,000 अग्रणी कंपनियों के लिये सदस्यता की एक प्रणाली शुरू की।
  - वर्ष 1987 में, यूरोपीय प्रबंधन मंच औपचारिक रूप से विश्व आर्थिक मंच बन गया जिसने संवाद के लिये एक मंच प्रदान करने हेतु अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की मांग की।
  - वर्ष 2015 में, मंच को औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी।
- वित्तपोषण: यह मुख्य रूप से साझेदार निगमों द्वारा समर्थित है तथा अमूमन इसका वार्षिक टर्नओवर 5 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक होता है।
- दावोस में वार्षिक बैठक: दावोस में आयोजित 500 सत्रों में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिये लगभग 3,000 प्रतिभागी (भुगतान करने वाले सदस्यों व आमंत्रित अतिथियों सहित) भाग लेते हैं। प्रतिभागियों में निवेशक, व्यापारिक नेता, राजनीतिक नेता, अर्थशास्त्री, मशहूर हस्तियाँ इत्यादि शामिल होते हैं।
- **WEF में प्रमुख राजनयिक क्षण:**
  - कोरियाई कूटनीति: उत्तर तथा दक्षिण कोरिया द्वारा दावोस में पहली मंत्री स्तरीय बैठक की गई थी।
  - जर्मनी का पुन: एकीकरण (1989): पूर्वी जर्मन प्रधानमंत्री तथा जर्मन चांसलर द्वारा पुन: एकीकरण पर चर्चा के लिये WEF में मुलाकात की गई थी।
  - दक्षिण अफ्रीकी कीर्तिमान (1992): दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति डी क्लार्क, नेल्सन मंडेला तथा ज़ुलु राजकुमार मैंगोसुथु बुथेलेज़ी ने दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त पहली बार संयुक्त रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज की, जो देश के राजनीतिक परिवर्तन में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर था।
  - G20 की उत्पत्ति (1998): WEF ने प्रमुख विकासशील देशों को शामिल करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। अत: G20 की अवधारणा अस्तित्व में आई जो प्रारंभ में वित्त मंत्रियों तक सीमित थी।
    - WEF की चर्चाओं से अस्तित्व में आया G20 एक शिखर सम्मेलन के रूप में विकसित हुआ।
- प्रमुख रिपोर्ट: WEF नियमित रूप से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट तथा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट शामिल हैं।

भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

भारत में किये जाने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign portfolio investments- FPI) में विभिन्न क्षेत्रों के बीच वरीयता क्रम में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है।

- इस परिवर्तन का श्रेय विभिन्न कारकों को दिया जाता है, जिनमें नियामक परिवर्तन, भू-राजनीतिक घटनाएँ और रणनीतिक गठबंधन शामिल हैं।

भारत के FPI परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कौन-से हैं ?

- **लक्ज़मबर्ग का प्रभुत्व:**
  - मॉरीशस को पीछे छोड़ लक्ज़मबर्ग अब भारत में FPI के मामले में तीसरे स्थान पर है। जिसकी अभिराक्षधीन आस्तियाँ

(Assets Under Custody- AUC) 30% बढ़कर ₹4.85 लाख करोड़ हो गई।

- विश्व स्तर पर इसकी इक्विटी आस्तियाँ अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है।

◆ इस वृद्धि का श्रेय भारत-यूरोप के बीच बेहतर संबंधों को दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तीन वित्तीय समझौते संपन्न हुए।

- लक्ज़मबर्ग यूरोप (UK के अतिरिक्त) में 3,000 में से 1,400 से अधिक FPI खातों की मेज़बानी करता है।
- विशेष रूप से GIFT सिटी के साथ सहयोग ने भारत तथा लक्ज़मबर्ग के बीच वित्तीय संबंधों को और सुदृढ़ किया है।

➲ **फ्राँस की उल्लेखनीय उपलब्धि:**

◆ AUC में 74% की उल्लेखनीय वृद्धि (₹1.88 लाख करोड़) के साथ फ्राँस शीर्ष दस FPI में पहुँच गया है।

◆ यह वृद्धि भारत और फ्राँस के बीच दोहरे कराधान परिहार समझौता (Double Taxation Avoidance Agreement- DTAA) के तहत अनुकूल कर प्रावधानों से प्रेरित है।

➲ **परिवर्तित परिदृश्य में अन्य देश:**

◆ आयरलैंड की कर दक्षता तथा वैश्विक पहुँच जो विनियमित निधियों को आय एवं लाभ पर आयरिश कर से छूट प्रदान करता है, इसे आकर्षक बनाती है।

- आयरलैंड तथा नॉर्वे अपने स्थान में एक-एक स्तर की पदोन्नति के साथ अब FPI देशों में 5वें एवं 7वें स्थान पर हैं।

◆ इसके अलावा AUC में साल-दर-साल 19% की वृद्धि के बावजूद, कनाडा रैंकिंग में एक स्थान नीचे गिर गया। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव का निवेश पर प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है।

➲ अभिरक्षा में संपत्ति: AUC वित्तीय परिसंपत्तियों के कुल मूल्य को संदर्भित करता है जो एक संरक्षक अपने ग्राहकों के लिये प्रबंधित करता है। यह FPI द्वारा रखी गई सभी इक्विटी के समापन बाज़ार मूल्य को भी संदर्भित कर सकता है।

➲ पेकिंग ऑर्डर (Pecking Order): FPI के संदर्भ में पेकिंग ऑर्डर उन क्षेत्रों या देशों की रैंकिंग या पदानुक्रम को संदर्भित करता है जहाँ से विदेशी निवेशक एक लक्षित देश विशेष रूप से इस मामले में, भारत में निवेश करते हैं।

चार भारतीय उत्पादों पर प्रतिकारी शुल्क

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ ने अब जनवरी 2021 में आउटबाउंड शिपमेंट के हेतु पेश किये गए निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RODTEP) योजना के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में चार भारतीय उत्पादों पर प्रतिकारी शुल्क (CVDs) को लागू किया है।

➲ पेपर फॉइल फोल्डर, सामान्य मिश्र धातु एल्यूमीनियम शीट और U.S. द्वारा जाली स्टील फ्लुइड एंड ब्लॉक जैसी वस्तुओं के लिये CVD निर्धारण के साथ प्रतिकारी जाँच का समापन किया गया, जबकि यूरोपीय आयोग द्वारा विशिष्ट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड सिस्टम की जाँच की गई।

प्रतिकारी शुल्क (Countervailing Duty) क्या है?

➲ प्रतिकारी शुल्क: CVD निर्यात देश में इन सामानों के उत्पादकों को दी गई सब्सिडी के लिये आयातित सामानों पर लगाए गए टैरिफ हैं।

◆ CVD एक उत्पाद के घरेलू उत्पादकों और एक ही उत्पाद के विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को समतुल्य करने के लिये हैं, जो अपनी सरकार से प्राप्त सब्सिडी के कारण इसे कम कीमत पर बेच सकते हैं।

◆ विश्व व्यापार संगठन (WTO) अपने सदस्य देशों द्वारा प्रतिकारी शुल्क लगाने की अनुमति देता है।

➲ WTO का SCM समझौता: विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सहायिकी तथा प्रतिकारी उपायों पर समझौता (Subsidies and Countervailing Measures- SCM समझौता) दो मुख्य पहलुओं का समाधान करता है जिनमें सहायिकी के संबंध में बहुपक्षीय नियम एवं सहायिकी युक्त आयात से होने वाली क्षति से बचाव के लिये प्रतिकारी उपायों का उपयोग शामिल है।

◆ सहायिकी प्रावधानों से संबंधित नियम बहुपक्षीय मानकों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा WTO विवाद निपटान तंत्र द्वारा समर्थित होते हैं।

◆ SCM समझौते के तहत जाँच करने तथा मानदंडों को पूरा करने के बाद किसी संबद्ध सदस्य द्वारा प्रतिकारी शुल्क लगाया जा सकता है।

- सहायिकी को परिभाषित करना: SCM समझौते में "सहायिकी/सब्सिडी" को सरकार द्वारा प्रदत्त लाभ प्रदान करने वाली वित्तीय सहायता के रूप में परिभाषित किया गया है। विशिष्टता यह निर्धारित करती है कि सब्सिडी किसी विशेष उद्यम, उद्योग अथवा क्षेत्र पर लागू होती है या नहीं।
  - सब्सिडी को निषिद्ध (उदाहरण के लिये निर्यात सब्सिडी, स्थानीय सामग्री सब्सिडी) तथा कार्रवाई योग्य/अनुयोज्य (आक्षेप अथवा प्रतिकारी उपायों के अधीन) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - अनुयोज्य सब्सिडी के परिणामस्वरूप हानि, भेदभाव अथवा लाभ रद्द हो सकता है।
  - हालाँकि परिवर्तन नियम विकासशील देशों तथा बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण करने वाले देशों के लिये कुछ सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये छूट या विस्तारित अवधि प्रदान करते हैं।
  - हालाँकि उक्त नियम विकासशील देशों और बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ने वाले देशों को कुछ सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये विस्तारित अवधि या छूट प्रदान करते हैं।

भारत में प्रतिकारी उपाय कौन लागू करता है?

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR), पाटनरोधी/एंटी-डंपिंग, प्रतिकारी शुल्क एवं सुरक्षा उपायों सहित सभी व्यापार उपचार उपायों को प्रशासित करने के लिये एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण है।
  - पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (DGAD) जिसका गठन वर्ष 1997 में किया गया था, को मई 2018 में सभी व्यापार उपचारात्मक कार्यों यानी एंटी-डंपिंग ड्यूटी (ADD), काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी (SGD), सेफगार्ड उपाय (QR) को एकल खिड़की ढाँचे के तहत शामिल करके DGAD को DGTR में पुनर्गठित तथा पुनः डिज़ाइन करके DGTR के रूप में पुनर्गठित किया गया है।
- यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें करने से पहले स्वतंत्र रूप से जाँच करता है।

RoDTEP योजना क्या है?

- निर्यात उत्पादों पर शुल्कों या करों में छूट योजना (RoDTEP) का उद्देश्य निर्यातित वस्तुओं पर लगने वाले करों और शुल्कों की भरपाई करना है, जिन्हें वापस नहीं किया जाता है, अन्यथा वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाती है।
- यह योजना प्रछन्न केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय शुल्कों पर छूट प्रदान करती है जो अन्य योजनाओं के तहत वापस नहीं किये गए थे, जिसमें प्रत्यक्ष और पूर्व चरण के अप्रत्यक्ष कर दोनों शामिल हैं।

क्रिप्टो परिसंपत्ति मध्यस्थों के बारे में FSB की चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्रिप्टो-परिसंपत्ति मध्यस्थों पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) की नवीनतम रिपोर्ट में स्थानीय अधिकारियों के बीच सीमा पार सहयोग और सूचना साझाकरण को बढ़ाने के उपायों की मांग की गई है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर संचालित मल्टी-फंक्शन क्रिप्टो-एसेट इंटरमीडियरीज़ (MCI) में अंतराल को कम कर प्रभावी ढंग से विनियमित करना है।

क्रिप्टो एसेट/परिसंपत्तियाँ क्या हैं?

- क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ मूल्य का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहीत या व्यापार कर सकती हैं। इसमें अपूरणीय टोकन (NFT) भी शामिल हैं।
  - NFT ब्लॉकचेन-आधारित टोकन हैं जो प्रत्येक कला, डिजिटल सामग्री या मीडिया जैसी एक अनूठी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। NFT को किसी दी गई संपत्ति के स्वामित्व और प्रामाणिकता का एक अपरिवर्तनीय डिजिटल प्रमाण-पत्र माना जा सकता है, चाहे वह डिजिटल हो या भौतिक।
- क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ डिजिटल संपत्तियों का एक उप-समूह हैं जो डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिये क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती हैं और लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिये वितरित लेज़र तकनीक का उपयोग करती हैं।

मल्टी-फंक्शन क्रिप्टो-एसेट इंटरमीडियरीज़ (MCI) क्या हैं?

- MCI एक व्यक्तिगत फर्म है या संबद्ध फर्मों का समूह है जो क्रिप्टो-आधारित सेवाओं, उत्पादों और कार्यों की एक शृंखला की पेशकश करता है जो मुख्य रूप से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालन पर आधारित हैं।
  - उदाहरणों में बिनेंस, बिटफिनेक्स और कॉइनबेस शामिल हैं।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) क्या है ?

- FSB एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करती है और उसके बारे में सिफारिशें करती है।
- FSB की स्थापना वर्ष 2009 में G20 के तत्वावधान में की गई थी।
- भारत FSB का एक सक्रिय सदस्य है, जिसके पूर्ण सत्र में तीन सीटों का प्रतिनिधित्व आर्थिक मामलों के सचिव, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के उप-गवर्नर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

मौद्रिक नीति समिति के निर्णय: RBI

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लगातार 5वीं बार बेंचमार्क ब्याज दरों को अपरिवर्तित बरकरार रखा है।

- प्रमुख रेपो दर लगातार पाँच समीक्षाओं से 6.5% पर स्थिर है।

MPC बैठक के मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **पॉलिसी दरें:**
  - पॉलिसी रेपो दर: 6.5%
    - रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के लिये RBI) धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यहाँ केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है।
  - स्थायी जमा सुविधा (SDF): 6.25 %
    - SDF एक लिक्विडिटी विंडो है जिसके माध्यम से RBI बैंकों को अतिरिक्त तरलता/लिक्विडिटी को अपने पास रखने का विकल्प देगा।
    - यह रिवर्स रेपो सुविधा से अलग है क्योंकि इसमें बैंकों को धन जमा करते समय संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  - सीमांत स्थायी सुविधा दर: 6.75%
    - MSF अनुसूचित बैंकों के लिये आपातकालीन स्थिति में RBI से रात भर उधार लेने को एक विंडो है, जब अंतरबैंक लिक्विडिटी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।
  - नकद आरक्षित अनुपात (CRR): 4.50%
    - CRR के अंतर्गत, वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित न्यूनतम राशि जमा (NDTL) के रूप में रखनी होती है।
  - वैधानिक तरलता अनुपात (SLR): 18.00%
    - SLR जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना अथवा अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है।.

आरबीआई की अन्य पहलें क्या हैं ?

- **स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये UPI सीमा में बढ़ोतरी:**
  - उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, आरबीआई ने स्वास्थ्य और शिक्षा लेन-देन के लिये यूपीआई सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन-देन कर दिया है, ताकि स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और रोगियों दोनों के लिये पर्याप्त परिचालन लाभ प्राप्त किया जा सके।
- **आवर्ती ई-भुगतान अधिदेश:**
  - आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड, बीमा प्रीमियम भुगतान और म्यूचुअल फंड निवेश के लिये आवर्ती ई-भुगतान जनादेश की सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है, जिससे अधिक महत्त्वपूर्ण आवधिक लेन-देन की अनुमति मिलती है।
- **वेब-एकत्रीकरण के लिये विनियामक ढाँचा:**
  - आरबीआई डिजिटल ऋण में ग्राहक-केंद्रित और पारदर्शिता में सुधार के लिये ऋण उत्पादों के वेब-एकत्रीकरण हेतु एक नियामक ढाँचा स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- **फिनटेक के साथ साझेदारी:**
  - RBI ने अप्रैल 2024 तक फिनटेक (FinTech) निधान/रिपॉज़िटरी के निर्माण का प्रस्ताव देकर फिनटेक के साथ साझेदारी करने वाले बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) की बढ़ती घटनाओं पर बेहतर पकड़ बनाने की कोशिश की है।
  - फिनटेक को इस रिपॉज़िटरी को स्वेच्छा से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।

नोट:

- मुद्रास्फीति: यह एक समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को संदर्भित करती है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है।
  - हेडलाइन मुद्रास्फीति: यह उस अवधि के लिये कुल मुद्रास्फीति है, जिसमें वस्तुओं की एक टोकरी शामिल होती है।
    - खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के घटकों में से एक है।
  - कोर मुद्रास्फीति: यह हेडलाइन मुद्रास्फीति पर नज़र रखने वाली वस्तुओं की टोकरी से अस्थिर वस्तुओं को बाहर करती

है। इन अस्थिर वस्तुओं में मुख्य रूप से भोजन और पेय पदार्थ (सब्जियों सहित) तथा ईंधन एवं प्रकाश (कच्चा तेल) शामिल हैं।

- कोर मुद्रास्फीति = हेडलाइन मुद्रास्फीति - (खाद्य और ईंधन) मुद्रास्फीति।

- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: यह एक मौद्रिक नीति ढाँचा है जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के लिये एक विशिष्ट लक्ष्य सीमा बनाए रखना है।
  - उर्जित पटेल समिति ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के उपाय के रूप में WPI (थोक मूल्य सूचकांक) पर CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) की अनुशंसा की।
    - वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य भी 4% की लक्ष्य मुद्रास्फीति दर स्थापित करने की समिति की सिफारिश के साथ संरेखित है, जिसमें विचलन की स्वीकार्य सीमा +/- 2% है।
    - केंद्र सरकार, RBI के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य और खुदरा मुद्रास्फीति के लिये ऊपरी और निचले सहनशीलता स्तर निर्धारित करती है।
- तरलता का आशय किसी परिसंपत्ति अथवा प्रतिभूति को उसकी कीमत को विशेष रूप से प्रभावित किये बिना बाज़ार में शीघ्रता से खरीदने अथवा बेचने से है।
  - यह वित्तीय दायित्वों को पूरा करने अथवा निवेश के लिये नकदी या तरल संपत्ति की उपलब्धता को दर्शाती है। सरल शब्दों में कहें तो तरलता का अर्थ है ज़रूरत के समय में अपना पैसा प्राप्त करने की सुविधा।

महत्त्वपूर्ण खनिज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहली नीलामी, जिसमें निजी क्षेत्रों को बिक्री के लिये 20 ब्लॉक्स की पेशकश की गई है, शुरू करके खनन क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है।

महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहली नीलामी के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- ऐसा पहली बार है कि लिथियम अयस्क के खनन से संबंधित अधिकार निजी क्षेत्रों को प्रदान किये जा रहे हैं। इन ब्लॉकों में अन्य खनिजों में निकल, तांबा, मोलिब्डेनम और दुर्लभ मृदा तत्त्व (REE) शामिल हैं।
- खान मंत्रालय के अनुसार, 20 खनिज ब्लॉक आठ राज्यों में विस्तृत हैं, जिनमें सबसे अधिक ब्लॉक (सात) तमिलनाडु में हैं। प्रत्येक ब्लॉक के अधिकार अलग-अलग हैं; इनमें से चार ब्लॉकों को खनन लाइसेंस के लिये नीलाम किया गया है, जिससे लाइसेंसधारी को तत्काल खनन कार्य करने की अनुमति मिल जाती है, जबकि शेष 16 ब्लॉकों की नीलामी समग्र लाइसेंस (CL) के लिये की जा रही है जिससे खनन और भूवैज्ञानिक अन्वेषण की अनुमति मिलती है।

महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहली नीलामी की पृष्ठभूमि क्या है?

- सरकार द्वारा 30 खनिजों को "महत्त्वपूर्ण" घोषित किये जाने एवं खनन कानूनों में संशोधन के बाद महत्त्वपूर्ण खनिजों की नीलामी का कार्य शुरू किया गया है।
- जुलाई 2023 में सरकार ने MDMR संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करके 30 खनिजों को महत्त्वपूर्ण खनिजों के रूप में चिह्नित किया, यह संशोधन केंद्र सरकार को इन खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी करने का अधिकार प्रदान करता है।
  - 30 महत्त्वपूर्ण खनिज इस प्रकार हैं- एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकल, PGE, फॉस्फोरस, पोटाश, REE, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।
- बोली लगाने वालों द्वारा प्रदान किये गए खनिज प्रेषण मूल्य के उच्चतम प्रतिशत को बोली/बिडिंग का आधार माना जाता है।
  - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा देश भर में महत्त्वपूर्ण खनिज भंडारों की सक्रिय रूप से खोज की जा रही है।

महत्त्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

- **महत्त्वपूर्ण खनिज:**
  - आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक खनिजों को महत्त्वपूर्ण खनिज कहा जाता है, चुनिंदा भौगोलिक स्थानों में इनके निष्कर्षण अथवा प्रसंस्करण की मात्रा या फिर इनकी उपलब्धता से आपूर्ति शृंखला में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है।

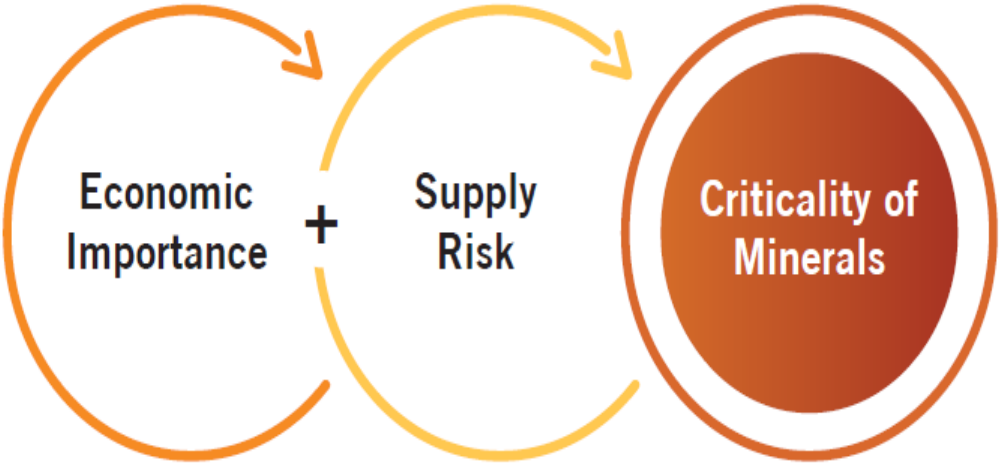

Economic Importance	Supply Risk
Disruption Potential	Governance-Weighted Mineral Concentration
Substitutability Index (EI)	End-of-life Recycling Rates (EOL-RR)
GVA Multiplier Score	Import Reliance (IR) and Self-Sufficiency (SS)
Cross-Cutting Index (CCI)	Substitutability Index (SR)

➲ **महत्त्वपूर्ण खनिजों की घोषणा:**

- यह एक परिवर्तनीय प्रक्रिया है और समय के साथ नई प्रौद्योगिकियों, बाज़ार गतिशीलता तथा भू-राजनीतिक स्थितियों के साथ विकसित होती रहती है।
- विशिष्ट परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न देशों में विभिन्न महत्त्वपूर्ण खनिज उपलब्ध हो सकते हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा आर्थिक विकास में उनकी भूमिका के मद्देनज़र अमेरिका ने 50 खनिजों को महत्त्वपूर्ण घोषित किया है।
- जापान के अनुसार, उनकी अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों की संख्या 31 है, यही संख्या यूके के लिये 18, यूरोपीय संघ के लिये 34 और कनाडा के लिये 31 है।

Sl. No.	Critical Mineral	Percentage (2020)	Major Import Sources (2020)
1.	Lithium	100%	Chile, Russia, China, Ireland, Belgium
2.	Cobalt	100%	China, Belgium, Netherlands, US, Japan
3.	Nickel	100%	Sweden, China, Indonesia, Japan, Philippines
4.	Vanadium	100%	Kuwait, Germany, South Africa, Brazil, Thailand
5.	Niobium	100%	Brazil, Australia, Canada, South Africa, Indonesia
6.	Germanium	100%	China, South Africa, Australia, France, US
7.	Rhenium	100%	Russia, UK, Netherlands, South Africa, China
8.	Beryllium	100%	Russia, UK, Netherlands, South Africa, China
9.	Tantalum	100%	Australia, Indonesia, South Africa, Malaysia, US
10.	Strontium	100%	China, US, Russia, Estonia, Slovenia
11.	Zirconium(zircon)	80%	Australia, Indonesia, South Africa, Malaysia, US
12.	Graphite(natural)	60%	China, Madagascar, Mozambique, Vietnam, Tanzania
13.	Manganese	50%	South Africa, Gabon, Australia, Brazil, China
14.	Chromium	2.5%	South Africa, Mozambique, Oman, Switzerland, Turkey
15.	Silicon	<1%	China, Malaysia, Norway, Bhutan, Netherlands

Table.1 The net import reliance for critical minerals of India (2020) (Source: A report on 'Unlocking Australia-India Critical Minerals Partnership Potential' by Australian Trade and Investment Commission, July 2021)

शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ने हाल ही में जुलाई-सितंबर 2023 के आँकड़े जारी किये, जो शहरी क्षेत्रों में भारत की बेरोज़गारी दर को दर्शाते हैं।

हालिया PLFS की प्रमुख विशेषताएँ:

- शहरी बेरोज़गारी दर: शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर 7.2% (जुलाई-सितंबर 2022) से घटकर 6.6% (जुलाई-सितंबर 2023) हो गई।
  - पुरुष: यह दर इस समयावधि में 6.6% से घटकर 6% हो गई है।
  - महिला: इनकी दर में अधिक सकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई, जो दी गई समयावधि में 9.4% से घटकर 8.6% हो गई।
- श्रमिक-जनसंख्या अनुपात: शहरी क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये जुलाई-सितंबर, जो वर्ष 2022 में 44.5% से बढ़कर जुलाई-सितंबर, वर्ष 2023 में 46% हो गया।
  - पुरुष: यह दर इस समयावधि के दौरान 68.6% से बढ़कर 69.4% हो गई।
  - महिला: इनकी दर इस समयावधि के दौरान 19.7% से बढ़कर 21.9% हो गई।
- श्रम बल भागीदारी दर: शहरी क्षेत्रों में LFPR जुलाई-सितंबर 2022 के 47.9% से बढ़कर जुलाई-सितंबर, 2023 में 49.3% हो गई।

- पुरुष: इनकी दर में इस अवधि के दौरान 73.4% से 73.8% तक मामूली वृद्धि देखी गई।
- महिला: इनकी दर में 21.7% से 24.0% तक अधिक महत्त्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित की गई।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण क्या है?

परिचय:

- अधिक नियमित समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए NSSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया।
- PLFS बेरोज़गारी दर को श्रम बल में बेरोज़गार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित करता है।

PLFS का उद्देश्य:

- केवल 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) में शहरी क्षेत्रों के लिये तीन माह के अल्प समय अंतराल में प्रमुख रोज़गार और बेरोज़गारी संकेतक (जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोज़गारी दर) का अनुमान लगाना।
- वार्षिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 'सामान्य स्थिति' और CWS दोनों में रोज़गार तथा बेरोज़गारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

संबंधित प्रमुख शर्तें क्या हैं?

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन लोगों के प्रतिशत का प्रतिनिधित्त्व करता है जो या तो कार्यरत हैं या बेरोज़गार हैं लेकिन सक्रिय रूप से कार्य की तलाश में हैं।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR): यह कुल जनसंख्या के भीतर नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत को मापता है।
- बेरोज़गारी दर (UR): यह श्रम बल में बेरोज़गार वाले व्यक्तियों के प्रतिशत को इंगित करता है।
- **गतिविधि के संबंध में:**
  - प्रमुख गतिविधियों स्थिति (PS): वह प्राथमिक गतिविधि जो एक व्यक्ति पर्याप्त अवधि (सर्वेक्षण से पहले 365 दिनों के दौरान) में कर रहा है।
  - सहायक आर्थिक गतिविधियों स्थिति (SS): सर्वेक्षण से पहले 365 दिन की अवधि में कम से कम 30 दिनों के लिये सामान्य प्राथमिक गतिविधि के अलावा अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियाँ की गईं।
  - वर्तमान साप्ताहिक स्थिति(CWS): यह स्थिति सर्वेक्षण तिथि से ठीक पहले पिछले 7 दिनों के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधियों को दर्शाती है।

सेबी बोर्ड ने नियामक ढाँचे को स्वीकृति प्रदान की

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) बोर्ड ने प्रतिभूति बाज़ार में वित्तीय बेंचमार्क को नियंत्रित एवं प्रशासित करने में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने हेतु सूचकांक प्रदाताओं के लिये एक ढाँचे को स्वीकृति प्रदान की है।

सेबी द्वारा बनाए गए नए नियम:

सूचकांक प्रदाताओं के पंजीकरण हेतु ढाँचा:

- सेबी ने सूचकांक प्रदाताओं के पंजीकरण के लिये एक ढाँचा स्थापित करने वाले नियमों को स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की। यह ढाँचा विशेष रूप से 'महत्त्वपूर्ण सूचकांकों' पर लागू होगा, जिन्हें सेबी वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर पहचानेगा।
  - नियामक ढाँचा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) वित्तीय बेंचमार्क के सिद्धांतों के अनुरूप है।

AIF निवेश हेतु डिमटेरियलाइज़ेशन (अभौतिकीकरण) की आवश्यकता:

- सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के लिये सितंबर 2024 के बाद किये गए नए निवेश को डीमटेरियलाइज़्ड रूप में रखने की शुरुआत की।
  - हालाँकि मौजूदा निवेश इस नियम के अधीन नहीं हैं, जब तक कि संबंधित कानून द्वारा आवश्यक न हो या जब तक AIF निवेशित कंपनी स्वयं या अन्य सेबी-पंजीकृत व्यवसायों के साथ संयोजन में नियंत्रित न हो।
- संरक्षकों की नियुक्ति का आदेश, जो पहले विशिष्ट AIF श्रेणियों पर लागू होता था, अब सभी AIF पर लागू होगा।

सेबी (रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट) विनियमों में संशोधन:

- सेबी बोर्ड ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट् (REIT) के विनियमों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की, ताकि कम-से-कम ₹50 करोड़ की संपत्ति मूल्य वाले लघु और मध्यम REIT (SM REIT) के लिये एक नियामक ढाँचा तैयार किया जा सके।
- विशेष प्रयोजन वाहनों (SPV)के माध्यम से लघु और मध्यम REIT (SM REIT) अपने रियल एस्टेट परिसंपत्ति स्वामित्व के लिये अलग योजनाएँ स्थापित करने में सक्षम होंगे।

- **सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) ढाँचे में लचीलापन:**
  - सेबी ने गैर-लाभकारी संगठनों (NPO) द्वारा धन की उगाही (boost fundraising) को बढ़ावा देने के लिये सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के ढाँचे में लचीलापन प्रदान किया।
  - इसमें SSE पर NPO द्वारा ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स (ZCZP) के सार्वजनिक निर्गमन हेतु न्यूनतम निर्गम आकार (issue size) और आवेदन आकार (application size) में कमी शामिल है, जिससे खुदरा निवेशकों सहित व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- **NPO के लिये नामावली में बदलाव (Nomenclature Change) और सुविधाजनक उपाय:**
  - सेबी ने सामाजिक क्षेत्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिये नामकरण को "सामाजिक लेखा परीक्षक" से "सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्त्ता" में परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान की है।
  - इस उपाय का उद्देश्य SSE में शामिल NPO को राहत प्रदान करना और सामाजिक प्रभाव पहल के लिये सेबी के समर्थन को सुदृढ़ करना है।

प्रमुख शब्दावली:

- सूचकांक प्रदाता: यह वित्तीय सूचकांकों के मूल्यों, उन्हें बनाए रखने और गणना करने के लिये ज़िम्मेदार संस्था है। वित्तीय सूचकांक वित्तीय बाज़ारों के एक विशिष्ट खंड के प्रदर्शन का एक सांख्यिकीय माप है।
- वैकल्पिक निवेश कोष (AIF): AIF से तात्पर्य भारत में स्थापित किसी भी निवेश से है, जो एक निजी तौर पर एकत्रित निवेश माध्यम है जो अपने निवेशकों के लाभ के लिये एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने के लिये परिष्कृत निवेशकों, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, से धन एकत्र करता है।
- **श्रेणियाँ:**
  - श्रेणी I AIF: सामान्यत: ये स्टार्ट-अप या शुरुआती चरण के उद्यमों में निवेश करते हैं जिन्हें सरकार या नियामक सामाजिक या आर्थिक रूप से वांछनीय मानते हैं।
    - जैसे: उद्यम पूंजी निधि, अवसंरचना निधि।
  - श्रेणी II AIF: ये वे AIF हैं जो श्रेणी I और III में नहीं आते हैं और जो सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के नियमों के अनुसार दिन-प्रतिदिन की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त अन्य लाभ या ऋण नहीं लेते हैं।
    - जैसे: रियल एस्टेट फंड, निजी इक्विटी फंड।
  - श्रेणी III AIF: ये AIF जो विविध या जटिल व्यापारिक रणनीतियों को नियोजित करते हैं और सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध संजातीय (derivatives) निवेश का लाभ उठा सकते हैं।
    - जैसे: हेज (hedge) फंड, सार्वजनिक इक्विटी फंड में निजी निवेश।
- रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT): यह निवेश का वह साधन है, जो व्यक्तियों को संपत्ति का प्रत्यक्ष प्रबंधन या स्वामित्व किये बिना बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट में निवेश करने और आय अर्जित करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - REIT, रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिये कई निवेशकों से पूंजी एकत्र करता है, जिसमें आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियाँ, शॉपिंग सेंटर, कार्यालय, होटल आदि शामिल हैं।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE): SSE मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज के भीतर एक अलग खंड के रूप में कार्य करेगा और सामाजिक उद्यमों को अपने तंत्र के माध्यम से सामान्य जन से धन एकत्रित करने में सहायता करेगा।
  - यह उद्यमों के लिये अपनी सामाजिक पहलों हेतु वित्त प्राप्त करने, दृश्यता हासिल करने और धन एकत्रित करने और अधिक पारदर्शिता प्रदान करने के माध्यम के रूप में कार्य करेगा।

सेबी (SEBI):

- **परिचय:**
  - सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय (एक गैर-संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया) है।
  - सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है।
  - सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं।

➲ **पृष्ठभूमि:**

- सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक (Controller of Capital Issues) नियामक प्राधिकरण था; इसे पूंजी मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत अधिकार प्राप्त थे।
- अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाज़ार के नियामक के रूप में किया गया था।
- प्रारंभ में सेबी एक गैर-वैधानिक निकाय था जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी, लेकिन सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से यह एक स्वायत्त निकाय बना और इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।

➲ **संरचना:**

- सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष और कई अन्य पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- सेबी समय-समय पर तत्कालीन महत्त्वपूर्ण मुद्दों की जाँच हेतु विभिन्न समितियाँ भी नियुक्त करता है।
- इसके अतिरिक्त सेबी के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिये एक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal- SAT) का गठन भी किया गया है।
  - SAT में एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
  - सेबी के पास वही शक्तियाँ हैं, जो एक दीवानी न्यायालय में निहित होती हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 'प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण' (SAT) के निर्णय या आदेश से सहमत नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO):

➲ **परिचय:**

- स्थापना: अप्रैल 1983
- मुख्यालय: मेड्रिड, स्पेन

➲ **सदस्यता का महत्त्व:**

- IOSCO, सदस्यों को साझा हितों के क्षेत्रों, वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये मंच प्रदान करता है।
- सेबी IOSCO का सदस्य है।

भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लिये पहली बार रुपए में भुगतान किया है, जिससे भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

➲ जुलाई 2023 में, संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) से दस लाख बैरल कच्चे तेल के लिये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) को रुपए में भुगतान की सुविधा प्रदान की। इसी तरह, कुछ रूसी तेल आयात का निपटान रुपए में किया गया।

➲ भारत, तेल आयात (85% से अधिक) पर बहुत अधिक निर्भर है, विशेष रूप से इसने यूक्रेन संघर्ष के बाद रूसी तेल विवाद के बीच, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन किये बिना आपूर्तिकर्त्ताओं में विविधता लाते हुए सबसे अधिक लागत प्रभावी तेल की सोर्सिंग पर केंद्रित रणनीति अपनाया है।

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है?

➲ **परिचय:**

- रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार विनिमय में स्थानीय मुद्रा का उपयोग बढ़ाना शामिल है।
- इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिये रुपए को बढ़ावा देना तथा फिर अन्य चालू खाता विनिमय के बाद पूंजी खाता विनिमय में इसका उपयोग करना शामिल है।

➲ **ऐतिहासिक संदर्भ:**

- 1950 के दशक में, भारतीय रुपए का व्यापक रूप से संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर में वैधानिक निविदा के रूप में उपयोग किया जाता था।
- हालाँकि, वर्ष 1966 तक भारत की मुद्रा के अवमूल्यन के कारण भारतीय रुपए पर निर्भरता कम करने के लिये इन देशों में संप्रभु मुद्राओं की शुरुआत हुई।

➲ **अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में कदम:**

- GIFT सिटी में विकास
- एशियाई समाशोधन संघ (ACU):
  - एशियाई समाशोधन संघ (Asian Clearing Union- ACU) एक क्षेत्रीय भुगतान व्यवस्था है। यह बहुपक्षीय आधार पर अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार लेनदेन के निपटान की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में एशिया के दस केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई थी। ACU में वर्तमान में 13 सदस्य देश हैं तथा भारत ACU का सदस्य है।
- मार्च 2023 में RBI ने 18 देशों के साथ रुपए के व्यापार निपटान के लिये तंत्र स्थापित किया।

- इन देशों के बैंकों को भारतीय रुपए में भुगतान के निपटान के लिये विशेष रुपी वोस्ट्रो खाते (Special Vostro Rupee Accounts- SVRA) खोलने की अनुमति दी गई है।

- जुलाई 2022 में RBI ने "भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान" पर एक परिपत्र जारी किया।
- RBI ने रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार (विशेष रूप से मसाला बॉण्ड) को सक्षम किया।

T+0 और त्वरित निपटान चक्र

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा निधियों एवं प्रतिभूतियों के लिये वैकल्पिक T+0 (उसी दिन) तथा तत्काल निपटान चक्र के लिये एक नई प्रणाली प्रस्तावित की गई है। यह प्रणाली द्वितीयक बाज़ारों में इक्विटी नकदी खंड के लिये मौजूदा T+1 (एक दिन का ट्रेड प्लस) निपटान चक्र का पूरक होगी।

- SEBI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसे व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाले तात्कालिक भुगतान विकल्पों को अपनाकर स्टॉक ट्रेडिंग में लचीलेपन के लिये आधुनिक निवेशकों की इच्छाओं को बेहतर ढंग से समायोजित करना चाहता है।

प्रतिभूति बाज़ार में निपटान चक्र क्या है?

- निपटान चक्र में T: वित्तीय बाज़ारों के भीतर निपटान चक्रों में "T" उस दिन को संदर्भित करता है जिस दिन लेनदेन या व्यापार होता है।
  - इस संदर्भ में "T" लेनदेन की तारीख का प्रतिनिधित्व करता है। निपटान चक्र, जिसे "T+n" के रूप में दर्शाया जाता है, लेन-देन की तारीख (T) के बाद के दिनों की संख्या निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा व्यापार का निपटान या समापन होता है।
- निपटान चक्र का विकास: SEBI ने निपटान चक्र को वर्ष 2002 में T+5 से छोटा करके T+3 और उसके बाद वर्ष 2003 में T+2 कर दिया।
  - वर्तमान में भारत में निधियों और प्रतिभूतियों का निपटान T+1 चक्र पर होता है, जिसे वर्ष 2021 तक चरणबद्ध किया गया तथा जनवरी 2023 तक पूर्ण रूप से लागू किया गया।
- **नए निपटान चक्रों के लिये SEBI के प्रस्तावित चरण:**
  - चरण 1: T+0 निपटान चक्र:
    - दोपहर 1:30 बजे तक के ट्रेड/व्यापारों के लिये एक वैकल्पिक T+0 निपटान चक्र की कल्पना की गई है, जिसका लक्ष्य उसी दिन शाम 4:30 बजे तक फंड और प्रतिभूतियों का निपटान करना है।
  - चरण 2: त्वरित निपटान चक्र:
    - इसका लक्ष्य अपराह्न 3:30 बजे तक व्यापार के साथ, फंड/निधि और प्रतिभूतियों सहित, एक वैकल्पिक किंतु तात्कालिक व्यापार-दर-व्यापार निपटान करना है।
  - SEBI ने बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के लिये तीन किश्तों (200, 200,100) में T+0 निपटान चक्र के प्रारंभिक रोलआउट का प्रस्ताव दिया है।
    - यह पहल बदलते भारतीय प्रतिभूति बाज़ार के अनुरूप है, जो बढ़ती संख्या, मूल्यन/भाव तथा प्रतिभागियों पर आधारित है।
- **लाभ:**
  - ग्राहक: यह विक्रेताओं के लिये प्रतिभूतियों के लिये धन के त्वरित भुगतान को सक्षम बनाता है तथा भुगतान हेतु बेहतर लचीलेपन की प्रस्तुति करता है।
  - प्रतिभूति बाज़ार पारिस्थितिकी तंत्र: त्वरित भुगतान से बाज़ार पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता एवं तरलता को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

RBI ने AIF में ऋणदाताओं के लिये मानदंड मज़बूत किये

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) जैसी विनियमित संस्थाओं (REs) को तनावग्रस्त ऋणों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक कदम उठाया है और अन्य ऋणदाताओं को वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) की किसी भी योजना में निवेश नहीं करना चाहिये, जिसमें देनदार कंपनी में अनुप्रवाह (downstream) निवेश हो।

- विनियमित संस्थाएँ (REs) अपने नियमित निवेश परिचालन के हिस्से के रूप में AIF की इकाइयों में निवेश करती हैं। हालाँकि, RBI ने कहा कि AIF से जुड़ीं विनियमित संस्थाओं के कुछ लेन-देन, नियामक चिंताओं को बढ़ाते हैं।

नोट:

डाउनस्ट्रीम निवेश, AIF द्वारा निवेशकों से जुटाए गए धन का उपयोग करके कंपनियों में किये गए वास्तविक निवेश को संदर्भित करता है।

वैकल्पिक निवेश निधि क्या है?

- परिचय: वैकल्पिक निवेश निधि (Alternative Investment Funds- AIF) का तात्पर्य भारत में स्थापित अथवा गठित एक निधि से है, जो निजी तौर पर एकत्रित निवेश तंत्र के रूप में कार्य करता है।

- यह एक विशेष निवेश नीति के अनुसार निवेश (घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय) करने के उद्देश्य से, परिष्कृत निवेशकों से धन एकत्रित करता है, जिससे अंततः अपने निवेशकों को लाभ होता है।
- ये निवेश तंत्र SEBI (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 का अनुपालन करते हैं।
- दिसंबर, 2023 तक, 1,220 AIF भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकृत थे।

- भारत में AIF के प्रकार: SEBI ने AIF को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है–
  - श्रेणी–I: AIF के माध्यम से स्टार्टअप, शुरुआती चरण के उद्यमों, सामाजिक पहल, SME, आधारभूत अवसंरचना अथवा अधिकारियों द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभकारी समझे जाने वाले क्षेत्रों में निवेश किया जाता है।
    - इसमें उद्यम पूंजी (Venture Capital), सामाजिक उद्यम निधि (Social Venture Funds), अवसंरचना निधि और कोई अन्य निर्दिष्ट वैकल्पिक निवेश निधि शामिल हैं।
  - श्रेणी–II: ऐसे AIFs जो श्रेणी–I और III के अंतर्गत नहीं आते और जो दिन-प्रतिदिन की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अन्य लेन-देन नहीं करते अथवा उधार नहीं लेते।
    - इनमें रियल एस्टेट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड (PE फंड), डिस्ट्रेस्ड ऐसेट फंड और इसी तरह के अन्य फंड शामिल हैं।
  - श्रेणी–III: AIFs जो विविध या जटिल व्यापारिक रणनीतियों को नियोजित करते हैं तथा सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध डेरिवेटिव में निवेश सहित लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
    - विभिन्न प्रकार के फंड जैसे हेज फंड, PIPE (सार्वजनिक इक्विटी में निजी निवेश) फंड आदि श्रेणी–III AIF के रूप में पंजीकृत हैं।
- विधिक प्रारूप: AIF को एक न्यास/ट्रस्ट या कंपनी अथवा सीमित देयता भागीदारी या कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

उन्नति, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बनी

हाल ही में SGBS उन्नति फाउंडेशन (SUF), सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बन गई। उक्त फाउंडेशन का उन्नति कार्यक्रम 18 से 25 वर्ष की आयु के वंचित और बेरोज़गार युवाओं के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।

- SUF, एक गैर-लाभकारी संगठन (NPO) है, जिसे वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकरण करने के बाद एक गैर-लाभकारी संगठन ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स जारी करके SSE पर धन जुटा सकता है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) क्या है?

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE), केंद्रीय बजट वर्ष 2019-20 में पेश किया गया था जिसका उद्देश्य सामाजिक उद्यम, स्वैच्छिक तथा कल्याणकारी संगठनों को सूचीबद्ध कर एक मंच प्रदान करना था जिसकी सहायता से वे पूंजी जुटा सकें।
  - सामाजिक उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से है जिसकी प्रकृति हानि-रहित है, लाभांश का भुगतान नहीं करता है तथा जिसकी स्थापना सामाजिक मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से की गई है।
- यह बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के तहत कार्य करता है।
  - इस पहल का उद्देश्य उन सामाजिक एवं स्वैच्छिक संगठनों की मदद करना है जो इक्विटी अथवा ऋण अथवा म्यूचुअल फंड की एक इकाई के रूप में पूंजी जुटाने के लिये सामाजिक कारणों से कार्य करते हैं।
- यह विदेशी सहायता से भारत की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करते हुए, सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण के नवीन तथा किफायती स्रोत प्रदान करता है।
- SEBI ने SSE पर पंजीकृत सामाजिक उद्यमों को ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल बॉण्ड (ZCZP) के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति दी थी।

ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल (ZCZP) क्या है?

- **परिचय:**
  - 'ज़ीरो कूपन, ज़ीरो प्रिंसिपल' उपकरण स्टॉक अथवा बॉण्ड नहीं हैं अपितु SSE में सूचीबद्ध NPO को पूंजी दान करने के उपकरण हैं।
  - ZCZP बॉण्ड ऋण प्रदान नहीं करते हैं तथा निवेशकों को बॉण्ड की परिपक्वता पर कोई पूंजी प्रदत्त नहीं की जाती है।
  - गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा जारी ZCZP बॉण्ड SSE पर सूचीबद्ध हैं। द्वितीयक बाज़ार में उनके व्यापार की उपलब्धता नहीं होती है किंतु विधिक उत्तराधिकारियों को उनका अंतरण किया जा सकता है क्योंकि वे विभौतकीय (डीमैटरियलाइज़्ड) रूप में जारी किये जाते हैं।
  - लाभकारी संगठनों द्वारा जारी किये गए समान ZCZP बॉण्ड एक्सचेंजों के मुख्य बोर्ड अथवा SME प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किये जा सकते हैं तथा द्वितीयक बाज़ार में व्यापार के लिये उपलब्ध होते हैं।

- **लाभ:**
  - ZCZP एक चैरिटी के लिये दिये गए दान के समान है। सामाजिक उद्यम के उद्देश्य में पारदर्शिता बढ़ी है। चूँकि उद्यमों को उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि तथा एक्सचेंजों के लिये राशि के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है इसलिये धन के अंतिम उपयोग को भी ट्रैक किया जा सकता है।
  - लिस्टिंग सामाजिक उद्यमों को दृश्यता प्रदान करती है और यदि वे अच्छे परिणाम दिखा सकते हैं तो उन्हें नियमित अंतराल पर जनता से संपर्क करने में मदद मिलती है।
  - सेबी के साथ पंजीकृत अधिकांश AIF ट्रस्ट/न्यास के रूप में हैं।

सूरत डायमंड बाज़ार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स (SDB) का उद्घाटन किया, जो हीरे और आभूषण उद्योग में एक महत्त्वपूर्ण विकास का प्रतीक है।

SDB विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। इसका उद्देश्य सूरत की हीरे की कटाई और पॉलिशिंग विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए हीरा व्यापार केंद्र को मुंबई से सूरत में स्थानांतरित करना है।

भारत में हीरा उद्योग की स्थिति क्या है ?

- हीरा: हीरा एक दुर्लभ, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जो शुद्ध कार्बन से बना होता है। हीरा शब्द ग्रीक शब्द एडमास से आया है, जिसका अर्थ अविनाशी होता है।
  - हीरा दो प्रकार के निक्षेपों में पाया जाता है, मुख्य रूप से बुनियादी या अल्ट्राबेसिक संरचना की आग्नेय चट्टानों में और प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त जलोढ़ निक्षेपों में।
- प्रमुख हीरा उत्पादक देश: रूस, बोत्सवाना, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य।
  - रूस वर्ष 2022 में लगभग 42 मिलियन कैरेट के कच्चे हीरे का खनन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- नोट: हाल ही में G7 देशों के समूह ने जनवरी 2024 से रूसी मूल के हीरे तथा मार्च 2024 से भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों द्वारा संसाधित हीरे पर प्रत्यक्ष आयात प्रतिबंध की घोषणा की है, जिसने भारतीय रत्न एवं आभूषण व्यापार व हीरा प्रसंस्करण उद्योग के लिये चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
  - हालाँकि प्रयोगशाला में निर्मित हीरे अपनी पर्यावरण-अनुकूल प्रकृति के कारण लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं।
- भारत में हीरा उद्योग: भारत हीरों के लिये विश्व का सबसे बड़ा कटिंग एवं पॉलिशिंग केंद्र है, जो वैश्विक स्तर पर 90% से अधिक पॉलिश किये गए हीरे के निर्माण के लिये ज़िम्मेदार है।
  - इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार, भारत के हीरे के क्षेत्रों को चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है–
    - मध्य प्रदेश का मध्य भारतीय क्षेत्र, जिसमें पन्ना बेल्ट शामिल है।
    - आंध्र प्रदेश का दक्षिण भारतीय क्षेत्र, जिसमें अनंतपुर, कडपा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर तथा कुरनूल ज़िले के कुछ हिस्से शामिल हैं।
    - छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में बेहरादीन-कोडावली क्षेत्र और बस्तर ज़िले में तोकापाल, दुगापाल आदि क्षेत्र।
    - पूर्वी भारतीय भू-भाग में ओडिशा का अधिकतर भाग, जो महानदी और गोदावरी घाटियों के बीच स्थित है।
  - भारत वर्ष 2022 में कटिंग और पॉलिश किये गए हीरों का सबसे बड़ा निर्यातक था।

विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने "विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ (LEADS) 2023" रिपोर्ट का 5वाँ संस्करण जारी किया है, जो रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करके लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हितधारकों के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ (LEADS) क्या है ?

- **परिचय:**
  - लीड्स सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिये एक स्वदेशी डेटा-संचालित सूचकांक है।
  - LEADS अभी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरों पर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने वाले कार्यों की पहचान करने के लिये एक मार्गदर्शक तंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक, जैसे लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, इसके साथ एक अनुकूल सहसंबंध दिखाते हैं।
  - रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करके और अपने लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके, LEADS लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हितधारकों का नेतृत्त्व करना चाहता है।

- LEADS की कल्पना वर्ष 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज़ पर की गई थी, जो समय के साथ विकसित हुई है।

➲ **मूल्यांकन के मानदंड:**

- रिपोर्ट तीन प्रमुख स्तंभों के आधार पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है–
  - रसद अवसंरचना (Logistics Infrastructure)
  - रसद सेवाएँ (Logistics Services)
  - परिचालन एवं विनियामक वातावरण (Operating and Regulatory Environment)

➲ **कार्यप्रणाली:**

- यह रिपोर्ट मई और जुलाई 2023 के बीच किये गए अखिल भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 7,300 से अधिक प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें विभिन्न संघों द्वारा सहायता प्राप्त 750 से अधिक हितधारक परामर्शों की अंतर्दृष्टि भी शामिल है।

लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स क्या है?

➲ विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है, जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों तथा अवसरों की पहचान करने एवं अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने का कार्य करता है।

➲ LPI छह प्रमुख आयामों में देश के स्कोर का परिकलित औसत है:

- सीमा-शुल्क प्रदर्शन
- अवसंरचना की गुणवत्ता
- शिपमेंट की व्यवस्था में सरलता
- लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता
- खेप की ट्रैकिंग तथा अनुरेखण
- शिपमेंट की समयबद्धता

➲ LPI 2023 में भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है।

लॉजिस्टिक्स से संबंधित पहल क्या हैं?

➲ माल बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993।
➲ PM गति शक्ति योजना
➲ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
➲ लीड्स (LEADS) रिपोर्ट
➲ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
➲ सागरमाला परियोजनाएँ
➲ भारतमाला परियोजना

हरित हाइड्रोजन परियोजनाएँ और SEZs

भारत सरकार वर्तमान नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के भीतर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन पर केंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये महत्त्वपूर्ण वित्तीय लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission-NGHM)

नोडल मंत्रालय

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

उद्देश्य

- ऊर्जा/उद्योग/मोबिलिटी क्षेत्र को डीकार्बोनाइज (कार्बन मुक्त) करना
- स्वदेशी निर्माण क्षमता विकसित करना
- GH2 और इसके व्युत्पन्नों के लिये निर्यात के अवसर सृजित करना

NGHM के घटक

- **ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिये रणनीतिक क्रियाकलाप (SIGHT)**
- रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार भागीदारी (SHIP) (अनुसंधान एवं विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी)

GH2 वर्तमान में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है; भारत में वर्तमान लागत लगभग 350-400/किग्रा है।
राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का लक्ष्य इसे 100/किग्रा के नीचे लाना है।

वर्ष 2030 तक अपेक्षित परिणाम

- प्रति वर्ष कम-से-कम 5 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) हरित हाइड्रोजन (GH2) का उत्पादन
- जीवाश्म ईंधन के आयात में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत
- छह लाख से अधिक रोजगार
- वार्षिक CO_2 उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी
- ₹ 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश

हाइड्रोजन तथा हरित हाइड्रोजन

- हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्त्व है लेकिन यह अन्य तत्त्वों के साथ संयोजन में ही मौजूद होता है। इसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों (जैसे जल) से अलग किया जाता है।
- अक्षय/नवीकरणीय ऊर्जा (RE) द्वारा संचालित विद्युत अपघटनी/इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस/विद्युत अपघटन नामक विद्युत प्रक्रिया के माध्यम से जल के विभाजन द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) बनाया जाता है।

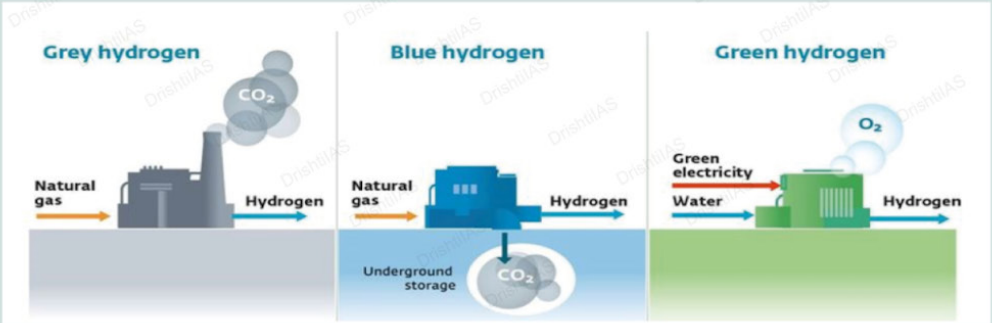

नोट: कैप्टिव उपभोग (Captive Consumption) का तात्पर्य उत्पादक इकाई के परिसर के भीतर अथवा निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर बाह्य बाज़ारों में स्थानांतरण अथवा विपणन के बिना वस्तुओं अथवा सेवाओं के उपयोग से है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है?

- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें आर्थिक कानून मौजूद हैं जो देश के घरेलू आर्थिक कानूनों की तुलना में अधिक उदार हैं।
  - श्रेणी 'SEZ' में अधिक विशिष्ट प्रकारों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है, जिनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
    - मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTZ)
    - निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ)
    - मुक्त क्षेत्र (FZ)
    - औद्योगिक संपदा (IE)
  - भारत एशिया में निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र मॉडल की प्रभावशीलता को पहचानने वाले पहले देशों में से एक था, एशिया का पहला EPZ वर्ष 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था।
- भारत में SEZ: विदेशी निवेश बढ़ाने, रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने और बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ निर्यात के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी व निर्बाध वातावरण प्रदान करने के लिये अप्रैल 2000 में भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई थी।
  - भारत के सभी कानून SEZ के अंतर्गत लागू होते हैं जब तक कि SEZ अधिनियम/नियमों के अनुसार विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
    - प्रत्येक ज़ोन का नेतृत्व एक विकास आयुक्त करता है और इसे SEZ अधिनियम, 2005 और SEZ नियम, 2006 के अनुसार प्रशासित किया जाता है।
    - SEZ में विनिर्माण, व्यापार या सेवा गतिविधि के लिये इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं।

भौतिक से डिजिटल सोने की ओर बदलाव

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF), गोल्ड म्यूचुअल फंड एवं सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड भौतिक सोने की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो गए हैं जिनमें विशेषकर भंडारण और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सोना भारतीय परिवारों से कैसे संबंधित है?

- **भारतीय परिवारों के पास सोने का भार:**
  - जेफरीज़ की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2023 तक कुल भारतीय घरेलू संपत्ति का 15.5% सोने में है।
    - जेफरीज़, एक अमेरिकी आधारित निवेश बैंकिंग तथा पूंजी बाज़ार फर्म है जो अमेरिका, यूरोप एवं मध्य पूर्व तथा एशिया में निवेशकों, कंपनियों व सरकारों को अंतर्दृष्टि, विशेषज्ञता एवं निष्पादन सुविधा प्रदान करती है।
  - सोने की कुल हिस्सेदारी में केवल रियल एस्टेट का हिस्सा 50.7%प्रतिशत से अधिक है।
    - शेष हिस्सेदारी में बैंक जमा (14%), बीमा निधि (5.9%), भविष्य और पेंशन निधि (5.8%), इक्विटी (4.7%) एवं नकद (3.4%) शामिल हैं।
  - ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीयों का सोने के प्रति रुझान सही है, क्योंकि क्वांटम म्यूचुअल फंड अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला गया है कि जोखिम-रिटर्न के दृष्टिकोण से सोने के लिये 10-15% पोर्टफोलियो आवंटन उचित है।
  - 10-15% आवंटन निवेशकों को समग्र पोर्टफोलियो रिटर्न को प्रभावित किये बिना जोखिम कम करने की अनुमति देता है।

सोने में निवेश के लिये डिजिटल माध्यम क्या हैं?

- **गोल्ड ETF:**
  - परिचय: स्वर्ण/गोल्ड ETF, जिसका उद्देश्य घरेलू भौतिक सोने की कीमत का आकलन करना है, निष्क्रिय निवेश साधन

हैं जो सोने की कीमतों पर आधारित होते हैं तथा सोने को बुलियन में निवेश करते हैं।

- गोल्ड ETF भौतिक सोने का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयाँ हैं जो कागज़ अथवा डीमैट रूप में हो सकती हैं।
  - एक गोल्ड ETF इकाई 1 ग्राम सोने के बराबर होती है और इसमें उच्च शुद्धता का भौतिक सोना होता है।
  - वे स्टॉक निवेश के लचीलेपन और सोने के निवेश की सहजता को संयोजित करते हैं।

- लाभ:
  - ETF की हिस्सेदारी में पूरी पारदर्शिता रखी गई है।
  - गोल्ड ETF में भौतिक सोने के निवेश की तुलना में बहुत कम खर्च होता है।
  - ETFs पर संपत्ति कर, सुरक्षा लेन-देन कर, वैट और बिक्री कर नहीं लगाया जाता है।
  - ETF सुरक्षित और संरक्षित होने के कारण चोरी का कोई डर नहीं होता क्योंकि ये इकाइयाँ धारक के डीमैट खाते में होती हैं।
- डिजिटल गोल्ड की ओर रुख: गोल्ड ETF में निवेशकों की संख्या जनवरी 2020 में करीब 4.61 लाख से बढ़कर सितंबर 2023 में 48.06 लाख हो गई है।

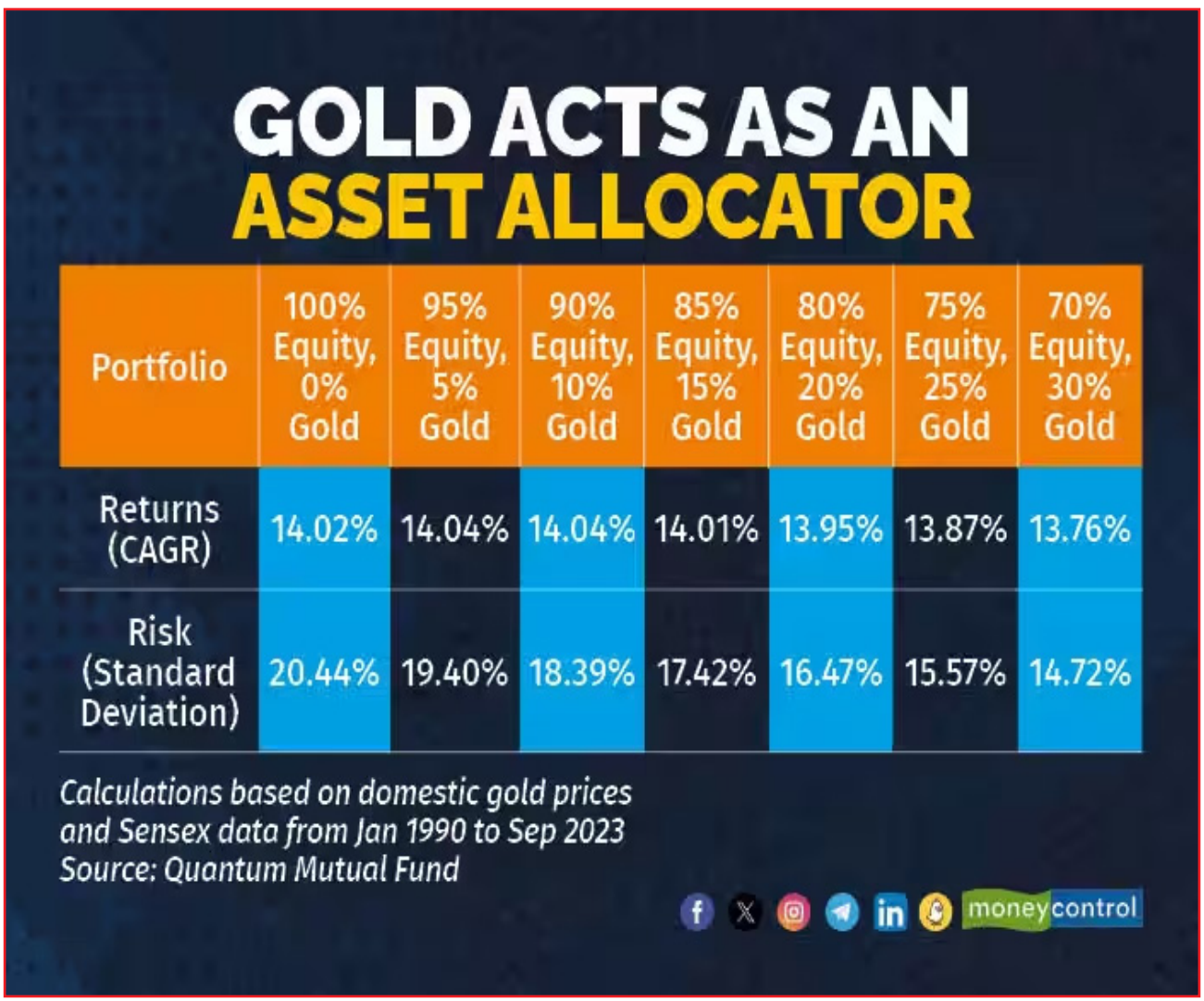

➲ **गोल्ड म्यूचुअल फंड:**

- गोल्ड म्यूचुअल फंड व्यवसायिक रूप से प्रबंधित फंड हैं जो सोने से संबंधित विभिन्न परिसंपत्तियों, जैसे- सोने के खनन स्टॉक, बुलियन और खनन कंपनियों में निवेश करने के लिये कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हैं।
- गोल्ड, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) की तरह वे निवेशकों को भौतिक सोने में निवेश किये बिना सोने के बाज़ार में निवेश की अनुमति देते हैं।

➲ **सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड:**

- पहली SGB योजना नवंबर 2015 में सरकार द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य भौतिक सोने की मांग को कम करना और घरेलू बचत का एक हिस्सा वित्तीय बचत के रूप में स्थानांतरित करना था ताकि उसे सोने की खरीद के लिये इस्तेमाल किया जा सके।

योजना संबंधी प्रमुख विवरण:

वस्तु	विवरण
जारीकर्त्ता	भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
पात्रता	SGB की बिक्री निवासी व्यक्तियों, HUF (हिंदू अविभाजित परिवार), ट्रस्टों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों के लिये प्रतिबंधित होगी।
अवधि	SGB की अवधि 8 वर्ष की होगी, जिसमें 5वें वर्ष के बाद समय से पहले भुनाने का विकल्प होगा।
न्यूनतम सीमा	न्यूनतम अनुमेय निवेश की सीमा एक ग्राम सोना होगा।
अधिकतम सीमा	सदस्यता की अधिकतम सीमा प्रति वित्तीय वर्ष व्यक्तियों के लिये 4 किलोग्राम, HUF के लिये 4 किलोग्राम और ट्रस्टों के लिये 20 किलोग्राम तथा धर्मार्थ संस्थाओं के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित (अप्रैल-मार्च) होगी।
संयुक्त धारक	संयुक्त धारक के मामले में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा पहले आवेदक पर ही लागू होगी।
निर्गमन मूल्यम	इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने की क्लोज़िंग प्राइस के सामान्य औसत के आधार पर SGB की कीमत भारतीय रुपए में तय की जाएगी।
ब्याज दर	निवेशकों को निवेश के आरंभिक मूल्या (अंकित मूल्य या घोषित मूल्य) पर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की नियत दर पर अर्द्धवार्षिक रूप से देय होगा।
संपार्श्विरक	SGB को ऋणों के लिये संपार्श्वि क के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
कर उपचार	आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार, SGB पर ब्याहज कर देना होगा। किसी व्यंक्ति को SGB के मोचन से प्राप्तय पूंजी लाभ कर पर छूट दी गई है।
व्यौपार योग्यता	SGB स्टायक एक्सचेंजों में व्याकपार योग्य् होंगे।
SLR पात्रता	केवल ग्रहणाधिकार/बंधक/गिरवी रखने की प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा अर्जित SGB की गणना सांविधिक नकदी अनुपात में की जाएगी।

➲ **डिजिटल गोल्ड:**

- यह डिजिटल गोल्ड निवेश के प्रकारों में से एक है जहाँ कोई भी छोटे मूल्यवर्ग में सोना ऑनलाइन खरीद सकता है।
- यह निवेशकों को भौतिक सोने के एक हिस्से का मालिक बनने की अनुमति देता है जिसे तिजोरियों में सुरक्षित संग्रहीत किया जाता है।
- यह निवेश निवेशक को भौतिक सोने के निवेश के साथ आने वाली चुनौतियों के बारे में चिंता किये बिना सोने के बाज़ार में निवेश की अनुमति देता है।
- कई डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और निवेश एप डिजिटल गोल्ड में निवेश की सुविधा प्रदान करते हैं।

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF)

➲ एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) प्रतिभूतियों की एक बास्केट है जो स्टॉक की तरह ही एक्सचेंज पर व्यापार करती है।

- एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, BSE सेंसेक्स की तरह एक सूचकांक की संरचना को दर्शाता है। इसका ट्रेडिंग मूल्य अंतर्निहित शेयरों (जैसे शेयर) के नेट एसेट वैल्यू (NAV) पर आधारित होता है, जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है।
- ETF शेयर की कीमतों में पूरे दिन उतार-चढ़ाव होता रहता है क्योंकि इसे खरीदा और बेचा जाता है। यह म्युचुअल फंड से अलग है जिसका बाज़ार बंद होने के बाद दिन में केवल एक बार व्यापार होता है।
- एक ETF विभिन्न उद्योगों में सैकड़ों या हज़ारों शेयर रख सकता है, या फिर उसे किसी एक विशेष उद्योग या क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- बॉण्ड ETF एक प्रकार के ETF हैं जिनमें सरकारी बॉण्ड, कॉरपोरेट बॉण्ड और राज्य तथा स्थानीय बॉण्ड शामिल हो सकते हैं, जिन्हें म्युनिसिपल बॉण्ड कहा जाता है।
  - बॉण्ड एक ऐसा साधन है जो एक निवेशक द्वारा एक उधारकर्त्ता (आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकारी) को दिये गये ऋण का प्रतिनिधित्व करता है।
- लागत प्रभावी होने के अलावा ETF निवेशकों को विविध निवेश पोर्टफोलियो प्रदान करते हैं।

NBFC और डिजिटल ऋण प्रथाओं पर CAFRAL की चिंता

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा स्थापित एक शोध निकाय सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (CAFRAL) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिये बैंक वित्तपोषण में बढ़ते जोखिम को रेखांकित करते हुए डिजिटल ऋण परिदृश्य में संभावित खतरों की पहचान की है।

- CAFRAL ने व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने वाले नकली/अवैध डिजिटल ऋण प्रदाता एप्स के विषय में भी चेतावनी दी, जो कि इस डेटा के संभावित दुरुपयोग के साथ ही उपयोगकर्त्ताओं के लिये सुरक्षा जोखिम उत्पन्न करते हैं।

नोट: डिजिटल ऋण पारंपरिक भौतिक दस्तावेज़ीकरण या व्यक्तिगत बातचीत की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल चैनलों के माध्यम से व्यक्तियों या व्यवसायों को ऋण या क्रेडिट प्रदान करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC):

- **परिचय:**
  - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) 'कंपनी अधिनियम, 1956' के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो ऋण, प्रतिभूतियों में निवेश, पट्टे, बीमा जैसी विभिन्न वित्तीय गतिविधियों में संलग्न होती है।
  - इसमें वे संस्थान शामिल नहीं हैं जिनका प्राथमिक व्यवसाय कृषि, उद्योग, वस्तु व्यापार, सेवाएँ या अचल संपत्ति व्यापार के अंतर्गत आता है।
- **मानदंड:**
  - वित्तीय गतिविधि 'प्रमुख व्यवसाय' तब कहलाएगी, जब कंपनी की वित्तीय आस्तियाँ कुल आस्तियों की 50 प्रतिशत से अधिक हो और वित्तीय आस्तियों से होने वाली आय कुल आय के 50 प्रतिशत से अधिक हो।
    - दोनों मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों को RBI द्वारा NBFC के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
    - RBI अधिनियम 1934 के तहत रिज़र्व बैंक को इन NBFC को पंजीकृत करने, नीति निर्धारित करने, निर्देश जारी करने, निरीक्षण, विनियमन, पर्यवेक्षण और निगरानी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

नोट: मुख्य रूप से कृषि, उद्योग, वस्तु व्यापार, सेवाओं या रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में लगी कंपनियों को RBI द्वारा विनियमित नहीं किया जाएगा, भले ही वे कुछ वित्तीय गतिविधियाँ संचालित करते हों। यह बहिष्करण '50-50 परीक्षण' का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

- **RBI के साथ पंजीकरण से छूट:**
  - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अनुसार कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी 25 लाख रुपए निवल स्वाधिकृत निधि के बिना (अप्रैल 1999 से 2 करोड़ रुपए) तथा रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किये बगैर गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं कर सकती अथवा जारी नहीं रख सकती है।

- हालाँकि अन्य प्राधिकरणों द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुछ वर्गों जैसे- सेबी से पंजीकृत वेंचर कैपिटल फंड/मर्चेंट बैंकिंग कंपनियों/ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण कराने से छूट दी गई है।

➲ **अनुदान:**

- NBFC मुख्य रूप से बाज़ार ऋण-ग्रहण एवं बैंक ऋण के माध्यम से अपने परिचालन को वित्तपोषित करते हैं।

फॉरेन एक्सचेंज पर डायरेक्ट लिस्टिंग

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने कुछ भारतीय कंपनियों को वैश्विक पूंजी तक पहुँच के लिये प्रत्यक्ष विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी है।

➲ 30 अक्तूबर, 2023 से प्रभावी यह प्रावधान कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से पेश किया गया था।

➲ यह घरेलू सार्वजनिक कंपनियों के कुछ वर्गों को कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं (जैसे प्रॉस्पेक्टस, शेयर पूंजी, लाभकारी स्वामित्व आवश्यकताओं और लाभांश वितरित करने में विफलता) से छूट के साथ अहमदाबाद, गुजरात में GIFT अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) सहित विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है।

नोट:

➲ IFSC एक वित्तीय केंद्र है जो घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करता है।

➲ भारत में IFSC को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा विनियमित किया जाता है, जो एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित किया गया था।

- इसका मुख्यालय गुजरात में GIFT सिटी, गांधीनगर में है।

➲ वर्तमान में GIFT IFSC भारत में नवीन IFSC है।

➲ IFSC में, सभी लेनदेन विदेशी मुद्रा (INR को छोड़कर) में होने चाहिये। हालाँकि प्रशासनिक और वैधानिक खर्च INR में किये जा सकते हैं।

नोट:

➲ ADR एक अमेरिकी डिपॉज़िटरी बैंक द्वारा जारी किये गए एक परक्राम्य प्रमाणपत्र को संदर्भित करता है जो शेयरों की एक निर्दिष्ट संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, आमतौर पर यह एक विदेशी कंपनी के स्टॉक का एक हिस्सा है।

➲ GDR डिपॉज़िटरी बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र है जो एक विदेशी कंपनी में शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें एक खाते में जमा करता है। GDR का कारोबार ज्यादातर यूरोपीय बाज़ारों में होता है।

सतत् व्यापार और मानकों पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) के एक स्वायत्त संगठन, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) ने नई दिल्ली में सतत् व्यापार और मानकों (ICSTS) पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की।

➲ ICSTS के दो दिवसीय कार्यक्रम को निजी स्थिरता मानकों पर भारत के राष्ट्रीय मंच (इंडिया PSS प्लेटफॉर्म) द्वारा आयोजित किया गया है जिसकी मेज़बानी स्थिरता मानकों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (UNFSS) के सहयोग से QCI द्वारा की गई है।

➲ ICSTS का उद्देश्य स्वैच्छिक स्थिरता मानकों (VSS) की चुनौतियों और अवसरों पर जागरूकता एवं संवाद को बढ़ावा देना है, जो वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के पर्यावरणीय व सामाजिक पहलुओं को बेहतर बनाने के उपकरण हैं।

मुख्य बिंदु:

➲ **निजी स्थिरता मानकों पर भारत राष्ट्रीय मंच (INPPSS):**

- इसे QCI के सचिवीय निरीक्षण के तहत शुरू किया गया था। राष्ट्रीय संदर्भ में PSS मुद्दों के समाधान के लिये यह विश्व में अपनी तरह की पहली पहल है।
- इसका उद्देश्य मुख्य सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच सतत् विकास लाभ और बाज़ार पहुँच के अवसरों को अधिकतम करने के बारे में चर्चा की सुविधा प्रदान करना है।

➲ **स्थिरता मानकों पर संयुक्त राष्ट्र मंच (UNFSS):**

- UNFSS एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये स्वैच्छिक स्थिरता मानकों (VSS) के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- UNFSS का समन्वय पाँच संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा किया जाता है:
  - खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (ITC), व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP), संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organization- UNIDO)।
  - UNFSS रिपोर्ट तैयार करता है, कार्यक्रम आयोजित करता है और VSS से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

➲ **भारतीय अच्छी कृषि पद्धतियाँ(IndG.AP.):**

- IndG.AP, भारत में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये QCI द्वारा विकसित एक प्रमाणन योजना है।
- IndG.AP कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे- मृदा, जल, फसल स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, श्रमिक कल्याण और खाद्य सुरक्षा को कवर करती हैं।

➲ **वैश्विक अच्छी कृषि पद्धतियाँ (GLOBALG.A.P.):**

- यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त मानक है जो बढ़ते पौधों, सब्जियों, कंद, फलों, पोल्ट्री, मवेशियों और जलीय उत्पादों के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रबंधन, सुरक्षा तथा ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करती है।

➲ **राष्ट्रीय तकनीकी कार्य समूह (NTWG):**

- NTWG एक ऐसा समूह है जो वैश्विक और स्थानीय मुद्दों के बीच अंतर को पाटता है। वे राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलन और अनुप्रयोग चुनौतियों की पहचान करते हैं तथा राष्ट्रीय व्याख्या दिशा-निर्देश (NIG) विकसित करते हैं। NIG पूरे विश्व में लागत प्रभावी ऑडिट प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI):

➲ **परिचय:**

- QCI वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- यह भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व तीन प्रमुख उद्योग संघों, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने वर्ष 1997 में किया था।
- QCI की स्थापना भारत में विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने लिये की गई थी।
- यह भारत में मान्यता, प्रमाणन और गुणवत्ता संवर्धन हेतु ज़िम्मेदार है।
- DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को गुणवत्ता तथा QCI से जुड़े सभी मामलों के लिये कैबिनेट निर्णय की संरचना एवं कार्यान्वयन में सहायता के लिये नोडल बिंदु के रूप में नामित किया गया था।

➲ **सदस्य:**

- QCI में अध्यक्ष तथा महासचिव सहित 39 सदस्य शामिल होते हैं।
  - इसका अध्यक्ष भारत के प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
- इस परिषद् में सरकार, उद्योग और अन्य हितधारकों का समान प्रतिनिधित्व है।

भारत का बढ़ता कर आधार

आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक के मूल्यांकन वर्षों के दौरान आयकर रिटर्न के आंकड़ों की हालिया रिलीज़, बदलते कर अनुपालन पैटर्न में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

- इस डेटा से करदाताओं की प्रोफाइल में परिवर्तन का पता चलता है, जिसमें विशेष रूप से उच्च-आय वर्ग इस परिवर्तन का केंद्र है। यह सभी पात्र करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करना सुनिश्चित करने संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

आयकर रिटर्न:

- **आयकर:**
  - आयकर एक वित्तीय वर्ष में अर्जित किसी व्यक्ति या व्यवसाय की वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर है।
    - भारत में आयकर प्रणाली आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होती है और यह एक प्रत्यक्ष कर है।
- **आयकर रिटर्न:**
  - यह एक निर्दिष्ट दस्तावेज़ है जिसका उपयोग किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की कमाई और उस आय पर भुगतान किये गए करों के विषय में आयकर विभाग को विवरण देने के लिये किया जाता है।
    - यह फॉर्म नुकसान को आगे बढ़ाने की सुविधा भी देता है और व्यक्तियों को आयकर विभाग से रिफंड का दावा करने में सक्षम बनाता है।

नोट: मूल्यांकन वर्ष वह अवधि है जिसके दौरान किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अर्जित आय का कर उद्देश्यों के लिये मूल्यांकन या आकलन किया जाता है। यह उस वित्तीय वर्ष के ठीक बाद का वर्ष है जिसके लिये आय का आकलन किया जा रहा है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड:

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है।
  - यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत है।
- यह भारत में प्रत्यक्ष कर नीतियों और रणनीतियों को आयाम देने के लिये महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करके दोहरी भूमिका निभाता है, साथ ही आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर नियमों के कार्यान्वयन एवं निष्पादन की निगरानी भी करता है।
  - इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है और इसमें छह सदस्य होते हैं।

न्यूनतम वेतन नीति और गिग श्रमिक

चर्चा में क्यों ?

फेयरवर्क इंडिया द्वारा 12 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर आयोजित 5वाँ वार्षिक अध्ययन भारत के गिग श्रमिकों के कार्य करने की स्थिति की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

- फेयरवर्क, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर के IT और सार्वजनिक नीति केंद्र के शोधकर्त्ताओं की एक टीम है।
- अध्ययन में उचित वेतन, उचित शर्तें, उचित अनुबंध, निष्पक्ष प्रबंधन और उचित प्रतिनिधित्व जैसे पाँच फेयरवर्क सिद्धांतों की जाँच की गई।

भारत में गिग अर्थव्यवस्था परिदृश्य:

- **परिभाषा:**
  - गिग अर्थव्यवस्था एक श्रम बाज़ार को संदर्भित करती है जो स्थायी रोज़गार के विपरीत अल्पकालिक अनुबंधों, फ्रीलांस कार्यों और अस्थायी पदों की व्यापकता की विशेषता है।
  - गिग अर्थव्यवस्था में व्यक्ति प्राय एक ही कंपनी के पारंपरिक पूर्णकालिक कर्मचारी होने के बजाय विभिन्न "गिग्स" या कार्यों को लेकर प्रोजेक्ट-दर-प्रोजेक्ट आधार पर कार्य करते हैं।
- **विकास परिदृश्य:**
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, भारत फ्लेक्सी स्टाफिंग या गिग वर्कर्स के लिये विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक बनकर उभरा है।
  - नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, गिग अर्थव्यवस्था में लगभग 7.7 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी संख्या वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है, जो देश में कुल आजीविका का लगभग 4% हिस्सा है।
  - वर्तमान में कुल गिग कार्यों का लगभग 31% न्यून कुशलता वाले रोज़गार जैसे- कैब ड्राइविंग और खाद्य वितरण के क्षेत्र में, 47% मध्यम-कुशलता वाले रोज़गार जैसे- प्लंबिंग तथा सौंदर्य सेवाओं में और 22% उच्च कुशलता रोज़गार जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग एवं ट्यूशन में हैं।
- **सरकार की पहल:**
  - सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) में 'गिग अर्थव्यवस्था' पर एक अलग खंड शामिल है और गिग नियोक्ताओं को सरकार के नेतृत्व वाले बोर्ड द्वारा संभाले जाने वाले सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करने का दायित्व दिया गया है।
  - वेतन संहिता, 2019 गिग श्रमिकों सहित संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेज का प्रावधान करती है।

भारत की न्यूनतम वेतन नीति:

- **वेतन संहिता अधिनियम 2019:**
  - संहिता का उद्देश्य पुराने और अप्रचलित श्रम कानूनों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी कानूनों में बदलना तथा देश में न्यूनतम मज़दूरी एवं श्रम सुधारों की शुरुआत के लिये मार्ग प्रशस्त करना है।
  - वेतन संहिता सभी कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान के प्रावधानों को सार्वभौमिक बनाती है तथा प्रत्येक कर्मचारी के लिये "निर्वाह का अधिकार" सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, साथ ही न्यूनतम मज़दूरी के विधायी संरक्षण को भी मज़बूत करती है।
  - केंद्र सरकार को श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए फ्लोर वेज (Floor Wage) निर्धारित करने का अधिकार है। यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिये अलग-अलग फ्लोर वेज निर्धारित कर सकती है।
    - केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मज़दूरी, निर्धारित फ्लोर वेज से अधिक होनी चाहिये।
- **फ्लोर वेज का निर्धारण:**
  - वेतन नियम संहिता, 2020 में फ्लोर वेज की अवधारणा का उल्लेख किया गया है, जो केंद्र सरकार को श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए फ्लोर वेज निर्धारित करने का अधिकार देती है।
    - फ्लोर वेज एक बेसलाइन वेज है जिसके नीचे राज्य सरकारें न्यूनतम मज़दूरी तय नहीं कर सकती हैं।
    - वेतन संहिता विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिये अलग-अलग फ्लोर वेज निर्धारण की अनुमति देती है। हालाँकि इससे उन क्षेत्रों से पूंजी के पलायन का भय उत्पन्न हो गया है जहाँ मज़दूरी अधिक है और उन क्षेत्रों की ओर जहाँ मज़दूरी कम है।

खाद्य लेबल के लिये QR कोड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की पहुँच के लिये खाद्य उत्पादों पर QR कोड शामिल करने की सिफारिश की है, जिसमें कहा गया है कि इससे सभी के लिये सुरक्षित भोजन तक पहुँच सुनिश्चित होगी।

- FSSAI ने वर्ष 2019 में फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (FOPL) का प्रस्ताव रखा, जो उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने के लिये सचेत और शिक्षित करने की एक प्रमुख रणनीति है।

QR कोड:

- त्वरित प्रतिक्रिया (Quick Response- QR) कोड एक प्रकार का द्वि-आयामी मैट्रिक्स बारकोड है जो विभिन्न प्रकार के डेटा को संग्रहीत कर सकता है, जैसे- अल्फान्यूमेरिक टेक्स्ट, वेबसाइट यूआरएल, संपर्क जानकारी आदि।
- इसका आविष्कार वर्ष 1994 में जापानी कंपनी डेंसो वेव द्वारा मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल के हिस्सों को ट्रैक व लेबल करने के उद्देश्य से किया गया था।
- QR कोड की विशेषता उसके विशिष्ट चौकोर आकार और सफेद पृष्ठभूमि पर काले वर्गों का एक पैटर्न है, जिसे QR कोड रीडर या स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके स्कैन एवं भाषांतरित/इंटरप्रेट किया जा सकता है।

डॉलरीकरण और आर्थिक बदलाव

चर्चा में क्यों ?

गंभीर मुद्रास्फीति और व्यापक निर्धनता से त्रस्त अर्जेंटीना को एक निर्णायक क्षण का सामना करना पड़ रहा है। डॉलरीकरण को देश की आर्थिक चुनौतियों के संभावित समाधान के रूप में देखा जाता है।

- अर्जेंटीना के हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति ने अर्जेंटीना पेसो को डॉलर से बदलने का वादा किया है। हालाँकि अर्जेंटीना में डॉलर भंडार की कमी के कारण डॉलरीकरण के तत्काल कार्यान्वयन की संभावना प्रतीत नहीं होती है।
- डॉलरीकरण किसी देश में प्राथमिक मुद्रा के रूप में स्थानीय मुद्रा की जगह या पूरक के रूप में संयुक्त राज्य डॉलर का उपयोग करना तथा अपनाना है।

नोट: IMF ने वर्ष 2022 में पाया कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर में उतनी मात्रा में भंडार नहीं रख रहे हैं जितना कि वे पहले रखते थे।

डी-डॉलरीकरण क्या है ?

- परिचय: डी-डॉलरीकरण किसी देश या क्षेत्र द्वारा अपनी वित्तीय प्रणाली या अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिये जानबूझकर या अनजाने में की गई एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

- इसमें लेन-देन, भंडार, व्यापार या वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण के मानक के रूप में डॉलर के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय शामिल हो सकते हैं।

निवेशक जोखिम न्यूनीकरण अभिगम मंच

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ट्रेडिंग सदस्य या स्टॉक ब्रोकर द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी गड़बड़ियों के मामले में निवेशकों के लिये 'सुरक्षा संजाल' प्रदान करने हेतु इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस (IRRA) लॉन्च किया है।

- ट्रेडिंग सदस्य या स्टॉक ब्रोकर एक व्यक्ति या फर्म है जो वित्तीय बाज़ारों में निवेशकों की ओर से प्रतिभूतियों (स्टॉक, बॉण्ड, कमोडिटी आदि) को खरीदने और बेचने के लिये अधिकृत व लाइसेंस प्राप्त है। वे क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, शेयर बाज़ार या अन्य वित्तीय एक्सचेंजों के भीतर लेन-देन की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **विकास:**
  - IRRA को सभी स्टॉक एक्सचेंजों- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) तथा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MSE) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

ग्रेट निकोबार द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट

चर्चा में क्यों ?

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के मंत्री ने ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलाथिया खाड़ी में प्रस्तावित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (International Container Transhipment Port- ICTP) की साइट का दौरा किया।

- ICTP को मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के साथ-साथ अमृत काल विज़न 2047 की प्रमुख परियोजनाओं में से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में देखा गया है।

ICTP परियोजना के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - ICTP एक प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजना है जिसका उद्देश्य विभिन्न बंदरगाहों के बीच कंटेनरों के ट्रांसशिपमेंट को सुविधाजनक बनाना है।
- **महत्त्व:**
  - भारत में लगभग 75% ट्रांसशिप्ड कार्गो की व्यवस्था देश के बाहर बंदरगाहों पर की जाती है।
    - कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग इस कार्गो के 85% से अधिक को संभालते हैं, जिसमें से 45% अकेले कोलंबो बंदरगाह पर संभाले जाते हैं।
- **परियोजना की स्थिति:**
  - इस परियोजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) से पर्यावरणीय मंज़ूरी मिल गई है।
    - परियोजना चरण 1 के लिये वन मंज़ूरी भी प्राप्त कर ली गई है।
  - परियोजना को चार चरणों में विकसित करने की योजना है, चरण 1 को वर्ष 2028 में लगभग 4 मिलियन TEU (Twenty-foot Equivalent Units- TEU) की हैंडलिंग क्षमता के साथ चालू करने का प्रस्ताव है।
    - वर्ष 2058 तक विकास के अंतिम चरण में हैंडलिंग क्षमता 16 मिलियन TEU तक बढ़ने की उम्मीद है।

ग्रेट निकोबार से संबंधित मुख्य तथ्य:

- यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है।
  - इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है।
- इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिकी तंत्र हैं। यह बहुत समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का घर है।
- ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व में पारिस्थितिक तंत्र का एक व्यापक क्षेत्र शामिल है जिसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, समुद्र तल से 642 मीटर (माउंट थुलियर) की ऊँचाई तक की पर्वत श्रृंखलाएँ तथा तटीय मैदान शामिल हैं।
- निकोबार द्वीप समूह में दो 'मंगोलॉइड' जनजातियाँ निवास करती हैं जिनके नाम शोम्पेन (Shompen) तथा निकोबारी (Nicobarese) हैं।

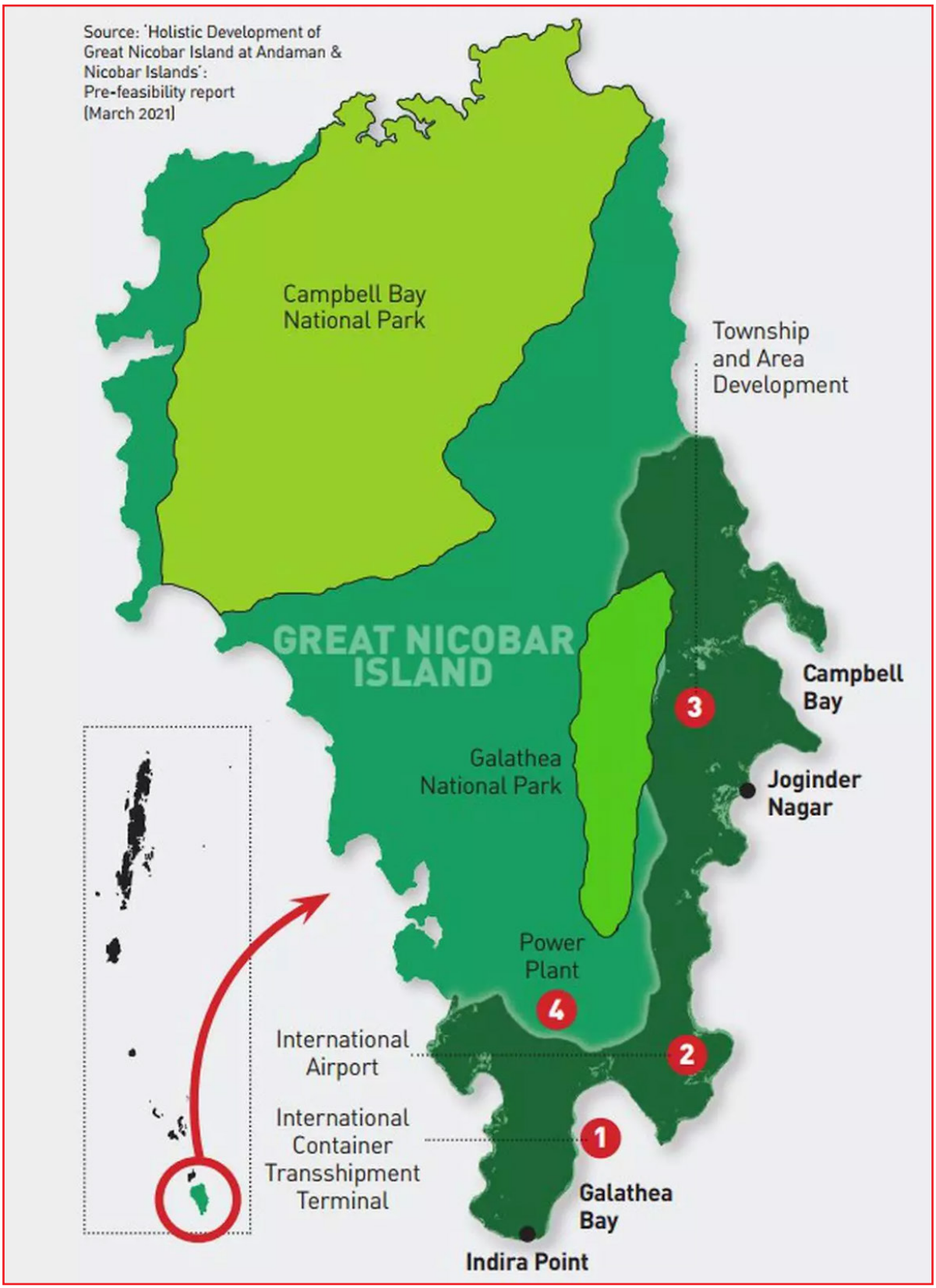
Source: 'Holistic Development of Great Nicobar Island at Andaman & Nicobar Islands': Pre-feasibility report (March 2021)
Campbell Bay National Park
Township and Area Development
GREAT NICOBAR ISLAND
Campbell Bay
3
Galathea National Park
Joginder Nagar
Power Plant
4
International Airport
2
International Container Transshipment Terminal
1
Galathea Bay
Indira Point

भारत ने 2023-34 में सर्वाधिक पेटेंट प्रदान किये

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय पेटेंट कार्यालय (IPO) ने नवंबर 2023 तक सबसे अधिक 41,010 पेटेंट प्रदान किये हैं।

- वित्तीय वर्ष 2013-14 में 4,227 पेटेंट प्रदान किये गए थे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में भारतीय पेटेंट आवेदनों में 31.6% की वृद्धि हुई, जिससे 11 वर्ष की वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही, जो शीर्ष 10 फाइलर्स में किसी भी अन्य देश से बेजोड़ थी।
- भारत द्वारा पेटेंट प्रदान करने में वृद्धि, नवाचार, प्रौद्योगिकी तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता में देश की प्रगति को दर्शाती है। यह चुनौतियों का समाधान करके अवसर सृजित कर तथा प्रतिभा का प्रोत्साहन कर समाज, अर्थव्यवस्था एवं युवाओं पर भी प्रभाव डालता है।

नोट:

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पेटेंट, डिज़ाइन और व्यापार चिह्न (CGPDTM) कार्यालय द्वारा शासित IPO, भारत में पेटेंट, डिज़ाइन तथा भौगोलिक संकेतों के प्रशासन एवं विनियमन के लिये उत्तरदायी है।

पेटेंट क्या है ?

- **परिचय:**
  - पेटेंट, आविष्कार के लिये एक वैधानिक अधिकार है जो सरकार द्वारा पेटेंटधारक को उसके आविष्कार के पूर्ण प्रकटीकरण के बदले में एक सीमित अवधि के लिये दिया जाता है तथा दूसरों को वह उत्पाद उसकी सहमति के बिना बनाने, उपयोग करने, बेचने, आयात करने अथवा उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर कर देता है।
  - भारत में पेटेंट प्रणाली पेटेंट अधिनियम, 1970 द्वारा शासित होती है, जिसे पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 तथा पेटेंट नियम, 2003 द्वारा संशोधित किया गया है।
    - वर्तमान परिवेश के अनुरूप पेटेंट नियमों में नियमित रूप से संशोधन किया जाता है, सबसे हालिया पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021 है।
- **पेटेंट की अवधि:**
  - दिये गए प्रत्येक पेटेंट की अवधि आवेदन दाखिल करने की तिथि से 20 वर्ष की होती है।
  - हालाँकि, पेटेंट सहयोग संधि (PCT) के तहत राष्ट्रीय चरण के अंतर्गत दायर आवेदनों के लिये पेटेंट की अवधि PCT के तहत दी गई अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग तिथि से 20 वर्ष होगी।
  - अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट एक कानूनी संधि है, जिसमें 150 से अधिक देश शामिल हैं। यह प्रत्येक अनुबंधित देश में आविष्कारों की रक्षा के लिये पेटेंट आवेदनों को दाखिल करने हेतु एक एकीकृत प्रक्रिया प्रदान करती है।
  - ऐसा आवेदन किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है जो PCT अनुबंधित राज्य या राष्ट्र का निवासी है और आमतौर पर अनुबंधित राज्य के राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय या आवेदक के विकल्प पर जिनेवा में WIPO के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के साथ दायर किया जा सकता है।
- **पेटेंट योग्यता का मानदंड:**
  - एक आविष्कार पेटेंट योग्य विषय-वस्तु है यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है,
    - यह नवीन होना चाहिये।
    - इसमें आविष्कारी कदम होने चाहिये।
    - यह औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिये।
    - इस पर पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधान लागू नहीं होने चाहिये।
- **पेटेंट संरक्षण का दायरा:**
  - पेटेंट संरक्षण एक क्षेत्रीय अधिकार है और इसलिये यह केवल भारत के क्षेत्र के भीतर ही प्रभावी है। वैश्विक पेटेंट की कोई अवधारणा नहीं है।
  - हालाँकि भारत में आवेदन दाखिल करने से आवेदक को भारत में दाखिल करने की तारीख से बारह महीने की समाप्ति के भीतर या उससे पहले कन्वेंशन देशों में या PCT के तहत उसी आविष्कार के लिये संबंधित आवेदन दाखिल करने में मदद मिलती है।
- **पेटेंट अधिनियम, 1970:**
  - भारत में पेटेंट प्रणाली के लिये यह प्रमुख कानून वर्ष 1972 में लागू हुआ। इसने भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम, 1911 का स्थान लिया।
  - अधिनियम को पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें उत्पाद पेटेंट को भोजन, दवाओं, रसायनों और सूक्ष्मजीवों सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों तक बढ़ाया गया था।

- संशोधन के बाद विशिष्ट विपणन अधिकार (EMR) से संबंधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है और अनिवार्य लाइसेंस अनुदान का प्रावधान पेश किया गया है। अनुदान-पूर्व और अनुदान-पश्चात् विरोध से संबंधित प्रावधान भी पेश किये गए हैं।

पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित संधियाँ और कन्वेंशन क्या हैं?

- **वैश्विक:**
  - भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के साथ-साथ बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते (ट्रिप्स समझौते) के लिये प्रतिबद्ध है।
  - भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organisation-WIPO) का भी सदस्य है, जो विश्व भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये उत्तरदायी निकाय है।
  - भारत IPR से संबंधित निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण WIPO-प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का भी सदस्य है:
    - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिये सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर बुडापेस्ट संधि
    - औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिये पेरिस
    - विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना पर अभिसमय
    - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिये बर्न अभिसमय
    - पेटेंट सहयोग संधि
- **राष्ट्रीय:.**
  - राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति 2016:
    - राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति 2016 को देश में IPR के भविष्य के विकास का मार्गदर्शन करने के लिये एक दृष्टि दस्तावेज़ के रूप में मई 2016 में अपनाया गया था।
    - इसका स्पष्ट आह्वान है "रचनात्मक भारत; इनोवेटिव इंडिया"
    - यह कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिये एक संस्थागत तंत्र स्थापित करता है।
    - इसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भारतीय परिदृश्य में शामिल करना और अनुकूलित करना है।

प्रतिभूति रहित ऋण के लिये RBI के सख्त पूंजी मानदंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड से प्राप्य आदि जैसे प्रतिभूति रहित ऋणों की जाँच करने के लिये बैंक एक्सपोज़र पर जोखिम भार बढ़ा दिया है।

- प्रतिभूति रहित ऋणों पर जोखिम भार बढ़ाने का RBI का कदम इन श्रेणियों को ऋण देने वाले बैंकों के लिये पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) की आवश्यकता को बढ़ाने का एक तरीका है।
- प्रतिभूति रहित ऋण एक ऐसा ऋण है जिसे प्राप्त करने के लिये किसी को कोई संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह ऋणदाता द्वारा उधारकर्त्ता की साख पर जारी किया जाता है और इसलिये प्रतिभूति रहित ऋण की स्वीकृति के लिये उत्कृष्ट क्रेडिट स्कोर होना एक शर्त है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) क्या है?

- CAR किसी बैंक की उपलब्ध पूंजी का एक माप है जिसे बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
  - पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसे पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग जमाकर्त्ताओं की सुरक्षा और विश्व में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता एवं दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।

टैक्स हेवेन के रूप में साइप्रस

चर्चा में क्यों?

हाल की साइप्रस गोपनीय जाँच से साइप्रस में अपतटीय संस्थाओं और भारत में धनी व्यक्तियों से उनके संबंध से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों का एक जटिल वेब सामने आया है।

- अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकार संघ (International Consortium of Investigative Journalists-ICIJ) के सहयोग से की गई यह वैश्विक अपतटीय जाँच, विश्व भर के अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा टैक्स हेवेन के रूप में साइप्रस के उपयोग को उजागर करती है।

नोट:

- टैक्स हेवेन आमतौर पर एक अपतटीय देश होता है जहाँ राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर परिस्थिति में विदेशी व्यक्तियों तथा व्यवसायों को बहुत कम या कोई कर देय नहीं होता है।

- एक अपतटीय कंपनी अपने गृह देश के अलावा किसी अन्य क्षेत्राधिकार में निगमित होती है।
  - एक अपतटीय कंपनी स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य किसी बाहरी देश में अनुकूल कर कानूनों या आर्थिक माहौल का लाभ उठाना है।

नोट:

- DTAA दो या दो से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इन देशों में करदाता एक ही आय पर दो बार कर लगाने से बच सकें।
  - DTAA उन मामलों में लागू होता है जहाँ करदाता एक देश में रहता है और दूसरे देश में आय अर्जित करता है।
- DTAA या तो आय के सभी स्रोतों को कवर करने के लिये व्यापक हो सकते हैं या कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो सकते हैं जैसे- शिपिंग, हवाई परिवहन, विरासत आदि से आय पर कर लगाना।

साइप्रस से संबंधित मुख्य तथ्य:

- साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 9,251 वर्ग किलोमीटर है।
- लगभग 1.2 मिलियन लोगों की आबादी के साथ यह भूमध्य सागर में तीसरा सबसे बड़ा एवं तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है।
- राजधानी: इसकी राजधानी निकोसिया है।
- साइप्रस 2004 से यूरोपीय संघ का सदस्य रहा है।
- साइप्रस में अनुकूल भूमध्यसागरीय जलवायु है, जिसमें ऊष्म ग्रीष्मकाल एवं हल्की सर्दियाँ होती हैं।
- साइप्रस भौतिक रूप से विभाजित है, इसका दक्षिणी भाग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा शासित है और उत्तरी भाग तुर्की द्वारा नियंत्रित है।

अपस्फीति क्षेत्र में थोक मूल्य

अक्तूबर 2023 में भारत के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) ने वार्षिक मुद्रास्फीति दर -0.52% दर्ज की, जो सितंबर 2023 में -0.26% से कम है।

- अक्तूबर 2022 से रसायन, विद्युत, कपड़ा, बुनियादी धातु, खाद्य सामान और कागज़ जैसे उद्योगों में कीमतों में कमी नकारात्मक मुद्रास्फीति का कारण है।
- यह अपस्फीति प्रवृत्ति अक्तूबर 2022 के हाई बेस इफेक्ट से प्रभावित है जब थोक मूल्य मुद्रास्फीति 8.4% थी।

नोट:

खाद्य कीमतों के संदर्भ में थोक खाद्य सूचकांक में वर्ष 2022 की तुलना में 1.07% की वृद्धि हुई। खाद्य टोकरी में परस्पर विरोधी रुझान देखे गए, विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों में 21% की पर्याप्त कमी और धान एवं अनाज में मुद्रास्फीति में तेज़ी देखी गई।

थोक मूल्य सूचकांक क्या है?

- WPI थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत का प्रतिनिधित्व करता है यानी वह वस्तुएँ जो थोक में बेची जाती हैं और उपभोक्ताओं के बजाय संगठनों के बीच इनका व्यापार किया जाता है।
  - जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) उपभोक्ता स्तर पर कीमतों के स्तर में बदलाव को दर्शाता है।
  - CPI के विपरीत WPI सेवाओं की कीमतों में हुए परिवर्तन को नहीं दर्शाता है।
- WPI का आधार वर्ष 2011-2012 है।
- WPI में वस्तुओं की हिस्सेदारी:

All Commodities/Major Groups	Weight (%)
All Commodities	100.0
I. Primary Articles	22.62
II. Fuel & Power	13.15
III. Manufactured Products	64.23
Food Index	24.38

प्रमुख शब्दावली:

- **मुद्रास्फीति दर:**
  - WPI के संदर्भ में मुद्रास्फीति दर एक वर्ष की शुरुआत तथा अंत में गणना की गई WPI के बीच का अंतर है।
  - एक वर्ष में WPI में हुई प्रतिशत वृद्धि उस वर्ष के लिये मुद्रास्फीति की दर बताती है।
- **अवस्फीति:**
  - अवस्फीति का अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में हुई कमी से है। जब मुद्रास्फीति दर का 0% से कम होना अवस्फीति को संदर्भित करता है, जिसे नकारात्मक मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है।
- **आधार प्रभाव:**
  - आधार प्रभाव का आशय पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति का चालू वर्ष के मूल्य स्तरों पर प्रभाव से है।
  - उदाहरण के लिये यदि पिछले वर्ष में मुद्रास्फीति दर कम थी तो वर्तमान समय में मामूली मूल्य वृद्धि भी असंगत रूप से उच्च मुद्रास्फीति दर उत्पन्न कर सकती है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट, 2022-2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान किये गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey- PLFS) की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

सामान्य स्थिति में प्रमुख श्रम बाज़ार संकेतकों का अनुमान:

Indicator	2017-18	2022-23	Trend
Labour Force Participation Rate (LFPR)			
- Total LFPR	49.8%	57.9%	Increased
- LFPR in Rural Areas	50.7%	60.8%	Increased
- LFPR in Urban Areas	47.6%	50.4%	Increased
- Male LFPR	75.8%	78.5%	Increased
- Female LFPR	23.3%	37.0%	Increased
Worker Population Ratio (WPR)			
- Total WPR	46.8%	56.0%	Increased
- WPR in Rural Areas	48.1%	59.4%	Increased
- WPR in Urban Areas	43.9%	47.7%	Increased
- Male WPR	71.2%	76.0%	Increased
- Female WPR	22.0%	35.9%	Increased
Unemployment Rate (UR)			
- Total UR	6.0%	3.2%	Decreased
- UR in Rural Areas	5.3%	2.4%	Decreased
- UR in Urban Areas	7.7%	5.4%	Decreased
- Male UR	6.1%	3.3%	Decreased
- Female UR	5.6%	2.9%	Decreased

प्रमुख श्रम बाज़ार संकेतकों का अनुमान वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS):

Indicator	2017-18	2022-23	Trend
Labor Force Participation Rate (LFPR)			
- Rural Areas	48.9%	56.7%	Increasing
- Urban Areas	47.1%	49.4%	Increasing
- Male	75.1%	77.4%	Increasing
- Female	21.1%	31.6%	Increasing
Total LFPR	48.4%	54.6%	Increasing
Workforce Participation Rate (WPR)			
- Rural Areas	44.8%	54.2%	Increasing
- Urban Areas	42.6%	46.0%	Increasing
- Male	68.6%	73.5%	Increasing
- Female	19.2%	30.0%	Increasing
Total WPR	44.1%	51.8%	Increasing
Unemployment Rate (UR)			
- Rural Areas	8.4%	4.4%	Decreasing
- Urban Areas	9.5%	7.0%	Decreasing
- Male	8.7%	5.1%	Decreasing
- Female	9.0%	5.1%	Decreasing
Total UR	8.7%	5.1%	Decreasing

प्रमुख बिंदु:

- **श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate- LFPR):**
  - LFPR को जनसंख्या में श्रम बल (यानी काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या काम के लिये उपलब्ध होने वाले) व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio- WPR):**
  - WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **बेरोज़गारी दर (Unemployment Rate- UR):**
  - UR को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों के बीच बेरोज़गार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **गतिविधि स्थिति:**
  - किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। जब गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण की

तारीख से पिछले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है, तो इसे व्यक्ति की सामान्य गतिविधि स्थिति के रूप में जाना जाता है।

- गतिविधि स्थिति के प्रकार:
  - प्रमुख गतिविधि स्थिति (PS):
    - गतिविधि की वह स्थिति जिस पर एक व्यक्ति ने सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व 365 दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लंबा समय व्यतीत किया था, उसे व्यक्ति की सामान्य प्रमुख गतिविधि स्थिति माना जाता था।
  - सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति (SS):
    - किसी व्यक्ति की गतिविधि की वह स्थिति जिसमें वह सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान 30 दिनों या उससे अधिक के लिये कुछ आर्थिक गतिविधियाँ करता है, को व्यक्ति की सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति माना जाता था।
  - वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS):
    - सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित गतिविधि स्थिति को व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के रूप में जाना जाता है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण:

- **परिचय:**
  - यह भारत में रोज़गार तथा बेरोज़गारी की स्थिति को मापने के लिये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत NSO द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण है।
  - इसे NSO द्वारा अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया था।
- **PLFS का उद्देश्य:**
  - वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिये तीन माह के अल्पतकालिक अंतराल पर प्रमुख रोज़गार और बेरोज़गारी संकेतकों (अर्थात् श्रमिक-जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोज़गारी दर) का अनुमान लगाना।
  - प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति और CWS, दोनों में रोज़गार एवं बेरोज़गारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

रोज़गार हेतु सरकार की पहलें

- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन" (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise-SMILE)
- पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- रोज़गार मेला

बेरोज़गारी के विभिन्न प्रकार:

बेरोज़गारी का प्रकार	विवरण
प्रच्छन्न बेरोज़गारी	जिसमें आवश्यकता से अधिक कार्यरत लोग, जो मुख्य रूप से कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
मौसमी बेरोज़गारी	यह एक प्रकार की बेरोज़गारी है, जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है।
संरचनात्मक बेरोज़गारी	यह उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होती है।
चक्रीय बेरोज़गारी	यह व्यापार चक्र का परिणाम है, जहाँ मंदी के दौरान बेरोज़गारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है।
तकनीकी बेरोज़गारी	यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान है।
संघर्षात्मक बेरोज़गारी	संघर्षात्मक बेरोज़गारी का आशय ऐसी स्थिति से है, जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है, तो यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करती है।
सुभेद्य रोज़गार	इसका तात्पर्य है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से कार्य कर रहे हैं तथा इनके लिये कोई कानूनी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक: IMF

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, 2023 जारी किया गया है। जिसका शीर्षक 'नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस' है। जिसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले के अनुमान से अधिक तीव्रता से वृद्धि होगी।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की मुख्य विशेषताएँ:

- **वैश्विक विकास पूर्वानुमान:**
  - IMF का अनुमान है कि वर्ष 2023 में 3% वैश्विक GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि होगी, जो उसके द्वारा जुलाई 2023 की पूर्वानुमानित वैश्विक GDP के समान है।
  - हालाँकि वर्ष 2024 के लिये वैश्विक GDP वृद्धि में जुलाई के पूर्वानुमान से 10 आधार अंक की कमी देखी गई है तथा यह घटकर 2.9% हो गई है।
- भारत के लिये IMF का सत्र 2023-24 का विकास पूर्वानुमान अब लगभग वही है जो विश्व बैंक (WB) ने अपने भारत विकास अपडेट में अनुमान लगाया था।
- भारत के सत्र 2024-25 की GDP वृद्धि का अनुमान 6.3% दर पर अपरिवर्तित है।
- **IMF द्वारा रिपोर्ट:**
  - वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट।
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
    - यह सामान्यत: अप्रैल और अक्तूबर के महीनों में वर्ष में दो बार प्रकाशित किया जाता है।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति

चर्चा में क्यों ?

हाल के दिनों में उपभोक्ता खाद्य कीमतें वार्षिक रूप से 9.9% अधिक थीं, खाद्य मुद्रास्फीति अब काफी हद तक अनाज और दालों तक सीमित है तथा सरकार को उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं दोनों की चिंताओं पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

भारत में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति और अवस्फीति का हालिया परिदृश्य:

- **अनाज और दालों में मुद्रास्फीति:**
  - अनुमान से पता चलता है कि खाद्य मुद्रास्फीति दो वस्तुओं द्वारा: अनाज (11.9%) और दालें (13%) क्रमश: जुलाई व अगस्त में तेज़ी से बढ़ी है।
    - इस दौरान सब्ज़ियों की वार्षिक खुदरा मूल्य वृद्धि इससे भी अधिक, क्रमश: 37.4% और 26.1%, रही।
      - सबसे अच्छा संकेतक टमाटर रहा, जिसकी खुदरा मुद्रास्फीति इस अवधि के दौरान क्रमश: 202.1% और 180.3% रही।
- **सरकार की रणनीति के कारण आवश्यक वस्तुओं में अवस्फीति:**
  - अधिकांश सरकारें स्वाभाविक रूप से राजनीतिक कारणों की वज़ह से उत्पादकों पर उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने से उपभोक्ताओं को विशेषाधिकार देती हैं।
  - वर्तमान परिदृश्य में सरकार को अन्य समस्याओं के अतिरिक्त, विशेष रूप से दो कृषि/खाद्य वस्तुओं के उत्पादकों को प्राथमिकता देनी चाहिये, ये हैं:

उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (CFPI):

- उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (Consumer Food Price Inflation- CFPI), मुद्रास्फीति की एक विशिष्ट माप है जो विशेष रूप से उपभोक्ता की वस्तुओं और सेवाओं में खाद्य पदार्थों के मूल्य परिवर्तन पर केंद्रित है।
  - यह उस दर की गणना करता है जिस दर से किसी सामान्य परिवार द्वारा उपभोग किये जाने वाले खाद्य उत्पादों की कीमतें समय के साथ बढ़ रही हैं।
  - CFPI व्यापक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) का एक उप-घटक है, जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) दर की गणना करने के लिये CPI-संयुक्त (CPI-C) का उपयोग करता है।
  - CFPI विशिष्ट खाद्य पदार्थों के मूल्य परिवर्तन को ट्रैक करता है जो सामान्यत: घरों में उपभोग किया जाता है, जैसे अनाज, सब्जियाँ, फल, डेयरी उत्पाद, मांस और अन्य खाद्य पदार्थ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI):

- CPI मुद्रास्फीति, जिसे खुदरा मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है, वह दर है जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिये खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं।

- यह भोजन, कपड़े, आवास, परिवहन और चिकित्सा देखभाल सहित सामान्यत: घरेलू वस्तुओं की खरीद एवं सेवाओं की लागत में बदलाव का आकलन करता है।
- **CPI के निम्नलिखित चार प्रकार हैं:**
  - औद्योगिक श्रमिकों (Industrial Workers- IW) के लिये CPI
  - कृषि मज़दूरों (Agricultural Labourers- AL) के लिये CPI
  - ग्रामीण मज़दूरों (Rural Labourers- RL) के लिये CPI
  - शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों (Urban Non-Manual Employees- UNME) के लिये CPI।
    - इनमें से प्रथम तीन के आँकड़े श्रम और रोज़गार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो (Labor Bureau) द्वारा संकलित किये जाते हैं, जबकि चौथे प्रकार की CPI को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) द्वारा संकलित किया जाता है।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, 2023

चर्चा में क्यों ?

हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को उनके शोध के लिये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, 2023 प्रदान किया गया है, यह शोध श्रम बाज़ार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाता है।

- गोल्डिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं। इनसे पूर्व वर्ष 2009 में यह पुरस्कार एलिनोर ओस्ट्रोम और ओलिवर ई. विलियमसन को दिया गया था। वर्ष 2019 में एस्थर डुफ्लो तथा उनके सहयोगी अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर को यह पुरस्कार दिया गया था।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार:

- अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1968 में स्वेरिग्स रिक्सबैंक (स्वीडन का केंद्रीय बैंक) द्वारा डायनामाइट के आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में की गई थी।
  - इसे आधिकारिक तौर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार कहा जाता है।
- मूल रूप से नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति जैसे क्षेत्रों में दिये जाते हैं जो नोबेल की इच्छा से स्थापित किये गए थे, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मूल रूप से दिये जाने वाले नोबेल पुरस्कारों में से नहीं है।
- यह पुरस्कार बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करने के लिये स्थापित किया गया था।
- यह पुरस्कार व्यक्तियों अथवा संगठनों को उनके असाधारण शोध, खोज अथवा योगदान के लिये सम्मान देता है जिन्होंने अर्थशास्त्र की समझ और वास्तविक विश्व की समस्याओं के लिये इसके अनुप्रयोग को उन्नत किया है।

अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार के लिये क्लाउडिया का चयन:

- **क्लाउडिया गोल्डिन:**
  - गोल्डिन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करने में अग्रणी रही हैं और उन्होंने इस विषय पर कई किताबें लिखी हैं, जैसे: अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप: एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन (ऑक्सफोर्ड, 1990) और करियर एंड फैमिली: वुमेन सेंचुरी- लॉन्ग जर्नी टुवर्ड इक्विटी (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2021)।
- **क्लाउडिया का कार्य:**
  - गोल्डिन ने "सदियों से महिलाओं की आय और श्रम बाज़ार में भागीदारी का पहला संपूर्ण विश्लेषण" पेश किया है।
  - उनके शोध से परिवर्तन के कारणों के साथ-साथ शेष लैंगिक अंतर के मुख्य स्रोतों का भी पता चलता है।
  - गोल्डिन के इस पथप्रदर्शक कार्य ने पिछले 200 वर्षों में श्रम बाज़ार में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला है, साथ ही यह भी विश्लेषण किया है कि आखिर पुरुषों और महिलाओं

के बीच वेतन अंतर क्यों बना हुआ है, जबकि उच्च आय वाले देशों में कई महिलाएँ पुरुषों की तुलना में बेहतर रूप से शिक्षित होने की संभावनाएँ रखती हैं।

- यद्यपि उनका शोध अमेरिका पर केंद्रित था, लेकिन उनके निष्कर्ष कई अन्य देशों पर लागू होते हैं।

भारत का विमानन उद्योग

चर्चा में क्यों ?

भारत के विमानन उद्योग में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। हालाँकि इस द्रुत विस्तार ने अनुभवी पायलटों की गंभीर कमी सहित महत्त्वपूर्ण मुद्दों को भी उजागर किया है।

भारत में विमानन उद्योग की स्थिति:

- परिचय: भारत का विमानन उद्योग एक सामूहिक क्षेत्र है जो देश के भीतर नागरिक उड्डयन के सभी पहलुओं को शामिल करता है।
  - इसमें विभिन्न घटक शामिल हैं, जैसे एयरलाइंस, विमान पत्तन, विमान निर्माण, विमानन सेवाएँ और नियामक प्राधिकरण।
- **स्थिति:**
  - भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार बन गया है। भारत के विमान पत्तन की क्षमता के आधार पर वर्ष 2023 तक सालाना 1 अरब यात्राओं के परिचालन की उम्मीद है।
  - उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, भारत के हवाई परिवहन क्षेत्र (हवाई माल ढुलाई समेत) में FDI प्रवाह अप्रैल 2000 से दिसंबर 2022 के दौरान 3.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
- **संबंधित सरकारी पहल:**
  - घरेलू रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सेवाओं के लिये वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई।
  - क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने और नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करने के लिये टियर-II एवं टियर-III शहरों में असेवित तथा कम सेवित हवाई अड्डों के हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये RCS-UDAN को लॉन्च किया गया था।
  - राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016

भारत में विमानन क्षेत्र को पुन: सक्रिय करने के उपाय:

- पर्यावरण-अनुकूल पहल: उत्सर्जन एवं परिचालन लागत को कम करने, कम दूरी की उड़ानों के लिये इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड विमानों के विकास और प्रयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
  - साथ ही उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये सतत् विमानन ईंधन (SAF) और कार्बन ऑफसेट कार्यक्रमों के प्रयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
    - जून 2021 में स्पाइसजेट ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) के तत्वावधान में वर्ष 2030 तक 100 मिलियन घरेलू यात्रियों के लिये SAF ब्लेंड आधारित उड़ान के अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की।
- **रख-रखाव हेतु डिजिटल ट्विन्स:**
  - विमान की आभासी प्रतिकृतियाँ बनाने, पूर्वानुमानित रख-रखाव को सक्षम करने और डाउनटाइम को कम करने के लिये डिजिटल ट्विन तकनीक को लागू करने की आवश्यकता है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):**
  - विश्वस्तरीय सुविधाएँ सुनिश्चित करते हुए हवाई अड्डे के बुनियादी ढाँचे के विकास में सह-निवेश हेतु सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
    - भारत में PPP हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 5 से बढ़कर वर्ष 2024 में 24 हो जाने की संभावना है।
- **पायलट की कमी का समाधान:**
  - विमानन स्कूलों और अकादमियों के सहयोग से सब्सिडी आधारित पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करने की आवश्यकता है।

- यह इच्छुक एविएटर्स के लिये पायलट प्रशिक्षण को और अधिक किफायती बना सकता है।

➲ विमानन पर्यटन पैकेज: भारत को विमानन पर्यटन का केंद्र बनाने के लिये विमानन उद्योग को पर्यटन उद्योग के साथ मिलकर अभिनव विमानन-आधारित पर्यटन पैकेज तैयार करने की आवश्यकता है, जो सुरम्य उड़ानें, साहसिक अनुभव और हवाई फोटोग्राफी पर्यटन की पेशकश कर सकें।

भारत में अवैध व्यापार

चर्चा में क्यों ?

फिक्की कैस्केड/FICCI CASCADE द्वारा 'हिडन स्ट्रीम्स: लिंकेज बिटवीन इलिसिट मार्केट्स, फाइनेंशियल फ्लो, ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड टेरेरिज़्म' शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अवैध अर्थव्यवस्था का 1-10 के पैमाने पर कुल स्कोर 6.3 है, जो अन्य 122 देशों में से 5 के औसत स्कोर से अधिक है, जो एक बड़ी अवैध अर्थव्यवस्था का संकेत देता है।

फिक्की कैस्केड:

➲ फिक्की कैस्केड/FICCI CASCADE (अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाज़ी गतिविधियों के खिलाफ फिक्की की समिति), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- FICCI) की एक पहल है।

➲ इसकी स्थापना 18 जनवरी, 2011 को भारत और विश्व स्तर पर जाली, पास-ऑफ एवं तस्करी के सामानों के अवैध व्यापार के गंभीर मुद्दे को उजागर करने हेतु की गई थी।

अवैध व्यापार:

➲ अवैध व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं के अवैध आदान-प्रदान से है जो सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा स्थापित कानूनों, विनियमों या नियंत्रणों का अनुपालन नहीं करता है।

➲ ये गतिविधियाँ कानूनी ढाँचे के बाहर होती हैं और इनमें अक्सर विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री, जालसाज़ी, चोरी, तस्करी, कर चोरी, धन शोधन एवं अन्य अवैध गतिविधियाँ शामिल होती हैं।

भारत में अवैध व्यापार से निपटने के लिये सरकार की पहलें:

➲ आतंकी वित्तपोषण और जाली मुद्रा (TFFC) सेल

➲ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS) 1985

➲ नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)

➲ नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष (NFCDA)

➲ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)

➲ PMLA (संशोधन) अधिनियम, 2012

➲ तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976

➲ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018

➲ काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015

ई-कॉमर्स का जटिल परिदृश्य

चर्चा में क्यों ?

जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की हालिया बैठक में भारत ने वस्तुओं और सेवाओं में ई-कॉमर्स व्यापार की स्पष्ट परिभाषा की कमी पर चिंता जताई है।

➲ सटीक चित्रण के अभाव के कारण विकसित और विकासशील सदस्य देशों के बीच विरोधाभासी विचार उत्पन्न हो गए हैं, विशेषकर सीमा शुल्क लगाने के संबंध में।

ई-कॉमर्स से संबंधित विवाद के प्राथमिक कारक:

➲ **ई-कॉमर्स में व्याख्यात्मक भिन्नता: वस्तु बनाम सेवाएँ**

- विकसित और विकासशील देशों की ई-कॉमर्स की व्याख्या में भिन्नता है, विशेषकर वस्तुओं और सेवाओं पर सीमा शुल्क लगाने के संदर्भ में।
  - इस चुनौती का उदाहरण नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं के मामले में देखा जाता है, जहाँ कंटेंट (एक उत्पाद) सेवा सदस्यता के माध्यम से वितरित की जाती है।
- इस भिन्नता से WTO ढाँचे के भीतर स्पष्ट नीतियों का निर्माण और अधिक जटिल हो गया है।

- **सीमा शुल्क से संबंधित अनिश्चितताएँ:**
  - WTO के सदस्य वर्ष 1998 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क लगाने के संबंध में अधिस्थगन की अवधि को समय-समय पर बढ़ाते रहे हैं। इसे आखिर बार 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान बढाया गया था।
  - किंतु सेवाओं में ई-कॉमर्स व्यापार के लिये एक परिभाषित ढाँचे के न होने के परिणामस्वरुप अनिश्चितताएँ उत्पन्न होती हैं, जिससे समान अवसर बनाए रखने को लेकर चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
  - भारत संबद्ध विषय पर सटीक परिभाषा की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है तथा विशेष रूप से डिजिटल वस्तुओं और सेवाओं के बीच अंतर स्पष्ट करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है क्योंकि सीमा शुल्क पहले से ही वस्तुओं पर लगाए जाते हैं किंतु सेवाओं पर नहीं।

नोट: विकसित देश शुल्क-मुक्त वातावरण का समर्थन करते हैं, जबकि विकासशील देश घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) के विकास का समर्थन करने के उद्देश्य से शुल्क लगाने के लिये नीतिगत स्थान चाहते हैं।

- **क्रिप्टोकरेंसी: ई-कॉमर्स व्यवधान:**
  - ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्रिप्टोकरेंसी की वृद्धि मौजूदा WTO ई-कॉमर्स ढाँचे के लिये एक चुनौती है, जिससे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के रूप में वर्गीकृत करने के लिये चर्चा की तत्काल आवश्यकता है।

ई-कॉमर्स:

- **परिचय:**
  - विश्व व्यापार संगठन ई-कॉमर्स को वस्तुओं और सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, वितरण, बिक्री या डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित करता है।
  - इसमें डिजिटल रूप से प्रसारित किताबें, संगीत और वीडियो जैसे उत्पाद शामिल हैं।

ई-कॉमर्स से संबंधित भारत सरकार की पहल:

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस(GeM)
- भारतनेट परियोजना
- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)
- राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति
- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020

गोवा के काजू को जीआई GI मिला

हाल ही में गोवा के काजू (कर्नेल) को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिला है, जिसे राज्य में काजू उद्योग के लिये एक महत्त्वपूर्ण अवसर और "स्वयंपूर्ण गोवा मिशन की दिशा में एक उपलब्धि" माना जा रहा है।

गोवा का काजू:

- मूलत: काजू लैटिन अमेरिका में पूर्वोत्तर ब्राज़ील में पाया जाता था और 16वीं शताब्दी (1570) में इसे पुर्तगालियों द्वारा गोवा लाया गया तथा गोवा काजू नाम दिया गया।
- प्रारंभ में इसका उपयोग वनीकरण और मृदा संरक्षण के लिये किया गया था इसके आर्थिक मूल्य के बारे में एक सदी बाद पता चला।
- काजू उत्पादन कुटीर उद्योग से बढ़कर गोवा की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्त्ता बन गया, जिसका मुख्य कारण अमेरिका में इसकी अधिक मांग थी।

काजू के संबंध में प्रमुख तथ्य:

- **परिचय:**
  - काजू भारत में सबसे महत्त्वपूर्ण वृक्षारोपण फसलों में से एक है और काफी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक है। गोवा राज्य में बागवानी फसलों में इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है।
- **मृदा और जलवायु:**
  - अच्छी जल निकास वाली गहरी बलुई दोमट मिट्टी काजू की खेती के लिये सर्वोत्तम होती है। इसके लिये भारी चिकनी मिट्टी उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि काजू जल जमाव को सहन नहीं कर पाता।
  - सामान्य तौर पर रेतीली से लेकर लेटेराइट तक सभी प्रकार की मृदा इस फसल के लिये उपयुक्त होती हैं।
- **वर्षा:**
  - 60 से 95% की सापेक्ष आर्द्रता और 2000-3500 मिमी. की वार्षिक वर्षा वाली भारतीय तटीय क्षेत्र की परिस्थितियाँ काजू उत्पादन के लिये अनुकूल हैं।
- **तापमान:**
  - काजू की खेती के लिये 20 से 380 C के बीच तापमान वाली गर्म आर्द्र परिस्थितियाँ उपयुक्त होती हैं। अत्यधिक कम तापमान और पाला काजू की खेती के लिये अनुकूल नहीं होते है।
- **प्रमुख उत्पादक राज्य:**
  - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार, वर्ष 2021-2022 में महाराष्ट्र काजू का अग्रणी उत्पादक रहा है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, गुजरात का स्थान है।

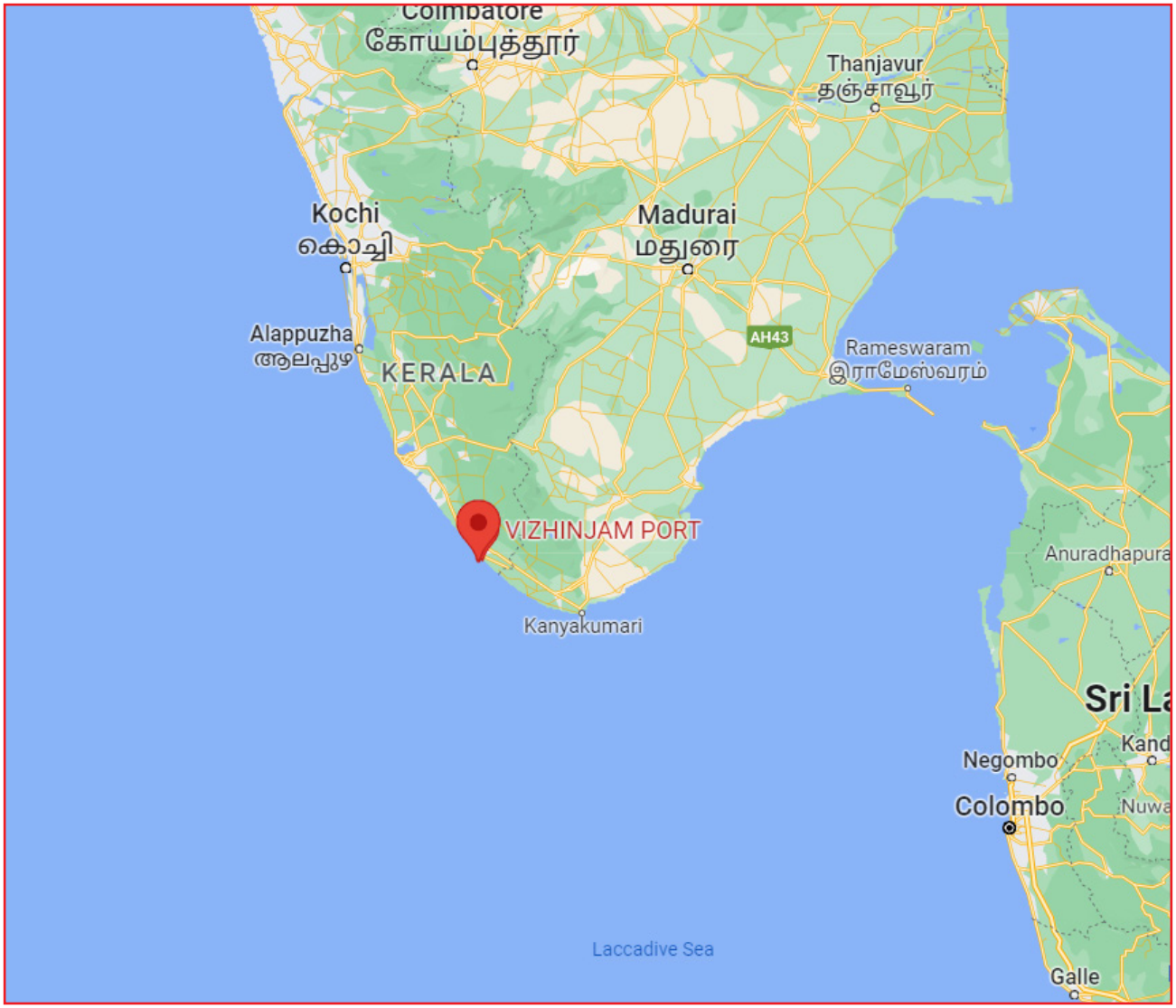

विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना

चर्चा में क्यों ?

विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना, भारत का पहला डीपवॉटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ने हाल ही में पहले मालवाहक जहाज़ के बंदरगाह पर पहुँचने से ध्यान आकर्षित किया।

नोट:

- ट्रांसशिपमेंट के लिये उपयोग किया जाने वाला गहरे पानी का बंदरगाह वह है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले बड़े जहाज़ों को समायोजित कर सकता है।
- इसमें गहरे पानी की वाहिका तथा वस्तुओं को चढ़ाने व उतारने के लिये एक बड़ा निर्धारित क्षेत्र है। इस बंदरगाह पर एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ तक माल के हस्तांतरण की भी सुविधा उपलब्ध है।

विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना:

- विझिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीपवाटर मल्टीपर्पज़ सीपोर्ट केरल सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है।
  - यह मुख्य रूप से क्रूज़ टर्मिनल, लिक्विड बल्क बर्थ तथा अतिरिक्त टर्मिनलों की सुविधाओं से युक्त है जिसे ट्रांसशिपमेंट एवं गेटवे कंटेनर व्यवसाय के कार्य को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से बंदरगाह का विकास कर रहा है, जिसमें डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन व हस्तांतरण (Design, Build, Finance, Operate, and Transfer- DBFOT) ढाँचे के अनुसार प्रबंधित घटक शामिल हैं।
- यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारत के दक्षिणी तट पर इसकी अवस्थिति अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों तक आसान पहुँच प्रदान करती है।
  - यह कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे वैश्विक ट्रांसशिपमेंट केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने की स्थिति में है, जिससे विदेशी गंतव्यों तक कंटेनर आवाजाही की लागत कम हो जाएगी।

भारत-जापान के बीच चिप आपूर्ति शृंखला साझेदारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर/अर्द्धचालक आपूर्ति शृंखला साझेदारी के विकास पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन (Memorandum of Cooperation- MoC) को मंज़ूरी दी है।

- बीते कुछ समय से भारत अर्द्धचालक आपूर्ति के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीय उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है, विशेषकर ऐसे समय में जब बहुत सारी कंपनियाँ सेमीकंडक्टर के लिये चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि काफी लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन का केंद्र रहा है।

सेमीकंडक्टर/अर्द्धचालक:

- अर्द्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसमें सुचालक (आमतौर पर धातु) और कुचालक या ऊष्मारोधी (जैसे- अधिकांश सिरेमिक) के बीच चालन की क्षमता होती है।
- सेमीकंडक्टर का उपयोग डायोड, ट्रांज़िस्टर और एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है।
- कॉम्पैक्टनेस (आकार में काफी छोटे होने), विश्वसनीयता, ऊर्जा दक्षता और कम लागत के कारण ऐसे उपकरणों के काफी व्यापक अनुप्रयोग हैं।
- इनका उपयोग सॉलिड-स्टेट लेज़र, विद्युत उपकरणों और ऑप्टिकल सेंसर तथा प्रकाश उत्सर्जकों में अलग-अलग घटकों के रूप में किया जाता है।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):

- **परिचय:**
  - ISM को वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तत्त्वावधान में कुल 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था।
  - यह देश में स्थायी अर्द्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिये व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य अर्द्धचालक, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **घटक:**
  - भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिये योजना:
    - यह सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिये पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर वफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना हेतु बड़े निवेश को आकर्षित करना है।
  - भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिये योजना:
    - यह योजना डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिये पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य देश में TFT एलसीडी/AMOLED आधारित डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिये बड़े निवेश को आकर्षित करना है।
  - भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिये योजना:
    - यह योजना भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी (आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट) केंद्रों की स्थापना के लिये पात्र आवेदकों को पूंजीगत व्यय के 30% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - डिज़ाइन लिंक्ड प्रोत्साहन (DLI) योजना:
    - यह इंटीग्रेटेड सर्किट (IC), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी), सिस्टम और IP कोर तथा सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिज़ाइन के विकास एवं तैनाती के विभिन्न चरणों में बुनियादी ढाँचा व वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

संयुक्त राज्य में भारतीय खाद्य पदार्थों के निर्यात की अस्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राज्य अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने हाल ही में विगत चार वर्षों में खाद्य पदार्थों के के आयात से संबंधित

जानकारी जारी की है जिसके अनुसार अमेरिका ने खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के आधार पर भारत, मैक्सिको तथा चीन जैसे देशों से खाद्य पदार्थों के निर्यात को कम किया है।

- यह डेटा अमेरिकी बाज़ार में भारतीय खाद्यान निर्यातकों के समक्ष आने वाली बाधाओं को उजागर करता है। अमेरिका में भारत के खाद्य पदार्थों के निर्यात की अस्वीकृति एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है।

खाद्य आयात अस्वीकृति का समर्थन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय उपाय:

- **परिचय:**
  - विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी (SPS) समझौता यह सुनिश्चित करता है कि WTO सदस्यों के बीच विपणित उत्पाद (ऐसे उत्पाद जिनका व्यापार किया जा चुका है) बीमारियाँ नहीं फैलाते हैं तथा खाद्य उत्पादों में हानिकारक पदार्थ या रोगजनक नहीं होते हैं।
  - "SPS समझौता" 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ लागू हुआ।
    - WTO में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुल 164 सदस्य देश हैं।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - सदस्यों को मानव, पशु या पौधों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी उपायों को लागू करने का अधिकार है, बशर्ते ऐसे उपाय इस समझौते के अनुरूप हों।
  - समझौते के अनुच्छेद 5(7) में दिये गए प्रावधानों को छोड़कर, उपाय वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित और वैज्ञानिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने चाहिये।
  - उपायों में सदस्यों के बीच अनुचित भेदभाव नहीं होना चाहिये और सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रच्छन्न प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये।
  - एक WTO सदस्य को अन्य सदस्यों से समान सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी उपाय स्वीकार करने होंगे, भले ही वे उसकी आवश्यकताओं से भिन्न हों।
    - निर्यातक सदस्य को यह सिद्ध करना होगा कि उसके उपाय आयातक सदस्य की सुरक्षा के आवश्यक पहलुओं को पूर्ण करते हैं।
    - अनुरोध पर निरीक्षण और परीक्षण के लिये पहुँच प्रदान की जानी चाहिये।

ग्लोबल टैक्स इवैशन रिपोर्ट, 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्ज़र्वेटरी (European Union Tax Observatory) ने 'ग्लोबल टैक्स इवैशन रिपोर्ट, 2024' (Global Tax Evasion Report 2024) जारी की है जिसमें अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर (Global Minimum Tax- GMT) और कर चोरी से निपटने के उपायों से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

- यह रिपोर्ट पिछले 10 वर्षों में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सुधारों (जैसे कि बैंक जानकारी का स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के लिये वैश्विक न्यूनतम कर पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा अन्य मुद्दों के बीच) के प्रभावों की जाँच करती है।

कर चोरी:

- कर चोरी, आय को कम दिखाकर, कटौतियों को बढ़ाकर, ऑफशोर एकाउंट्स में पैसा छिपाकर, या किसी की कर देनदारी को कम करने के लिये अन्य धोखाधड़ी वाले तरीकों का उपयोग करके सरकार को देय करों का भुगतान न करने का अवैध कार्य है।
- यह वित्तीय जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या छुपाकर कर दायित्वों को कम करने का एक सुविचारित और गैर-कानूनी प्रयास है।

आय कर और संपत्ति कर में अंतर:

- संपत्ति कर का आकलन संपत्ति स्टॉक या करदाता के स्वामित्व वाली शुद्ध संपत्ति की कुल राशि पर किया जाता है, जबकि आयकर संपत्ति स्टॉक से प्रवाह पर लगाया जाता है।

- संपत्ति कर का उदाहरण: संपदा कर, उपहार कर और विरासत कर एकमुश्त या कभी-कभार मूल्यांकन किये गए संपत्ति कर के उदाहरण हैं।

कर चोरी रोकने हेतु सरकारी उपाय:

- ई-चालान
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018
- काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिरोपण अधिनियम, 2015
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002।

दूरसंचार कंपनियों पर पूंजी कराधान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने माना है कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा प्रवेश शुल्क के साथ-साथ परिवर्तनीय वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान को राजस्व व्यय न मानकर पूंजीगत व्यय माना जाएगा और इस पर तदनुसार कर लगाया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से टेलीकॉम लाइसेंस शुल्क पर प्रभाव:

- **निर्णय:**
  - सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि (नई दूरसंचार) नीति 1999 के तहत प्रवेश शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में दूरसंचार कंपनियों द्वारा दूरसंचार विभाग को किये गए भुगतान को अब पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इसे (आयकर) अधिनियम की धारा 35ABB के अनुसार परिशोधित किया जा सकता है।
    - इसका तात्पर्य यह है कि पूरे खर्च में एक साथ कटौती करने के बजाय कंपनी को कर उद्देश्यों के लिये प्रत्येक वर्ष कुल शुल्क के एक हिस्से में कटौती करने की आवश्यकता होगी।

परिशोधन:

- यह लेखांकन की एक विधि है जिसका उपयोग परिसंपत्ति की उपयोग अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय या अमूर्त संपत्ति की लागत को बढ़ाने के लिये किया जाता है।
  - व्यय का यह क्रमिक आवंटन परिसंपत्ति के प्रारंभिक व्यय को समय के साथ उत्पन्न होने वाले राजस्व के साथ संतुलित करने में सहायता करता है।
- सरल शब्दों में इसका अर्थ है एक व्यय को छोटे भागों में विभाजित करना और उन भागों को एक विशिष्ट अवधि में वित्तीय विवरणों पर व्यय के रूप में पहचानना।
  - यह अभ्यास समय के साथ कंपनी के वित्तीय विवरणों और कर देनदारी पर परिसंपत्ति के प्रभाव का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

पूंजीगत और राजस्व व्यय के बीच अंतर:

पहलू	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय
व्यय की प्रकृति	दीर्घकालिक परिसंपत्तियों या निवेशों को प्राप्त करने, सुधारने या विस्तारित करने से संबंधित व्यय, जिनसे एक वित्तीय वर्ष से अधिक के लिये लाभ मिलने की उम्मीद है।	मौजूदा परिसंपत्तियों या सेवाओं के रखरखाव और समर्थन के लिये किये गए दैनिक परिचालन व्यय।
लेखांकन व्यवहार	बैलेंस शीट पर पूंजीकृत करने के उपरांत समय से परिशोधन या मूल्यह्रास के माध्यम से मान्यता प्राप्त है।	आय विवरण पर वर्ष में किये गए व्यय के रूप में पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है।
कर व्यवहार	मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन, जिससे कर प्रभाव में देरी होती है और प्रायः खरीद के वर्ष में कर योग्य आय कम हो जाती है।	कर योग्य आय से तुरंत कटौती योग्य, कर दायित्व में तत्काल कमी प्रदान करता है।
लाभप्रदता पर प्रभाव	आम तौर पर अल्पकालिक लाभप्रदता पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि लागत कई वर्षों के लिये होती है।	इसका लाभप्रदता पर तत्काल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यय का आकलन निर्दिष्ट वर्ष में व्यय के आधार पर की जाती है।
उदाहरण	एक नई विनिर्माण सुविधा प्राप्त करना, एक नए उत्पाद, दीर्घकालिक लाइसेंस या फ्रेंचाइज़ी के लिये अनुसंधान और विकास।	नियमित मशीनरी रखरखाव, कर्मचारी वेतन, विज्ञापन लागत, उपयोगिता बिल।

चीन द्वारा ग्रेफाइट उत्पादों के निर्यात पर अंकुश

हाल ही में विश्व के शीर्ष ग्रेफाइट उत्पादक (लगभग 65%) और निर्यातक चीन ने बैटरी की प्रमुख सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

- ये प्रतिबंध चिप के निर्माण के लिये आवश्यक दो धातुओं- गैलियम और जर्मेनियम पर 1 अगस्त, 2023 से लागू प्रतिबंधों के समान है, जिन्होंने देश के बाहर कीमतों को बढ़ा दिया है।

ग्रेफाइट के निर्यात और उसके प्रभावों पर अंकुश लगाने का चीन का निर्णय:

- **महत्त्व:**
  - इस कदम का उद्देश्य चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और उसके वैश्विक विनिर्माण प्रभुत्व पर चुनौतियों के प्रत्युत्तर में दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति को नियंत्रित करना है।
  - ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकेल आदि महत्त्वपूर्ण खनिज हैं जैसा कि खनिज सुरक्षा साझेदारी में दर्शाया गया है, भारत जिसका साझेदार देश है।
  - यह विश्व के प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माताओं और भारत के राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) के कारण भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जिनमें ग्रेफाइट एक आवश्यक घटक है।

ग्रेफाइट:

- **परिचय:**
  - ग्रेफाइट एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जो कार्बन से बना है। यह कार्बन के तीन क्रिस्टलीय रूपों में से एक है, अन्य दो रूप हीरा एवं अक्रिस्टलीय कार्बन (जैसे चारकोल अथवा कार्बन ब्लैक) हैं।
- **संरचना:**
  - ग्रेफाइट में एक हेक्सागोनल (षट्कोणीय) क्रिस्टल संरचना होती है जिसमें कार्बन परमाणुओं को परतों या शीट्स में व्यवस्थित किया जाता है। ये परतें कमज़ोर रूप से एक साथ जुड़ी होती हैं, जिससे वे आसानी से एक-दूसरे से आगे खिसक सकती हैं, जो ग्रेफाइट को स्नेहन गुण प्रदान करता है।
- **गुण:**
  - ग्रेफाइट विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। इसका उपयोग बैटरी के लिये इलेक्ट्रोड के उत्पादन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है।
- **वैश्विक भंडार:**
  - चीन दुनिया के दो-तिहाई ग्रेफाइट का उत्पादन करता है, लेकिन वैश्विक भंडार की तुलना में एशियाई देश एकमात्र विकल्प नहीं हैं।
  - संयुक्त राज्य भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, दुनिया के आधे प्राकृतिक ग्रेफाइट संसाधन तुर्की (27.3%) और ब्राज़ील (22.4%) के पास हैं। चीन 16% के साथ तीसरे स्थान पर है, उसके बाद मेडागास्कर (7.9%) का स्थान है।

बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिये प्रस्तावित सुधार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में G20 विशेषज्ञ पैनल ने सिफारिश की है कि बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) को अपने दृष्टिकोण को व्यक्तिगत परियोजनाओं के वित्तपोषण के बजाय राष्ट्रीय सरकारों द्वारा उल्लिखित क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों और दीर्घकालिक परिवर्तनकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

बहुपक्षीय विकास बैंक:

- MDB अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जिनमें विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।
- वे परिवहन, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढाँचे और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
- विकसित देश MDB को ऋण देने में योगदान करते हैं, जबकि विकासशील देश आमतौर पर विकास परियोजनाओं के लिये उनसे उधार लेते हैं।
- MDB गरीबी में कमी, बुनियादी ढाँचे के विकास, मानव पूंजी निर्माण आदि जैसे मुद्दों को हल करके निम्न-आय और मध्यम-आय वाले देशों (LIC और MIC) दोनों के विकास का समर्थन करने में सहायक रहे हैं।
- MDB में विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर-अमेरिकी विकास बैंक आदि शामिल हैं।

- The African Development Bank (AfDB)
- The Asian Development Bank (ADB)
- The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
- The European Investment Bank (EIB)
- The Inter-American Development Bank (IADB)
- The Islamic Development Bank (IsDB)
- The World Bank Group (WBG)

भारत में पारंपरिक रूप से MDB का ऋण:

➲ **भारत के प्रति विश्व बैंक की प्रतिबद्धता:**

- विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। विश्व बैंक ने भारत को पूर्ण तथा मौजूदा दोनों परियोजनाओं के लिये अब तक लगभग 97.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है।
- कुल आवंटित ऋण में से 19% सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र में परियोजनाओं के लिये 15% कृषि, मत्स्यपालन व वानिकी के लिये तथा 11% परिवहन क्षेत्र के लिये व्यय किया गया है।

➲ **एशियाई विकास बैंक (ADB) की भागीदारी:**

- एशियाई विकास बैंक फिलिपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। ADB ने भारत को कुल 59.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना संबंधी एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है।
- बैंक द्वारा प्रदत्त कुल सहायता में से 34% धनराशि परिवहन क्षेत्र के लिये, 25% ऊर्जा क्षेत्र के लिये, तथा 10% शहरी आधारभूत अवसंरचना के लिये आवंटित की गई है।

➲ **एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) का योगदान:**

- AIIB की स्थापना वर्ष 2016 में हुई जिसका मुख्यालय बीजिंग (चीन) में स्थित है। इसके द्वारा भारत को 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है।
- इस राशि में से 42% परिवहन क्षेत्र के लिये, 14% ऊर्जा क्षेत्र हेतु तथा 12.6% आर्थिक विकास के लिये आवंटित किया गया है।

एंजेल टैक्स पर CBDT के निर्देश

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक निर्देश जारी किया है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप पर वित्त अधिनियम, 2023 में संशोधित एंजेल टैक्स प्रावधानों के तहत अनावश्यक जाँच का बोझ न पड़े।

स्टार्ट-अप से संबंधित नए कर निर्देश:

➲ CBDT ने अपने अधिकारियों को DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के लिये एंजेल टैक्स प्रावधानों की जाँच करने से परहेज करने का निर्देश दिया है।

- यह निर्देश एंजल टैक्स के लिये जाँच नोटिस के संबंध में कई स्टार्ट-अप द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में आया है।

➲ **CBDT ने जाँच के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के संबंध में दो परिदृश्यों की रूपरेखा तैयार की है:**

- एकल-मुद्दे की जाँच: ऐसे मामलों में जहाँ जाँच पूरी तरह से आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viib) की प्रयोज्यता

निर्धारित करने के लिये शुरू की जाती है, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान कोई सत्यापन नहीं करेंगे।

- इसके बदले मुद्दे के संबंध में मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के तर्क को संक्षेप में स्वीकार किया जाएगा।

- विविध-मुद्दे की जाँच: जब एक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप कई मुद्दों को लेकर जाँच के दायरे में है, जिसमें एक मुद्दा आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viib) के तहत भी शामिल है, तो मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान एंजेल टैक्स प्रावधान की प्रयोज्यता का पालन नहीं किया जाएगा।

एंजेल टैक्स:

- एंजेल टैक्स एक आयकर है जो 30.6% की दर से तब लगाया जाता है जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाज़ार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है।
  - उचित बाज़ार मूल्य (Fair Market Value- FMV) परिसंपत्ति का वह मूल्य है, जब क्रेता और विक्रेता को इसके संबंध में जानकारी होती है तथा वे बिना दबाव के व्यापार करने के लिये तैयार हो जाते हैं।
- प्रारंभ में एंजेल टैक्स केवल निवासी निवेशकों द्वारा किये गए निवेश पर लागू था। वित्त अधिनियम, 2023 ने विदेशी निवेशकों को भी इसमें शामिल करने के लिये इस प्रावधान का विस्तार किया है।
  - इसका अर्थ यह है कि जब कोई स्टार्ट-अप किसी विदेशी निवेशक से धन जुटाती है, तो इसे भी आय के रूप में गिना जाएगा और कराधान के अधीन किया जाएगा।
    - हालाँकि उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स को एंजेल टैक्स लेवी से बाहर रखा गया है।

नोट: मई 2023 में वित्त मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्राँस जैसे 21 देशों के निवेशकों को भारतीय स्टार्ट-अप में अनिवासी निवेश के लिये एंजेल टैक्स लेवी से छूट दी।

स्टार्ट-अप्स से संबंधित अन्य प्रमुख सरकारी पहल:

- नवाचारों के विकास और उपयोग के लिये राष्ट्रीय पहल (National Initiative for Developing and Harnessing Innovations- NIDHI)
- स्टार्ट-अप इंडिया एक्शन प्लान (Startup India Action Plan- SIAP)
- स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग (Ranking of States on Support to Startup Ecosystems- RSSSE)
- स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (Startup India Seed Fund Scheme- SISFS)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT):

- यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
  - यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक अभिन्न अंग है।
- यह भारत में प्रत्यक्ष कराधान से संबंधित नीतियों और योजना के निर्माण में योगदान देता है तथा आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
  - प्रत्यक्ष करों में आयकर, निगम कर और इसी तरह की श्रेणियाँ शामिल हैं।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय से प्राप्त हालिया आँकड़ों से भारत में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act- FCRA), 2010 के तहत गैर-सरकारी संगठनों (Non-Governmental Organizations- NGO) के पंजीकरण से संबंधित एक चिंताजनक पैटर्न की जानकारी मिली है।

- आँकड़ों से प्राप्त जानकारी में चिंता का मुख्य विषय यह है कि गैर-सरकारी संगठन FCRA पंजीकरण में अपने परिचालन क्षेत्रों का सही ब्योरा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो उनके घोषित उद्देश्यों से काफी अलग हैं।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम:

- **परिचय:**
  - विदेशी सरकारों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों को प्रभावित करने के लिये स्वतंत्र संगठनों की सहायता से किये जाने वाले

वित्तपोषण की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए FCRA को वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था।

- इस कानून ने व्यक्तियों और संघों को दिये जाने वाले विदेशी अंशदान को विनियमित करने की मांग की ताकि वे "एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप" कार्य कर सकें।

FCRA में संशोधन:

- वर्ष 2010 का संशोधन:
  - विदेशी धन के उपयोग पर "कानून को सशक्त करने" तथा "राष्ट्रीय हित में हानिकारक किसी भी गतिविधि" के लिये उसके उपयोग को "प्रतिबंधित" करने हेतु वर्ष 2010 में एक संशोधित FCRA अधिनियमित किया गया था।
- वर्ष 2020 का संशोधन:
  - यह किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर रोक लगाता है।
  - प्रशासनिक खर्चों के लिये विदेशी अंशदान के उपयोग की सीमा को 50% से घटाकर 20% किया गया।

FCRA पंजीकरण:

- भारत में विदेशी दान प्राप्त करने के लिये FCRA के तहत पंजीकरण आवश्यक है।
  - यह सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्य क्षेत्रों में संलग्न व्यक्तियों या संघों को प्रदान किया जाता है।
  - पारदर्शिता और कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये FCRA इन परिभाषित क्षेत्रों में विदेशी योगदान को नियंत्रित करता है।
- संस्थाएँ अपने कार्यक्रमों के आधार पर विविध गतिविधियों के लिये अनुमति देते हुए कई श्रेणियों के तहत पंजीकरण कर सकती हैं।
- विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिये आवेदकों को नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की एक निर्दिष्ट शाखा में बैंक खाता खोलना होगा।

FCRA पंजीकरण के तहत गतिविधियों पर प्रतिबंध:

- आवेदक को फर्जी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिये।
- आवेदक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक रूपांतरण गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिये।
- आवेदक का इतिहास सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य से संबंधित अभियोजन से संबद्ध नहीं होना चाहिये।
- आवेदक देशद्रोह से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिये।
- FCRA उम्मीदवारों, पत्रकारों, मीडिया कंपनियों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों, राजनेताओं और राजनीतिक संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने से रोकता है।

वैधता और नवीनीकरण:

- FCRA पंजीकरण पाँच वर्ष के लिये वैध है और NGO को पंजीकरण की समाप्ति के छह महीने के अंदर नवीनीकरण के लिये आवेदन करना आवश्यक है।
- सरकार के पास विभिन्न कारणों से किसी NGO का FCRA पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है, जिसमें अधिनियम का उल्लंघन या लगातार दो वर्षों तक उनके चुने हुए क्षेत्र में उचित गतिविधि की कमी शामिल है।
  - एक बार रद्द होने के बाद कोई NGO तीन वर्ष तक पुन: पंजीकरण के लिये अयोग्य होता है।

FCRA 2022 के नियम:

- जुलाई 2022 में MHA ने FCRA नियमों में बदलाव किये। इन बदलावों में समझौता योग्य अपराधों की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 करना शामिल है।
- नियमों ने बैंक खाते खोलने की अधिसूचना के लिये सीमा भी बढ़ा दी और दूर के रिश्तेदारों के योगदान के लिये अधिकतम राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी, जिसके लिये सरकारी अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है।

ग्रेशम का नियम और मुद्रा विनिमय दर

चर्चा में क्यों ?

ग्रेशम का नियम, जिसका श्रेय अंग्रेज़ फाइनेंसर थॉमस ग्रेशम को दिया जाता है, श्रीलंका में वर्ष 2022 के आर्थिक संकट का एक महत्त्वपूर्ण कारक था। यह संकट श्रीलंका के सेंट्रल बैंक द्वारा श्रीलंकाई रुपए और अमेरिकी डॉलर के बीच एक स्थिर विनिमय दर को लागू करने के कारण उत्पन्न हुआ था।

ग्रेशम का नियम:

- ग्रेशम का नियम एक मौद्रिक सिद्धांत है जो बताता है कि "बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है"। बुरी मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर या उससे कम है। अच्छी मुद्रा में उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य की संभावना होती है।
  - इसका मतलब यह है कि यदि एक उच्च आंतरिक मूल्य के साथ और एक कम आंतरिक मूल्य के साथ दो प्रकार की मुद्राएँ प्रचलन में हैं, तो लोग अधिक मूल्यवान धन जमा करेंगे और कम मूल्यवान धन व्यय करेंगे।
    - परिणामस्वरूप कम मूल्यवान मुद्रा बाज़ार पर हावी हो जाएगी, जबकि अधिक मूल्यवान मुद्रा प्रचलन से गायब हो जाएगी।
  - यह नियम तब लागू होता है जब सरकार दो मुद्राओं के बीच विनिमय दर तय करती है, जिससे आधिकारिक दर और बाज़ार दर के बीच असमानता उत्पन्न होती है।
    - यह न केवल कागज़ी मुद्राओं पर बल्कि कमोडिटी मुद्राओं और अन्य वस्तुओं पर भी लागू होता है।

स्थिर विनिमय दर (Fixed Exchange Rate):

- **परिचय:**
  - निश्चित विनिमय दर, जिसे अधिकीलित विनिमय दर (Pegged Exchange Rate) भी कहा जाता है, किसी सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा लागू एक व्यवस्था है जो देश की आधिकारिक मुद्रा विनिमय दर को दूसरे देश की मुद्रा या सोने की कीमत से जोड़ती है।
    - स्थिर विनिमय दर प्रणाली का उद्देश्य मुद्रा के मूल्य को एक संकीर्ण दायरे में रखना है।

स्थिर विनिमय दरों के विकल्प:

- फ्लोटिंग विनिमय दर: इसे लचीली विनिमय दर के रूप में भी जाना जाता है, यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा बाज़ार में आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है।
  - इस प्रणाली में विनिमय दर में लगातार उतार-चढ़ाव हो सकता है और आधिकारिक तौर पर यह किसी अन्य मुद्रा या वस्तु से जुड़ी या तय नहीं की जाती है।
  - फ्लोटिंग विनिमय दरें मुद्राओं को आर्थिक स्थितियों, व्यापार असंतुलन और बाज़ार की ताकतों के लिये स्वतंत्र रूप से समायोजित करने की अनुमति देती हैं।
    - उदाहरण: कनाडा और ऑस्ट्रेलिया।
- प्रबंधित फ्लोट (Managed Float): प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर (Managed Float Exchange Rate), जिसे डर्टी फ्लोट भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रणाली है जहाँ किसी देश का केंद्रीय बैंक या सरकार अपनी मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने के लिये कभी-कभी विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करती है।
  - जबकि विनिमय दर में कुछ हद तक परिवर्तन संभव है, अधिकारी कुछ आर्थिक लक्ष्यों के जवाब में इसके मूल्य को स्थिर करने या प्रबंधित करने या अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिये अपनी मुद्रा खरीद या बेच सकते हैं।
    - उदाहरण: भारत और चीन।

RBI द्वारा I-CRR को वापस लेने का निर्णय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (I-CRR) को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की।

- केंद्रीय बैंक कई चरणों में I-CRR के तहत बैंकों द्वारा रखी गई राशि जारी करेगा।

RBI द्वारा I-CRR को वापस लेने की प्रक्रिया:

- सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने और सिस्टम की तरलता में अचानक झटके को रोकने के लिये I-CRR को बंद करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
  - I-CRR रिवर्सल के पहले और दूसरे चरण में प्रत्येक बैंक की जब्त धनराशि का 25% जारी किया जाएगा। शेष 50% राशि तीसरे चरण में जारी की जाएगी।
- इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास आगामी त्योहारी सीज़न के दौरान बढ़ी हुई ऋण मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त तरलता हो।

I-CRR:

- पृष्ठभूमि:
  - 10 अगस्त, 2023 को मौद्रिक नीति की घोषणा एवं 2000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद RBI ने घोषणा की कि बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों (Net Demand and Time Liabilities- NDTL) में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (I-CRR) बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
    - NDTL एक बैंक (सार्वजनिक या अन्य बैंक के पास) की मांग और समय देनदारियों (जमा) तथा अन्य बैंकों द्वारा रखी गई संपत्ति के रूप में जमा के बीच का अंतर है।
  - कहा गया कि वह सितंबर 2023 या उससे पहले इसकी समीक्षा करेगा।
- **I-CRR शुरू करने का उद्देश्य:**
  - RBI ने बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता को प्रबंधित करने के लिये एक अस्थायी उपाय के रूप में I-CRR की शुरुआत की।
  - अधिशेष तरलता में कई कारकों ने योगदान दिया, जिसमें 2,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण भी शामिल है।
  - RBI द्वारा अधिशेष सरकार को हस्तांतरित करना, सरकारी खर्च और पूंजी प्रवाह में वृद्धि करता है।
  - इस तरलता वृद्धि में मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता को बाधित करने की क्षमता थी, जिसके लिये कुशल तरलता प्रबंधन की आवश्यकता थी।
- **तरलता स्थितियों पर I-CRR का प्रभाव:**
  - I-CRR उपाय बैंकिंग प्रणाली से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करेगा।
  - I-CRR जनादेश के परिणामस्वरूप 21 अगस्त, 2023 को बैंकिंग प्रणाली की तरलता अस्थायी रूप से घाटे में बदल गई, जो कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित बहिर्वाह और रुपए को स्थिर करने के लिये केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप से बढ़ गई।

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio- CRR):

- **परिचय:**
  - बैंक की कुल जमा राशि के मुकाबले रिज़र्व में रखी जाने वाली नकदी का प्रतिशत CRR कहलाता है।
  - भारत में सभी बैंक (सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB) (RRB सहित), लघु वित्त बैंक (SFB), भुगतान बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (UCB), राज्य सहकारी बैंक (STCB) और ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को RBI के साथ CRR बनाए रखना होगा।
  - प्रत्येक सहकारी बैंक (अनुसूचित सहकारी बैंक नहीं) और स्थानीय क्षेत्र बैंक अपने पास या RBI के पास CRR बनाए रखेंगे।
  - बैंक CRR की राशि को कॉरपोरेट्स या व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को उधार नहीं दे सकते हैं, बैंक उस राशि का उपयोग निवेश उद्देश्यों के लिये नहीं कर सकते और बैंक उस पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त करते हैं।

RBI के मौद्रिक नीति उपकरण:

- **गुणात्मक:**
  - नैतिक दबाव: यह एक गैर-बाध्यकारी तकनीक है जहाँ RBI बैंकों के ऋण और निवेश व्यवहार को प्रभावित करने के लिये अनुनय एवं संचार का उपयोग करता है।
  - प्रत्यक्ष ऋण नियंत्रण: ये ऐसे उपाय हैं जिनमें विशिष्ट क्षेत्रों या उद्योगों के लिये ऋण के प्रवाह को विनियमित करना शामिल है। RBI नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये कुछ क्षेत्रों को ऋण देने का निर्देश जारी कर सकता है या ऋण सीमा निर्धारित कर सकता है।
  - चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण: ये प्रत्यक्ष क्रेडिट नियंत्रण से अधिक विशिष्ट हैं और अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में मांग को नियंत्रित करने के लिये उपभोक्ता ऋण जैसे विशेष प्रकार के ऋणों को लक्षित करते हैं।
- **मात्रात्मक:**
  - नकद आरक्षित अनुपात (CRR): CRR किसी बैंक की जमा राशि का वह अनुपात है जिसे उसे नकदी के रूप में RBI के पास आरक्षित रखना होता है। CRR को समायोजित करके RBI बैंकों द्वारा ऋण देने के लिये उपलब्ध धन की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है।
  - रेपो दर: रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिये पैसा उधार देता है।

रेपो दर में बदलाव किये जाने से इन बैंकों की उधार लेने की लागत और उसके बाद उनकी उधार दरों पर असर पड़ सकता है।

- रिवर्स रेपो दर: यह वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपना अतिरिक्त धन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा रख सकते हैं। यह अल्पकालिक ब्याज दरों के लिये एक आधार प्रदान करने के साथ ही तरलता प्रबंधन में मदद करता है।
- बैंक दर: वह दर है जिस पर RBI बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दीर्घकालिक धन प्रदान करता है। यह दीर्घकालिक मुद्रा बाज़ार में ब्याज दरों को प्रभावित करता है।
- ओपन मार्केट ऑपरेशंस: इसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद अथवा बिक्री करता है। यह बैंकिंग प्रणाली में धन आपूर्ति और तरलता को प्रभावित करती है।
- तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility- LAF): इसमें रेपो दर और रिवर्स रेपो दर शामिल है जिसका उपयोग बैंकों द्वारा उनकी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं के लिये किया जाता है। यह RBI को प्रतिदिन तरलता स्थितियों का प्रबंधन करने में मदद करता है।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी (MSF): वह दर जिस पर बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के लिये RBI से तुरंत ही ऋण ले सकते हैं। यह बैंकों के लिये वित्तपोषण के द्वितीयक स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio- SLR): यह किसी बैंक की शुद्ध मांग और सावधि देनदारियों का प्रतिशत है जिसे अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है।

GDP से परे आर्थिक अंतर्दृष्टि: ICOR

चर्चा में क्यों ?

भारत का नवीनतम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) डेटा, वर्ष 2023 की अप्रैल से जून तिमाही के दौरान 7.8% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ सुर्खियों में है, जिसने विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है।

- हालाँकि भारत का आर्थिक विवरण संख्यात्मक आँकड़ों से कहीं अधिक विस्तृत है। वृद्धिशील पूंजी आउटपुट अनुपात (Incremental Capital Output Ratio- ICOR) में भी प्रगति हुई है, जो पूंजी दक्षता और संसाधन आवंटन के संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

GDP और ICOR:

- GDP आर्थिक प्रदर्शन और विकास के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाले संकेतकों में से एक है। यह किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का मापन है।
  - हालाँकि GDP की अपनी खूबियाँ हैं, लेकिन यह आर्थिक कल्याण का संपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करती है। यह दक्षता, आय वितरण और संस्थागत गुणवत्ता जैसे कारकों की अनदेखी करती है, जो सतत् विकास के लिये आवश्यक हैं।
  - निवेश बढ़ाने से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो सकती है, लेकिन वास्तविक सतत् विकास उत्पादकता में वृद्धि पर निर्भर करता है।
  - इसलिये अर्थशास्त्री और नीति निर्माता प्राय: आर्थिक विकास की दक्षता, स्थिरता एवं गुणवत्ता का आकलन करने के लिये अन्य पूरक संकेतकों का उपयोग करते हैं।
- ऐसा ही एक संकेतक ICOR है; यह हैरोड-डोमर ग्रोथ थ्योरी से विकसित हुआ है और नए निवेश एवं आर्थिक विकास के बीच संबंधों की जाँच करता है, यह दर्शाता है कि 1% अधिक उत्पादन के लिये कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है।
  - कम ICOR पूंजी की अधिक दक्षता और उत्पादक उपयोग का प्रतीक है।
  - SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बचत और निवेश में बढ़ोतरी का रुझान देखा जा रहा है, जिसके साथ-साथ ICOR में भी कमी आ रही है।
    - भारत में वर्तमान ICOR- 4.4 है, जो पूंजी के कुशल उपयोग का संकेत देता है।

नोट: अर्थशास्त्री रॉय हैरोड और एवसी डोमर द्वारा बनाया गया हैरोड-डोमर मॉडल दावा करता है कि आर्थिक विकास निवेश के लिये पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है और पूंजी संचय की दर सीधे बचत की दर से जुड़ी होती है।

भारत में बेरोज़गारी का मापन

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2021-22 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, वर्ष 2021-22 में भारत की बेरोज़गारी दर गिरकर 4.1% हो

गई, लेकिन यह अमेरिका से अधिक (3.5% और 3.7% के बीच उतार-चढ़ाव) है , साथ ही यह दोनों देशों के बीच विपरीत आर्थिक परिदृश्य को उजागर करती है। इस प्रकार बेरोज़गारी को मापने के लिये अलग-अलग तरीके हैं।

बेरोज़गारी:

ILO की परिभाषा:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, बेरोज़गारी में रोज़गार से बाहर होना, काम के लिये उपलब्ध होना और सक्रिय रूप से रोज़गार की खोज करना शामिल है।
- एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि सक्रिय रूप से काम की खोज नहीं करने वालों को बेरोज़गार नहीं माना जाता है।

श्रम बल:

- इसमें नौकरीपेशा और बेरोज़गार शामिल हैं। जो लोग इन श्रेणियों में नहीं हैं (उदाहरण के लिये छात्र, अवैतनिक घरेलू कामगार) उन्हें श्रम बल से बाहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- बेरोज़गारी दर की गणना बेरोज़गारों और श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में की जाती है।
  - यदि कोई अर्थव्यवस्था पर्याप्त नौकरियाँ नहीं उत्पन्न कर रही है अथवा यदि लोग काम की तलाश न करने का निर्णय लेते हैं, तो बेरोज़गारी दर गिर सकती है।

भारत में बेरोज़गारी का निर्धारण:

NSSO वर्गीकरण विधियाँ:

- सामान्य गतिविधि और सहायक स्थिति (UPSS): इस गतिविधि का दर्जा उस गतिविधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिस पर किसी ने पिछले वर्ष सबसे अधिक समय बिताया था।
  - कम-से-कम 30 दिनों तक चलने वाली सहायक भूमिकाओं को भी रोज़गार माना जाता है। यह विधि बेरोज़गारी दर को कम करती है।
- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS):
  - एक सप्ताह की छोटी संदर्भ अवधि अपनाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने पिछले सात दिनों में कम-से-कम एक दिन एक घंटा काम किया है, उन्हें नियोजित माना जाता है।
  - छोटी संदर्भ अवधि के कारण CWS के परिणामस्वरूप प्राय: UPSS की तुलना में बेरोज़गारी दर अधिक होती है।

टिप्पणी: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) बनाने के लिये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय कर दिया गया।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार बेरोज़गारी दर:

Table 1: The unemployment rates as per the Periodic Labour Force Survey

	UPSS			CWS		
	Rural	Urban	Aggregate	Rural	Urban	Aggregate
2017-18	5.3%	7.8%	6.1%	8.5%	9.6%	8.9%
2018-19	5%	7.7%	5.8%	8.4%	9.5%	8.8%
2019-20	4%	7%	4.8%	7.9%	11%	8.8%
2020-21	3.3%	6.7%	4.2%	6.5%	10%	7.5%
2021-22	3.3%	6.3%	4.1%	6%	8.3%	6.6%

वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 को संबोधित किया।

- इस अवसर पर उन्होंने वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के खतरों से निपटने में वैश्विक सहयोग के महत्त्व पर प्रकाश डाला।
- G20 की अध्यक्षता के तहत भी भारत ने वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष प्रमुख खतरे से निपटने में वैश्विक सहयोग और सहभागिता की मांग की है।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF):

- यह एक सबसे बड़ा फिनटेक सम्मेलन है जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य फिनटेक अधिनायकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और उद्योग के भविष्य के लिये खाका विकसित करने हेतु एक अद्वितीय मंच प्रदान करना है।
- यह एक ऐसा मंच है जहाँ नीति निर्माता, विनियामक, उद्योग क्षेत्र के अग्रणी, शिक्षाविद् और सभी प्रमुख फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र हितधारक विचारों का आदान-प्रदान, अंतर्दृष्टि साझा करने तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिये वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करते हैं।
- **GFF'23 की थीम:**
  - 'एक ज़िम्मेदार वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिये वैश्विक सहयोग' (Global Collaboration for a Responsible Financial Ecosystem)।
    - यह थीम एक समावेशी, लचीला और धारणीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

नोट:

- भारतीय भुगतान परिषद (Payments Council of India- PCI): यह भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में 85% से अधिक गैर-बैंकिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है और इसका गठन डिजिटल भुगतान उद्योग की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिये किया गया था।
- **PCI में निम्नलिखित उप-समितियाँ शामिल हैं:**
  - भुगतान एग्रीगेटर/भुगतान गेटवे
  - प्रीपेड भुगतान साधन/प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI)
  - भुगतान नेटवर्क
  - भुगतान बैंक
  - भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई समिति (BBPOU)
  - यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण और व्यापार समिति
  - प्रौद्योगिकी समर्थक
- फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC): वर्ष 2017 में एक फिनटेक समिति के रूप में स्थापित FCC को बाद में 70 से अधिक सदस्यों के साथ एक स्वतंत्र गवर्निंग बोर्ड के तौर पर स्वतंत्र परिषद में बदल दिया गया था।
  - FCC फिनटेक, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न अभिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी

चर्चा में क्यों

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने सीमा पार भुगतान की दक्षता में सुधार के लिये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या ई-रुपए की क्षमता पर प्रकाश डाला है।

- RBI अधिक बैंकों, शहरों, विविध उपयोग के मामलों और व्यापक उपयोगकर्ताओं को शामिल करने के लिये धीरे-धीरे अपने CBDC पायलटों का विस्तार कर रहा है।
- RBI ने नवंबर 2022 में थोक और दिसंबर 2022 में खुदरा क्षेत्र में डिजिटल रुपये के लिये पायलट लॉन्च किया।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):

- **परिचय:**
  - CBDC कागज़ी मुद्रा का डिजिटल रूप है और किसी भी नियामक संस्था द्वारा संचालित नहीं होने वाली क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी तथा समर्थित वैध मुद्रा है।
  - यह फिएट मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ वन टू वन विनिमय करने में सक्षम है।
    - फिएट मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा है जो किसी वस्तु की कीमत जैसे सोने या चाँदी की कीमत पर नहीं आँकी जाती है।

- ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फिएट मुद्रा या CBDC का लेन-देन किया जा सकता है।
- हालाँकि CBDC की अवधारणा सीधे तौर पर बिटकॉइन से प्रेरित थी, यह विकेंद्रीकृत आभासी मुद्राओं एवं क्रिप्टो परिसंपत्तियों से अलग है, जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती हैं और जिनमें 'कानूनी निविदा'(लीगल टेंडर) स्थिति का अभाव है।

वैश्विक रुझान:

- बहामास, वर्ष 2020 में अपना राष्ट्रव्यापी CBDC - सैंड डॉलर लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था रही है।
- नाइजीरिया वर्ष 2020 में eNaira शुरू करने वाला दूसरा देश है।
- अप्रैल 2020 में चीन डिजिटल मुद्रा e-CNY का संचालन करने वाला दुनिया की पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया।

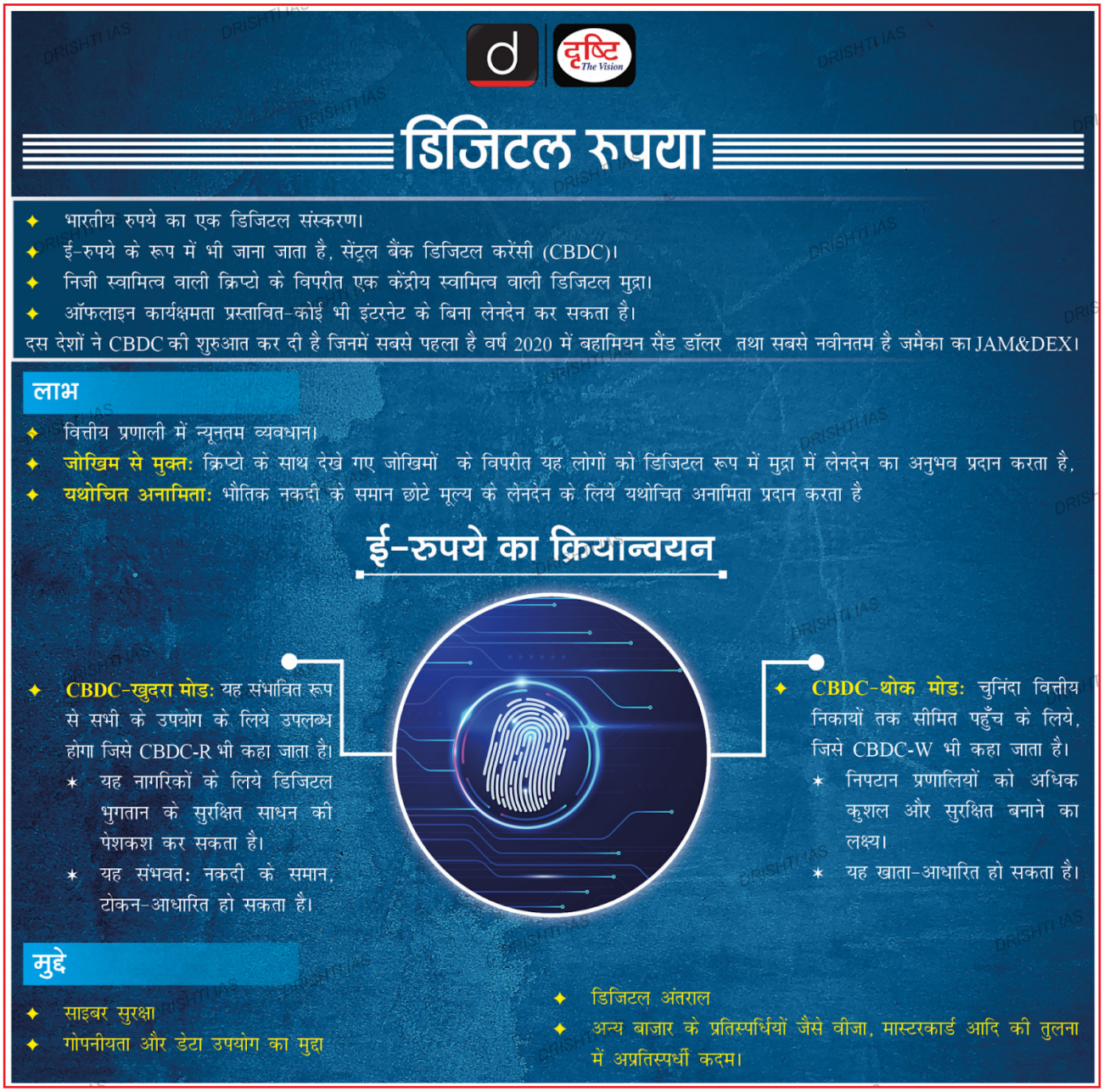

भारतीय अर्थव्यवस्था और इम्पॉसिबल ट्रिनिटी

चर्चा में क्यों ?

वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय निवेशकों को "इम्पॉसिबल ट्रिनिटी" पर काबू पाने में एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

इम्पॉसिबल ट्रिनिटी:

- **परिचय:**
  - इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, या त्रिलम्मा, इस विचार को संदर्भित करता है कि एक अर्थव्यवस्था स्वतंत्र मौद्रिक नीति, निश्चित विनिमय दर नहीं बनाए रख सकती है और एक ही समय में अपनी सीमाओं के विपरीत पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति नहीं दे सकती है।
    - एक निश्चित विनिमय दर व्यवस्था में घरेलू मुद्रा अन्य विदेशी मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग आदि की एक बास्केट से जुड़ी होती है।
  - एक सक्षम नीति निर्माता, किसी भी समय, इन तीन उद्देश्यों में से दो को प्राप्त कर सकता है।
  - यह विचार 1960 के दशक की शुरुआत में कनाडा के अर्थशास्त्री रॉबर्ट मुंडेल और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मार्कस फ्लेमिंग द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया गया था।
  - इम्पॉसिबल ट्रिनिटी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और मौद्रिक नीति में एक मौलिक अवधारणा है।
  - यह उन अंतर्निहित चुनौतियों का वर्णन करती है जिनका सामना देश अपनी विनिमय दर और पूंजी प्रवाह से संबंधित तीन विशिष्ट नीतिगत उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

शहरी सहकारी बैंकों में प्रशासन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) के गवर्नर ने शहरी सहकारी बैंकों (Urban Cooperative Banks- UCB) की चिंताओं को संबोधित किया तथा उनके प्रशासन को मज़बूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

- UCB क्षेत्र में समग्र वित्तीय सुधार के बावजूद इस क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये व्यक्तिगत संस्थाओं के कमज़ोर पक्षों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

UCB के लिये RBI की सिफारिशें:

- RBI ने UCB के निदेशकों को शासन प्रथाओं, विशेष रूप से अनुपालन, जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक लेखापरीक्षा जैसे तीन सहायक स्तंभों को मज़बूत करने का निर्देश दिया।
- RBI ने बोर्डों से अधिक सक्रियता के साथ परिसंपत्ति देयता प्रबंधन और तरलता जोखिम को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- बोर्डों की कार्य पद्धति हेतु RBI ने पाँच पहलुओं पर ज़ोर दिया- निदेशकों के पर्याप्त कौशल और विशेषज्ञता, एक पेशेवर प्रबंधन बोर्ड का गठन, बोर्ड के सदस्यों की विविधता और कार्यकाल, बोर्ड चर्चाओं की पारदर्शी और भागीदारी प्रकृति, एवं बोर्ड-स्तरीय समितियों की प्रभावी कार्यप्रणाली।
- RBI ने उन्हें नवीन लेखांकन प्रथाओं का उपयोग कर अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाने के प्रति आगाह/सावधान किया।
  - RBI ने उन्हें अपने व्यवसाय को बनाए रखने, बढ़ाने तथा ग्राहकों की सेवा करने के लिये उचित व्यावसायिक रणनीतियों को अपनाने एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी समाधान तलाशने के लिये प्रोत्साहित किया।

शहरी सहकारी बैंक (UCBs):

- सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होते हैं और इनकी शुरुआत सहकारी ऋण समितियों की अवधारणा से हुई थी, जहाँ एक ऋण समिति के सदस्य एक-दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण देते थे।
- सहकारी बैंकों को उनके परिचालन क्षेत्र के आधार पर मोटे तौर पर शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है।
- UCBs को एकल-राज्य सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार (RCS) और बहु-राज्य सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) तथा RBI द्वारा विनियमित एवं पर्यवेक्षित किया जाता है।
  - परंतु वर्ष 2020 में सभी UCBs और बहु-राज्य सहकारी समितियों को RBI के पर्यवेक्षण के अंतर्गत लाया गया।
- वर्ष 2021 में RBI ने एक समिति नियुक्त की जिसने UCBs के लिये 4-स्तरीय संरचना का सुझाव दिया।
  - टियर 1: सभी यूनिट UCB और वेतन पाने वाले UCB (अनिर्धारित जमा राशि) तथा अन्य सभी UCB जिनके पास 100 करोड़ रुपए तक जमा हैं।

- टियर 2: 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले UCB।
- टियर 3: 1,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले UCB।
- टियर 4: 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि वाले UCB।

➲ मार्च 2021 तक भारत में लगभग 1,539 UCB हैं। मार्च 2020 तक UCB का जमा आधार 5 लाख करोड़ रुपए और अग्रिम 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक था।

- उनकी बड़ी संख्या के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र में UCB की बाज़ार हिस्सेदारी कम थी और लगभग 3% की गिरावट से घट रही थी। उनके पास जमा का 3.24% तथा अग्रिम का 2.69% हिस्सा था।

इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत 13वाँ ऐसा देश बन गया है जो OIML (इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी) सर्टिफिकेट जारी कर सकता है।

➲ उपभोक्ता मामले विभाग का लीगल मेट्रोलॉजी डिवीज़न अब OIML प्रमाणपत्र जारी करने के लिये अधिकृत है।

लीगल मेट्रोलॉजी:

➲ लीगल मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी की एक शाखा को संदर्भित करती है जो वाणिज्यिक लेन-देन और अन्य क्षेत्रों में सटीकता, स्थिरता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये माप और माप उपकरणों से संबंधित विनियमन तथा कानून पर ध्यान केंद्रित करती है जहाँ माप महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

➲ मेट्रोलॉजी माप और उसके अनुप्रयोग का विज्ञान है।

➲ कानूनी मेट्रोलॉजी का प्राथमिक उद्देश्य माप के लिये स्पष्ट और समान मानक स्थापित करके उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों दोनों के हितों की रक्षा करना है।

नोट:

➲ CSIR-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL-India), भारत का राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थान (NMI) है जो भारत में SI इकाइयों के मानकों को बनाए रखता है और वज़न तथा माप के राष्ट्रीय मानकों को कैलिब्रेट करता है।

इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी (OIML):

➲ **परिचय:**

- OIML की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकाय है जो कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारियों और उद्योग द्वारा उपयोग के लिये मॉडल नियमों, मानकों तथा संबंधित दस्तावेज़ों को विकसित करता है।
- यह नैदानिक थर्मामीटर, अल्कोहल साँस विश्लेषक (Alcohol Breath Analysers), रडार गति मापने वाले उपकरण, बंदरगाहों पर पाए जाने वाले जहाज़ टैंक और पेट्रोल वितरण इकाइयों जैसे मापन उपकरणों के प्रदर्शन पर राष्ट्रीय कानूनों एवं विनियमों को सुसंगत बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

➲ **भारत की सदस्यता:**

- भारत वर्ष 1956 में OIML का सदस्य बना। उसी वर्ष भारत ने मीटर अभिसमय पर हस्ताक्षर किये।
  - वर्ष 1875 का मीटर अभिसमय , जिसे औपचारिक रूप से मीटर अभिसमय या मीटर संधि के रूप में जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 20 मई, 1875 को पेरिस, फ्राँस में हस्ताक्षर किये गए थे।
    - इस दिन विश्व मेट्रोलॉजी दिवस अर्थात् विश्व मापिकी दिवस मनाया जाता है।
  - इसने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स (SI) की स्थापना की, जो मीट्रिक प्रणाली का आधुनिक रूप है।

➲ **OIML प्रमाणपत्र:**

- OIML-CS डिजिटल बैलेंस, क्लिनिकल थर्मामीटर इत्यादि जैसे उपकरणों के लिये OIML प्रमाणपत्र और उनके संबंधित OIML प्रकार के मूल्यांकन/परीक्षण रिपोर्ट जारी करने, पंजीकृत और उपयोग करने की एक प्रणाली है।
- अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वज़न या माप की ब्रिकी का OIML पैटर्न अनुमोदन प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। यह दुनिया भर में स्वीकृत एकल प्रमाणपत्र है।
- भारत के शामिल होने के साथ OIML प्रमाणपत्र जारी करने के लिये अधिकृत देशों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। वे देश जो OIML प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं:
- ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, चीन, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्राँस, यूके, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया (और अब भारत भी)।

प्रतिभूति बॉण्ड

हाल ही में कुछ प्रमुख सामान्य बीमा कंपनियों जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस आदि ने प्रतिभूति बॉण्ड जारी करने की अपनी योजना की घोषणा की है, लेकिन सहायक तत्त्वों की कमी के कारण कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है।

- वित्त मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बीमा उद्योग को प्रतिभूति बॉण्ड उत्पाद लॉन्च करने के लिये प्रेरित करने हेतु भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) पर दबाव डाल रहे हैं।

प्रतिभूति बॉण्ड:

- **परिचय:**
  - एक प्रतिभूति बॉण्ड को उसके सरलतम रूप में किसी अधिनियम के अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी के लिये एक लिखित समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
  - यह त्री-पक्षीय समझौते वाला एक विशेष बीमा है। प्रतिभूति समझौते में तीन पक्ष होते हैं:
    - प्रधान: वह पक्ष जो बॉण्ड खरीदता है तथा वादे के अनुसार कार्य करने का दायित्व लेता है।
    - प्रतिभू: बीमा कंपनी अथवा प्रतिभूति कंपनी जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रधान अपने दायित्वों को पूरा करेगा। यदि प्रधान वादे के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, तो प्रतिभू अनुबंध के अनुसार होने वाले नुकसान के लिये उत्तरदायी है।
    - बाध्यताकारी: वह पक्ष जिसे प्रतिभूति बॉण्ड की आवश्यकता होती है तथा अमूमन उसे लाभ मिलता है। अधिकांश प्रतिभूति बॉण्ड में बाध्यताकारी एक स्थानीय, राज्य अथवा संघीय सरकारी संगठन होता है।
  - बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से परियोजना प्रदान करने वाली इकाई को प्रतिभूति बॉण्ड प्रदान किया जाता है।
  - इससे ठेकेदारों को केवल बैंक प्रतिभूतियों पर निर्भर हुए बिना अपनी परियोजनाओं के वित्तीय समापन में सहायता मिलेगी।

वैश्विक ऋण प्रवृत्ति एवं निहितार्थ

चर्चा में क्यों?

इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस (IIF) के अनुसार, वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में वैश्विक ऋण बढ़कर 307 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है।

- पिछले दशक से वैश्विक ऋण लगभग 100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया है। इसके अलावा लगातार सात तिमाहियों से उच्च गिरावट के बाद एक बार फिर से वैश्विक ऋण बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के हिस्से के रूप में 336% पर पहुँच गया है।

वैश्विक ऋण:

- **परिचय:**
  - वैश्विक ऋण का तात्पर्य सरकारों के साथ-साथ निजी व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा लिये गए ऋण से है।
  - सरकारें विभिन्न व्ययों को पूरा करने के लिये ऋण लेती हैं जिन्हें वे कर एवं अन्य राजस्व के माध्यम से पूरा करने में असमर्थ रहती हैं।
  - सरकारें पूर्व में लिये गए ऋण पर ब्याज भुगतान हेतु भी ऋण ले सकती हैं।
  - निजी क्षेत्र मुख्य रूप से निवेश हेतु ऋण लेता है।
- **ऋण वृद्धि के प्रमुख भागीदार:**
  - वर्ष 2023 की पहली छमाही में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्राँस जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक ऋण वृद्धि में 80% से अधिक की भागीदारी देखी गई।
  - चीन, भारत और ब्राज़ील जैसी उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में भी इस अवधि के दौरान पर्याप्त ऋण वृद्धि देखी गई।
- **वैश्विक ऋण में वृद्धि के कारण:**
  - आर्थिक विकास, जनसंख्या विस्तार और सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण ऋण लेने की आवश्यकता बढ़ गई है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकारें आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऋण लेती हैं।
  - वर्ष 2023 की पहली छमाही के दौरान कुल वैश्विक ऋण में USD10 ट्रिलियन तक की वृद्धि हुई। ऐसा बढ़ती ब्याज दरों के कारण हुआ, जिससे ऋण की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है।
  - लेकिन समय के साथ ऋण स्तर में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि विश्व भर के देशों में कुल धन आपूर्ति आमतौर पर हर साल लगातार बढ़ती है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद डेटा से संबंधित चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने भारतीय GDP (सकल घरेलू उत्पाद) डेटा की विश्वसनीयता के संबंध में चिंताओं को संबोधित किया है, विशेष रूप से वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि के आलोक में।

- कई विशेषज्ञों ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आँकड़ों में विसंगति की ओर इशारा किया है, जो बिलबोर्ड पर आर्थिक विकास की सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करते हैं, जबकि बढ़ती असमानताएँ, रोज़गार की कमी और विनिर्माण रोज़गार में गिरावट जैसे अंतर्निहित मुद्दे लगातार बने रहते हैं।

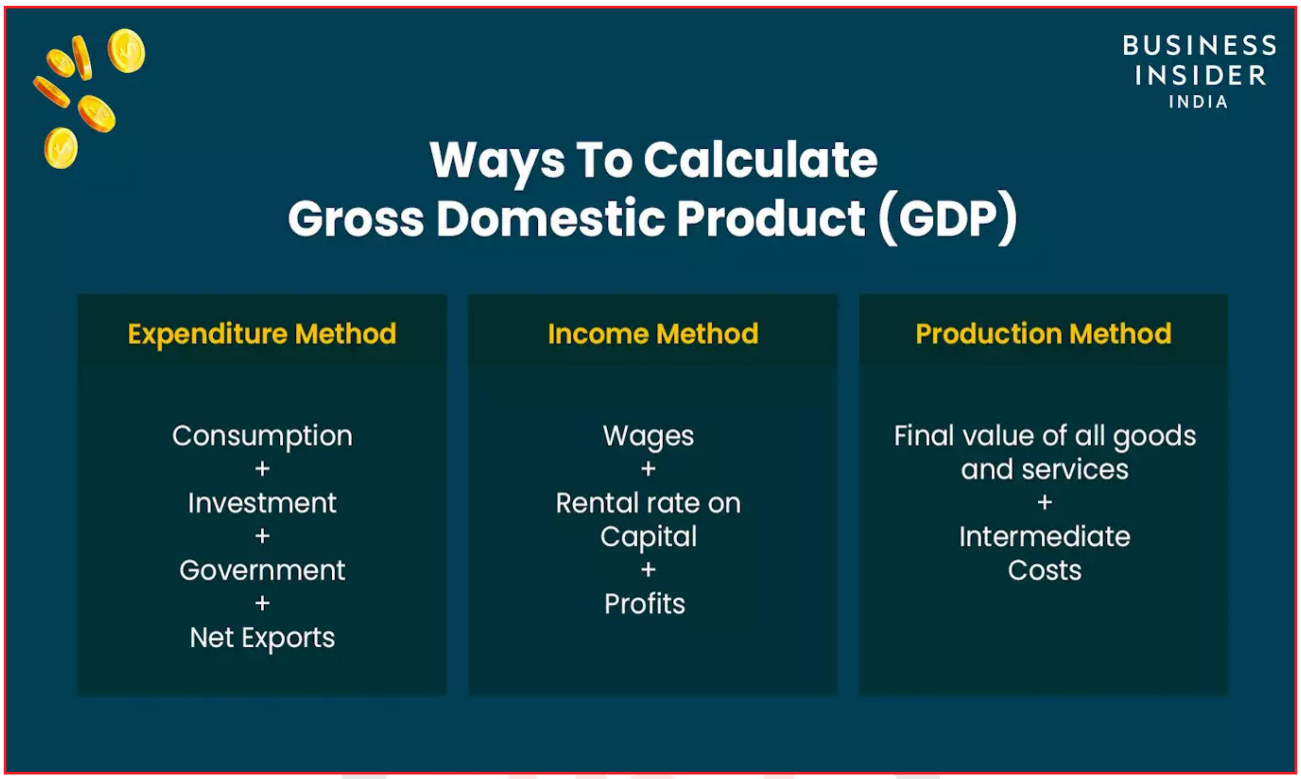
BUSINESS INSIDER INDIA
Ways To Calculate Gross Domestic Product (GDP)
Expenditure Method
Consumption + Investment + Government + Net Exports
Income Method
Wages + Rental rate on Capital + Profits
Production Method
Final value of all goods and services + Intermediate Costs

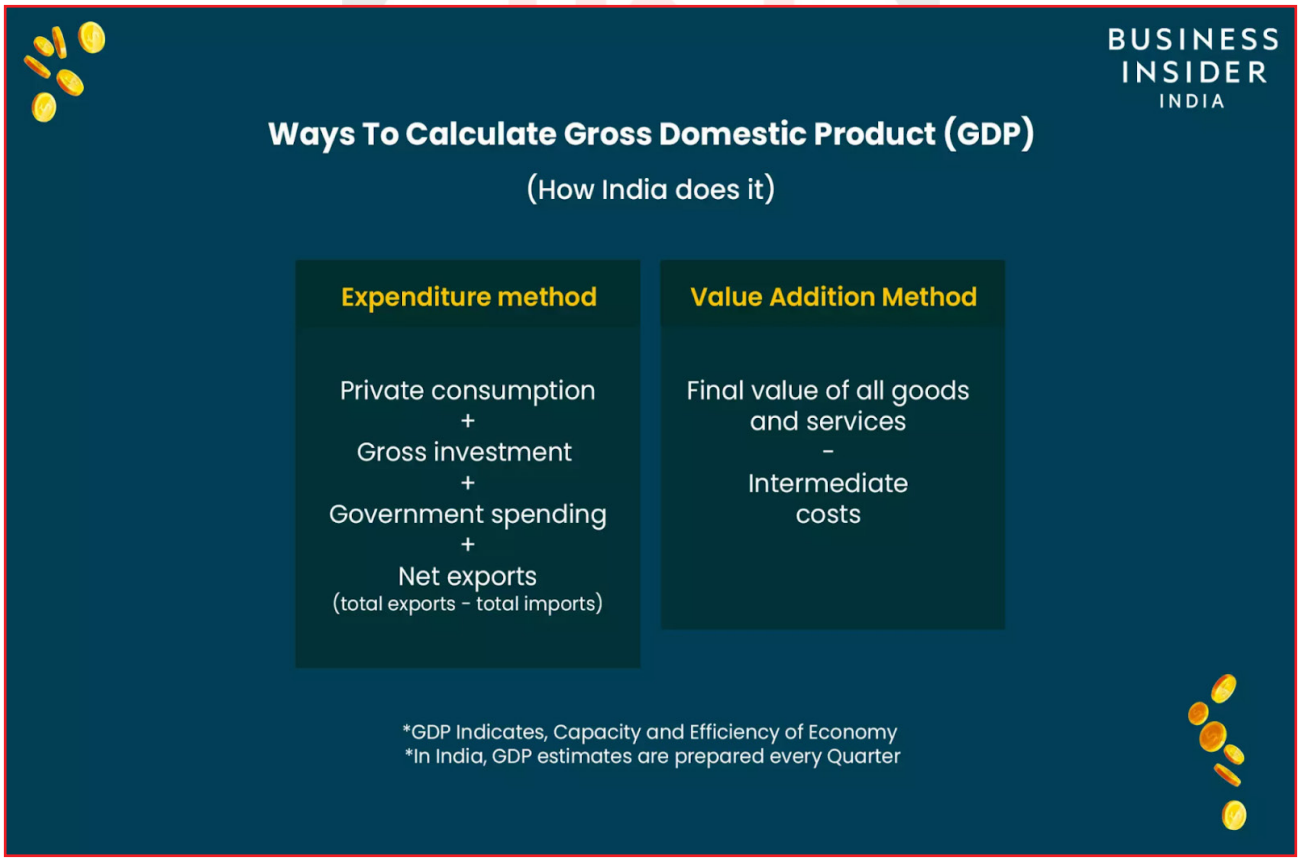
BUSINESS INSIDER INDIA
Ways To Calculate Gross Domestic Product (GDP)
(How India does it)
Expenditure method
Private consumption + Gross investment + Government spending + Net exports (total exports - total imports)
Value Addition Method
Final value of all goods and services - Intermediate costs
*GDP Indicates, Capacity and Efficiency of Economy
*In India, GDP estimates are prepared every Quarter

भारतीय बॉण्ड का JP मॉर्गन GBI-EM सूचकांक में समावेश

चर्चा में क्यों ?

भारत में महत्त्वपूर्ण अंतर्वाह की उम्मीद से हाल ही में जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी ने जून 2024 से भारत को अपने सरकारी बॉण्ड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट्स (GBI-EM) सूचकांक में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस कदम से निवेशकों की संख्या में वृद्धि होने और संभावित रूप से रुपए के मूल्य में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

JP मॉर्गन GBI-EM सूचकांक:

- **परिचय:**
  - JP मॉर्गन GBI-EM एक व्यापक रूप से अनुसरण किया जाने वाला और प्रभावशाली बेंचमार्क सूचकांक है जो उभरते बाज़ार देशों (विकासशील देशों) द्वारा जारी किये जाने वाले स्थानीय-मुद्रा-मूल्यवर्ग वाले सॉवरेन बॉण्ड के प्रदर्शन की निगरानी करता है।
  - इसे निवेशकों को उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के भीतर निश्चित आय बाज़ार का एक सटीक आकलन प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - इसमें विभिन्न विकासशील देशों द्वारा जारी किये गए सरकारी बॉण्ड शामिल हैं।
  - पात्रता मानदंड के आधार पर समय के साथ बॉण्ड की संरचना में परिवर्तन हो सकता है।
- **भारत का समावेश:**
  - JP मॉर्गन ने 330 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सांकेतिक मूल्य वाले 23 भारतीय सरकारी बॉण्डों को GBI-EM में शामिल करने के लिये अनुकूल पाया है।
  - GBI-EM ग्लोबल डायवर्सिफाइड में भारत का योगदान अधिकतम 10% और GBI-EM ग्लोबल इंडेक्स में लगभग 8.7% तक पहुँचने की संभावना है।
  - JP मॉर्गन के अनुसार, भारत के स्थानीय बॉण्ड GBI-EM सूचकांक और इसके अन्य उप-सूचकांकों का हिस्सा होंगे, जो लगभग 236 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक फंड के लिये बेंचमार्क के रूप में कार्य करते हैं।

स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ने भारतीय कार्यबल की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए "स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

- इस रिपोर्ट में बेरोज़गारी दर, महिलाओं की भागीदारी, अंतर-पीढ़ीगत बदलाव और जाति के आधार पर कार्यबल पैटर्न को शामिल किया गया है।
- इस रिपोर्ट में विभिन्न डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया है, जैसे- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किये गए सर्वेक्षण, रोज़गार-बेरोज़गारी सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण तथा इंडिया वर्किंग सर्वे।

भारत का आउटवार्ड और इनवार्ड इन्वेस्टमेंट रुझान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा की गई गणना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में भारतीय कंपनियों द्वारा इनवार्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि के साथ-साथ आउटवार्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (ODI) में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुझानों की मुख्य विशेषताएँ:

- **ODI में सिंगापुर सबसे आगे:**
  - वित्त वर्ष 2023 में सिंगापुर भारतीय ODI के सबसे बड़े लाभार्थी के रूप में उभरा, जिसने 2.03 लाख करोड़ रुपए प्राप्त किये, जो कुल ODI का 22.3% है, जो सिंगापुर के बाज़ार में भारतीय कंपनियों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है।
  - सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने वाले भारतीय व्यवसायों के लिये एक महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है।
  - वित्त वर्ष 2013 के दौरान निवेश किये गए कुल 9.1 लाख करोड़ रुपए का 60% प्राप्त करने वाले सिंगापुर, अमेरिका, यूके और नीदरलैंड शीर्ष गंतव्यों में से थे।
- **समग्र ODI विकास:**
  - भारतीय कंपनियों का कुल ODI 19.46% की प्रगतिशील वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2023 में 9.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जबकि यह वित्त वर्ष 2022 में 7.62 लाख करोड़ रुपए था।

OUTWARD DIRECT INVESTMENT FROM INDIA

COUNTRY	2022	2023	SHARE
Singapore	₹182,200 cr	₹203,233 cr	22.3%
USA	₹102,078 cr	₹124,123 cr	13.6%
UK	₹84,075 cr	₹116,398 cr	12.8%
Netherlands	₹97,723 cr	₹106,395 cr	11.7%
UAE	₹55,608 cr	₹87,459 cr	9.6%
Mauritius	₹70,392 cr	₹76,881 cr	8.4%
Switzerland	₹26,130 cr	₹28,228 cr	3.1%
Bermuda	₹11,515 cr	₹12,582 cr	1.4%
Jersey	₹13,198 cr	₹11,661 cr	1.3%
Cyprus	₹10,142 cr	₹9,985 cr	1.1%
Other Countries	₹1,09,591 cr	₹1,34,124 cr	14.7%
All Countries	₹7,62,652 cr	₹9,11,069 cr	100.0%

- **टैक्स हेवेन:**
  - बरमूडा, जर्सी और साइप्रस तीन क्षेत्राधिकार हैं जो कर लाभ के लिये जाने जाते हैं और भारतीय ODI प्राप्त करने वाले शीर्ष दस देशों में हैं।
    - बरमूडा, विशेष रूप से अपनी अनुकूल कर नीतियों के लिये प्रसिद्ध है, जिसमें लाभ, आय, लाभांश या पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं शामिल है।

बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (IICA) ने मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) परिसर में यूनिसेफ और NSE के सहयोग से बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (BRSR) पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क:

- बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों अथवा व्यवसायों के लिये पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन (ESG) मापदंडों पर अपने प्रदर्शन की रिपोर्ट करने व उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिये एक अनिवार्य स्पष्टीकरण तंत्र (Mandatory Disclosure Mechanism) है।
  - वर्ष 2021 में SEBI ने बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स (BRR) को बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (BRSR) से प्रतिस्थापित कर दिया।

पर्यावरणीय, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन (ESG):

- यह दिशानिर्देशों का एक समूह है जो कंपनियों के लिये अपने संचालन में बेहतर मानकों का पालन करना अनिवार्य बनाता है, इसके अंतर्गत बेहतर प्रशासन, नैतिक आचरण, पर्यावरणीय रूप से सतत् प्रथाएँ और सामाजिक उत्तरदायित्त्व शामिल हैं।
- वर्ष 2006 में यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट (United Nations Principles for Responsible Investment- UN-PRI) के आरंभ के साथ ESG ढाँचे को आधुनिक समय के व्यवसायों की एक अविभाज्य कड़ी के रूप में मान्यता दी गई है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स:

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (IICA) को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 12 सितंबर, 2008 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
  - IICA की स्थापना के प्रस्ताव को फरवरी 2007 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- यह एक स्वायत्त संस्थान है और अनुसंधान, शिक्षा तथा वकालत के अवसर प्रदान करने हेतु कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तत्त्वावधान में कार्य करता है।
  - यह एक थिंक टैंक भी है जो नीति निर्माताओं, नियामकों के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य हितधारकों के लिये डेटा और ज्ञान का भंडार तैयार करता है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष:

- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF), जिसे मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता है, 11 दिसंबर, 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाया गया था, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों एवं माताओं को आपातकालीन भोजन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये की गई थी।
- वर्ष 1950 में UNICEF के अधिदेश को विकासशील देशों में बच्चों एवं महिलाओं की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विस्तारित किया गया था।

- वर्ष 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक स्थायी हिस्सा बन गया।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज:

- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) भारत का एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बाज़ार है जो भारत में पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग प्रदान करता है।
  - NSE को वर्ष 1992 में शामिल किया गया था। इसे अप्रैल 1993 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई थी और वर्ष 1994 में थोक ऋण बाज़ार के शुभारंभ के साथ परिचालन शुरू किया गया था।
- इसकी अधिक लोकप्रिय पेशकशों में से एक NIFTY 50 इंडेक्स है, जो भारतीय इक्विटी बाज़ार में सबसे बड़ी संपत्ति को ट्रैक करता है।

AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (ARCL) नामक सीमित प्रयोजन समाशोधन निगम (Limited Purpose Clearing Corporation- LPCC) का उद्घाटन किया।

AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (ARCL):

- **परिचय:**
  - ARCL एक सीमित प्रयोजन समाशोधन निगम है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में किये गए सभी ट्रेडों के लिये समाशोधन एवं निपटान सेवाएँ प्रदान करता है।
  - इसे स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन (SECC) विनियम, 2018 के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से सैद्धांतिक मंज़ूरी मिल गई।
    - इसके अलावा ARCL को कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेन-देन के लिये केंद्रीय प्रतिपक्ष समाशोधन गृह (CCP) सेवाएँ प्रदान करने हेतु भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
- **कार्य:**
  - ARCL कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो लेन-देन की सुविधा के लिये त्रिपक्षीय रेपो सेवाएँ और केंद्रीय प्रतिपक्ष सेवाएँ प्रदान करता है जो संपार्श्विक के रूप में प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित अल्पकालिक उधार हैं।

नोट:

- द्वितीयक बाज़ार: द्वितीयक बाज़ार, जिसे आफ्टरमार्केट (Aftermarket) के रूप में भी जाना जाता है, उस वित्तीय बाज़ार को संदर्भित करता है जहाँ पहले जारी किये गए वित्तीय उपकरण जैसे- स्टॉक, बॉण्ड, डेरिवेटिव और अन्य प्रतिभूतियाँ निवेशकों के बीच खरीदी एवं बेची जाती हैं।
- कॉरपोरेट बॉण्ड: ये विभिन्न उद्देश्य हेतु पूंजी जुटाने के लिये निगमों द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियाँ होती हैं, जैसे- परिचालन विस्तार, वित्तपोषण परियोजनाएँ या मौजूदा ऋण का पुनर्वित्तीयन आदि।
- त्रि-पार्टी रेपो सेवाएँ: ये सेवाएँ वित्तीय लेन-देन से संबंधित होती हैं जहाँ तीसरा पक्ष एक संरक्षक या समाशोधन अभिकर्त्ता (Clearing Agent) होता है, जो पुनर्खरीद समझौते (रेपो) में शामिल दो पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

MSME के लिये आत्मनिर्भर भारत कोष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान आत्मनिर्भर भारत कोष के संबंध में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की।

आत्मनिर्भर भारत कोष:

- **परिचय:**
  - आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत (Self-Reliant India- SRI) कोष के माध्यम से MSME में इक्विटी निवेश के लिये 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है।
  - SRI फंड, इक्विटी या अर्द्ध-इक्विटी निवेश के लिये मदर-फंड (Mother-Fund) औरडॉटर-फंड (Daughter-Fund) स्ट्रक्चर के माध्यम से संचालित होता है।
  - राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (NSIC Venture Capital Fund Limited-NVCFL) को SRI कोष के कार्यान्वयन के लिये मदर फंड के रूप में नामित किया गया था।
    - इसे SEBI के साथ श्रेणी- II वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund-AIF) के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- **SRI कोष की संरचना:**
  - SRI कोष में 50,000 करोड़ रुपए शामिल हैं:
    - विशिष्ट MSME में इक्विटी निवेश शुरू करने के लिये भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए।

- निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता तथा निवेश का लाभ उठाते हुए निजी इक्विटी (Private Equity- PE) और वेंचर कैपिटल (Venture Capital- VC) फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए एकत्र किये गए।

नोट:

- इक्विटी इन्फ्यूज़न: यह मौजूदा शेयरधारकों या नए निवेशकों को अतिरिक्त शेयर जारी करके किसी कंपनी में नई पूंजी या फंड निवेश करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Fund): यह एक प्रकार का निवेश फंड है जो प्रारंभिक चरण और उच्च विकास क्षमता वाली स्टार्टअप कंपनियों को पूंजी प्रदान करता है।
  - उद्यम पूंजी कोष का प्राथमिक उद्देश्य आशाजनक स्टार्टअप की पहचान करना तथा कंपनी में इक्विटी (स्वामित्व) के बदले में उनमें निवेश करना है।
- SEBI: यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
  - SEBI का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है।

चीन में अत्यधिक अपस्फीति की चिंता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) में जुलाई 2023 में एक वर्ष पहले की तुलना में 0.3% की गिरावट आई, जिससे देश में अपस्फीति (Deflation) की स्थिति उत्पन्न हुई।

अपस्फीति:

- **परिचय:**
  - अपस्फीति मुद्रास्फीति के विपरीत स्थिति है। यह अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के समग्र मूल्य स्तर में निरंतर और सामान्य कमी को संदर्भित करती है।
  - अपस्फीति के माहौल में उपभोक्ता समय के साथ समान राशि के लिये अधिक वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीद सकते हैं।
  - हालाँकि अपस्फीति विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे- उपभोक्ता मांग में कमी, माल की अधिक आपूर्ति, तकनीकी प्रगति जो उत्पादन लागत को कम करती है या केंद्रीय बैंकों द्वारा सख्त मौद्रिक नीतियाँ।
    - चीन के मामले में उपभोक्ता मांग में कमी और आर्थिक मंदी इसका कारण है।

भारत में औपचारिक रोज़गार की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund- EPF) डेटा के अनुसार, EPF में योगदानकर्त्ताओं की संख्या में शुद्ध वृद्धि देखने को मिलती है, परंतु यह भारत में बेरोज़गारी की ज़मीनी हकीकत के ठीक विपरीत है।

- भारत सरकार वर्ष 2017 से औपचारिक रोज़गार सृजन को मापने के लिये EPF के डेटा का उपयोग कर रही है।

औपचारिक रोज़गार:

- **परिचय:**
  - औपचारिक रोज़गार से आशय ऐसे रोज़गार से है जहाँ काम के नियम और शर्तें श्रम कानूनों तथा रोज़गार अनुबंधों द्वारा विनियमित व संरक्षित होते हैं।
  - इसकी कुछ विशेषताएँ हैं जो इसे अनौपचारिक रोज़गार से अलग बनाती हैं।

औपचारिक रोज़गार के बारे में EPF डेटा:

- EPFO की वार्षिक रिपोर्ट में हाल के वर्षों में लगातार PF योगदान वाले नियमित योगदानकर्त्ताओं की संख्या में स्थिरता या गिरावट देखी गई है।
  - वर्ष 2012 से 2022 के बीच EPF में नियमित योगदानकर्त्ताओं की संख्या 30.9 मिलियन से बढ़कर 46.3 मिलियन हो गई।
  - वर्ष 2017 और 2022 के बीच नियमित योगदानकर्त्ताओं की संख्या 45.11 मिलियन से बढ़कर केवल 46.33 मिलियन हुई, जो इस अवधि के दौरान विकास में मंदी को दर्शाता है।
- कुल EPF नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन नियमित योगदानकर्त्ताओं में तदनुरूप वृद्धि न्यूनतम थी।
  - वर्ष 2017-2022 के बीच कुल EPF नामांकन 210.8 मिलियन से बढ़कर 277.4 मिलियन हो गया।
  - यह EPF नामांकन की कुल संख्या (277.4 मिलियन) और नियमित योगदानकर्त्ताओं की संख्या (46.33 मिलियन) के बीच अंतर को इंगित करता है कि नामांकन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा नियमित योगदान के परिणामस्वरूप नहीं है।
- अधिकांश EPF नामांकन अनियमित PF योगदान के साथ अस्थायी या आकस्मिक नौकरियों से संबंधित हैं।

Chart 1 | The chart shows the number of regular contributors (in million) to the scheme

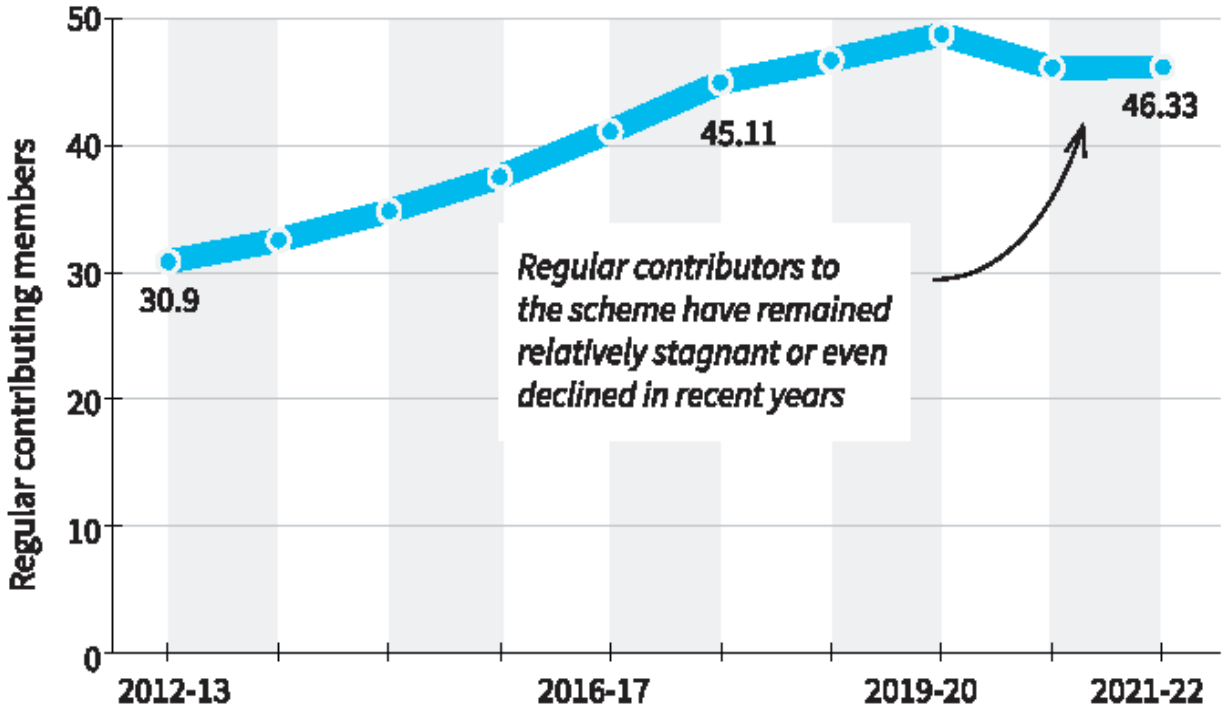

Chart 2 | The chart shows the overall enrolments and the number of regular contributors in millions. In the past five years, regular contributors increased by 1.2 million but the total number of EPF enrolments increased by around 67 million

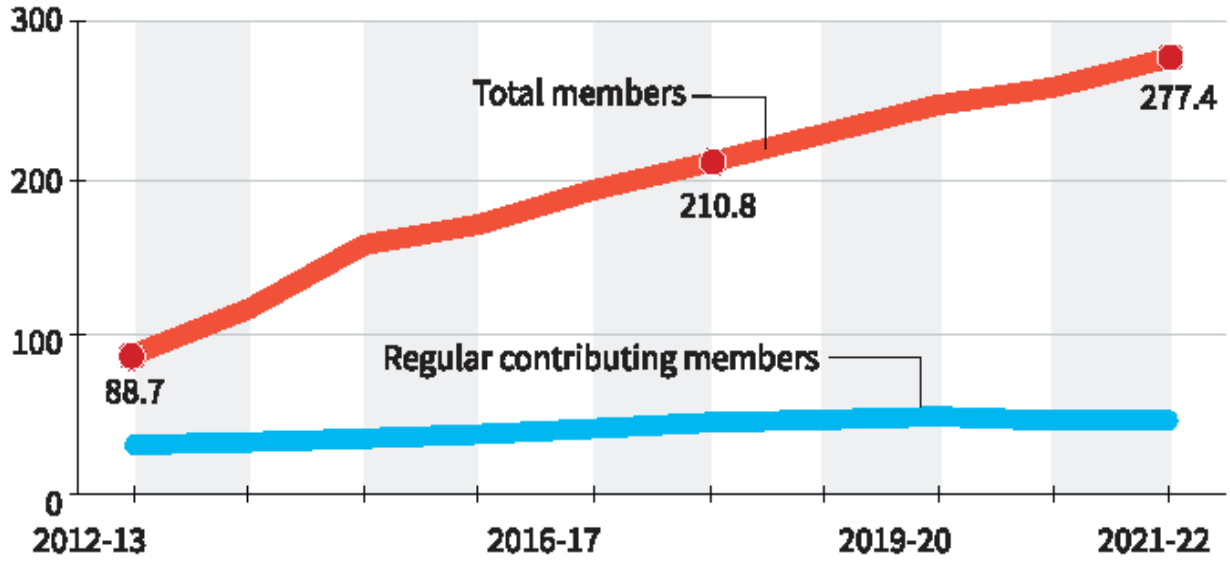

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और मुद्रास्फीति

चर्चा में क्यों ?

जुलाई 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 7.44% तक पहुँच गई, जिससे भारत के लिये गोल्डीलॉक्स परिदृश्य तैयार हुआ जो निवेशकों एवं बचतकर्ताओं की आर्थिक स्थिति के बारे में अनिश्चितताओं को दर्शाता है।

- गोल्डीलॉक्स परिदृश्य एक अर्थव्यवस्था के लिये आदर्श स्थिति का वर्णन करता है जहाँ अर्थव्यवस्था बहुत अधिक विस्तार या संकुचन नहीं कर रही है। गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था में स्थिर आर्थिक विकास होता है, जिससे मंदी को रोका जा सकता है, लेकिन इतनी अधिक वृद्धि नहीं होती कि मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ जाए।

भारत का वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और अनुमान:

- **GDP अनुमान:**
  - वर्ष 2023-24 के लिये अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि 6.5% है, जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स सूचकांक वर्तमान में 65,000 अंक पर है।
  - दूसरी ओर आगामी महीनों में सोने और बैंक जमा दरों के स्थिर रहने की उम्मीद है।
- **मुद्रास्फीति का अनुमान:**
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) का अनुमान है कि वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही तक मुद्रास्फीति 5% से ऊपर रहेगी और संभावित रूप से वर्तमान तिमाही (जुलाई-सितंबर) 2023 में 6.2% तक पहुँच जाएगी जो RBI के 4% के कम्फर्ट लेवल (Comfort Level) से अधिक होगी।
- **खाद्य मूल्य दबाव:**
  - अगले कुछ महीनों तक खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊँची रहने की आशंका है। जुलाई के आँकड़ों के अनुसार अनाज व दालों (दोनों में कुल 13%), मसालों (21.6%), दूध (8.3%) के साथ-साथ सब्जियों की कीमतों (37.3%) में वृद्धि देखी गई है।
  - सरकारी हस्तक्षेप और नई फसल की आवक से अंततः इस दबाव के कम होने की उम्मीद है।
- **ब्याज दरें और मौद्रिक नीति:**
  - उच्च मुद्रास्फीति अनुमानों को देखते हुए ब्याज दर में किसी प्रकार की कटौती की संभावना अगले वित्तीय वर्ष (2024-25) तक के लिये टाल दी गई है।
  - मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC) द्वारा आगामी बैठक में नीतिगत दरों को बनाए रखने की संभावना है जिसमें संभावित रूप से ब्याज दर में पहली कटौती अगले वित्तीय वर्ष में होगी।
- **बाज़ार दृष्टिकोण:**
  - महँगाई और ऊँची ब्याज दरों के बावजूद भारतीय बाज़ार ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
  - दृढ़ आय की संभावनाओं और स्टेबल मैक्रो कंडीशन के समर्थन से भारत ने अन्य बाज़ारों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

फ्लोटिंग रेट ऋण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पारदर्शिता बढ़ाने और फ्लोटिंग रेट ऋणों के लिये समान मासिक किस्तों (Equated Monthly Installments- EMI) को पुनर्व्यवस्थित करने के लिये उचित नियम स्थापित करने हेतु एक व्यापक ढाँचा प्रस्तुत किया है।

- इसका उद्देश्य उधारकर्त्ताओं की चिंताओं को दूर करना तथा वित्तीय संस्थानों के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करना है।

फ्लोटिंग रेट ऋण:

- फ्लोटिंग रेट ऋण ऐसे ऋण होते हैं जिनकी ब्याज दर बेंचमार्क दर या आधार दर/बेस रेट के आधार पर समय-समय पर बदलती रहती है।
  - आधार दर/बेस रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय संस्थानों को पैसा उधार देता है, यह दर बाज़ार द्वारा प्रभावित होती है और रेपो रेट इसका सबसे सामान्य उदाहरण है।
- फ्लोटिंग रेट ऋण को परिवर्तनीय अथवा समायोज्य-दर ऋण के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये ऋण की अवधि के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।
- क्रेडिट कार्ड, बंधक/गिरवी रखी वस्तुओं और अन्य उपभोक्ता ऋणों के लिये फ्लोटिंग रेट ऋण बहुत आम हैं।
- यदि भविष्य में ब्याज दरों में गिरावट का अनुमान है तो उधारकर्त्ताओं को फ्लोटिंग रेट ऋण से लाभ होता है।
  - इसके विपरीत एक निश्चित ब्याज दर वाले ऋण के लिये उधारकर्त्ता को ऋण अवधि के दौरान निर्धारित किश्तों का भुगतान करना पड़ता है। यह अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव के समय अधिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है।

निर्धारित दर (Fixed Rate)	निर्धारित दर बनाम फ्लोटिंग ब्याज दर (Fixed Rate Vs Floating Rate of Interest)	फ्लोटिंग रेट/अस्थायी दर (Floating Rate)
लाभ बाज़ार की स्थितियों के बावजूद ब्याज दर स्थिर रहती है। फिक्स्ड रेट होम लोन उन लोगों के लिये अच्छा है जो एक निश्चित मासिक पुनर्भुगतान कार्यक्रम चाहते हैं। यह निश्चितता और सुरक्षा की भावना लाता है। 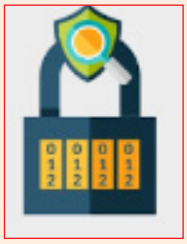 **कमियाँ** आमतौर पर फ्लोटिंग रेट होम लोन से 1-2.5% अधिक होता है।	 **ब्याज की निश्चित दर क्या है ?** निश्चित ब्याज दर का अर्थ है ऋण की पूरी अवधि के दौरान निश्चित समान किश्तों में होम लोन का पुनर्भुगतान। **फ्लोटिंग ब्याज दर क्या है ?** फ्लोटिंग ब्याज दर बाज़ार की स्थितियों के साथ बदलती रहती है, फ्लोटिंग ब्याज दर होम लोन, बेस रेट और फ्लोटिंग एलिमेंट्स से जुड़ी होती है।	**लाभ** निश्चित ब्याज दरों से कम-से-कम 1-2% सस्ता। दीर्घावधि में ब्याज दरें घट सकती हैं। फ्लोटिंग ब्याज दरों के माध्यम से बचत होती है। **कमियाँ** मासिक किश्तों की असमान प्रकृति वित्तीय नियोजन को कठिन बना देती है।

RBI द्वारा प्रस्तावित ढाँचे की विशेषताएँ:

- ऋणदाताओं को अवधि और/या EMI के पुन: निर्धारण हेतु उधारकर्त्ताओं के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिये।
- RBI ने ऋणदाताओं से कहा है कि वे जब भी चाहें उधारकर्त्ताओं को फिक्स्ड-रेट होम लोन (Fixed-Rate Home Loans) पर स्विच करने या ऋण को फोरक्लोसज़र (Foreclosure) करने का विकल्प प्रदान कर सकते हैं।
- बैंकों को इन विकल्पों के प्रयोग से जुड़े विभिन्न शुल्कों के बारे में पहले से ही उधारकर्त्ताओं को बताना होगा और उन्हें महत्त्वपूर्ण जानकारी देनी होगी।
  - इसके परिणामस्वरूप उधारकर्त्ता अपने गृह ऋण का भुगतान करते समय अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकेंगे।
- ऋणदाताओं को उत्पीड़न, धमकी या गोपनीयता का उल्लंघन जैसी अनैतिक या ज़बरदस्ती ऋण वसूली प्रथाओं में शामिल नहीं होना चाहिये।

ऋण सुलभता के लिये सार्वजनिक तकनीकी मंच

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य 'ऋण सुलभता के लिये सार्वजनिक तकनीकी मंच' की व्यवहार्यता के मूल्यांकन के साथ ही ऋणदाताओं द्वारा निर्बाध और कुशल ऋण वितरण की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना है तथा भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

- यह पहल RBI की विकासात्मक और नियामक नीतियों के हिस्से के रूप में है तथा इसे अगस्त 2023 में मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद पेश किया गया था।

नोट: बाधा रहित ऋण उधार लेने का एक दृष्टिकोण है जो उपभोक्ताओं के लिये ऋण देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहता है। पारंपरिक क्रेडिट प्रणालियों, जहाँ व्यक्तियों को व्यापक कागज़ी कार्रवाई, क्रेडिट जाँच और लंबी अनुमोदन प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है, के विपरीत यह बाधा रहित क्रेडिट हेतु एक सहज तथा तीव्र भुगतान का आश्वासन देता है।

बाधा रहित ऋण के लिये सार्वजनिक तकनीकी मंच:

- **परिचय:**
  - रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (Reserve Bank Innovation Hub- RBIH) द्वारा विकसित यह एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें एक ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (Application Programming Interface- API) और मानक होंगे एवं सभी बैंक इस "प्लग एंड प्ले (Plug and Play)" मॉडल से जुड़ सकते हैं।
  - सार्वजनिक तकनीकी मंच क्रेडिट की सुविधा के लिये सभी आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान कर इस प्रक्रिया को बाधा रहित बनाना चाहता है।
- **प्रक्रिया:**
  - डिजिटल माध्यम से ऋण वितरित करने की इस प्रक्रिया में क्रेडिट मूल्यांकन (Credit Appraisal) शामिल है, जो उधारकर्त्ता की ऋण चुकाने तथा क्रेडिट समझौते का पालन करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है।
  - यह प्रक्रिया तीन स्तंभों पर निर्भर है:
    - प्रतिकूल चयन (उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच सूचना विषमता)
    - एक्सपोज़र रिस्क मेज़रमेंट
    - डिफॉल्ट रिस्क असेसमेंट
- **प्रमुख डेटा स्रोत:**
  - यह प्लेटफॉर्म केंद्र और राज्य सरकारों, अकाउंट एग्रीगेटर्स (Account Aggregators- AA), बैंकों, क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनी तथा डिजिटल पहचान प्राधिकरणों के डेटा को एकीकृत करेगा।
  - एकीकरण से बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी तथा यह नियम-आधारित ऋण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा।
- **सीमा एवं कार्यक्षेत्र:**
  - विविध ऋण प्रकार: प्लेटफॉर्म के दायरे में किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card- KCC) से परे डिजिटल ऋण शामिल हैं, जिनमें डेयरी ऋण, बिना संपार्श्विक के MSME ऋण, व्यक्तिगत ऋण और गृह ऋण शामिल हैं।
  - डेटा एकीकरण: यह आधार ई-केवाईसी, आधार ई-हस्ताक्षर, भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह डेटा, पैन सत्यापन, लिप्यंतरण (Transliteration), अकाउंट एग्रीगेटर्स (Account Aggregator- AA) द्वारा खातों को एकीकृत करने आदि जैसी विभिन्न सेवाओं से जुड़ा होगा।

बैंकिंग तथा वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने बैंक धोखाधड़ी मामलों की जाँच को मज़बूती प्रदान करने के लिये बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड (ABBFF) का पुनर्गठन किया है।

बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड (ABBFF):

- **परिचय:**
  - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जैसी जाँच एजेंसियों को भेजे जाने से पहले ABBFF बैंक धोखाधड़ी मामलों के लिये प्रथम-स्तरीय परीक्षण निकाय के रूप में कार्य करता है।
    - ABBFF को वित्तीय प्रणाली के भीतर आवधिक धोखाधड़ी विश्लेषण करने का अधिकार है।
  - यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और CVC जैसे नियामक निकायों को धोखाधड़ी की रोकथाम एवं प्रबंधन से संबंधित अंतर्दृष्टि तथा नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है।
- **संरचना एवं कार्यकाल:**
  - पुनर्गठित ABBFF बोर्ड में अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दे रहे हैं।
  - ABBFF के अध्यक्ष और सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिये अपने पद पर बने रहते हैं।
- **अनिवार्य रेफरल और सलाहकार भूमिका:**
  - सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को आपराधिक जाँच शुरू करने से पहले 3 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी के मामलों को ABBFF को संदर्भित करना आवश्यक है।
  - अधिकारियों की आपराधिकता और दुर्भावना (बेईमान के साथ कार्य करना) के संबंध में ABBFF द्वारा दी गई सलाह पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिये।
  - ABBFF का दायरा CVC या CBI द्वारा संदर्भित मामलों के लिये सलाहकार सहायता प्रदान करने तक विस्तृत है।
- **"सन सेट क्लॉज़" की अनुपस्थिति:**
  - विशेष रूप से "सनसेट क्लॉज़" की अवधारणा, जिसमें एक निर्दिष्ट अवधि के बाद क्रेडिट निर्णयों के लिये बैंकरों के खिलाफ सीमित कार्रवाई हो सकती है, को ABBFF के कामकाज़ में शामिल नहीं किया गया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission- CVC):

- **परिचय:**
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी, ताकि सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह और उनका मार्गदर्शन किया जा सके।
  - संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 को अधिनियमित किया।
- **सदस्य:**
  - इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेताओं द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    - ये चार वर्ष की अवधि के लिये अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।
- **कार्य:**
  - यह आयोग भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की शिकायतों पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।
    - निम्नलिखित संस्थान, निकाय अथवा कोई व्यक्ति CVC से संपर्क कर सकता है:
      - केंद्र सरकार, लोकपाल, व्हिसिल ब्लोअर्स।
      - यह कोई जाँच एजेंसी नहीं है, CVC या तो सीबीआई के माध्यम से या फिर सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से जाँच करवाती है।
      - इसे विशिष्ट श्रेणियों के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत किये गए कथित अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।

आयुष क्षेत्र की प्रगति

चर्चा में क्यों ?

आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (AYUSH) क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। ऐसा अनुमान है कि इसमें और भी वृद्धि होगी तथा वर्ष 2023 के अंत तक यह 24 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगी।

- इस आशाजनक परिदृश्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में आयुष क्षेत्र केंद्रीय विषय हो सकता है।

आयुष क्षेत्र:

- **परिचय:**
  - आयुष क्षेत्र भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करता है।
  - भारतीय चिकित्सा प्रणाली वैविध्यपूर्ण, सुलभ और सस्ती है तथा इनकी व्यापक सार्वजनिक स्वीकृति है, यह विशेषता उन्हें प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनाती है। एक बड़ी आबादी को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्त्वपूर्ण सेवाओं के परिणामस्वरूप उनके आर्थिक मूल्य में वृद्धि हो रही है।
- **आयुष के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र:**
  - आयुर्वेद: समग्र कल्याण पर केंद्रित प्राचीन चिकित्सा प्रणाली।
  - योग: शारीरिक मुद्राओं और ध्यान के माध्यम से तन, मन और आत्मा का एकीकरण।
  - प्राकृतिक चिकित्सा: जल, वायु और आहार जैसे तत्त्वों के उपयोग से प्राकृतिक उपचार।
  - यूनानी: तरल सिद्धांत (Humoral Theory) और हर्बल उपचार के उपयोग से संतुलन की स्थापना।
  - सिद्ध: पाँच तत्त्वों और ह्यूमर तमिल चिकित्सा का आधार है।
  - होम्योपैथी: स्व-उपचार प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित करने हेतु धीमी उपचार प्रक्रिया।
- **आयुष क्षेत्र की प्रगति:**
  - तीव्र वित्तीय विकास:
    - आयुष दवाओं और सप्लीमेंट्स के उत्पादन में त्वरित वृद्धि देखी गई है।
    - इससे उत्पन्न होने वाला राजस्व 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2014) से बढ़कर 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2020) हो गया है।
    - वर्ष 2023 में 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित वृद्धि इसके वित्तीय प्रभाव को दर्शाती है।
  - स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एकीकरण:
    - आयुष फाउंडेशन वाले वेलनेस सेंटरों को बहुत अधिक समर्थन मिलता है।
    - वर्ष 2022 में 8.42 करोड़ रोगियों ने 7,000 सक्रिय केंद्रों की सेवाओं का उपयोग किया।
    - वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का बढ़ता एकीकरण प्रदर्शित करता है।

GST परिषद् की 50वीं बैठक

चर्चा में क्यों ?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने अपनी 50वीं बैठक में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों में परिवर्तन करने के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो एवं घुड़दौड़ के लिये नियम तय किये।

- परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो एवं घुड़दौड़ के लिये लगाए गए दाँव के पूर्ण अंकित मूल्य पर एक समान 28% कर लगाने का निर्णय लिया।

बैठक की प्रमुख विशेषताएँ:

- **कर की दरों में परिवर्तन: GST काउंसिल ने कर दरों में निम्नलिखित संशोधन किये:**
  - बिना पकाए या बिना तले हुए स्नैक पैलेट और मछली में घुलनशील पेस्ट: कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई।
  - नकली ज़री धागे या सूत: कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई।
  - सिनेमा हॉल के अंदर उपभोग किये जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थ: सिनेमा सेवाओं पर पिछली 18% की कर दर को घटाकर 5% निर्धारित किया गया।
  - मूवी सेवाओं पर पहले के 18% कर के बजाय, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना कर की दर को घटाकर 5% कर दिया गया।
  - ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो एवं घुड़दौड़ में कर उपचार:
  - भले ही उनमें कौशल, अवसर या संयोजन शामिल हो, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो एवं घुड़दौड़ गतिविधियों पर लगाए गए दाँव पर अब 28% GST लेवी आरोपित की जाएगी।
    - कर ढाँचे के भीतर ऑनलाइन गेमिंग को शामिल करने के लिये GST कानूनों में संशोधन किया जाना है।

➲ **GST से छूट:**

- GST परिषद ने कैंसर के ईलाज से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों वाले खाद्य उत्पादों को GST से छूट प्रदान की है।

➲ **GST अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना:**

- इस परिषद ने देश में GST अपीलीय न्यायाधिकरणों की 50 पीठों की स्थापना के लिये राज्यों के प्रस्तावों की जाँच की।
- प्रारंभिक पीठें राज्यों की राजधानियों और उन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी जहाँ उच्च न्यायालयों की पीठ है।

➲ **GST नेटवर्क और PMLA को लेकर व्यक्त चिंताएँ:**

- प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रशासित धन शोधन निवारण अधिनियम के दायरे में GST नेटवर्क को लाए जाने के हालिया फैसले की कुछ राज्यों ने आलोचना की है।
  - विशेष रूप से तमिलनाडु ने तर्क दिया कि यह समावेशन करदाताओं के हितों और GST अपराधों को अपराधमुक्त करने के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है।
- जबकि राजस्व सचिव ने परिषद को आश्वासन दिया है कि यह वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
  - ऐसा स्पष्ट किया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय GSTN से किसी प्रकार की कोई जानकारी साझा नहीं करेगा तथा इस अधिसूचना का उद्देश्य कर चोरी और धन शोधन की समस्या से निपटने के लिये कर अधिकारियों को सशक्त बनाना है।

GST परिषद:

➲ **परिचय:**

- GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करती है।
- संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279ए (1) के अनुसार, GST परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

नोट: GST एक मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई, 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से 'एक राष्ट्र एक कर' के नारे के साथ भारत में लागू किया गया था।

➲ **सदस्य:**

- परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं।
- प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

➲ **कार्य:**

- अनुच्छेद 279 A (4) के अंतर्गत परिषद GST से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्यों से सिफारिश करती है, जैसे कि वस्तु और सेवाएँ जो GST के अधीन हैं या जिन्हें छूट दी जा सकती है, मॉडल GST कानून, आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, प्रारंभिक सीमाएँ, बैंड के साथ फ्लोर रेट सहित GST दरें, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये विशेष दरें, कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधान आदि

सामाजिक उद्यमिता

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की साझेदारी में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (IRMA) द्वारा आयोजित एक सामाजिक उद्यम सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत में सामाजिक उद्यमिता पारितंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामाजिक ट्रेलब्लेज़र कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया।

सोशल ट्रेलब्लेज़र कार्यक्रम:

➲ **परिचय:**

- यह सामाजिक उद्यमों और उद्यमियों के विकास के लिये एक कार्यक्रम है, जो प्रारंभिक चरण के ग्रामीण, सामाजिक तथा सामूहिक उद्यमों का पोषण करता है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सामाजिक उद्यमों के विकसित पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करना है।

➲ **उद्देश्य:**

- इसका उद्देश्य सामाजिक उद्यम कार्यक्रम को बढ़ावा देना है ताकि सामाजिक उद्यम के विकास और सामाजिक निवेश को बढ़ाया जा सके तथा सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को दूर किया जा सके।

➲ **केंद्र बिंदु के क्षेत्र:**

- कृषि
- हरित प्रौद्योगिकी
- वित्त प्रौद्योगिकी

- शिक्षा
- नवीकरणीय ऊर्जा
- स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान
- मानव संसाधन
- विपणन
- सामाजिक प्रभाव
- अपशिष्ट प्रबंधन

सामाजिक उद्यमिता:

➲ **परिचय:**

- सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिये व्यावसायिक मॉडल का उपयोग करने की प्रथा को सामाजिक उद्यमिता कहा जाता है।
- सामाजिक उद्यमियों को सामाजिक नवप्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है, ये नवीन विचारों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उनका लक्ष्य राजस्व और मुनाफा पैदा करने के साथ-साथ सामाजिक प्रभाव भी उत्पन्न करना है।
- वे समस्याओं की पहचान करके बदलाव लाने के लिये आवश्यक समाधान की खोज करते हैं। सामाजिक उद्यमिता सामाजिक रूप से उत्तरदायित्वपूर्ण निवेश एवं पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) निवेश जैसे रुझानों के साथ संरेखित होती है।
  - उदाहरण: शैक्षिक कार्यक्रम अथवा वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना तथा महामारी रोग से अनाथ बच्चों की मदद करना।

भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त कार्य समूह ने रुपए को विशेष आहरण अधिकार (SDR) बास्केट में शामिल करने और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की गति को तेज़ करने के लिये विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (Foreign Portfolio Investor- FPI) प्रणाली के पुन: आकलन करने की सिफारिश की है।

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण:

➲ **परिचय:**

- रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सीमा पार लेन-देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
- इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिये रुपए को बढ़ावा देना और अन्य चालू खाता लेन-देन के साथ-साथ पूंजी खाता लेन-देन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है।

➲ **ऐतिहासिक संदर्भ:**

- 1950 के दशक में, भारतीय रुपए का संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर में कानूनी निविदा के रूप में व्यापक उपयोग किया जाता था।
- हालाँकि वर्ष 1966 तक भारत की मुद्रा के अवमूल्यन के कारण इन देशों में भारतीय रुपए पर निर्भरता के लिये संप्रभु मुद्राओं की शुरुआत हुई थी।

➲ **रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ:**

- मुद्रा मूल्य की सराहना करना: इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए की मांग में सुधार होगा।
  - इससे भारत के साथ काम करने वाले व्यवसायों एवं व्यापारियों के लिये सुविधा बढ़ सकती है तथा लेन-देन लागत कम हो सकती है।
- विनिमय दर की अस्थिरता में कमी: जब किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है तो उसकी विनिमय दर स्थिर हो जाती है।
  - वैश्विक बाज़ारों में मुद्रा की बढ़ती मांग अस्थिरता को कम करने में सहायता कर सकती है जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिये अधिक पूर्वानुमानित और विश्वसनीय बनाया जा सकता है।
- भू-राजनीतिक लाभ: रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत के भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकता है।
  - यह अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ कर सकता है, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को सुविधाजनक बना सकता है तथा राजनयिक संबंधों को बढ़ावा दे सकता है।

लघु वित्त बैंक

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सैद्धांतिक मंज़ूरी देने के लिये उपयुक्त नहीं पाए जाने के कारण लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिये तीन आवेदनों को अस्वीकार करने के निर्णय की घोषणा की है।

➲ यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग' के दिशा-निर्देशों के तहत RBI को लगभग एक दर्जन आवेदन प्राप्त हुए थे।

लघु वित्त बैंक/स्मॉल फाइनेंस बैंक:

➲ **परिचय:**

- भारत में SFB छोटे व्यवसायियों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, किसानों तथा असंगठित क्षेत्र सहित आबादी के वंचित वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ एवं ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिये स्थापित बैंकों की एक श्रेणी है।
  - ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं।
  - उदाहरण: कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन, उत्कर्ष आदि।
- CRR और SLR के रखरखाव की आवश्यकता सहित मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों पर लागू रिज़र्व बैंक के सभी विवेकपूर्ण मानदंड और विनियम SFB पर भी लागू होते हैं।
- इसके अलावा RBI के अनुसार, यदि कोई SFB एक यूनिवर्सल बैंक में स्थानांतरित होने की इच्छा रखता है, तो उसके पास न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिये प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिये।

नोट:

➲ ऑन-टैप लाइसेंसिंग: इसका मतलब है कि RBI से बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये विंडो पूरे वर्ष खुली रहती है या RBI किसी भी समय आवेदन स्वीकार कर बैंकों को लाइसेंस जारी कर सकता है।

➲ CRR और SLR: CRR का मतलब नकद आरक्षित अनुपात है तथा SLR का मतलब वैधानिक तरलता अनुपात है।

- CRR और SLR दोनों मौद्रिक नीति उपकरण हैं जिनका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिये किया जाता है।
- CRR के तहत वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि (NDTL) आरक्षित रखनी होती है।
- SLR, जमा का न्यूनतम प्रतिशत है. जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है।

➲ **पात्रता:**

- निवासी व्यक्ति/पेशेवर (भारतीय नागरिक), अकेले या संयुक्त रूप से प्रत्येक के पास वरिष्ठ स्तर पर बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
- निवासियों के स्वामित्व तथा नियंत्रण वाली कंपनियाँ और सोसायटी।
- सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (Microfinance Institution), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC), स्थानीय क्षेत्र के बैंक और भुगतान बैंक जैसी संस्थाएँ जो निवासियों द्वारा नियंत्रित होती हैं, वे भी लघु वित्त बैंकों में परिवर्तित हो सकती हैं।
- इसके अतिरिक्त SFB में परिवर्तित होने के इच्छुक शहरी सहकारी बैंक (UCBs) दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात् SFB में परिवर्तित हो सकते हैं।

➲ **प्रदत्त पूंजी की आवश्यकता:**

- लघु वित्त बैंकों के लिये न्यूनतम भुगतान वाली वोटिंग इक्विटी पूंजी 200 करोड़ रुपए होगी, ऐसे लघु वित्त बैंकों को छोड़कर जो UCBs से परिवर्तित हुए हैं।

➲ **शासनादेश:**

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी: RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लघु वित्त बैंकों को अपने कुल शुद्ध ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी के लिये आवंटित करना होता है।
  - उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऋण पोर्टफोलियो का 50% भाग 25 लाख रुपए तक का अग्रिम हो।
  - एकल या समूहिक देनदार के लिये अधिकतम ऋण आकार और निवेश सीमा उसके पूंजीगत कोष के क्रमश: 10% और 15% तक सीमित होगी।
- शाखा नेटवर्क: SFBs को ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों पर विशेष बल देने के साथ बैंक रहित और कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में शाखाओं का एक नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - प्रारंभ में उन्हें अपनी कम-से-कम 25% शाखाएँ बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करनी होंगी।

➲ **विनियमन:**

- लघु वित्त बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं और साथ ही बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त हैं।
- ये मुख्य रूप से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और RBI अधिनियम, 1934 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनों द्वारा शासित होते हैं।

कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास निधि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास निधि (Corporate Debt Market Development Fund- CDMDF) द्वारा उठाए गए ऋण के लिये गारंटी कवर प्रदान करने हेतु कॉर्पोरेट ऋण के लिये गारंटी योजना (Guarantee Scheme for Corporate Debt- GSCD) को मंज़ूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य दबाव के समय में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार को स्थिर करना है।

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने योजना के संचालन और एवं फंड के प्रबंधन के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

कॉर्पोरेट ऋण के लिये गारंटी योजना (GSCD):

- कॉर्पोरेट ऋण के लिये गारंटी योजना, कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास निधि द्वारा उठाए गए ऋण के लिये पूर्ण गारंटी कवर प्रदान करता है।
- GSCD का प्राथमिक उद्देश्य निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार को स्थिरता प्रदान करना है।
- GSCD का प्रबंधन कॉर्पोरेट ऋण के लिये गारंटी फंड (GFCD) द्वारा किया जाता है।
  - GFCD आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs- DEA) द्वारा गठित और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट फंड है, जो वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
- इस योजना को बाज़ार अव्यवस्था के दौरान CDMDF द्वारा निवेश-श्रेणी की कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों के क्रय करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - निवेश-श्रेणी की कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ उन कंपनियों द्वारा जारी किये गए बॉण्ड या नोट होते हैं जिनमें डिफ़ॉल्ट/कमी पाए जाने का जोखिम कम होता है और क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी होती है।
- GSCD द्वारा प्रदान किया गया गारंटी कवर यह सुनिश्चित करता है कि निवेशक, निवेश-श्रेणी की कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित संभावित जोखिमों से सुरक्षित हैं।
- CDMDF द्वितीयक बाज़ार की तरलता/चलनिधि को बढ़ाता है जो GSCD के अंतर्गत सुनिश्चित प्रतिभूतियों को क्रय करने और कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार की समग्र स्थिरता का समर्थन करता है।

कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास निधि (CDMDF):

- CDMDF भारत में कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्थापित एक वैकल्पिक निवेश निधि है, इसे एक क्लोज़-एंडेड योजना के रूप में लॉन्च किया जाएगा।
- CDMDF, निवेश-श्रेणी की कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों के लिये बैकस्टॉप सुविधा के रूप में कार्य करता है, जो स्थिरता प्रदान करने के साथ-साथ बाज़ार में निवेश के लिये निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है।
- CDMDF म्यूचुअल फंड के लिये 33,000 करोड़ रुपए की बैकस्टॉप सुविधा प्रदान करता है। इसमें सरकार 30,000 करोड़ रुपए का योगदान देने के साथ-साथ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को बकाया 3,000 करोड़ रुपए प्रदान करेंगी।
- CDMDF का उद्देश्य एक स्थायी संस्थागत संरचना का निर्माण कर द्वितीयक बाज़ार की तरलता/चलनिधि को बढ़ाना है, जिसे बाज़ार में बढ़ने वाले दबाव (Market Stress) की अवधि के दौरान सक्रिय किया जा सकता है।
- यह फंड बाज़ार की अव्यवस्था के समय निवेशकों के लिये सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार को समर्थन एवं स्थिरता प्रदान करता है।

व्हाइट लेबल एटीएम

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने गैर-बैंक कंपनियों को व्हाइट लेबल एटीएम (White Label ATM- WLA) स्थापित करने, स्वामित्व तथा संचालन की अनुमति देकर विशेष रूप से टियर III से VI केंद्रों में ATM पहुँच को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।

- ये WLA बैंकों द्वारा जारी किये गए कार्डों के आधार पर ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं तथा RBI ने उनकी व्यवहार्यता और कार्यप्रणाली में सुधार के लिये उपाय लागू किये हैं।
- अब तक चार अधिकृत गैर-बैंक संस्थाएँ देश में व्हाइट लेबल एटीएम का संचालन कर रही हैं।

व्हाइट लेबल एटीएम:

- **परिचय:**
  - गैर-बैंकों द्वारा स्थापित, स्वामित्व और संचालित ATM को WLA कहा जाता है।
  - गैर-बैंक ATM ऑपरेटर RBI द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत अधिकृत हैं।
  - वे बैंकों द्वारा जारी डेबिट/क्रेडिट/प्रीपेड कार्ड का उपयोग करके ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।
  - नकद वितरण के अलावा WLAs खाता जानकारी, नकद जमा, बिल भुगतान, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज और चेक बुक अनुरोध जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

ATM के विभिन्न प्रकार:

ATM के प्रकार	विवरण
➲ ब्राउन लेबल ATM	➲ ATM जहाँ हार्डवेयर और मशीन का पट्टा (Lease) एक सेवा प्रदाता के स्वामित्व में होता है, लेकिन नकदी प्रबंधन एवं बैंकिंग नेटवर्क से कनेक्टिविटी एक प्रायोजक बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। ➲ उनके पास बैंक की ब्रांडिंग है।
➲ ऑरेंज लेबल ATM	➲ शेयर लेन-देन के लिये ATM उपलब्ध कराए गए। ➲ इनका उपयोग मुख्य रूप से निवेशकों और व्यापारियों द्वारा स्टॉक एवं प्रतिभूतियों को खरीदने तथा बेचने के लिये किया जाता है।
➲ येलो लेबल ATM	➲ ATM ई-कॉमर्स के उद्देश्य से स्थापित किये गए हैं। ➲ इनका उपयोग मुख्य रूप से ऑनलाइन शॉपर्स और व्यापारियों द्वारा भुगतान एवं खरीदारी करने के लिये किया जाता है।
➲ पिंक लेबल ATM	➲ ATM की निगरानी गार्ड द्वारा की जाती है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल महिलाएँ ही इन ATM तक पहुँचें। इन्हें महिला ग्राहकों को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है।
➲ ग्रीन लेबल ATM	➲ कृषि लेन-देन के लिये ATM उपलब्ध कराए जाते हैं। ➲ इनका उपयोग मुख्य रूप से किसानों और ग्रामीण ग्राहकों द्वारा विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं के लिये किया जाता है।

फुल-रिज़र्व बैंकिंग बनाम फ्रैक्शनल-रिज़र्व बैंकिंग

चर्चा में क्यों ?

अर्थशास्त्रियों के बीच फुल-रिज़र्व बैंकिंग (100% रिज़र्व बैंकिंग) बनाम फ्रैक्शनल-रिज़र्व बैंकिंग का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।

➲ हालाँकि दोनों प्रणालियों के अपने समर्थक और आलोचक हैं, आर्थिक विकास तथा वित्तीय स्थिरता पर उनके संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिये उनके बीच महत्त्वपूर्ण अंतर को समझना आवश्यक है।

मांग जमा और सावधि जमा के बीच अंतर:

➲ **मांग जमा:**

- मांग जमा से तात्पर्य बैंक खाते में रखी धनराशि से है जिसे बिना किसी नोटिस या जुर्माने के किसी भी समय निकाला जा सकता है।
  - इन्हें "चालू खाते" के रूप में भी जाना जाता है।
- यह रोज़मर्रा के लेन-देन और भुगतान के लिये उच्च तरलता तथा अनुकूलन प्रदान करता है।
  - चूँकि ग्राहक मांग पर धनराशि निकाल सकते हैं, बैंक आमतौर पर इन खातों पर बहुत कम या कोई ब्याज नहीं देते हैं।

➲ **सावधि जमा:**

- सावधि जमा एक निश्चित अवधि के लिये बैंक खाते में रखी गई धनराशि है, जिसे आमतौर पर "अवधि" या "कार्यकाल" के रूप में जाना जाता है।
  - खाताधारक अवधि समाप्त होने तक धनराशि नहीं निकालने के लिये सहमत होते हैं।
- पैसे को लॉक करने के बदले में बैंक खाताधारक को मांग जमा की तुलना में अधिक ब्याज दर से पुरस्कृत करता है।
  - हालाँकि परिपक्वता तिथि से पहले धनराशि निकालने पर आमतौर पर जुर्माना लगता है।

बैंक से धन निकालने की होड़

➲ **परिचय:**

- बैंक संचालन उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ बड़ी संख्या में जमाकर्ता एक साथ बैंक से अपना धन बैंक की सॉल्वेंसी या स्थिरता संबंधी चिंताओं के कारण निकालते हैं।

नोट:

भारत में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) एक निश्चित सीमा (वर्तमान में प्रति बैंक पर प्रति जमाकर्त्ता 5 लाख रुपए) तक बैंक जमा के लिये जमा बीमा प्रदान करता है। हालाँकि बैंक के विफल होने की स्थिति में इस सीमा से अधिक धनराशि वाले जमाकर्ताओं को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

इथेनॉल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में घोषणा की कि भारत ने वर्ष 2023 में 20% इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है तथा वर्ष 2025 तक पूरे देश को कवर करने का लक्ष्य है।

- भारत में इथेनॉल का उत्पादन गन्ने से निर्मित गुड़ से लेकर चावल, मक्का और अन्य अनाज जैसे विभिन्न फीडस्टॉक द्वारा किया जाता है।
- यह कदम जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और सतत् ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इथेनॉल:

- **परिचय:**
  - इथेनॉल जिसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, यह गन्ना, मक्का, चावल, गेहूँ और बायोमास जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित जैव ईंधन है।
  - इथेनॉल की उत्पादन प्रक्रिया में खमीर द्वारा या एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा का किण्वन किया जाता है।
  - इथेनॉल 99.9% शुद्ध अल्कोहल है जिसे स्वच्छ ईंधन विकल्प बनाने के लिये पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है।
  - ईंधन योज्य होने के अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन से घुलनशील पदार्थों के साथ डिस्टिलरीज़ का सूखा अनाज और बॉयलर की भस्मक राख से पोटाश जैसे मूल्यवान उप-उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनका विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होता है।
- **इथेनॉल उत्पादन के उपोत्पाद:**
  - घुलनशील पदार्थों के साथ डिस्टिलरीज़ का सूखा अनाज (DDGS):
    - DDGS अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन का एक उपोत्पाद है।
    - यह अनाज में स्टार्च के किण्वन और इथेनॉल निकालने के बाद बचा हुआ अवशेष है।
    - DDGS उच्च प्रोटीन सामग्री वाला एक मूल्यवान पशु चारा है और इसका उपयोग पशुधन आहार के पूरक के लिये किया जाता है।
  - बॉयलर की भस्मक राख से पोटाश:
    - बॉयलर में इथेनॉल उत्पादन के बाद बची राख में 28% तक पोटाश होता है।
    - यह राख पोटाश का एक समृद्ध स्रोत है और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा सकता है।
- **ईंधन के रूप में इथेनॉल के अनुप्रयोग:**
  - इथेनॉल का उपयोग परिवहन क्षेत्र में गैसोलीन के नवीकरणीय और स्थायी जैव ईंधन विकल्प के रूप में किया जाता है।
  - इसे विभिन्न अनुपातों में पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है, जैसे- E10 (10% इथेनॉल, 90% पेट्रोल) और E20 (20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल)।
  - भारत सरकार ने नवीकरणीय ईंधन के रूप में इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम शुरू किया है।
    - इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम करने, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिये पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण करना है।
  - इथेनॉल मिश्रण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषकों को कम करने, स्वच्छ हवा में योगदान देने तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है।

भारत के फीडस्टॉक्स का विविधीकरण:

- **फीडस्टॉक विविधीकरण:**
  - भारत में इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से 'C-भारी' गुड़ पर आधारित था, जिसमें 40-45% चीनी सामग्री होती थी, जिससे प्रति टन 220-225 लीटर इथेनॉल प्राप्त होता था।
  - भारत ने इथेनॉल उत्पादन, उपज और दक्षता बढ़ाने के लिये सीधे गन्ने के रस की खोज की।
  - देश ने चावल, क्षतिग्रस्त अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा और कदन्न को शामिल करके अपने फीडस्टॉक में विविधता प्रदर्शित की है।
  - अनाज से इथेनॉल की पैदावार गुड़ की तुलना में अधिक होती है, चावल से 450-480 लीटर और अन्य अनाज से 380-460 लीटर प्रति टन का उत्पादन होता है।

- चीनी मिलों ने चावल, क्षतिग्रस्त अनाज, मक्का और कदन्न को फीडस्टॉक के रूप में उपयोग कर इसमें विविधता ला दी है।
- अग्रणी चीनी कंपनियों ने डिस्टिलरीज़ स्थापित की हैं जो पूरे वर्ष कई फीडस्टॉक पर कार्य कर सकती हैं।
- सरकार की विभेदक मूल्य निर्धारण नीति ने वैकल्पिक फीडस्टॉक के उपयोग को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ फीडस्टॉक से उत्पादित इथेनॉल के लिये उच्च कीमतें तय करके मिलों को कम चीनी उत्पादन के लिये मुआवज़ा दिया गया।
  - वर्ष 2018-19 से भारत सरकार ने B-भारी गुड़ और साबुत गन्ने के रस/सिरप से उत्पादित इथेनॉल के लिये उच्च कीमतें तय करना शुरू कर दिया।

गुड़ के प्रकार:

- A गुड़ (प्रारंभिक गुड़): प्रारंभिक चीनी क्रिस्टल निष्कर्षण से प्राप्त एक मध्यवर्ती उप-उत्पाद, जिसमें 80-85% शुष्क पदार्थ (DM) होता है। यदि भंडारण किया जाए तो क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिये इसे आर्द्र किया जाना चाहिये।
- B गुड़ (द्वितीयक गुड़): A गुड़ के समान DM सामग्री लेकिन कम चीनी और कोई सहज क्रिस्टलीकरण नहीं।
- C गुड़ (अंतिम गुड़, ब्लैकस्ट्रैप गुड़, ट्रेकल): चीनी प्रसंस्करण का अंतिम उप-उत्पाद, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सुक्रोज़ (लगभग 32 से 42%) होता है। यह क्रिस्टलीकृत नहीं होता है और इसका उपयोग तरल या सूखे रूप में वाणिज्यिक फीड घटक के रूप में किया जाता है।

सीमा पार प्रेषण हेतु UPU द्वारा UPI का आकलन

चर्चा में क्यों ?

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) ने वैश्विक डाक नेटवर्क का उपयोग करके सीमा पार प्रेषण के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के एकीकरण का मूल्यांकन करने की योजना की घोषणा की है।

- इस मूल्यांकन का उद्देश्य कुशल और सुरक्षित रूप से अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण की सुविधा में UPI की क्षमता का पता लगाना है।

UPI को UPU के साथ एकीकृत करने के लाभ:

- UPI सुरक्षित, सुविधाजनक और वास्तविक समय पर भुगतान प्रदान करता है जो इसे सीमा पार प्रेषण के लिये एक आशाजनक मंच बनाता है।
- व्यापक पहुँच और बुनियादी ढाँचे वाले वैश्विक डाक नेटवर्क का लाभ उठाकर, UPI-सक्षम प्रेषण की पहुँच का और विस्तार हो सकता है।
- डाक चैनलों के साथ UPI का एकीकरण नागरिकों को एक विश्वसनीय और सुलभ प्रेषण समाधान प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में, जहाँ पारंपरिक बैंकिंग सेवाएँ सीमित होती हैं।
- यह पहल वैश्विक स्तर पर कुशल और समावेशी डाक सेवाओं को बढ़ावा देने के UPU के लक्ष्य के अनुरूप है।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU):

- **परिचय:**
  - UPU संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये डाक क्षेत्र का प्राथमिक मंच है।
  - यह दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- **स्थापना एवं संरचना:**
  - इसकी स्थापना वर्ष 1874 में बर्न की संधि के माध्यम से की गई थी।
  - इसका मुख्यालय बर्न, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
  - इस संगठन में चार निकाय शामिल हैं: कॉन्ग्रेस, प्रशासन परिषद (CA), पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल (POC) और अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो (IB)।
  - यह टेलीमैटिक्स और एक्सप्रेस मेल सेवा (EMS) संबंधी सहकारी समितियों की भी देख-रेख करता है।
- **सदस्यता:**
  - संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य देश UPU का सदस्य बन सकता है।
  - संयुक्त राष्ट्र के गैर-सदस्य देश कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य देशों के अनुमोदन पर UPU में शामिल हो सकते हैं।
  - इसमें अब कुल सदस्य देशों की संख्या 192 है।
    - भारत वर्ष 1876 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में शामिल हुआ।

राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति

भारत सरकार एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति शुरू करने के लिये तैयार है जिसका उद्देश्य क्षेत्र के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये अनुकूल वातावरण बनाना है।

- ई-कॉमर्स नीति पहली बार वर्ष 2018 में प्रस्तावित की गई थी और वर्ष 2019 में ई-कॉमर्स नीति का मसौदा जारी किया गया था।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक सुव्यवस्थित नियामक ढाँचे, तकनीकी प्रगति तथा कुशल आपूर्ति शृंखला एकीकरण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

आगामी ई-कॉमर्स नीति के बारे में प्रमुख बिंदु:

- **उद्देश्य:**
  - राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का उद्देश्य एक नियामक ढाँचा स्थापित करना है जो इस क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी प्रदान करता हो।
- **निर्यात को बढ़ावा देना:**
  - यह नीति भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगी।
    - वर्ष 2030 तक भारत की ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता सालाना 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच होने का अनुमान है।
    - वैश्विक क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स निर्यात वर्ष 2025 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है, भारत का लक्ष्य इस विकास अवसर को अपने पक्ष में करना है।
- **नियामक निकाय और FDI:**
  - ई-कॉमर्स क्षेत्र हेतु नियामक स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है, हालाँकि इसके क्रियान्वयन में समय लग सकता है।
  - स्थानीय व्यापारियों के संघ ई-कॉमर्स नियमों को लागू करने और उल्लंघनों को रोकने हेतु सशक्त नियामक निकाय की मांग करते रहे हैं।
  - जबकि मार्केटप्लेस मॉडल में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) की अनुमति है, इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में FDI की अनुमति नहीं है।
- **व्यापारियों की चिंताओं को उजागर करना:**
  - व्यापारियों ने ई-कॉमर्स के नियमों के उल्लंघन, जैसे- भारी छूट और चुनिंदा विक्रेताओं को वरीयता दिये जाने को लेकर चिंता जताई है।
  - नीति का उद्देश्य इन मुद्दों को स्पष्ट करना और ई-कॉमर्स में FDI को नियंत्रित करने वाले नियमों में अधिक पारदर्शिता प्रदान करना है।
  - उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 और प्रस्तावित संशोधनों को निरंतरता के लिये ई-कॉमर्स नीति के साथ जोड़ा जाएगा।
- **व्यापक ढाँचा:**
  - ई-कॉमर्स नीति इस क्षेत्र के लिये एक व्यापक ढाँचे के रूप में काम करेगी, जो विभिन्न शासकीय कार्यों के बीच सुसंगतता सुनिश्चित करेगी।
    - यह क्षेत्र FDI नीति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 द्वारा शासित है।
  - नीति का उद्देश्य इन विनियमों को सुव्यवस्थित करना और ई-कॉमर्स उद्योग के विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाना है।

भारत सरकार की ई-कॉमर्स संबंधित अन्य पहलें:

- **भारतनेट परियोजना का शुभारंभ:**
  - प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स की पहुँच बढ़ेगी।
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):**
  - इस नेटवर्क का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को डिजिटल कॉमर्स में व्यापक स्तर पर बढ़ने और ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करने के लिये समान अवसर प्रदान करना है
- **डिजिटल इंडिया पहल:**
  - डिजिटल इंडिया पहल ने स्टार्ट-अप इंडिया और आत्मानिर्भर भारत सहित सरकार के नेतृत्व वाली अन्य पहलों को सुदृढ़ गति प्रदान की है जिनकी वैश्विक सफलताओ में परिवर्तित होने की अपार संभावनाएँ हैं।

बीमा वाहक

देश के सुदूर क्षेत्रों में बीमा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI) ने हाल ही में बीमा वाहक संबंधी मसौदा दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि बीमा वाहक (Bima Vahak) ग्रामीण क्षेत्रों तक बीमा की पहुँच हेतु एक समर्पित वितरण चैनल है।

बीमा वाहक:

- **परिचय:**
  - बीमा वाहक कार्यक्रम IRDAI के "वर्ष 2047 तक सभी के लिये बीमा" लक्ष्य के घटकों में से एक है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में बीमा उत्पादों की पहुँच और उपलब्धता में सुधार करना है।
  - यह कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत प्रतिनिधियों दोनों के क्षेत्र बल की स्थापना करके बीमाकर्त्ताओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण अंतिम-मील कनेक्शन के रूप में काम करेगा। ये प्रतिनिधि, जिन्हें बीमा वाहक के रूप में जाना जाता है, बीमा उत्पादों के वितरण और सर्विसिंग के लिये ज़िम्मेदार होंगे।
  - बीमा वाहक योजना IRDAI द्वारा शुरू की गई प्रमुख बीमाकर्त्ताओं की अवधारणा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
    - प्रमुख बीमाकर्त्ता ग्राम पंचायतों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिये संसाधनों की तैनाती हेतु समन्वय करते हैं, जो भारत में स्थानीय स्वशासन इकाइयाँ हैं।
- **उद्देश्य:**
  - यह महिलाओं को बीमा वाहक के रूप में ऑनबोर्ड करने पर केंद्रित है, क्योंकि वे स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल कर सकती हैं और विभिन्न समुदायों में बीमा पैठ की सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
  - बीमा वाहक का लक्ष्य स्थानीय आबादी के साथ जुड़कर देश के प्रत्येक क्षेत्र में बीमा की पहुँच और जागरूकता को बढ़ाना है।
- **महत्त्व:**
  - बीमा वाहक पहल से भारत भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में लोगों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु बीमा समावेशन को बढ़ाने, जागरूकता बढ़ाने तथा बीमा प्रस्तावों को अपनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है।

IRDAI:

- IRDAI, वर्ष 1999 में स्थापित एक नियामक संस्था है जिसे बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है।
  - यह IRDA अधिनियम, 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय है और वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है।
- यह बीमा से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करते हुए बीमा उद्योग के विकास को नियंत्रित करता और देखता है।
- प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य IRDAI अधिनियम, 1999 और बीमा अधिनियम, 1938 में निर्धारित की गई हैं।

भारत में अपस्फीति

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने कहा कि भारत की अपस्फीति (Disinflation) प्रक्रिया धीरे-धीरे और लंबी होने की उम्मीद है, 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य केवल मध्यम अवधि में प्राप्त होने की संभावना है।

अपस्फीति:

- **परिचय:**
  - अपस्फीति मुद्रास्फीति की दर में कमी को संदर्भित करती है, जिसका अर्थ है कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं लेकिन पहले की तुलना में धीमी गति से।
    - यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि अपस्फीति, अवस्फीति से अलग है, जो समग्र मूल्य स्तर में निरंतर कमी को संदर्भित करती है।
    - अपस्फीति की एक स्वस्थ दर आवश्यक है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित होने से रोकती है।
- **कारण:**
  - अपस्फीति विभिन्न कारकों की वजह से हो सकती है, जैसे:
    - आर्थिक विकास या मांग में मंदी
    - सख्त मौद्रिक नीति या उच्च ब्याज दरें
    - राजकोषीय समेकन या कम सरकारी खर्च
    - मज़बूत विनिमय दर

विलफुल डिफॉल्टर हेतु समाधान समझौता: RBI

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने प्रस्ताव/सर्कुलर पेश किया है, जिसमें विलफुल डिफॉल्टर/इरादतन चूककर्त्ताओं और धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों को

समाधान समझौता या तकनीकी राइट-ऑफ का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है।

- यह सर्कुलर ऐसे मामलों से निपटने में बैंकों और वित्त कंपनियों हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ:

- **परिचय:**
  - NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट रूप से हैं या मूलधन या ब्याज के निर्धारित भुगतान पर बकाया हैं।
    - ज़्यादातर मामलों में ऋण को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब 90 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिये ऋण भुगतान नहीं किया जाता है।
    - कृषि की यदि द्वि-फसली मौसमों के लिये मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  - सकल NPA:
    - सकल NPA उन सभी ऋणों का योग है जो व्यक्तियों द्वारा चूक किये गए हैं
  - कुल NPA:
    - कुल NPA वह राशि है जो प्रावधान राशि को सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से घटाए जाने के बाद प्राप्त होती है।
- **NPA से संबंधित कानून और प्रावधान:**
  - बैड बैंक:
    - भारत में बैड बैंक को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (NARC) कहा जाता है।
    - यह NARC एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर काम करेगी।
  - यह बैंकों से खराब ऋण खरीदेगा, जिससे उन्हें NPA से राहत मिलेगी। इसके बाद NARC संकटग्रस्त ऋण खरीदारों को दबावग्रस्त ऋण बेचने का प्रयास करेगा।
    - सरकार ने पहले ही इन तनावग्रस्त संपत्तियों को बाज़ार में बेचने के लिये इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) की स्थापना की है। तदनुसार, IDRCL उन्हें बाज़ार में बेचने का प्रयास करेगी।
  - वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002:
    - सरफेसी अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशि की वसूली के लिये संपार्श्विक संपत्ति पर कब्ज़ा करने और उन्हें बेचने की अनुमति देता है।
    - यह सुरक्षा हितों के प्रवर्तन के लिये प्रावधान प्रदान करता है तथा बैंकों को डिफॉल्ट उधारकर्त्ताओं को डिमांड नोटिस जारी करने की अनुमति देता है।
  - दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016:
    - IBC भारत में दिवालियापन और दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के लिये एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है।
    - इसका उद्देश्य तनावग्रस्त संपत्तियों (स्ट्रेस एसेट) के समयबद्ध समाधान को सुगम बनाना और लेनदारों के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।
    - IBC के तहत एक देनदार या लेनदार एक डिफॉल्ट उधारकर्त्ता के विरुद्ध दिवाला कार्यवाही शुरू कर सकता है।
    - प्रक्रिया की देख-रेख के लिये यह राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) की स्थापना करता है।
  - बैंकों और वित्तीय संस्थान (RDDBFI) अधिनियम, 1993 के कारण ऋण की वसूली:
    - RDDBFI अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों की वसूली के लिये शीघ्र अधिनिर्णय तथा वसूली हेतु ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) की स्थापना करता है।
    - DRT के पास एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक बकाया ऋणों की वसूली से संबंधित मामलों को सुनने और निर्णय लेने की शक्ति है।
  - भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872:
    - भारतीय अनुबंध अधिनियम उधारदाताओं और उधारकर्त्ताओं के बीच संविदात्मक संबंध को नियंत्रित करता है।
    - यह ऋण समझौतों, नियमों एवं शर्तों, डिफॉल्ट तथा भुगतान न करने की स्थिति में उधारदाताओं के लिये उपलब्ध उपायों हेतु कानूनी ढाँचा स्थापित करता है।

UCB हेतु RBI का विनियमन

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1,514 शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने हेतु चार प्रमुख उपायों को अधिसूचित किया है, जिसमें उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिये दो वर्ष का और समय देना शामिल है।

RBI द्वारा किये गए प्रमुख उपाय:

- **चार प्रमुख उपाय:**
  - UCB को पिछले वित्तीय वर्ष में शाखाओं की कुल संख्या के 10% (अधिकतम 5 शाखाओं) तक RBI की पूर्व अनुमति के बिना नई शाखाएँ खोलने की अनुमति देना।
  - शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान एकमुश्त निपटान करने की अनुमति प्रदान करना।
  - 31 मार्च, 2026 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending- PSL) लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु UCB के लिये समय-सीमा का विस्तार करना।
    - वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान PSL की कमी को पूरा करने के बाद अतिरिक्त जमा, यदि कोई हो, को भी UCB को वापस कर दिया जाएगा।
  - RBI और सहकारी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय एवं आवश्यक संवाद की सुविधा के लिये एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
- **संभावित प्रभाव:**
  - ये पहलें PSL लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे शहरी सहकारी बैंकों को और मज़बूती प्रदान करेंगी।
  - सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को मज़बूत करने और उन्हें अन्य आर्थिक संस्थाओं के समान दर्जा प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है।

भारत में सहकारी बैंक:

- यह साधारण बैंकिंग व्यवसाय से निपटने के लिये सहकारी आधार पर स्थापित एक संस्था है। एक सहकारी बैंक शुरू करने के लिये जमा और ऋण के साथ-साथ शेयरों की बिक्री के माध्यम से धन जुटाया जाता है।
- ये सहकारी ऋण समितियाँ हैं जिनमें समुदाय के सदस्य एक-दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं।
- वे संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत होती हैं।
- **सहकारी बैंकों को निम्नलिखित द्वारा प्रशासित किया जाता है:**
  - बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
  - बैंकिंग कानून (सहकारी समितियाँ) अधिनियम, 1955
- मोटे तौर पर इन्हें शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के रूप में विभाजित किया गया है।

शहरी सहकारी बैंक (Urban Cooperative banks- UCB):

- शहरी सहकारी बैंक (UCB) पद को औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इससे तात्पर्य शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों से है।
- शहरी सहकारी बैंक (UCBs), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (LABs) को अलग-अलग बैंकों के रूप में माना जा सकता है क्योंकि वे स्थानीय क्षेत्रों में काम करते हैं।
- वर्ष 1996 तक इन बैंकों को केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये धन उधार देने की अनुमति थी। यह भेद वर्तमान में नहीं है।
- ये बैंक परंपरागत रूप से समुदायों और स्थानीय कार्यसमूहों पर केंद्रित थे क्योंकि वे अनिवार्य रूप से छोटे उधारकर्त्ताओं और व्यवसायों को उधार देते थे। वर्तमान में उनके संचालन का दायरा काफी विस्तृत हो गया है।

अधिशेष तरलता

चर्चा में क्यों ?

भारत में बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध तरलता 4 जून, 2023 को बढ़कर 2.59 लाख करोड़ रुपए हो गई। हालाँकि बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता कुछ दिनों में वर्तमान के 2.1 लाख करोड़ रुपए से घटकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है।

- बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध तरलता को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रणाली से अवशोषित धन की राशि द्वारा दर्शाया जाता है।

अधिशेष तरलता:

- **परिचय:**
  - अधिशेष तरलता तब होती है जब बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रवाह लगातार केंद्रीय बैंक द्वारा बाज़ार से तरलता की निकासी से अधिक होता है।

- बैंकिंग प्रणाली में तरलता तत्काल उपलब्ध नकदी को संदर्भित करती है जिसे बैंकों को अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

➲ **बढ़ती तरलता के कारण:**

- अग्रिम कर और वस्तु एवं सेवा कर (GST) भुगतान
- जारी किये गए 2,000 रुपए के नोटों को जमा करना
- सरकारी बॉण्ड का मोचन
- उच्च सरकारी खर्च
- रुपए को मूल्यह्रास से बचाने हेतु RBI द्वारा डॉलर की बिक्री

➲ **बढ़ती तरलता का प्रभाव:**

- इससे महँगाई का स्तर बढ़ सकता है।
- बाज़ार में ब्याज दरें कम रहेंगी।
- रुपए का अवमूल्यन होगा।

➲ **RBI के उपाय:**

- यदि तरलता का स्तर अपनी सीमा से विचलित होता है तो RBI कार्यवाही करता है।
- RBI अपनी तरलता समायोजन सुविधा के तहत रेपो के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाता है और तरलता की स्थिति का आकलन करने के बाद रिवर्स रेपो का उपयोग कर इसे वापस लेता है।
  - RBI 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो और/या रिवर्स रेपो ऑपरेशन का भी उपयोग करता है।

एवरग्रीनिंग लोन

चर्चा में क्यों :

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने हाल ही में बैंक बोर्डों को संबोधित किया तथा बैंकों द्वारा अति-आक्रामक विकास रणनीतियों को अपनाने और एवरग्रीनिंग लोन में संलग्न होने के बारे में चिंता व्यक्त की।

➲ RBI गवर्नर ने मज़बूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता पर बल दिया और तनावग्रस्त ऋणों की सही स्थिति को छिपाने के उदाहरणों पर प्रकाश डाला।

एवरग्रीनिंग लोन:

➲ **परिचय:**

- एवरग्रीनिंग लोन, ज़ोंबी ऋण का एक रूप है, यह एक उधारकर्त्ता, जो वर्तमान में प्राप्त ऋणों को चुकाने में असमर्थ है, को नए या अतिरिक्त ऋण देने का एक तरीका है, जिससे गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) या बैड लोन्स की वास्तविक स्थिति को छुपाया जाता है।

➲ **एवरग्रीनिंग लोन के लिये प्रयुक्त दृष्टिकोण:**

- NPAs के रूप में वर्गीकृत करने से बचने के लिये दो उधारदाताओं के बीच ऋण या ऋण उपकरणों को बेचना और खरीदना।
- अच्छे कर्ज़दारों के डिफॉल्ट को छिपाने के लिये तनावग्रस्त कर्ज़दारों के साथ संरचित सौदे करने पर सहमति व्यक्त करना।
- उधारकर्त्ताओं के पुनर्भुगतान दायित्वों को समायोजित करने के लिये आंतरिक या कार्यालयी खातों का उपयोग करना।
- तनावग्रस्त उधारकर्त्ताओं या संबंधित संस्थाओं को पहले के ऋणों के भुगतान की तारीख के आस-पास नए ऋणों का नवीनीकरण या वितरण करना।

➲ **प्रभाव:**

- एवरग्रीनिंग लोन बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता की गलत धारणा बना सकते हैं और दबावयुक्त परिसंपत्तियों की पहचान और उनके समाधान में देरी कर सकते हैं।
- यह ऋण अनुशासन के साथ उधारकर्त्ताओं के बीच नैतिक जोखिम को भी कम कर सकता है तथा जमाकर्त्ताओं, निवेशकों और नियामकों के विश्वास को समाप्त कर सकता है।

➲ **लोन राइट-ऑफ बनाम एवरग्रीनिंग:**

- ऋणों के पर्याप्त प्रावधान करने के बाद बैंकों की बैलेंस शीट से सभी बैड लोन को हटाने की एक प्रक्रिया को लोन राइट-ऑफ कहा जाता है। लोन राइट-ऑफ का मतलब यह नहीं है कि कर्ज़दार अपने पुनर्भुगतान दायित्वों से मुक्त हो गया है या बैंक ने वसूली करना बंद कर दिया हैं। बैंकों की बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने और सही वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिये लोन राइट-ऑफ किया जाता है।
  - राइट-ऑफ अभ्यास ने बैंकों को पिछले पाँच वर्षों में 10,09,510 करोड़ रुपए (123.86 बिलियन डॉलर) की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों या डिफॉल्टेड ऋणों को कम करने में सक्षम बनाया है।
  - दूसरी ओर, एवरग्रीनिंग लोन, एक ऐसे उधारकर्त्ता को नए या अतिरिक्त ऋण देने की एक प्रक्रिया है जो मौजूदा ऋणों को चुकाने में असमर्थ है, जिससे गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) या बैड लोन्स की सही स्थिति को छिपाया जाता है।

नोट: संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) को प्राप्त करने तथा हल करने में सक्षम है। बैंकिंग क्षेत्र में NPA की बढ़ती समस्या की प्रतिक्रिया के रूप में 1990 के दशक के अंत में ARC को भारत में पेश किया गया था।

प्रीपेड भुगतान साधन

चर्चा में क्यों ?

RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) विनियमित संस्थाओं के लिये ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने वाली एक समिति ने धोखाधड़ी और अनधिकृत लेन-देन से सुरक्षा प्रदान करने के लिये जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation- DICGC) को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) तक विस्तारित करने की सिफारिश की है।

- इस समिति ने सिफारिश की है कि RBI को बैंक PPI और फिर गैर-बैंक PPI सहित PPI क्षेत्र में DICGC कवर का विस्तार करने की संभावना के बारे में पता लगाना चाहिये।
- RBI को ग्राहक सेवा में सुधार करने और समग्र ग्राहक सुरक्षा प्रयासों को मज़बूत करने के लिये विनियमित संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिये।

प्रीपेड भुगतान साधन:

- **परिचय:**
  - ये वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करने वाले साधन हैं, ये वित्तीय सेवाओं का संचालन करते हैं और उनमें संग्रहीत धन पर प्रेषण सुविधाएँ सक्षम करते हैं।
  - PPI को कार्ड या वॉलेट के रूप में जारी किया जा सकता है।
  - PPI दो प्रकार के होते हैं:
    - छोटे PPI और पूर्ण-KYC (अपने ग्राहक को जानें) PPI। इसके अलावा छोटे PPI को 10,000 रुपए तक के PPI (कैश लोडिंग सुविधा के साथ) तथा 10,000 रुपए तक के PPI (बिना कैश लोडिंग सुविधा के) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - PPI को नकद, बैंक खाते से डेबिट या क्रेडिट और डेबिट कार्ड द्वारा लोड/रीलोड किया जा सकता है।
    - PPI की कैश लोडिंग प्रतिमाह 50,000 रुपए तक सीमित है, जो PPI की समग्र सीमा के अधीन है।
- **जारी करना/निर्गमन:**
  - PPI को RBI से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा जारी किया जा सकता है।
    - नवंबर 2022 तक 58 से अधिक बैंकों को प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने और संचालित करने की अनुमति दी गई है।
    - मई 2023 तक 33 गैर-बैंक PPI जारीकर्त्ता हैं।

DICGC:

- **परिचय:**
  - DICGC, RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और जमा बीमा सुविधा प्रदान करती है।
    - जमा बीमा प्रणाली वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में विशेष रूप से छोटे जमाकर्त्ताओं को बैंक की विफलता की स्थिति में उनकी जमा राशि की सुरक्षा का आश्वासन देकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - DICGC द्वारा विस्तारित जमा बीमा में स्थानीय क्षेत्रीय बैंक (LAB), भुगतान बैंक (PB), लघु वित्त बैंक (SFB), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और सहकारी बैंक सहित वे सभी वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, जिन्हें RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।
- **कवरेज:**
  - DICGC अर्जित ब्याज सहित बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जैसी सभी जमाओं का बीमा करता है।
  - बैंक में प्रत्येक जमाकर्त्ता का बैंक के परिसमापन या विफलता की तिथि के अनुसार मूलधन और ब्याज राशि दोनों के लिये अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है।
    - DICGC द्वारा प्रदान किया गया पहले का बीमा कवर 1 लाख रुपए था। हालाँकि बीमाकृत बैंकों में जमाकर्त्ताओं के लिये बीमा कवर की सीमा 2020 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई थी।
  - DICGC कवर नहीं करता है:
    - विदेशी सरकारों की जमाराशि।
    - केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियाँ।
    - अंतर-बैंक जमाराशि।
    - राज्य सहकारी बैंकों में राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियाँ।
    - भारत के बाहर प्राप्त किसी भी जमा के कारण कोई भी राशि।

- कोई भी राशि जिसे RBI के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है।

➲ **कोष:**

- निगम निम्नलिखित निधियों का रखरखाव करता है:
  - जमा बीमा कोष
  - क्रेडिट गारंटी फंड
  - सामान्य कोष
- पहले दो को क्रमश: बीमा प्रीमियम और प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तथा संबंधित दावों के निपटान के लिये भी उपयोग किया जाता है।
- सामान्य कोष का उपयोग निगम की स्थापना और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने हेतु किया जाता है।

RBI का नियोजित लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आपात स्थितियों के लिये लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम (LPSS) शुरू करने की घोषणा की, जिसे RBI की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था।

➲ लाइटवेट सिस्टम का उद्देश्य आपात स्थितियों के दौरान दक्षता सुनिश्चित करते हुए लचीलापन, भुगतान और निपटान प्रणाली की निरंतरता प्रदान करना है।

RBI का नियोजित LPSS:

➲ **परिचय:**

- LPSS पारंपरिक तकनीकों और वायर्ड नेटवर्क से स्वतंत्र है जो मौजूदा भुगतान प्रणालियों जैसे- UPI, NEFT और RTGS को रेखांकित करता है।

➲ **पृष्ठभूमि:**

- 'उत्कर्ष 2.0' पहल के एक भाग के रूप में RBI केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों- NEFT और RTGS के निरीक्षण के लिये एक लचीला ढाँचा तैयार करेगा।
- इसके अतिरिक्त यह नई सुविधाओं को जोड़कर और पहले से मौजूद सुविधाओं को बढ़ाकर RTGS प्रणाली को आधुनिक बनाने का प्रयास करेगा।

➲ **पेमेंट सिस्टम रेज़िलिएंस:**

- अत्यधिक और अप्रत्याशित परिस्थितियों में, आपात स्थितियों के लिये LPSS भुगतान एवं निपटान प्रणाली के लचीलेपन एवं निरंतरता का आश्वासन देता है।
- UPI, NEFT और RTGS जैसी पारंपरिक भुगतान प्रणालियाँ जटिल वायर्ड नेटवर्क एवं उन्नत IT अवसंरचना पर अपनी निर्भरता के कारण प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हैं।
  - मौजूदा प्रणालियों के व्यवधान में चलनिधि पाइपलाइन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं और आवश्यक भुगतान सेवाओं को बाधित कर सकते हैं।
- लाइटवेट सिस्टम एक पोर्टेबल और आसान सक्रिय समाधान प्रदान करता है जिसे न्यूनतम संसाधनों के साथ दूर से संचालित किया जा सकता है।
- यह महत्त्वपूर्ण लेन-देन, स्थिरता बनाए रखने तथा आवश्यक भुगतान सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये एक बैकअप विकल्प के रूप में कार्य करता है।

➲ **कार्यप्रणाली:**

- न्यूनतम कर्मचारी:
  - इस प्रणाली में प्रशिक्षित कर्मचारी होंगे जो सुरक्षित और कुशलता से भुगतान निपटान के संचालन को संभालेंगे। वे सरकारी एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, बाज़ार प्रतिभागियों और सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय भी करेंगे।
- आवश्यक लेन-देन पर ध्यान:
  - यह प्रणाली केवल उन लेन-देन को प्रक्रिया में लाएगी जो अर्थव्यवस्था की स्थिरता को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जैसे सरकार और बाज़ार से संबंधित लेन-देन।
  - खुदरा या व्यक्तिगत लेन-देन को स्थगित या वैकल्पिक तरीकों से संचालित किया जा सकता है। इन्हें नियंत्रित नहीं किया जाएगा।
- सरलीकृत प्रमाणीकरण और सत्यापन:
  - यह प्रणाली लेन-देन की अखंडता एवं वैधता सुनिश्चित करने के लिये एक सरलीकृत तंत्र को नियोजित करेगी। यह सुलह और लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिये लेन-देन रिकॉर्ड भी बनाए रखेगी।

नमक गुफा आधारित तेल भंडार: SPR

चर्चा में क्यों ?

सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) राजस्थान में नमक गुफा आधारित सामरिक तेल भंडार विकसित करने की संभावनाओं और व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है।

- यह अध्ययन देश की सामरिक तेल भंडारण क्षमता बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है।

नमक आधारित गुफा:

- **परिचय:**
  - नमक की गुफाएँ भूमिगत स्थान हैं जो नमक को जल में घोलकर (प्रक्रिया के माध्यम से) बनाई जाती है जिसे विलियन खनन (Solution Mining) कहा जाता है।
  - इस पद्धति में नमक को घोलने एवं गुफाओं के निर्माण हेतु नमक भंडारित बड़े क्षेत्रों में जल को पंप किया जाता है। एक बार ब्राइन (जल मं घुला हुआ नमक) निकाल देने के बाद इन गुफाओं का उपयोग कच्चे तेल को भंडारित करने के लिये किया जा सकता है।
- **चट्टान आधारित गुफा:**
  - तेल भंडार हेतु उत्खनित चट्टान आधारित गुफाएँ (Rock Based Caverns) भूमिगत भंडारण कक्ष हैं जो चट्टानी सामग्री को भौतिक रूप से खोदकर और हटाकर बनाई जाती हैं।
  - वांछित भंडारण स्थान बनाने हेतु ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और चट्टान की परतों को हटाकर उत्खनित चट्टानी गुफाओं का निर्माण किया जाता है। इन गुफाओं की चट्टानी दीवारें एवं छत भंडारित तेल को रखने के लिये प्राकृतिक बाधाओं में सुविधा रूप में काम करती हैं।
- **चट्टान आधारित गुफा की तुलना में नमक आधारित गुफा का महत्त्व:**
  - नमक गुफा का विकास सहज, तेज़ और कम खर्चीला है। नमक गुफा आधारित तेल भंडारण सुविधाएँ स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से बंद या सुरक्षित हैं तथा कुशल तेल इंजेक्शन एवं निष्कर्षण हेतु डिज़ाइन की गई हैं।
  - MIT के पर्यावरण समाधान पहल की एक रिपोर्ट बताती है कि नमक की गुफा में तेल का भंडारण अन्य भूगर्भीय संरचनाओं की तुलना में अधिक अनुकूल है।
  - नमक की गुफा की सतह में बहुत कम तेल अवशोषण होता है, जो तरल और गैसीय हाइड्रोकार्बन के खिलाफ प्राकृतिक अभेद्य अवरोध उत्पन्न करता है। यह विशेषता नमक गुफा को तेल भंडारण के लिये उपयुक्त बनाती है।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका का सामरिक पेट्रोलियम रिज़र्व (SPR) विशेष रूप से नमक आधारित गुफा की सुविधाओं पर निर्भर करता है जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा आपातकालीन तेल भंडारण है।

भारत का सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम:

- **परिचय:**
  - भारत में सामरिक कच्चे तेल भंडारण सुविधाओं का निर्माण भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड (Indian Strategic Petroleum Reserves Limited - ISPRL) द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।
    - ISPRL पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल उद्योग विकास बोर्ड (Oil Industry Development Board- OIDB) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
  - प्रथम चरण के अनुसार, सामरिक कच्चे तेल के भंडारण मैंगलोर (कर्नाटक), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) और पादुर (कर्नाटक) में हैं। उनके पास कुल 5.33 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) का ईंधन भंडारण है।
- **PPP के तहत अतिरिक्त रिज़र्व:**
  - भारत सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership- PPP) के माध्यम से द्वितीय चरण के अनुसार, चांदीखोल (ओडिशा) तथा उडुपी (कर्नाटक) में ऐसी दो और गुफाएँ स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे अतिरिक्त 6.5 मिलियन टन तेल भंडार मिलेगा।
  - नई सुविधाओं के शुरू होने के बाद कुल 22 दिन (10+12) तेल की खपत उपलब्ध कराई जाएगी।
- **क्षमता/औद्योगिक स्टॉक:**
  - भारतीय रिफाइनर रणनीतिक सुविधाओं के साथ 65 दिनों के कच्चे तेल के भंडारण (औद्योगिक स्टॉक) को भी बनाए रखते हैं।

- इस प्रकार SPR कार्यक्रम के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद लगभग कुल 87 दिन (रणनीतिक भंडार द्वारा 22 + भारतीय रिफाइनर द्वारा 65) तेल की खपत भारत में उपलब्ध कराई जाएगी।
  - यह IEA द्वारा 90 दिनों के शासनादेश के बहुत करीब होगा।
- भारत वर्ष 2017 में IEA का सहयोगी सदस्य बना और हाल ही में IEA ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था और लिथियम-आयन बैटरी पुनर्चक्रण तकनीक

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) ने लागत प्रभावी लिथियम-आयन बैटरी पुनर्चक्रण तकनीक को नौ पुनर्चक्रण उद्योगों और स्टार्ट-अप में हस्तांतरित कर चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।

- इस तकनीक को "ई-कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र" के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिये सामग्री केंद्र (Centre for Materials for Electronics Technology- C-MET), हैदराबाद में स्थापित किया गया है और यह कार्य तेलंगाना सरकार के उद्योग भागीदार, मैसर्स ग्रीनको एनर्जीज़ प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के सहयोग से किया गया है।
- यह पहल "प्रमोट सर्कुलरिटी कैंपेन" के तहत पर्यावरण के लिये जीवनशैली (Lifestyle for the Environment-LiFE) मिशन का हिस्सा है।

हाल ही में आविष्कार की गई पुनर्चक्रण तकनीक:

- लि-आयन बैटरियों के लिये पुनर्चक्रण तकनीक को अनुपयोगी बैटरियों से मूल्यवान सामग्रियों को कुशलतापूर्वक संसाधित करने और पुनर्प्राप्त करने हेतु अभिकल्पित किया गया है।
- इस प्रक्रिया की शुरुआत बैटरियों को एक प्रकार के घोल/विलयन में भिगोने से होती है।
  - यह विलयन लिथियम (Lithium), कोबाल्ट (Cobalt), मैंगनीज़ (Manganese) और निकल (Nickel) जैसे धातुओं को पृथक करने एवं उनके निष्कर्षण में मदद करती है, इसकी सहायता से 98 प्रतिशत शुद्धता के साथ ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में धातुओं की लगभग 95 प्रतिशत तक रिकवरी हो सकती है।
- इसके बाद इन धातुओं को उनके शुद्ध रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि इन्हें नई बैटरी अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगों में पुन: उपयोग करने के लिये तैयार किया जा सके।
- इस तकनीक के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि बैटरियों से मूल्यवान धातुओं के 95% से अधिक की पुनर्प्राप्ति की जा सके।
- बैटरियों को पुनर्चक्रित कर नए संसाधनों के खनन की आवश्यकता को कम कर अधिक सतत् पर्यावरण में योगदान दिया जा सकता है।
- लिथियम-आयन बैटरियों के लिये पुनर्चक्रण तकनीक एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

लिथियम-आयन बैटरी:

- **परिचय:**
  - 'लिथियम-आयन बैटरी' अथवा 'लि-आयन' बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल (पुन: चार्ज की जा सकने वाली) बैटरी है।
  - लि-आयन बैटरी में इलेक्ट्रोड पदार्थ के रूप में अंतर्वेशित लिथियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, जबकि एक नॉन-रिचार्जेबल लिथियम बैटरी में धातु सदृश लिथियम का उपयोग किया जाता है।
  - एक बैटरी में वैद्युत अपघट्य (Electrolyte) दो इलेक्ट्रोड होते हैं। वैद्युत अपघट्य के कारण आयनों का संचरण होता है।
  - बैटरी के डिस्चार्ज होने के दौरान लिथियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जबकि चार्ज होते समय विपरीत दिशा में।

उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जीआई टैग

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक शिल्प के लिये प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के सात विशिष्ट उत्पादों को हाल ही में चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया है।

GI टैग प्रदान किये गए 7 उत्पाद:

- **अमरोहा ढोलक:**
  - अमरोहा ढोलक प्राकृतिक लकड़ी से बना एक वाद्ययंत्र है।
    - इसके निर्माण के लिये आम, कटहल और सागौन की लकड़ी सबसे उपयुक्त है।

- इसे मढ़ने के लिये पशुओं की खाल, आमतौर पर बकरी की खाल का उपयोग किया जाता है।

बागपत होम फर्निशिंग/घरेलू साज-सज्जा:

- बागपत और मेरठ अपने विशिष्ट हथकरघा घरेलू साज-सज्जा उत्पादों के लिये सुप्रसिद्ध हैं।
- बुनाई प्रक्रिया में सूती धागे का उपयोग किया जाता है, यह कार्य मुख्य रूप से करघे पर किया जाता है।

बाराबंकी हथकरघा उत्पाद:

- बाराबंकी और इसके आसपास के क्षेत्रों में 50,000 से अधिक बुनकर और 20,000 करघे हैं।
  - बाराबंकी क्लस्टर का वार्षिक राजस्व 150 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

कालपी हस्तनिर्मित कागज़:

- कालपी हस्तनिर्मित कागज़ निर्माण के लिये पहचाना जाता है।
  - इस शिल्प को पहली बार 1940 के दशक में गांधीवादी मुन्नालाल "खद्दरी" द्वारा पेश किया गया था, जबकि इसकी जड़ें कालपी के इतिहास में बहुत पुरानी हो सकती हैं।

महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प:

- महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा के अद्वितीय पत्थर शिल्प का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसमें इस्तेमाल किया गया पत्थर, जिसे वैज्ञानिक रूप से 'पाइरो फ्लाइट स्टोन' के नाम से जाना जाता है, एक नरम और चमकदार सफेद रंग का पत्थर है जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है।

मैनपुरी तारकशी:

- मैनपुरी तारकशी एक लोकप्रिय कला है तथा इसमें लकड़ी पर पीतल का तार जड़ा जाता है।
- मैनपुरी तारकशी घरेलू आवश्यकता रही है जिसका परंपरागत रूप से खड़ाऊ (लकड़ी के सैंडल) को सजाने में उपयोग किया जाता है।
  - स्वच्छता के संबंध में सांस्कृतिक विचारों के कारण चमड़े के विकल्प तलाशे गए हैं।

संभल हार्न क्राफ्ट:

- संभल हॉर्न क्राफ्ट में मृत पशुओं से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है तथा यह शिल्प पूरी तरह से हस्तनिर्मित है।

भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम

चर्चा में क्यों ?

"भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में मंदी" पर रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न सूची में नए यूनिकॉर्न के जुड़ने की संख्या में तेज़ी से गिरावट देखने को मिली है जो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में मंदी का संकेत देता है।

- ASK प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडियन फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार, भारत में वर्ष 2023 में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के मूल्यांकन वाले केवल तीन यूनिकॉर्न स्टार्टअप जुड़े, जबकि एक वर्ष पहले यही संख्या 24 थी।

भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम का परिदृश्य:

- 31 मई, 2023 तक भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के लिये तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है। भारत मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच वैज्ञानिक प्रकाशनों की गुणवत्ता और अपने विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में शीर्ष स्थान के साथ नवाचार गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर है।
- **भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में पिछले कुछ वर्षों (2015-2022) में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है:**
  - स्टार्टअप्स की कुल फंडिंग में 15 गुना बढ़ोतरी
  - निवेशकों की संख्या में 9 गुना बढ़ोतरी
  - इन्क्यूबेटरों की संख्या में 7 गुना वृद्धि
- मई 2023 तक भारत में 108 यूनिकॉर्न हैं जिनका कुल मूल्यांकन 340.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  - यूनिकॉर्न की कुल संख्या में से 44 यूनिकॉर्न वर्ष 2021 में और 21 यूनिकॉर्न वर्ष 2022 में में स्थापित किया गए।

स्टार्टअप से संबंधित शर्तें:

- डेकाकॉर्न: 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का वर्तमान मूल्यांकन।
- यूनिकॉर्न्स: वर्ष 2000 के बाद 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ स्टार्टअप की स्थापना हुई।
- गज़ेल: ऐसे स्टार्टअप जिनके अगले तीन वर्षों में यूनिकॉर्न बनने की सबसे अधिक संभावना है।
- चीता (Cheetahs): स्टार्टअप जो अगले पाँच वर्षों में यूनिकॉर्न बन सकते हैं।

ग्रीडफ्लेशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोप और अमेरिका में इस विषय पर आम सहमति बनी है कि मुद्रास्फीति के बजाय ग्रीडफ्लेशन जीवनयापन की लागत को और बढ़ा रहा है।

- ग्रीडफ्लेशन/लालच मुद्रास्फीति को समझने के लिये यह जानना आवश्यक है कि मुद्रास्फीति कैसे काम करती है।

ग्रीडफ्लेशन:

- **परिचय:**
  - ग्रीडफ्लेशन की स्थिति का सामान्य अर्थ निगमों द्वारा लालच-प्रेरित मुद्रास्फीति में हुई वृद्धि से है। वेतन-मूल्य सर्पिल के स्थान पर यह एक लाभ-मूल्य चक्र है जहाँ कंपनियाँ अपनी बढ़ी हुई लागत को प्राप्त करने और साथ ही लाभ मार्जिन को अधिकतम करते हुए कीमतों में अत्यधिक वृद्धि कर मुद्रास्फीति का लाभ उठाती हैं। ये मुद्रास्फीति की स्थिति में और अधिक वृद्धि करती हैं।
    - यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों में इस बात पर आम सहमति बन रही है कि ग्रीडफ्लेशन ही इसके लिये महत्त्वपूर्ण कारक है।
- **परिदृश्य:**
  - प्राकृतिक आपदाओं या महामारी जैसे संकटों के दौरान कीमतों में सामान्यत: वृद्धि हो जाती हैं क्योंकि इनपुट लागत बढ़ने के कारण व्यवसाय कीमतें बढ़ा देते हैं।
  - हालाँकि कुछ मामलों में अधिक मूल्य वृद्धि के माध्यम से व्यापार में अत्यधिक लाभ अर्जित करके स्थिति का फायदा उठाते हैं।
- **प्रभाव:**
  - ग्रीडफ्लेशन कम आय और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों पर असमान रूप से प्रभाव डालती है, यह उपभोग में कटौती कर जीवन स्तर को कम करता है।
    - जबकि यह अधिक आय और उच्च वर्ग के व्यक्तियों को उनकी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करके आय असमानता को बढ़ाते हुए लाभ पहुँचाता है।
  - कीमतों में अधिक वृद्धि और लालच द्वारा संचालित अनुमानों से इकोनॉमिक बबल (Economic Bubble) और अस्थिर बाज़ार की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे वित्तीय बाज़ार दुर्घटनाओं और संकट के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे समग्र आर्थिक स्थिरता के लिये जोखिम पैदा होता है।
  - लालच से उत्पन्न मुद्रास्फीति के दबाव के परिणामस्वरूप देशों के बीच भिन्न-भिन्न नीतियाँ बन सकती हैं। प्रत्येक राष्ट्र मुद्रास्फीति से निपटने के लिये अलग-अलग रणनीतियाँ अपना सकता है, जिससे परस्पर विरोधी दृष्टिकोण सामने आ सकते हैं।
    - इससे वैश्विक असंतुलन, व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक संघर्ष बढ़ सकते हैं क्योंकि देश प्रतिस्पर्द्धात्मकता की स्थिति में अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं।

उद्यमी भारत-MSME दिवस 2023

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारत में MSME क्षेत्र के विकास और प्रगति का जश्न मनाने और इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'उद्यमी भारत-MSME दिवस' मनाया।

- इस कार्यक्रम में MSME मंत्रालय द्वारा MSME के विकास को समर्पित विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया गया। जैसे- 'चैंपियंस 2.0 पोर्टल' एवं 'क्लस्टर परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो-टैगिंग हेतु मोबाइल एप'। इसके अतिरिक्त 'MSME आइडिया हैकथॉन 2.0' के परिणाम घोषित किये गए तथा महिला उद्यमियों के लिये 'MSME आइडिया हैकथॉन 3.0' लॉन्च किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस:

- **परिचय:**
  - MSME के महत्त्व और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को चिह्नित करने के लिये प्रतिवर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है।
  - MSME को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी माना जाता है।
- **MSME दिवस 2023 की थीम:**
  - "इंडिया@100 हेतु भविष्य के लिये तैयार MSME"।
- ग्लोबल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने "एकजुट होकर एक मज़बूत भविष्य का निर्माण" थीम के साथ जश्न मनाया और #Brand10000MSMEs नेटवर्क लॉन्च किया।

- ग्लोबल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक वैश्विक संगठन है जिसके कार्यालय भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम में हैं।

➲ **इतिहास और महत्त्व:**

- अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में नामित किया।
- इसका उद्देश्य धारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में MSME की - क्षमता को अधिकतम करने के लिये राष्ट्रीय क्षमताओं में वृद्धि करना है।

कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु:

➲ **शुरू की गई पहलें:**

- चैंपियन 2.0 पोर्टल:
  - MSME को समर्थन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से संबद्ध मंत्रालय ने 'चैंपियंस 2.0 पोर्टल' लॉन्च किया।
  - इसकी सहायता से MSME को आवश्यक सलाह, क्षमता निर्माण, बाज़ारों तक पहुँच और शिकायत निवारण जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
- क्लस्टर परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो-टैगिंग के लिये मोबाइल एप:
  - दक्षता बढ़ाने और क्लस्टर परियोजनाओं तथा प्रौद्योगिकी केंद्रों की प्रगति के बारे में सूचित रहने के लिये मंत्रालय ने जियो-टैगिंग हेतु एक मोबाइल एप लॉन्च किया।
  - यह एप मौजूदा परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा।
- महिला उद्यमियों के लिये MSME आइडिया हैकथॉन 3.0:
  - पूर्व आइडिया हैकथॉन की सफलता के आधार पर मंत्रालय ने विशेष रूप से महिला उद्यमियों पर केंद्रित 'MSME आइडिया हैकथॉन 3.0' लॉन्च किया।
  - इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता के विचारों को प्रोत्साहित करना और महिलाओं को अपनी प्रतिभा दर्शाने तथा MSME क्षेत्र में योगदान देने के लिये एक मंच प्रदान करना है।

➲ **समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर:**

- MSME मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI):
  - सिडबी (SIDBI) द्वारा 'पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान' (PMVIKAS) के लिये एक पोर्टल तैयार करना।
  - उन स्थानीय पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान करना जो अब तक किसी भी लक्षित हस्तक्षेप का हिस्सा नहीं थे।
- MSME और GeM मंत्रालय:
  - सार्वजनिक खरीद इको-सिस्टम में MSME के अंतिम पंजीकरण के लिये गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के साथ उद्यम पंजीकरण डेटा साझा करना।
- MSME मंत्रालय और उद्योग विभाग, त्रिपुरा सरकार:
  - एपीआई के माध्यम से उद्यम पंजीकरण डेटा साझा करना, नीति निर्माण को आसान बनाना और योजना के लाभों का लक्षित वितरण करना।
- MSME मंत्रालय और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises- CGTMSE)।
  - MSME क्षेत्र के लाभार्थियों को गारंटी कवरेज प्रदान करना। (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट CGTMSE)।
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSFDC) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC):
  - राष्ट्रीय एससी-एसटी हब और विभिन्न योजनाओं के तहत एससी/एसटी उद्यमियों को समर्थन देने के लिये आपसी सहयोग को बढ़ावा देना।

MSME

➲ **परिचय:**

- MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो रोज़गार सृजन, औद्योगिक उत्पादन और समग्र आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये उद्यम वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं संरक्षण में संलग्न हैं।

➲ **MSME का वर्गीकरण:**

- भारत में MSME को उनके वार्षिक राजस्व के साथ-साथ संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में उनके निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान वर्गीकरण इस प्रकार है:
  - सूक्ष्म उद्यम: 1 करोड़ रुपए तक का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर।
  - लघु उद्यम: 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच निवेश और 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर।
  - मध्यम उद्यम: 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए के बीच निवेश और 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर।

मणिपुर ने RBI के दंगा प्रावधानों को लागू किया

हाल ही में मणिपुर सरकार ने दंगों और हिंसा से प्रभावित राज्य में गंभीर स्थिति को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दंगा प्रावधानों को लागू किया है।

- दिशा-निर्देश में संकट के कारण उधारकर्त्ताओं द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता को स्वीकार किया गया और प्रभावित व्यक्तियों के लिये राहत उपायों की मांग की गई।
- जबकि आमतौर पर इसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लागू किया जाता है, यह कदम कानून-व्यवस्था की स्थिति के जवाब में इसके उपयोग का पहला उदाहरण है।

प्रावधान:

- **RBI दिशा-निर्देश 2018:**
  - प्रावधान "भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) दिशा-निर्देश, 2018" के अध्याय संख्या 7 के अनुसार हैं।
    - जब भी RBI बैंकों को दंगा/अशांति प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता देने की सलाह देता है, तो इस उद्देश्य के लिये बैंकों द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।
  - यह प्रावधान विशेष रूप से "दंगे और अशांति" को संबोधित करता है।
  - इसके नियम कई मानदंडों को निर्दिष्ट करते हैं जिनका पालन ऋणों के पुनर्गठन, नए ऋण प्रदान करने और केवाईसी मानदंडों सहित अन्य उपायों के लिये किया जाता है।
  - निर्देशों के अनुसार, दंगों के समय अतिदेय को छोड़कर सभी अल्पकालिक ऋण पुनर्गठन के पात्र होंगे।
- **प्रयोज्यता:**
  - इन निर्देशों के प्रावधान प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (RBI द्वारा भारत में संचालित लाइसेंस प्राप्त लघु वित्त बैंक (SFB) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB को छोड़कर) पर लागू होंगे।
- **फसल ऋण:**
  - फसल ऋण के मामले में यदि नुकसान 33% और 50% के बीच है, तो उधारकर्त्ता अधिकतम दो वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि हेतु पात्र हैं। यदि फसल का नुकसान 50% से अधिक है, तो पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
  - इसके अतिरिक्त सभी पुनर्गठित ऋण खातों में कम-से-कम एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि होगी।
- **दीर्घकालिक कृषि ऋण:**
  - यदि उत्पादक संपत्तियों को नुकसान पहुँचाए बिना फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो बैंक प्रभावित वर्ष हेतु किस्त भुगतान को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं और ऋण अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त बैंकों के पास उधारकर्त्ताओं द्वारा ब्याज भुगतान को स्थगित करने का विकल्प है। हालाँकि यदि उत्पादक संपत्तियाँ भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो नए ऋण की आवश्यकता हो सकती है।
- **नया ऋण:**
  - बैंक उधारकर्त्ताओं की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर ऋण अनुमोदन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तथा मौजूदा उधारकर्त्ताओं को व्यक्तिगत गारंटी के बिना 10,000 रुपए तक संपार्श्विक-मुक्त उपभोग ऋण की पेशकश कर सकते हैं चाहे परिसंपत्ति का मूल्य ऋण की राशि से कम क्यों न हो।
- **KYC मानदंडों में छूट:**
  - जिन व्यक्तियों ने दंगों के कारण अपने दस्तावेज़ खो दिये हैं उनके लिये बैंकों को नए खाते खोलने की ज़रूरत है।
  - यह वहाँ लागू होगा जहाँ खाते में शेष राशि 50,000 रुपए से अधिक नहीं होगी तथा खाते में कुल क्रेडिट 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिये।

ऋण पुनर्गठन:

- **परिचय:**
  - ऋण पुनर्गठन व्यवसायों, व्यक्तियों और सरकारों को ऋणों पर कम ब्याज दरों पर वार्ता करके दिवालियापन से बचने की अनुमति देता है। जब किसी देनदार को अपने बिलों का भुगतान करने में परेशानी होती है तो ऋण पुनर्गठन दिवालिया होने की तुलना में आसान होता है। यह देनदार एवं लेनदार दोनों की सहायता कर सकता है।
  - कंपनियाँ शीघ्रता से लचीलापन हासिल करने और समग्र ऋण भार का प्रबंधन करने के लिये अपनी ऋण प्रतिबद्धताओं की शर्तों पर वार्ता करके दिवालिया होने से बच सकती हैं।
- **लाभ:**
  - ऋण पुनर्गठन का मुख्य लक्ष्य व्यवसाय को बचाना और इसे बनाए रखना है।

- यह कानून की सहायता से व्यवसाय को लेनदारों से बचाता है।
- यदि कंपनी दिवालिया नहीं होती है, तो इस स्थिति में लेनदारों को अधिक पैसा वापस मिलता है। जब बात उन लोगों की आती है जो पैसा उधार लेना चाहते हैं, तब ऐसे में ऋण-पुनर्गठन व्यक्तिगत ऋण लेनदारों को बेहतर परिणाम व लाभ प्राप्त करने में मदद करता है।

प्रेषण अंतर्वाह

चर्चा में क्यों ?

विश्व बैंक के नवीनतम माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार, भारत में वर्ष 2022 में कुल प्रेषण 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर था, परंतु वर्ष 2023 में प्रेषण प्रवाह में केवल 0.2% की न्यूनतम वृद्धि होने का अनुमान है।

- इसका मुख्य कारण OECD की अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से उच्च तकनीक क्षेत्र की धीमी वृद्धि है और साथ ही GCC देशों में प्रवासियों की कम मांग का भी इसमें योगदान है।
- कुल मिलाकर देखें तो प्रेषण वृद्धि में विश्व स्तर पर धीमापन आने का अनुमान है, जिसमें विकास के मामले में दक्षिण एशिया का स्थान लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के बाद आएगा।

प्रेषण:

- प्रेषण एक प्रकार का धन अंतरण हैं जो प्रवासियों द्वारा अपने देश में परिवारों और दोस्तों को भेजा जाता है।
- यह कई विकासशील देशों, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में आय और विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत है।
- गरीबी कम करने, जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में प्रेषण काफी मदद कर सकता है।

भारत अवसंरचना परियोजना विकास वित्तपोषण

चर्चा में क्यों ?

डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिये वित्त मंत्रालय के तहत IFS ने भारत अवसंरचना परियोजना विकास वित्तपोषण (India Infrastructure Project Development Fund-IIPDF) पोर्टल लॉन्च किया है।

- यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IIPDF योजना के तहत आवेदन जमा करने, प्रसंस्करण समय को कम करने, कागज़ी कार्रवाई और समय पर अनुमोदन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देता है।

IIPDF योजना:

- **पृष्ठभूमि:**
  - IIPDF को आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रारंभिक कोष के साथ बनाया गया था। सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिये 100 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक परिक्रामी निधि की स्थापना।
- **परिचय:**
  - DEA ने वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक तीन साल की अवधि के लिये 150 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में मौजूदा फंड IIPDF का पुनर्गठन किया है।
  - यह परियोजना विकास लागत को पूरा करने के लिये PPP परियोजनाओं के प्रायोजक प्राधिकरणों के लिये उपलब्ध है।
    - PPP परियोजना विकास गतिविधियों को शुरू करने और बड़े नीति एवं नियामक मुद्दों को संबोधित करने के लिये PPP सेल का निर्माण तथा उन्हें सशक्त बनाने हेतु प्रायोजक प्राधिकरण के लिये यह आवश्यक होगी।
- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण परियोजना विकास गतिविधियों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **महत्त्व:**
  - PPP लेन-देन के खर्च के एक हिस्से को कवर करने के लिये धन जुटाकर, प्रायोजक प्राधिकरण अपने बजट पर खरीद-संबंधी लागतों के बोझ को कम करने में सक्षम होंगे।
- **वित्तीय परिव्यय:**
  - IIPDF ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रायोजक प्राधिकरण को परियोजना विकास व्यय का 75% तक योगदान देगा। शेष 25% प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा सह-वित्तपोषित किया जाएगा।
  - बोली/बिडिंग (Bidding) प्रक्रिया के सफल समापन पर सफल बिडर (Bidder) से परियोजना विकास व्यय की मांग की जाएगी।
    - हालाँकि असफल बिडिंग की स्थिति में ऋण को अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

- यदि किसी कारण से प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा बोली प्रक्रिया समाप्त नहीं की जाती है, तो योगदान की गई पूरी राशि IIPDF को वापस कर दी जाएगी।

➲ **अनुमोदन समिति (Approval Committee- AC):**

- IIPDF योजना का प्रशासन अनुमोदन समिति द्वारा किया जाता है। अनुमोदन समिति की संरचना इस प्रकार है::
  - आर्थिक कार्य विभाग का संयुक्त सचिव- अध्यक्ष
  - नीति आयोग के प्रतिनिधि
  - उप सचिव/निजी निवेश इकाई, आर्थिक कार्य विभाग- सदस्य सचिव

CBIC ने नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी (NTRS) 2023 रिपोर्ट जारी की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी (NTRS) 2023 रिपोर्ट जारी की है, जो भारत में विभिन्न बंदरगाहों पर कार्गो रिलीज़ समय को मापती है।

➲ इस रिपोर्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (NTFAP) लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति का आकलन करना, विभिन्न व्यापार सुविधा पहलों के प्रभाव की पहचान करना और रिलीज़ समय में अधिक तीव्रता से कमी लाने हेतु चुनौतियों की पहचान करना है।

➲ यह अध्ययन 1 से 7 जनवरी, 2023 की नमूना अवधि के आधार पर आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ष 2021 और वर्ष 2022 की समान अवधि के दौरान निष्पादन की तुलना की गई थी।

➲ अध्ययन में शामिल बंदरगाहों, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (ACC), अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) एवं एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रविष्टि बिलों का लगभग 80% तथा देश में दाखिल किये गए शिपिंग बिलों का 70% हैं।

कार्गो रिलीज़ का समय:

➲ कार्गो रिलीज़ समय को सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्गो के आगमन से आयात के मामले में घरेलू निकासी हेतु इसके आउट-ऑफ-चार्ज तक और सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्गो के आगमन से निर्यात के मामले में वाहक के अंतिम प्रस्थान तक लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया गया है।

➲ कार्गो रिलीज़ समय व्यापार दक्षता और व्यापार करने में आसानी का एक प्रमुख संकेतक है, क्योंकि यह सीमा शुल्क प्रक्रियाओं एवं सीमा पार व्यापार में शामिल अन्य नियामक प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

➲ विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization- WCO) द्वारा अनुशंसित एक प्रदर्शन माप उपकरण, टाइम रिलीज़ स्टडी (TRS) का उपयोग करके कार्गो रिलीज़ समय को मापा जाता है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड:

➲ यह वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।

➲ GST लागू होने के बाद वर्ष 2018 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज़ एंड कस्टम्स (CBEC) का नाम बदलकर CBIC कर दिया गया।

➲ यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय GST (CGST) और एकीकृत GST (IGST) के लेवी तथा संग्रह से संबंधित नीति तैयार करने के कार्यों से संबंधित है।

- GST कानून में (i) केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (ii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (iii) केंद्रशासित प्रदेश वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम, 2017 (iv) एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (v) वस्तु तथा सेवा कर (राज्यों को मुआवज़ा) अधिनियम, 2017 शामिल हैं।

वैश्विक पवन दिवस

चर्चा में क्यों?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) द्वारा 15 जून, 2023 को "पवन - ऊर्जा: पॉवरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया" की थीम के साथ वैश्विक पवन दिवस मनाया गया।

➲ MNRE ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है और ज़मीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर पवन एटलस भी राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (National Institute of Wind Energy- NIWE) द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें 1,164 GW तटवर्ती पवन क्षमता का अनुमान लगाया गया है।

वैश्विक पवन दिवस:

➲ वैश्विक पवन दिवस, वर्ष 2007 से पवन ऊर्जा को ऊर्जा के स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत के रूप में बढ़ावा देने का एक वार्षिक कार्यक्रम है।

- यह यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ (EWEA) द्वारा प्रारंभ किया गया और साथ ही वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद (GWEC) में शामिल किया गया।
  - GWEC एक सदस्य-आधारित संगठन है जो संपूर्ण पवन ऊर्जा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

पवन ऊर्जा:

- **विषय:**
  - पवन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत उत्पन्न करने के लिये वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है।
- **क्रियाविधि:**
  - पवन टर्बाइनों का उपयोग करके पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ये ऐसे उपकरण हैं जिनमें ब्लेड होते हैं जो वायु चलने पर घूमते हैं।
  - ब्लेड के घूमने से एक जनरेटर चलता है जो विद्युत उत्पन्न करता है।
    - पवन ऊर्जा भूमि या अपतट पर उत्पन्न की जा सकती है, जहाँ तेज़ और अधिक सुसंगत हवाएँ होती हैं।
- **गैसों का उत्सर्जन:**
  - पवन ऊर्जा विद्युत उत्पन्न करने का एक स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है जो ग्रीनहाउस गैसों या अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करती है।
- **उपयोग:**
  - पवन ऊर्जा का उपयोग घरों, व्यवसायों, खेतों और अन्य अनुप्रयोगों के लिये किया जा सकता है। पवन ऊर्जा विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से एक है।
- **पवन ऊर्जा के बारे में कुछ तथ्य:**
  - वैश्विक:
    - विश्व का सबसे विशाल पवन ऊर्जा बाज़ार चीन है जिसकी क्षमता 237 GW से अधिक है। इसके बाद अमेरिका और जर्मनी का स्थान है।
    - चीन के पास गान-सु (Gansu) प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा ऑनशोर विंड फार्म भी है, जो गोबी रेगिस्तान के बाहरी इलाके में स्थित है।
  - भारत विशिष्ट:
    - भारत विश्व में पवन ऊर्जा क्षमता (अप्रैल 2023 तक 42.8 GW के साथ) में चौथे स्थान पर है और भारत में तटवर्ती तथा अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन दोनों की एक बड़ी संभावना है।
    - कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में भारत के संक्रमण और वर्ष 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा एवं वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये पवन ऊर्जा महत्त्वपूर्ण है।
    - तमिलनाडु ने जून 2022 तक उच्चतम पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना की, इसके बाद गुजरात और कर्नाटक का स्थान आता है।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम 2023-24

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिये सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) की किश्तों को जारी करने का निर्णय लिया है।

- पहली SGB योजना नवंबर 2015 में सरकार द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य भौतिक सोने की मांग को कम करना और घरेलू बचत का एक हिस्सा वित्तीय बचत के रूप में स्थानांतरित करना था ताकि उसे सोने की खरीद के लिये इस्तेमाल किया जा सके।

योजना संबंधी प्रमुख विवरण:

वस्तु	विवरण
जारीकर्त्ता	भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
पात्रता	SGB की बिक्री निवासी व्यक्तियों, HUF (हिंदू अविभाजित परिवार), ट्रस्टों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों के लिये प्रतिबंधित होगी।
अवधि	SGB की अवधि 8 वर्ष की होगी, जिसमें 5वें वर्ष के बाद समय से पहले भुनाने का विकल्प होगा।
न्यूनतम सीमा	न्यूनतम अनुमेय निवेश की सीमा एक ग्राम सोना होगा।
अधिकतम सीमा	सदस्यता की अधिकतम सीमा प्रति वित्तीय वर्ष व्यक्तियों के लिये 4 किलोग्राम, HUF के लिये 4 किलोग्राम और ट्रस्टों के लिये 20 किलोग्राम तथा धर्मार्थ संस्थाओं के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित (अप्रैल-मार्च) होगी।
संयुक्त धारक	संयुक्त धारक के मामले में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा पहले आवेदक पर ही लागू होगी।

निर्गमन मूल्यम	इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने की क्लोज़िंग प्राइस के सामान्य औसत के आधार पर SGB की कीमत भारतीय रुपए में तय की जाएगी।
बिक्री के चैनल	SGB अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), स्टॉतक हाल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) और नामित डाकघरों (जैसा भी अधिसूचित किया जाए) तथा मान्यता प्राप्त स्टॉकि एक्सडचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉसक एक्स चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बॉम्बेप स्टॉकक एक्सचेंज से सीधे या एजेंटों के ज़रिये बेचे जाएंगे।
ब्यीाज़ दर	निवेशकों को निवेश के आरंभिक मूल्यज (अंकित मूल्य या घोषित मूल्य) पर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की नियत दर पर अर्द्धवार्षिक रूप से देय होगा।
संपार्श्विरक	SGB को ऋणों के लिये संपार्श्विकि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
कर उपचार	आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार, SGB पर ब्याहज कर देना होगा। किसी व्यंक्ति को SGB के मोचन से प्राप्त पूंजी लाभ कर पर छूट दी गई है।
व्या ापार योग्य ता	SGB स्टायक एक्सचेंजों में व्याकपार योग्यब होंगे।
SLR पात्रता	केवल ग्रहणाधिकार/बंधक/गिरवी रखने की प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा अर्जित SGB की गणना सांविधिक नकदी अनुपात में की जाएगी।

E20 ईंधन को अपनाना और हरित हाइड्रोजन उत्पादन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि 20% इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल, जिसे E20 के रूप में जाना जाता है, जल्द ही देश भर में तेल विपणन कंपनियों (OMC) के 1,000 बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध होगा।

- उन्होंने इस विषय पर भी प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता हासिल करना है।

इथेनॉल सम्मिश्रण और E20 ईंधन:

- **परिचय:**
  - इथेनॉल एक कृषि उप-उत्पाद है जो मुख्य रूप से गन्ने से चीनी के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है, लेकिन यह चावल की भूसी या मक्का जैसे अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होता है।
    - वाहन चलाते समय कम जीवाश्म ईंधन जलाने के लिये पेट्रोल के साथ इथेनॉल का सम्मिश्रण इथेनॉल सम्मिश्रण कहलाता है।
    - E20 ईंधन यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। E20 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2023 में बंगलूरू में लॉन्च किया गया था। यह पायलट परियोजना कम-से-कम 15 शहरों को कवर करती है तथा इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा।
  - भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण को वर्ष 2013-14 के 1.53% से बढ़ाकर वर्ष 2022 में 10.17% कर दिया है।
    - सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2030 कर दिया है।
    - G20 अध्यक्षता के दौरान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिये ब्राज़ील जैसे देशों के साथ एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है।

ग्रीन हाइड्रोजन:

- **परिचय:**
  - ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है।
  - इसे ऊर्जा का सबसे स्वच्छ रूप माना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग करने पर यह ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है।
    - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन में अग्रणी और महाशक्ति बनने की क्षमता है।

- भारत के पास प्रचुर नवीकरणीय क्षमता है, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, जिसका उपयोग कम लागत पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिये किया जा सकता है।
  - भारत ने अपने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2025-26 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य भी रखा है।
  - निजी क्षेत्र भी हरित हाइड्रोजन उत्पादन को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से महत्त्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है।

ई-चालान और कर चोरी पर अंकुश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने कर चोरी पर अंकुश लगाने और वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) व्यवस्था के तहत अनुपालन बढ़ाने के उद्देश्य से व्यवसाय-से-व्यवसाय (Business-to-Business- B2B) लेन-देन हेतु ई-चालान बनाने की सीमा को 10 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है।

- सरकार ने केंद्रीय कर अधिकारियों हेतु बैकएंड एप्लीकेशन में GST रिटर्न के लिये ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल (ARSM) भी शुरू किया है।

ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल:

- ARSM केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर स्वचालन (Automation of Central Excise and Service Tax- ACES- GST) बैकएंड एप्लीकेशन का एक हिस्सा है जो GST रिटर्न में जोखिमों एवं विसंगतियों की पहचान करने हेतु डेटा विश्लेषण का उपयोग करता है।
- यह कर अधिकारियों को केंद्र प्रशासित करदाताओं के GST रिटर्न की जाँच करने में मदद करता है, जिन्हें तंत्र द्वारा पहचाने गए जोखिमों के आधार पर चुना जाता है।
- किसी भी गैर-अनुपालन का पता चलने पर मॉड्यूल अलर्ट भी करता है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु GST रिटर्न की जाँच के साथ ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें कर अधिकारियों के पास पहले से ही अपेक्षित डेटा है।

GST के तहत ई-चालान:

- **परिचय:**
  - ई-चालान एक ऐसी प्रणाली है जहाँ GST पोर्टल पर आगे उपयोग हेतु B2B चालान और कुछ अन्य दस्तावेज़ों को वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (Goods and Service Tax Network- GSTN) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित किया जाता है।
  - ई-चालान में एक आम ई-चालान पोर्टल पर पहले से ही उत्पन्न मानक चालान जमा करना, चालान विवरण के एक बार के इनपुट के साथ रिपोर्टिंग को स्वचालित करना शामिल है।
  - चालान पंजीकरण पोर्टल (IRP) द्वारा प्रत्येक चालान पर एक पहचान संख्या जारी की जाती है, जो वास्तविक समय में चालान की जानकारी को GST पोर्टल और ई-वे बिल पोर्टल में स्थानांतरित करती है।
  - ई-वे बिल एक अनुपालन प्रणाली है जिसके तहत वस्तुओं की आवाजाही शुरू करने वाली पार्टी माल की आवाजाही शुरू होने से पहले आवश्यक डेटा अपलोड करती है और GST पोर्टल पर ई-वे बिल तैयार करती है जिससे वस्तुओं की तेज़ आवाजाही की सुविधा प्राप्त होती है।
  - इसके तहत रिटर्न दाखिल करते समय और ई-वे बिल बनाते समय मैनुअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं होती है।
- **उद्देश्य:**
  - GST परिषद ने सितंबर 2019 में अपनी 37वीं बैठक में ई-चालान के मानक को मंज़ूरी दी थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पूरे GST पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर-संचालनीयता को सक्षम करना था।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र

चर्चा में क्यों ?

यूरोपीय संघ (European Union- EU) ने घोषणा की है कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM), जो गैर-हरित या पर्यावरणीय रूप से अस्थिर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाए गए सामानों के आयात पर कार्बन टैक्स लगाएगा, को अक्तूबर 2023 से संक्रमणकालीन चरण में पेश किया जाएगा।

- CBAM 1 जनवरी, 2026 से यूरोपीय संघ में चुनिंदा आयातों पर 20-35% कर आरोपित करेगा।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र:

- **परिचय:**
  - CBAM "फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज" का एक घटक है, जो वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कम-से-कम 55% की कटौती करके यूरोपीय जलवायु कानून का पालन करने की यूरोपीय संघ की रणनीति है।
  - CBAM नीति उपकरण है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना है कि आयातित सामान यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित उत्पादों के समान कार्बन लागत के अधीन हैं।
- **कार्यान्वयन:**
  - CBAM को वार्षिक आधार पर आयातकों को यूरोपीय संघ में आयातित वस्तुओं की मात्रा के साथ-साथ उनके निहित ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की घोषणा करने पर लागू किया जाएगा।
  - इन उत्सर्जन को ऑफसेट करने हेतु आयातकों को CBAM प्रमाणपत्रों की एक समान संख्या को सरेंडर करने की आवश्यकता होगी, जिसकी कीमत EU एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम (ETS) भत्ते के साप्ताहिक औसत नीलामी मूल्य प्रति टन यूरो CO_2 उत्सर्जन पर आधारित होगी।
- **उद्देश्य:**
  - CBAM यह सुनिश्चित करेगा कि इसके जलवायु लक्ष्य कार्बन-गहन आयात के संकट में न पड़ें और शेष विश्व में स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **महत्त्व:**
  - यह गैर-यूरोपीय संघ के देशों को और अधिक कड़े पर्यावरणीय नियमों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है जिससे वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है।
  - यह कंपनियों को पर्यावरण संबंधी कम सख्त नियमों वाले देशों में स्थानांतरित होने से रोक कर कार्बन उत्सर्जन को रोक सकता है।
  - CBAM से उत्पन्न राजस्व का उपयोग यूरोपीय संघ की जलवायु नीतियों का समर्थन करने के लिये किया जाएगा, इससे अन्य देश भी हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

असम में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री ने असम के जोगीघोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) के निर्माण स्थल का दौरा किया, ताकि अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जा सके।

- मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

इस परियोजना का दायरा:

- पार्क को सरकार की महत्त्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है।
- यह पार्क नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) द्वारा बनाया जा रहा है।
- पार्क को सड़क, रेल, वायु और जलमार्ग से जोड़ा जाएगा।
- इसे ब्रह्मपुत्र के साथ 317 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है।
- इस परियोजना से भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ-साथ इस क्षेत्र के लिये बड़ी संभावनाओं की उम्मीद है।

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP):

- **परिचय:**
  - MMLP एक परिवहन हब है जो रसद आपूर्ति का कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिये परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करता है।
  - ये लॉजिस्टिक्स पार्क सामान्यत: प्रमुख परिवहन नोड्स, जैसे- बंदरगाहों, हवाई अड्डों और राजमार्गों के पास स्थित होते हैं।
  - यह भंडारण, वितरण और मूल्यवर्द्धित सेवाओं जैसे- पैकेजिंग और लेबलिंग की सुविधाओं के साथ रसद आपूर्ति की एक बड़ी मात्रा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।

मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट 2022-23

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा मुद्रा एवं वित्त पर अपनी रिपोर्ट 2022-23 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन हेतु भारत के अनुकूलन के लिये कुल संचयी व्यय वर्ष 2030 तक 85.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है।

मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट:

- **परिचय:**
  - यह RBI का वार्षिक प्रकाशन है।
  - रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।
- **थीम:**
  - मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2022-23 का विषय 'टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया' है।
    - यह भारत के लिये जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और अवसरों एवं कम कार्बन तथा जलवायु-लचीले विकास पथ को प्राप्त करने में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका पर केंद्रित है।
- **लक्ष्य:**
  - इसका उद्देश्य भारत में व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास तथा उनके नीतिगत प्रभावों पर विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
- **आकलन:**
  - रिपोर्ट में भारत में टिकाऊ उच्च विकास के लिये भविष्य की चुनौतियों का आकलन करने हेतु जलवायु परिवर्तन के चार प्रमुख आयाम- जलवायु परिवर्तन के अभूतपूर्व पैमाने और गति, इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थिरता के निहितार्थ एवं जलवायु जोखिमों को कम करने के लिये नीतिगत विकल्प शामिल हैं।

केंद्रीय प्रतिपक्ष

चर्चा में क्यों ?

यूरोपीय संघ के वित्तीय बाज़ार नियामक, यूरोपीय प्रतिभूति और बाज़ार प्राधिकरण (ESMA) ने यूरोपीय बाज़ार अवसंरचना विनियमन (EMIR) के अनुसार, 30 अप्रैल, 2023 से छह भारतीय केंद्रीय प्रतिपक्षों (CCP) की मान्यता रद्द कर दी है।

- ये छह CCPs भारतीय समाशोधन निगम (Clearing Corporation of India- CCIL), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (Indian Clearing Corporation Ltd- ICCL), NSE समाशोधन लिमिटेड (NSE Clearing Ltd- NSCCL), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग (MCX CCL), इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (India International Clearing Corporation-IFSC) लिमिटेड (IICC) और NSE IFSC समाशोधन निगम लिमिटेड (NSE IFSC Clearing Corporation Ltd- NICCL) हैं।

भारतीय केंद्रीय प्रतिपक्ष (CCP):

- **परिचय:**
  - CCP एक वित्तीय संस्थान है जो विभिन्न डेरिवेटिव और इक्विटी बाज़ारों में खरीदारों एवं विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। CCPs ऐसी संरचनाएँ हैं जो वित्तीय बाज़ारों में समाशोधन और निपटान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में सहायता करती हैं।
  - CCP का प्राथमिक लक्ष्य वित्तीय बाज़ारों में दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना है।
  - CCP प्रतिपक्ष, परिचालन, निपटान, बाज़ार, कानूनी और डिफॉल्ट मुद्दों से जुड़े जोखिमों को कम करता हैं।
  - CCP एक व्यापार में खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करता है, इसमें शामिल प्रत्येक पक्ष से धन एकत्र करता है और व्यापार की शर्तों की गारंटी देता है।
- **कार्यप्रणाली:**
  - समाशोधन और निपटान CCP के दो मुख्य कार्य हैं।
    - समाशोधन में व्यापार के विवरण को मान्य करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि लेन-देन को पूरा करने के लिये दोनों पक्षों के पास पर्याप्त धन है।
    - निपटान में विक्रेता से खरीदार को व्यापार में सम्मिलित परिसंपत्ति या प्रतिभूति के स्वामित्त्व का हस्तांतरण शामिल है।
- **भारत में विनियामक:**
  - मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)।
    - CCP को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारत में संचालन के लिये RBI द्वारा अधिकृत किया गया है।
  - CCPs समाशोधन प्रतिभूतियों और कमोडिटी डेरिवेटिव के लिये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)।

ESMA द्वारा भारतीय CCP की मान्यता समाप्त:

- **कारण:**
  - ESMA ने सभी EMIR आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने के कारण भारतीय CCP की मान्यता समाप्त कर दी।

- ESMA और भारतीय नियामकों- RBI, SEBI और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority-IFSCA) के बीच 'किसी प्रकार की सहयोग संबंधी व्यवस्था की अनुपलब्धता' के कारण यह निर्णय लिया गया।

यूरोपीय प्रतिभूति और बाज़ार प्राधिकरण (ESMA):

- ESMA स्वतंत्र यूरोपीय संघ प्राधिकरण है।
- ESMA निवेशकों की सुरक्षा और स्थिर एवं व्यवस्थित वित्तीय बाज़ारों को बढ़ावा देता है।
- ESMA विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं जैसे- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, प्रतिभूतिकरण रिपॉज़िटरी एवं ट्रेड रिपॉज़िटरी का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक है।

यूरोपीय बाज़ार अवसंरचना विनियमन (EMIR):

- EMIR अगस्त 2012 में अपनाया गया एक यूरोपीय संघ विनियमन है।
- इसका उद्देश्य OTC डेरिवेटिव बाज़ार में प्रणालीगत, प्रतिपक्ष और परिचालन जोखिम को कम करना है।
- यह CCPs और ट्रेड रिपॉज़िटरी हेतु उच्च विवेकपूर्ण मानक निर्धारित करता है।
- EMIR गैर-निकासी डेरिवेटिव जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों में सुधार करता है।
- यह तीसरे देश के CCP की पहचान और पर्यवेक्षण हेतु एक ढाँचा स्थापित करता है।

IRDAI विज़न - 2047

चर्चा में क्यों?

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने वर्ष 2047 तक सभी के लिये विज़न इंश्योरेंस के रूप में भारत में बीमा क्षेत्र को व्यापक बनाने हेतु सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक बीमाकर्त्ता को योजना में शामिल किया है।

- बीमा गतिविधियों में आने वाली समस्यों को कम करने हेतु IRDAI जीवन बीमा फर्मों के सहयोग से बीमा ट्रिनिटी लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है, जिसमें - बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक शामिल हैं।

IRDAI विज़न 2047:

- **उद्देश्य:**
  - वर्ष 2047 तक सभी के लिये बीमा सुनिश्चित करने का लक्ष्य है ताकि प्रत्येक नागरिक के पास एक उपयुक्त जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा कवर हो तथा प्रत्येक उद्यम को उचित बीमा समाधान द्वारा समर्थित किया जा सके।
  - इसका उद्देश्य भारतीय बीमा क्षेत्र को विश्व स्तर पर आकर्षक बनाना भी है।
- **स्तंभ:**
  - बीमा ग्राहक (पॉलिसीधारक)
  - बीमा प्रदाता (बीमाकर्त्ता)
  - बीमा वितरक (मध्यस्थ)

बीमा ट्रिनिटी:

- **बीमा सुगम :**
  - यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो बीमाकर्त्ताओं और वितरकों को जोड़ता है। यह एक सुविधाजनक पोर्टल में ग्राहकों के लिये नीतिगत खरीदारी, सेवा अनुरोध और दावों के निपटान को सरल बनाता है।
- **बीमा विस्तार:**
  - यह एक व्यापक पॉलिसी है जो जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और दुर्घटनाओं को कवर करती है। यह प्रत्येक जोखिम श्रेणी के लिये परिभाषित लाभ प्रदान करती है, इसमें सर्वेक्षण की आवश्कता नही होती और यह त्वरित दावा भुगतान सुनिश्चित करती है।
- **बीमा वाहक :**
  - यह ग्राम सभा स्तर पर कार्यरत एक महिला केंद्रित कार्यबल है। ये व्यापक बीमा के अंतर्गत विशेष रूप से बीमा विस्तार के लाभों के बारे में महिलाओं को शिक्षित करने के साथ ही चिंताओं को दूर करने और लाभों पर बल देकर, बीमा वाहक महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनकी वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाते हैं।

भारत में बीमा क्षेत्र की स्थिति:

- आर्थिक सर्वेक्षण-2022-23 के अनुसार, देश में जीवन बीमा क्षेत्र वर्ष 2001 के 11.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021 में 91 अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2021 में कुल वैश्विक बीमा प्रीमियम वास्तविक रूप से 3.4% बढ़ा, गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में 2.6% दर्ज किया गया। यह विकासशील और विकसित वाणिज्यिक क्षेत्रों के बाज़ारों में कठोर दर से प्रेरित होती है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत का बीमा बाज़ार आने वाले दशक में वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों के रूप में उभरने की संभावना है।
- IRDAI के अनुसार, भारत में बीमा प्रवेश वर्ष 2019-20 के 3.76% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 4.20% हो गया, जिसमें 11.70% की वृद्धि दर्ज की गई।
  - साथ ही बीमा क्षेत्र वर्ष 2020-21 में 78 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 91 अमेरिकी डॉलर हो गया।
- वर्ष 2021 में जीवन बीमा का विस्तार 3.2% था, जो उभरते हुए बाज़ारों से लगभग दोगुना और वैश्विक औसत से थोड़ा अधिक था।
- भारत वर्तमान में विश्व का 10वाँ सबसे बड़ा बाज़ार है, इसके वर्ष 2032 तक 6वाँ सबसे बड़ा होने का अनुमान है।

लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (LIBOR)

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (LIBOR) के बजाय अन्य वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARR) में संक्रमण की सलाह दी है।

- LIBOR से दूरी बनाने का उद्देश्य एक बेंचमार्क पर निर्भरता को कम करना है जो हेर-फेर के लिये अतिसंवेदनशील हो और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता एवं अखंडता को सुनिश्चित करता हो।

LIBOR:

- **परिचय:**
  - LIBOR व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। यह औसत ब्याज दर का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर बैंकों का अनुमान है कि वे विशिष्ट समय अवधि के लिये लंदन इंटरबैंक मार्केट में एक-दूसरे से उधार ले सकते हैं।
  - LIBOR महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न वित्तीय साधनों जैसे- वायदा, विकल्प, विनिमय और अन्य डेरिवेटिव में व्यापारों के निपटान के लिये एक संदर्भ दर के रूप में किया जाता है।
- **गणना:**
  - LIBOR की गणना करने के लिये बैंकों का एक समूह अपनी अनुमानित उधार दरों को प्रत्येक व्यावसायिक दिन में एक समाचार और वित्तीय डेटा कंपनी, थॉमसन रॉयटर्स में प्रस्तुत करता है।
  - अधिकतम दरों को हटा दिया जाता है और LIBOR दर निर्धारित करने के लिये शेष दरों का औसत निकाला जाता है जिसका उद्देश्य औसत उधार दर का प्रतिनिधित्व करना है।
    - पूर्व में LIBOR की गणना पाँच प्रमुख मुद्राओं और सात अलग-अलग समय अवधियों के लिये की जाती थी जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक दिन 35 दरें प्रकाशित होती थीं।
    - हालाँकि यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने इनमें से अधिकांश दरों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया और 31 दिसंबर, 2021 के बाद केवल अमेरिकी डॉलर LIBOR दरों को प्रकाशित करने की अनुमति दी गई।

RBI अधिशेष हस्तांतरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार को अधिशेष धन के हस्तांतरण के लिये मंज़ूरी दे दी है, जिससे राजकोषीय स्थिति को वृहत स्तर पर प्रोत्साहन मिला है।

- लेखा वर्ष 2022-23 के लिये अधिशेष हस्तांतरण 87,416 करोड़ रुपए है, जो विगत वर्ष की तुलना में 188% अधिक है।

अधिशेष हस्तांतरण की वृद्धि में निहित कारक एवं इनका योगदान तथा प्रभाव:

- **निहित कारकों का योगदान:**
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और तेल विपणन कंपनियों से उच्च लाभांश।
  - बिमल जालान समिति की सिफारिशों और मुद्रा मुद्रण शुल्क के अनुसार निवेश पर आय में वृद्धि, डॉलर संग्रह पर मूल्यांकन परिवर्तन, विदेशी परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और भंडार में समायोजन।
- **अधिशेष हस्तांतरण के प्रभाव:**
  - विनिवेश कार्यक्रम में अनिश्चितताओं के बीच विशेष रूप से राजकोषीय संख्या के प्रबंधन में सरकार के लिये राजकोषीय राहत।

- करों में उछाल और अन्य राजस्व स्रोतों में संभावित कमी की भरपाई में मदद करता है।
  - जब कोई कर उत्प्लावक होता है, तो कर की दर बढ़ाए बिना उसका राजस्व बढ़ जाता है।
- बजट लक्ष्यों का समर्थन करने के लिये एक राजकोषीय प्रतिरोधक प्रदान करता है।

विनिवेश कार्यक्रम पर अधिशेष हस्तांतरण प्रभाव:

- कम विनिवेश, दूरसंचार भुगतान या कर राजस्व के कारण होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई में सहायता करता है।
- राजकोषीय घाटे को अपेक्षाकृत आसानी से प्रबंधित करने की सरकार की क्षमता को बढ़ाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिशेष कैसे उत्पन्न करता है?

RBI की आय:

- घरेलू और विदेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज।
- इसकी सेवाओं से शुल्क और कमीशन।
- विदेशी मुद्रा लेनदेन से लाभ।
- सहायक और सहयोगियों से रिटर्न।

RBI के व्यय:

- करेंसी नोटों की छपाई।
- जमाराशियों और ऋणों पर ब्याज का भुगतान।
- कर्मचारियों के वेतन और पेंशन।
- कार्यालयों और शाखाओं के परिचालन व्यय।
- आकस्मिकताओं और मूल्यह्रास के लिये प्रावधान।

अधिशेष:

- RBI की आय और व्यय के बीच का अंतर अधिशेष कहलाता है।
- भंडार और प्रतिधारित लाभ के लिये प्रावधान करने के बाद RBI,अधिशेष को सरकार को हस्तांतरित करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 (अधिशेष लाभ का आवंटन) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिशेष को स्थानांतरित करता है।
  - वाई एच मालेगाम (2013) की अध्यक्षता वाली RBI बोर्ड की एक तकनीकी समिति, जिसने भंडार की पर्याप्तता और अधिशेष वितरण नीति की समीक्षा की, ने सरकार को उच्च हस्तांतरण की सिफारिश की।

RBI ने 2,000 रुपए के नोट को प्रचलन से हटाया

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने 19 मई, 2023 को घोषणा की कि वह 2000 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों को प्रचलन से वापस ले लेगा।

- हालाँकि मौजूदा नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। RBI ने एक उदार समय-सीमा प्रदान की है, जिससे व्यक्ति 30 सितंबर, 2023 तक नोट जमा या विनिमय कर सकते हैं।
- यह कदम RBI की क्लीन नोट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाले करेंसी नोट एवं सिक्के प्रदान करना है

RBI का 2,000 रुपए के नोट को प्रचलन से हटाने का कारण:

2000 रुपए के नोट की निकासी:

- RBI के अनुसार, 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से हटाना उसके मुद्रा प्रबंधन कार्यों का हिस्सा है।
- विमुद्रीकरण के दौरान 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने के बाद तत्काल मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वर्ष 2016 में 2000 रुपए के नोट का प्रचलन शुरू किया गया था।
  - उपलब्ध अन्य मूल्यवर्ग के नोटों की पर्याप्त आपूर्ति के साथ वर्ष 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी, क्योंकि मुद्रा की आवश्यकता का प्रारंभिक उद्देश्य प्राप्त किया जा चुका था।
- 31 मार्च, 2023 तक प्रचलन में शामिल 2000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो प्रचलन में कुल नोटों का केवल 10.8% है।
  - अंतिम बार भारत ने नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण किया था, जब सरकार ने जाली नोटों को चलन से हटाने के उद्देश्य से 500 और 1000 रुपए के नोट वापस ले लिये थे।
  - इस कदम ने रातोंरात अर्थव्यवस्था की 86% मूल्य मुद्रा को प्रचलन से हटा दिया था।

भारत में विमुद्रीकरण:

- **परिचय:**
  - विमुद्रीकरण कानूनी मुद्रा के रूप में मौजूद एक मुद्रा इकाई को प्रचलन से बाहर करने का कार्य है। मुद्रा के वर्तमान रूप या रूपों को प्रचलन से वापस ले लिया जाता है और सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, जिसे सामान्यत: नए नोटों या सिक्कों से परिवर्तित कर दिया जाता है।
- **भारत में वैधता:**
  - भारत में विमुद्रीकरण का कानूनी आधार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26(2) है, जो RBI की सिफारिश पर केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बैंक नोटों की किसी भी शृंखला को कानूनी निविदा नहीं घोषित करने का अधिकार देती है।
  - भारत की विभिन्न अदालतों में दायर कई याचिकाओं में विमुद्रीकरण की वैधता को चुनौती दी गई थी।
    - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने विमुद्रीकरण को वैध ठहराया और कहा कि 500 रुपए तथा 1,000 रुपए के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण आनुपातिकता के परीक्षण को सुनिश्चित करता है।
  - आनुपातिकता का परीक्षण यह दर्शाता है कि क्या विमुद्रीकरण के लाभ लागत से अधिक हैं।
  - आनुपातिकता का परीक्षण सुनिश्चित करने हेतु विमुद्रीकरण के लाभ पर्याप्त रूप से महत्त्वपूर्ण होने चाहिये जो इसके कारण होने वाली लागतों और व्यवधानों को उचित ठहरा सकें।

भारत में कानूनी निविदा:

- **परिचय:**
  - एक कानूनी निविदा मुद्रा का एक रूप है जिसे कानून द्वारा ऋण या दायित्वों के निर्वहन के लिये स्वीकार्य साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है।
    - RBI यह निर्धारित करने के लिये ज़िम्मेदार है कि लेन-देन के लिये मुद्रा के किस रूप को वैध माना जाए।
  - इसमें सिक्का अधिनियम, 2011 की धारा 6 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किये गए सिक्के और RBI अधिनियम, 1934 की धारा 26 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए बैंक नोट शामिल हैं।
    - सरकार 1,000 रुपए तक के सभी सिक्के और 1 रुपए का नोट जारी करती है।
    - RBI 1 रुपए के नोट के अलावा अन्य करेंसी नोट जारी करता है।
- **प्रकार:**
  - कानूनी निविदा प्रकृति में सीमित या असीमित हो सकती है।
    - भारत में सिक्के सीमित वैध मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। एक रुपए के बराबर या उससे अधिक मूल्यवर्ग के सिक्कों को एक हज़ार रुपए तक की राशि के लिये कानूनी निविदा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त पचास पैसे के सिक्कों को दस रुपए तक की राशि के लिये कानूनी निविदा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
    - बैंक नोट उन पर बताई गई किसी भी राशि के लिये असीमित कानूनी निविदा के रूप में कार्य करते हैं।
- हालाँकि काले धन पर अंकुश लगाने के लिये वित्त अधिनियम 2017 द्वारा किये गए उपायों के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम में एक नई धारा 269ST जोड़ी गई थी।
- एक नकद लेन-देन धारा 269ST द्वारा प्रतिबंधित था और प्रतिदिन केवल 2 लाख रुपए तक के मूल्य की अनुमति थी।

ECL आधारित लोन लॉस प्रोविज़निंग फ्रेमवर्क

भारत में ऋणदाताओं ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से संपर्क किया है और अपेक्षित साख हानि (ECL)आधारित लोन लॉस प्रोविज़निंग फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिये एक वर्ष का विस्तार मांगा है।

- इससे पहले जनवरी 2023 में, RBI साख हानि के लिये अपेक्षित साख हानि दृष्टिकोण को अपनाने का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा दिशा-निर्देश लेकर आया था।

ECL आधारित लॉस लोन प्रोविज़निंग क्या है?

- **पृष्ठभूमि:**
  - RBI ने पहले साख हानि के लिये ECL दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया था, और अंतिम दिशा-निर्देश जारी होने के बाद बैंकों को कार्यान्वयन के लिये एक वर्ष की अवधि दी गई थी।
    - अभी अंतिम दिशा-निर्देशों की घोषणा की जानी बाकी है, यह उम्मीद की जा रही है कि उन्हें 1 अप्रैल, 2025 से कार्यान्वयन के लिये वित्त वर्ष 2024 तक अधिसूचित किया जा सकता है।
  - भारतीय बैंक संघ (IBA) ने RBI से अनुरोध किया है कि ECL मानदंडों के कार्यान्वयन की तैयारी के लिये ऋणदाताओं को एक अतिरिक्त वर्ष प्रदान किया जाए।

➲ **ECL फ्रेमवर्क का परिचय:**

- अपेक्षित क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क में, बैंकों को उन हानियों के लिये संबंधित प्रावधान करने से पहले क्रेडिट लॉस/साख हानि की प्रतीक्षा करने के बजाय फॉरवर्ड लुकिंग अनुमानों के माध्यम से अनुमानित क्रेडिट लॉस की भविष्यवाणी करना अनिवार्य है।
  - प्रत्येक वर्ग के आधार/ की स्थितियों पर प्रावधान किया जाएगा।
- बैंकों को वित्तीय संपत्तियों (मुख्य रूप से अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिबद्धताओं सहित ऋण, और अपरिपक्व-से-परिपक्व या बिक्री के लिये उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेश) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होगी: चरण 1, चरण 2, और चरण 3, के आधार पर पहचान और बाद की रिपोर्टिंग तिथियों के समय साख घाटे का आकलन किया।

➲ **ECL बनाम IL मॉडल:**

- यह नया दृष्टिकोण मौजूदा "उपगत हानि (Incurred Loss-IL)" मॉडल को प्रतिस्थापित करता है, यह दृष्टिकोण लोन लॉस प्रोविज़निंग में देरी करता है जो संभावित रूप से बैंकों के लिये क्रेडिट/साख जोखिम बढ़ाता है।
- IL मॉडल में एक महत्त्वपूर्ण दोष यह था कि आमतौर पर बैंकों ने ऋणकर्त्ता को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना शुरू करने के बाद काफी देरी से प्रावधान किये, जिससे उनका क्रेडिट/साख जोखिम बढ़ गया। इससे संरचनात्मक समस्याएँ पैदा हुईं।
- इसके अलावा, लोन लॉस की देरी से पहचान के परिणामस्वरूप बैंकों की आय में वृद्धि हुई, लाभांश भुगतान के साथ, जिसने उनके पूंजी आधार को और कम कर दिया।

➲ **संक्रमणकालीन व्यवस्था:**

- यह चरणबद्ध कार्यान्वयन बैंकों को उनकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को अवशोषित करने में मदद करेगा।
  - कैपिटल शॉक को रोकने के लिये, RBI ने ECL मानदंडों की शुरूआत के लिये एक संक्रमणकालीन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है।

लोन लॉस प्रोविज़निंग क्या है?

➲ यह बैंकों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा के लिये RBI द्वारा लागू एक नियामक आवश्यकता है।

➲ यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) या बैड लोन से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान को कवर करने के प्रावधान के रूप में अपने आय अर्जन के एक हिस्से को अलग करने के लिये अपनाई जाने वाली प्रथा को संदर्भित करता है।

- RBI भारत में NPA को किसी भी अग्रिम या ऋण के रूप में परिभाषित करता है जो 90 दिनों से अधिक के लिये अतिदेय है।

➲ यह बैंकों को उनके ऋण पोर्टफोलियो के सही मूल्य को सही ढंग से दर्शाने और उनके समग्र जोखिम जोखिम का आकलन करने में मदद करता है।

- पर्याप्त प्रोविज़निंग बैंक के वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता को भी बढ़ाता है और हितधारकों को इसके वित्तीय स्वास्थ्य की अधिक सटीक तस्वीर प्रदान करता है।

LRS के तहत भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड व्यय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परामर्श से उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत भारत के बहिर्वाह अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च को शामिल करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) में महत्त्वपूर्ण संशोधन किये हैं।

➲ यह विदेशी यात्रा में खर्च में वृद्धि की पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है। भारतीयों ने वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल-फरवरी के दौरान विदेशी यात्रा पर 12.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किये, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 104% अधिक है।

➲ यह समावेशन 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित स्रोत पर एकत्रित कर (TCS) की उच्च दर की वसूली को सक्षम बनाता है।

मुख्य विवरण और निहितार्थ:

➲ **LRS में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड व्यय को शामिल करना:**

- संशोधन से उच्च मूल्य के विदेशी लेन-देन की निगरानी की सुविधा की उम्मीद है, लेकिन यह भारत से विदेशी वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिये भुगतान पर लागू नहीं होता है।

- **नियम 7 का लोप और LRS का विस्तार:**
  - पहले विदेश यात्रा के दौरान खर्च के लिये अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग LRS के अंतर्गत नहीं आता था।
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेन-देन) नियमावली, 2000 के नियम 7, जिसमें LRS से इस तरह के खर्च को बाहर रखा गया है, को हटा दिया गया है।
    - यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड लेन-देन को प्रति वित्तीय वर्ष प्रति व्यक्ति 250,000 अमेरिका डॉलर की समग्र LRS सीमा निर्धारित करने में शामिल करने की अनुमति देता है।
- **अनुपालन और रिफंड पर प्रभाव:**
  - इन परिवर्तनों के कारण बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अनुपालन बोझ में वृद्धि का अनुमान है।
  - करदाता टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय TCS लेवी पर रिफंड का दावा कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कर विभाग द्वारा रिफंड शुरू होने तक फंड लॉक हो सकता है।

टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS):

- TCS एक विक्रेता द्वारा देय कर है, जिसे वह कुछ वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के समय खरीदार से वसूलता है।
- TCS आयकर अधिनियम की धारा 206C द्वारा शासित है जो उन वस्तुओं या सेवाओं को निर्दिष्ट करती है जिन पर TCS लागू है और TCS की दरें लागू है।
  - शराब, लकड़ी, तेंदू पत्ते, कबाड़, खनिज, मोटर वाहन, पार्किंग स्थल, टोल प्लाज़ा, खनन एवं उत्खनन, LRS के तहत विदेशी प्रेषण आदि कुछ सामान या सेवाएँ हैं जिन पर TCS लागू है।
- कर अधिकारियों के पास TCS जमा करने और विक्रेता के पास जमा करने के लिये टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN) होना चाहिये।
- विक्रेता को एक निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर खरीदार को एक TCS प्रमाणपत्र जारी करना चाहिये जिसमें एकत्रित और जमा की गई कर की राशि दर्शाई गई हो।
- खरीदार अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपनी आय से कटौती की गई TCS की राशि हेतु क्रेडिट का दावा कर सकता है।

थोक मूल्य सूचकांक

चर्चा में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किये गए नवीनतम आँकड़ों से पता चलता है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) अप्रैल में (-) 0.92 प्रतिशत की अवस्फीति दर के साथ तीन साल के निचले स्तर पर आ गया है जो 33 महीने के बाद नकारात्मकता की ओर इंगित करता है।

- अप्रैल 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से बुनियादी धातुओं, खाद्य उत्पादों, खनिज तेलों, कपड़ा, गैर-खाद्य वस्तुओं, रासायनिक एवं रासायनिक उत्पादों, रबर तथा प्लास्टिक उत्पादों एवं कागज़ तथा कागज़ उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है।

थोक मूल्य सूचकांक:

- **परिचय:**
  - यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है।
  - इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
  - यह भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति सूचक है।
  - इस सूचकांक की प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि आम जनता उत्पादों को थोक मूल्य पर नहीं खरीदती है।
  - अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2004-05 से वर्ष 2017 में 2011-12 के रूप में संशोधित किया गया है।
- **WPI का भाराँक:**

सभी वस्तुएँ/प्रमुख समूह	भाराँक (%)	सामग्री
	100	
1. प्राथमिक सामग्री	22.6	**खाद्य सामग्री:** अनाज, धान, गेहूँ, दालें, सब्जियाँ,आलू, प्याज, फल, दूध, अंडे, मांस और मछली **गैर-खाद्य सामग्री:** तिलहन खनिज पदार्थ कच्चा पेट्रोलियम

2. ईंधन और शक्ति	13.2	एलपीजी, पेट्रोल, हाई स्पीड डीज़ल
3. विनिर्मित उत्पाद	64.2	**खाद्य उत्पाद:** सब्जी, पशु तेल और वसा **पेय पदार्थ** तंबाकू उत्पाद, परिधान, फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय ररसायन और वनस्पति उत्पाद, अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पाद आदि
4. खाद्य सूचकांक	24.4	खाद्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तु समूह के 'खाद्य पदार्थ' और निर्मित उत्पाद समूह के 'खाद्य उत्पाद' शामिल हैं

- **WPI मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक:**
  - उच्च आधार प्रभाव:
    - विशेषज्ञों का सुझाव है कि उच्च आधार प्रभाव के कारण WPI मुद्रास्फीति के सामान्य रहने की संभावना है।
  - वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में कमी:
    - वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से विनिर्मित उत्पादों से मुद्रास्फीति को निचले स्तर पर रखने में मदद मिलने का अनुमान है।
  - खाद्य मुद्रास्फीति और मानसून की संभावनाएँ:
    - बाज़ार की स्थितियों से प्रभावित गेहूँ की कीमतों पर निगरानी रखने की ज़रूरत है।
    - इस बात को लेकर भी चिंता जताई गई है कि मानसून खरीफ फसलों की कीमत को कैसे प्रभावित कर सकता है।

WPI एवं CPI में अंतर:

- WPI उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति का आकलन करता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) उपभोक्ता स्तर पर कीमतों के स्तर में बदलाव का आकलन करता है।
  - दोनों बास्केट व्यापक अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति के रुझान (मूल्य में उतार-चढ़ाव) को मापते हैं, हालाँकि दोनों सूचकांक में भोजन, ईंधन और निर्मित वस्तुओं को अलग-अलग भार दिया जाता है।
- WPI में सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन का मापन नहीं किया जाता है, जबकि CPI में किया जाता है।
- WPI में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्त्व दिया जाता है, जबकि CPI में खाद्य पदार्थों को अधिक महत्त्व दिया जाता है।
- WPI का आधार वर्ष 2011-2012 है, जबकि CPI का आधार वर्ष 2012 है।

CBDT ने 95 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किये

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) ने भारतीय करदाताओं के साथ वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 95 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APAs) किये हैं।

- इसमें 63 APA (UAPA) और 32 द्विपक्षीय APA (BAPA) शामिल हैं।
  - यह किसी एक वित्तीय वर्ष में CBDT द्वारा अब तक किये गए सर्वाधिक BAPA हैं।
- भारत के संधि भागीदारों फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, डेनमार्क, सिंगापुर और जापान के साथ आपसी समझौतों के बाद BAPAs पर हस्ताक्षर किये गए।

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA):

- **परिचय:**
  - भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA) कार्यक्रम को वर्ष 2012 में वित्त अधिनियम, 2012 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 92CC एवं 92CD को सम्मिलित करके शुरू किया गया था।
  - APA भविष्य के वर्षों के लिये करदाता के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के मूल्य निर्धारण के लिये हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति का निर्धारण करने वाले करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता है।
    - एक बार APA मुहरबंद हो जाने के बाद, कुछ नियमों और शर्तों की पूर्ति के आधार पर कार्यप्रणाली को एक निश्चित अवधि के लिये कार्यान्वित किया जाना है।

निफ्टी के रीट्स (Reits) और इनविट्स (InvITs) सूचकांक

हाल ही में भारत के पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (Reits) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) सूचकांक को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस लिमिटेड (निफ्टी) द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है।

निफ्टी के रीट्स (Reits) और इनविट्स (InvITs) सूचकांक:

- **परिचय:**
  - सूचकांक का उद्देश्य रीट्स और इनविट्स के प्रदर्शन को ट्रैक करना है जो NSE पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हैं और ट्रेडिंग करते हैं।
  - सूचकांक के तहत प्रतिभूतियों का भार उनके फ्री-फ्लोट बाज़ार पूंजीकरण पर आधारित होता है, जो प्रत्येक 33% की सुरक्षा सीमा के अधीन होता है और शीर्ष-3 प्रतिभूतियों का कुल भार 72% होता है।
  - सूचकांक की आधार तिथि 1 जुलाई, 2019 और आधार मूल्य 1,000 रुपए है।
  - सूचकांक की समीक्षा की जाएगी और त्रैमासिक आधार पर पुन: संतुलित किया जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट:

- InvITs म्यूचुअल फंड के समान एक सामूहिक निवेश योजना है, जो व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों से धन को प्रत्यक्ष रूप से बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश कर के रिटर्न के एक छोटे हिस्से को आय के रूप में अर्जित करने में सक्षम बनाता है।
- आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के माध्यम से InvITs स्टॉक की तरह ही एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं।
- InvITs को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है।

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट:

- Reits आय-उत्पादक अचल संपत्ति के संचालन, स्वामित्व या वित्तपोषण में निवेश योग्य धन को प्रबंधित करने के एकमात्र उद्देश्य से बनाई गई इकाई को संदर्भित करता है।
- Reits म्यूचुअल फंड की तर्ज़ पर तैयार किये गए हैं और निवेशकों को रियल एस्टेट में हिस्सेदारी प्राप्त करने हेतु एक बेहद लचीला तरीका प्रदान करते हैं।
- यह एक प्रकार की सुरक्षा है जो नियमित आय, पोर्टफोलियो विविधीकरण एवं दीर्घकालिक पूंजी अभिमूल्यन हेतु एक निर्गम मार्ग के साथ बड़े या छोटे सभी प्रकार के निवेशकों को प्रदान की जाती है। किसी भी अन्य सुरक्षा की भाँति Reits स्वयं को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कर सकते हैं।
- भारत में Reits को वर्ष 2007 में सेबी द्वारा पेश किया गया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI):

- SEBI की स्थापना 12 अप्रैल, 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।
- **प्रमुख कार्य:**
  - प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
  - प्रतिभूति बाज़ार को विनियमित करना।

विदेश व्यापार नीति 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 लॉन्च की, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू हुई।

- FTP 2023 एक नीति दस्तावेज़ है जो निर्यात को सुगम बनाने वाली समय-परीक्षणित योजनाओं (Time-tested schemes facilitating exports) की निरंतरता पर आधारित है, साथ ही यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जो त्वरित व्यापार आवश्यकताओं के लिये उत्तरदायी है।

FTP 2023 का विवरण:

- **परिचय:**
  - यह नीति निर्यातकों के साथ विश्वास एवं साझेदारी के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य निर्यातकों को व्यापार करने में आसानी की सुविधा हेतु पुन: इंजीनियरिंग तथा स्वचालन (Re-Engineering and Automation) की प्रक्रिया से है।
- **मुख्य दृष्टिकोण चार स्तंभों पर आधारित है:**
  - छूट के लिये प्रोत्साहन।
  - सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्द्धन - निर्यातक, राज्य, ज़िले, भारतीय मिशन।
  - व्यापार करने में सुगमता, लेन-देन की लागत में कमी और ई-पहल।
  - उभरते क्षेत्र- ई-कॉमर्स निर्यात हब के रूप में ज़िलों का विकास करना एवं विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (SCOMET) नीति को सुव्यवस्थित करना।

- **लक्ष्य:**
  - सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, जिसमें वस्तु एवं सेवा क्षेत्रों का समान योगदान होगा।
  - सरकार का लक्ष्य सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करना भी है, जो जुलाई 2022 में RBI द्वारा पेश किये गए एक नए भुगतान निपटान ढाँचे से सहायता प्राप्त है।
  - यह उन देशों के मामले में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है।

पिछली व्यापार नीति:

- वर्ष 2015-2020 के लिये विदेश व्यापार नीति में वर्ष 2020 तक 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था;
- इस नीति और लक्ष्य को बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दिया गया था।
  - हालाँकि भारत द्वारा वर्ष 2021-22 के 676 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर 760-770 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल निर्यात किये जाने की संभावना है

भारत और मलेशिया भारतीय रुपए में व्यापार करने पर सहमत

चर्चा में क्यों ?

भारत और मलेशिया ने भारतीय रुपए में व्यापार करने पर सहमति जताई है। इस तंत्र से भारत-मलेशिया द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होने की उम्मीद है जो कि वर्ष 2021-22 के दौरान 19.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

- सिंगापुर और इंडोनेशिया के बाद मलेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार क्रमशः 30.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 26.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।

भारत और मलेशिया द्वारा भारतीय रुपए में व्यापार करने का महत्त्व:

- **परिचय:**
  - जुलाई 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान की अनुमति दी।
  - दिसंबर 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किये गए 'भारतीय रुपए में व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय निपटान' तंत्र के हिस्से के रूप में भारत ने रूस के साथ रुपए में विदेशी व्यापार का अपना पहला समझौता किया।
  - मार्च 2023 में RBI द्वारा 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपए में भुगतान का निपटान करने हेतु विशेष रुपया वोस्त्रो खाते (SRVAs) खोलने की अनुमति दी गई थी।
    - इसमें शामिल हैं: बोत्सवाना, फिज़ी, जर्मनी, गुयाना, इज़रायल, केन्या, मलेशिया, मॉरीशस, म्याँमार, न्यूज़ीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा एवं यूनाइटेड किंगडम।

वोस्त्रो खाता (Vostro Account):

- वोस्त्रो खाता एक एसा खाता है जिसमें घरेलू बैंक विदेशी बैंकों के लिये घरेलू मुद्रा रखते हैं, इस मामले में रुपया।
  - घरेलू बैंक इसका उपयोग अपने उन ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु करते हैं जिनको वैश्विक बैंकिंग की ज़रूरत है।
- वोस्त्रो खाता रखने वाला बैंक विदेशी बैंक के धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और मुद्रा रूपांतरण, भुगतान प्रसंस्करण एवं खाता मिलान जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करता है।

सामान्य रिपोर्टिंग मानक: OECD

चर्चा में क्यों ?

भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD) देशों के बीच सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (Automatic Exchange of Information- AEIO) के तहत अचल संपत्तियों जैसे गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों को शामिल करने के लिये G20 समूह में सामान्य रिपोर्टिंग मानक (Common Reporting Standard-CRS) के दायरे को बढ़ाने पर ज़ोर दे रहा है।

- भारत में वर्तमान में स्वचालित रूप से सूचना भेजने के लिये 78 अधिकार क्षेत्र और वित्तीय जानकारी प्राप्त करने हेतु AEIO के साथ 108 अधिकार क्षेत्र है।
- AEOI अनिवासी बैंक खातों की जानकारी को खाताधारक के गृह देश में कर अधिकारियों के साथ साझा करने में सक्षम बनाता है। यह कर चोरी की संभावना को कम करता है।

सामान्य रिपोर्टिंग मानक:

- **परिचय:**
  - G20 देशों के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए CRS को विकसित किया गया था और 15 जुलाई, 2014 को OECD परिषद द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था।
  - यह क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अपने वित्तीय संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने और वार्षिक आधार पर अन्य क्षेत्राधिकारों के साथ स्वचालित रूप से उस जानकारी का आदान-प्रदान का प्रावधान करता है।
  - इसमें वित्तीय खाते की जानकारी साझा करना, रिपोर्टिंग किये जाने योग्य वित्तीय संस्थान, कवर किये गए खातों और करदाताओं के प्रकार, साथ ही वित्तीय संस्थानों के लिये एहतियाती मानक तरीके, इन सभी का इसमें उल्लेख किया गया है।
- **वर्तमान रूपरेखा:**
  - वर्तमान में OECD की स्वचालित सूचना आदान-प्रदान (AEOI) रूपरेखा कर चोरी संबंधी जाँच के उद्देश्य से हस्ताक्षरकर्त्ता देशों के बीच वित्तीय खाता विवरण साझा करने में सहायता प्रदान करती है।
    - कर संबंधी सूचनाओं के स्वचालित आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगस्त 2022 में OECD ने क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF) को भी मंज़ूरी दी जो क्रिप्टो-एसेट्स में लेन-देन संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग को एक मानकीकृत स्वरूप प्रदान करता है।

लघु बचत योजनाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा जारी गणना के अनुसार, पिछली तीन तिमाहियों में कई लघु बचत योजनाओं (Small Savings Instruments- SSI) पर ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद ऐसी कुछ योजनाओं पर प्रतिलाभ अभी भी काफी कम है जो लाभार्थियों को मिलना चाहिये।

लघु बचत योजनाएँ/साधन:

- **परिचय:**
  - लघु बचत साधन व्यक्तियों को विशेष अवधि में अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं।
  - वे भारत में घरेलू बचत का प्रमुख स्रोत हैं।
  - सभी छोटी बचत योजनाओं से संग्रह को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (National Small Savings Fund- NSSF) में जमा किया जाता है।
- **वर्गीकरण:**
  - लघु बचत योजनाओं के वर्ग में 12 साधन शामिल हैं जिन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
    - डाक जमा: इसमें बचत खाता, आवर्ती जमा, अलग-अलग परिपक्वता की सावधि जमा और मासिक आय योजना शामिल है।
    - बचत प्रमाणपत्र: राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP)।
    - सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)।
- **लघु बचत योजनाओं की दरें:**
  - लघु बचत योजनाओं की दरों की घोषणा तिमाही आधार पर की जाती है।
  - सैद्धांतिक रूप से यह परिपक्वता के सरकारी प्रतिभूति/G-Sec के प्रतिफल पर आधारित होती है लेकिन कई बार राजनीतिक कारक भी दर परिवर्तन को प्रभावित करते हैं।
  - लघु बचत योजना पर गठित श्यामला गोपीनाथ पैनल (2010) ने इन योजनाओं के लिये बाज़ार से जुड़ी ब्याज दर प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया था।

यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो विनियमन हेतु MiCA की शुरुआत की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोपीय संसद ने क्रिप्टो संपत्ति बाज़ार (Markets in Crypto Assets- MiCA) विनियमन को मंज़ूरी दे दी है, यह नियमों का विश्व का पहला व्यापक समूह है जिसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर अनियमित क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों को सरकारी विनियमन के तहत लाना है।

- यह विनियमन सदस्य देशों के औपचारिक अनुमोदन के बाद लागू होगा।
- यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ का विधायी निकाय है।

MiCA:

- **परिचय:**
  - MiCA क्रिप्टो फर्मों हेतु विनियमन प्रथाओं को लाएगा। क्रिप्टो फर्मों को विनियमित करके MiCA वित्तीय क्षेत्र में जैसे- राउट एवं कन्टेजन को रोक सकता है जो अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

- "राउट" का अर्थ है, जब लोग भय के कारण क्रिप्टोकरेंसी बेचते हैं तो कीमतों में तेज़ी से गिरावट आती है।
- "कन्टेजन" इस संभावना को संदर्भित करता है कि एक बाज़ार में गिरावट का अन्य बाज़ारों, वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

➲ क्रिप्टो संपत्ति के प्रकार के आधार पर क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (CASPs) हेतु विनियमन आवश्यकताओं के विभिन्न समूहों को निर्धारित करता है।

विश्व व्यापार संगठन पैनल का भारत के खिलाफ फैसला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व व्यापार संगठन पैनल ने यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क संबंधी विवाद में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया है।

प्रमुख बिंदु

➲ **पृष्ठभूमि:**

- भारत का लक्ष्य घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना रहा है, लेकिन यूरोपीय संघ और अन्य देशों द्वारा इस दृष्टिकोण को चुनौती दी गई है जिनका तर्क है कि ऐसे उपाय संरक्षणवादी हैं तथा वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं।
- वर्ष 2019 में यूरोपीय संघ ने एकीकृत सर्किट, मोबाइल फोन और घटकों सहित विभिन्न IT उत्पादों पर 7.5% से 20% तक आयात कर लगाने के भारत के फैसले को चुनौती दी तथा दावा किया कि ये दरें अनुमत सीमा से अधिक हैं।
- जापान और ताइवान द्वारा भी यही शिकायत की गई है।

➲ **आदेश/निर्णय:**

- पैनल का मानना था कि भारत द्वारा कुछ सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर लगाया गया सीमा शुल्क वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन है, इसका मुख्य कारण उन उत्पादों का सूचना प्रौद्योगिकी समझौते की शर्तों के साथ असंगत होना माना गया है।
  - ITA एक वैश्विक व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य IT उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सीमा शुल्क को समाप्त करना है। भारत वर्ष 1996 के वैश्विक व्यापार समझौते का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
- इस फैसले ने वैश्विक मानदंडों और दायित्वों के साथ अपनी व्यापार नीतियों को संरेखित करने के लिये भारत की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
- यह उन चुनौतियों को भी रेखांकित करता है जिनका सामना भारत जैसे विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबद्धताओं के साथ अपनी घरेलू नीति में संतुलन हेतु करना पड़ता है।

➲ **भारत का तर्क:**

- भारत ने तर्क दिया कि ITA पर हस्ताक्षर करते समय स्मार्टफोन जैसे उत्पाद मौजूद नहीं थे और इसलिये यह ऐसी वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करने के लिये बाध्य नहीं है।

हर पेमेंट डिजिटल मिशन

डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (Digital Payments Awareness Week- DPAW) 2023 के दौरान 'हर पेमेंट डिजिटल' मिशन के शुभारंभ पर भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने आज़ादी के 75 वर्षों के अवसर पर 75 गाँवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गाँवों में बदलने हेतु कार्यक्रम शुरू किया है।

पहल:

➲ **परिचय और उद्देश्य:**

- इस पहल के तहत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (Payment System Operators- PSO) देश भर में उन गाँवों को अपनाएंगे जो डिजिटल भुगतान हेतु जागरूकता बढ़ाने और व्यापारियों को ऑनबोर्ड करने के उद्देश्य से इनमें से प्रत्येक गाँव में शिविर आयोजित करेंगे।
  - PSO, भुगतान प्रणाली को स्थापित और संचालित करने वाली RBI द्वारा अधिकृत संस्था है।
- फरवरी 2023 तक विभिन्न श्रेणियों जैसे- खुदरा भुगतान संगठन, कार्ड भुगतान नेटवर्क, ATM नेटवर्क, प्रीपेड भुगतान उपकरण आदि के तहत 67 PSO स्थापित हो चुकी हैं।

➲ **महत्त्व:**

- RBI द्वारा हर पेमेंट डिजिटल अभियान का उद्देश्य डिजिटल भुगतान में आसानी और सुविधा को बढ़ावा देना तथा नए उपभोक्ताओं को डिजिटल दायरे में लाने की सुविधा प्रदान करना है।

- योजना के तहत बैंकों और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स द्वारा विभिन्न डिजिटल भुगतान चैनल्स पर प्रकाश डाला गया है।
    - यह देश में डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज

चर्चा में क्यों ?

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) स्थापित करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अंतिम मंज़ूरी मिल गई है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज:

परिचय:

- SSE मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज के भीतर एक अलग खंड के रूप में कार्य करेगा और सामाजिक उद्यमों को अपने तंत्र के माध्यम से जनता से धन जुटाने में मदद करेगा।
- यह उद्यमों हेतु उनकी सामाजिक पहलों के लिये वित्त की व्यवस्था करने, दृश्यता हासिल करने और फंड जुटाने एवं उपयोग के बारे में बढ़ी हुई पारदर्शिता प्रदान करने हेतु एक माध्यम के रूप में काम करेगा।
- खुदरा निवेशक केवल मुख्य बोर्ड के तहत लाभकारी सामाजिक उद्यमों (Social Enterprises- SE) द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।
    - अन्य सभी मामलों में केवल संस्थागत निवेशक और गैर-संस्थागत निवेशक सामाजिक उद्यमों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।

पात्रता:

- कोई भी गैर-लाभकारी संगठन (Non-Profit Organisation- NPO) या लाभकारी सामाजिक उद्यम (FPSEs) जो सामाजिक प्रधानता का इरादा रखता है, को सामाजिक उद्यम के रूप में मान्यता दी जाएगी, जो इसे SSE में पंजीकृत या सूचीबद्ध होने के योग्य बनाएगा।
- सेबी के ICDR विनियम, 2018 के तहत 17 प्रशंसनीय मानदंड भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करने के साथ-साथ शिक्षा, रोज़गार, समानता एवं पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु कार्य कर रहे हैं।

अयोग्यता:

- कॉर्पोरेट क्षेत्र, राजनीतिक या धार्मिक संगठन, पेशेवर या व्यापार संघ, बुनियादी निर्माण एवं आवास कंपनियों (किफायती आवास को छोड़कर) को सामाजिक उद्यम हेतु गैर-लाभकारी संगठन के रूप में पहचाना नहीं जाएगा।
- जो गैर-लाभकारी संगठन अपनी फंडिंग के 50% से अधिक के लिये कॉर्पोरेट पर निर्भर हैं, उन्हें अयोग्य माना जाएगा।

गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा धन जुटाना:

- गैर-लाभकारी संगठन निजी नियोजन या सार्वजनिक निर्गम से ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल (ZCZP) इंस्ट्रूमेंट जारी करके या म्यूचुअल फंड से दान के माध्यम से धन जुटा सकते हैं।
    - ZCZP बॉण्ड पारंपरिक बॉण्ड से इस अर्थ में भिन्न होते हैं कि इसमें ज़ीरो कूपन होता है और परिपक्वता पर कोई मूल भुगतान नहीं होता है।
    - ZCZP जारी करने के लिये न्यूनतम निर्गम आकार वर्तमान में 1 करोड़ रुपए और सदस्यता हेतु न्यूनतम आवेदन आकार 2 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।
- इसके अलावा डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड (Development Impact Bonds) परियोजना के पूरा होने पर उपलब्ध होते हैं और पूर्व-सहमत सामाजिक मेट्रिक्स पर पूर्व-सहमत लागतों/दरों पर वितरित किये जाते हैं।

FPSE द्वारा धन जुटाना:

- FPSE को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से धन जुटाने से पूर्व SSE के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
- यह इक्विटी शेयर जारी करके अथवा सामाजिक प्रभाव कोष (Social Impact Fund) सहित किसी वैकल्पिक निवेश कोष को इक्विटी शेयर जारी करके अथवा ऋण लिखतों को जारी करके धन जुटा सकता है।

MSME प्रतिस्पर्द्धी (LEAN) योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रोडमैप प्रदान करने के लिये MSME प्रतिस्पर्द्धी (LEAN) योजना शुरू की।

- इसका उद्देश्य गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रदर्शन और निर्माताओं की मानसिकता को बदलने तथा उन्हें विश्व स्तर के निर्माताओं में बदलने की क्षमता में सुधार करना है।

लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है ?

- परिचय: लीन मैन्युफैक्चरिंग या लीन उत्पादन, जिसे केवल लीन के रूप में जाना जाता है, एक उत्पादन अभ्यास है, जो अंतिम ग्राहक के लिये मूल्य के निर्माण के अलावा किसी भी लक्ष्य हेतु संसाधनों के व्यय को व्यर्थ मानता है और इसलिये इसे समाप्त कर देना चाहिये।
- लीन सिद्धांत: लीन मैन्युफैक्चरिंग में सिद्धांतों का एक सम्मुच्य शामिल होता है, जिसे लीन विचारक काइज़न के माध्यम से अपशिष्ट को खत्म करके उत्पादकता, गुणवत्ता और समयसीमा में सुधार के लिये उपयोग करते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग के सिद्धांत हैं:
  - मूल्य पहचान: निर्धारित करना कि ग्राहक के दृष्टिकोण से मूल्य का क्या अर्थ है। इसमें यह समझना शामिल है कि ग्राहक क्या चाहता है, उसकी आवश्यकता क्या है और क्या वह इसके लिये भुगतान करने को तैयार है।

नोट:

- काइज़न एक जापानी शब्द है जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है "बेहतर के लिये परिवर्तन" या अच्छा परिवर्तन।
- इसका लक्ष्य ग्राहक को जब इसकी आवश्यकता हो और जितनी मात्रा में आवश्यकता हो, एक दोष मुक्त उत्पाद या सेवा प्रदान करना है।

योजना के प्रमुख बिंदु:

- **उद्देश्य:**
  - लीन (LEAN) के माध्यम से MSMEs क्षति को काफी हद तक कम कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं, अपने बाज़ारों का विस्तार कर सकते हैं तथा अंतत: प्रतिस्पर्धी एवं लाभदायक बन सकते हैं।
- **उपकरण:**
  - इस योजना के तहत MSME बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस जैसे लीन स्तरों को प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षित एवं सक्षम लीन सलाहकारों के कुशल मार्गदर्शन में 5एस, काइज़न, कानबन, दृश्य कार्यस्थल, पोका योका आदि जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों को लागू करेंगे।
- **शासकीय सहायता:**
  - कार्यान्वयन सहायता और परामर्श व्यय की लागत का 90% सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  - पूर्वोत्तर में जो क्षेत्र महिलाओं, SC (अनुसूचित जाति) या ST (अनुसूचित जनजाति) के स्वामित्व में हैं और जो स्फूर्ति क्लस्टर के सदस्य हैं, उन्हें MSMEs की ओर से 5% का अतिरिक्त योगदान मिलेगा।
  - सभी स्तरों को पूरा करने के बाद उद्योग संघों/समग्र उपकरण निर्माण (OEM) संगठनों के माध्यम से पंजीकरण कराने वाले MSME को 5% का अतिरिक्त योगदान प्राप्त होगा।
    - इस विशेष सुविधा का उद्देश्य OEM और उद्योग संघों से आग्रह करना है कि वे अपने आपूर्ति श्रृंखला विक्रेताओं को कार्यक्रम में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करें।

पीएम मित्र योजना एवं वस्त्र क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

केंद्र ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM-MITRA) योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिये तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थानों का चयन किया है।

- वर्ष 2026-27 तक पार्कों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के लिये कुल परिव्यय 4,445 करोड़ रुपए है, हालाँकि वर्ष 2023-24 के बजट में प्रारंभिक आवंटन केवल 200 करोड़ रुपए है।

पीएम मित्र योजना:

- **परिचय:**
  - 'पीएम मित्र' पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में एक 'विशेष प्रयोजन वाहन' (SPV) द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा।
  - प्रत्येक 'मित्र' पार्क में एक इन्क्यूबेशन सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तथा अन्य टेक्सटाइल संबंधी सुविधाएँ जैसे- डिज़ाइन सेंटर और टेस्टिंग सेंटर होंगे।
- **कार्यान्वयन:**
  - विशेष प्रयोजन वाहन: केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एक SPV प्रत्येक पार्क के लिये स्थापित की जाएगी जो परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।
  - विकास हेतु पूंजी सहायता: कपड़ा मंत्रालय SPV को प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता विकास हेतु पूंजी सहायता के रूप में प्रदान करेगा।

- प्रतिस्पर्द्धी प्रोत्साहन सहायता (CIS): पीएम मित्र पार्क में इकाइयों को प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए तक का CIS भी तेज़ी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिये प्रदान किया जाएगा।
- अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण: मास्टर डेवलपर और निवेशक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिये भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

IBC सुधार: आय का वितरण

चर्चा में क्यों ?

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), 2016 में कई बदलावों का प्रस्ताव दिया है।

IBC में सुझाए गए बदलाव:

- मंत्रालय का मानना है कि कुछ लेनदार इस बात से चिंतित हैं कि जब किसी कंपनी के ऋणों का समाधान किया जाता है तो उन्हें धन का उचित हिस्सा नहीं प्राप्त होता है।
  - इसे संबोधित करने हेतु यह लेनदारों के बीच धन को वितरित करने के लिये एक निष्पक्ष प्रणाली बनाने का सुझाव देता है।
- इसमें प्रत्येक लेनदार के दावे के आधार पर धन के वितरण हेतु एक विशिष्ट सूत्र का उपयोग करना शामिल है।
  - परिसमापन मूल्य से अधिक कोई भी अधिशेष सभी लेनदारों के बीच उनके असंतुष्ट दावे के अनुपात में समानुपातिक होगा।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:

- सरकार ने दिवाला और दिवालियापन से संबंधित सभी कानूनों को समेकित करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets- NPA), जो वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक गंभीर समस्या रही है, से निपटने के लिये IBC, 2016 को लागू किया।
- दिवाला एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति या कंपनियाँ अपना बकाया कर्ज़ चुकाने में असमर्थ होती हैं।
  - दूसरी ओर दिवालियापन एक ऐसी स्थिति है जिसमें सक्षम क्षेत्राधिकार की न्यायालय किसी व्यक्ति या अन्य संस्था को दिवालिया घोषित करती है और मामले को निपटाने एवं लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु उचित आदेश जारी करती है। यह एक कानूनी घोषणा है कि संबंधित व्यक्ति या संस्था ऋण चुकाने में असमर्थ है।
- IBC में सभी व्यक्ति, कंपनियाँ, सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnerships- LLP) और साझेदारी फर्म शामिल हैं।
  - न्यायिक प्राधिकरण:
    - कंपनियों और LLP हेतु राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal- NCLT)।
    - व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों हेतु ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal- DRT)।

IBC के तहत लेनदारों के बीच आय के वितरण की विधि:

- एक कंपनी के विभिन्न लेनदार होते हैं जैसे- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी ऋणदाता, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, व्यापारिक लेनदार, विक्रेता, काम करने वाले, कर्मचारी, सरकारें आदि।
  - यह सहिंता इन लेनदारों को ऋण की प्रकृति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखती है।
- बैंक, बॉण्ड जारीकर्त्ता और उधारदाताओं को वित्तीय लेनदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्त्ता कंपनी द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा के आधार पर वित्तीय लेनदारों को आगे सुरक्षित एवं असुरक्षित लेनदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इस संहिता की धारा 53 प्राथमिकता के क्रम को निर्धारित करती है जिसमें परिसमापन मूल्य के आधार पर लेनदारों को आय वितरित की जाएगी।
- इस वॉटरफॉल तंत्र के अनुसार, सुरक्षित वित्तीय लेनदार प्राथमिकता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर हैं। उनके बाद असुरक्षित वित्तीय लेनदार, सरकारी बकाया और अंत में परिचालन लेनदार का स्थान है।
  - इस प्रकार जब तक सभी दावों का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक बैंक जैसे वित्तीय लेनदार प्राथमिक होते हैं। वॉटरफॉल तंत्र में वित्तीय लेनदारों के स्तर पर धन समाप्त हो सकता है, इससे अन्य लेनदारों के लिये लगभग कुछ भी नहीं बचता है।

केंद्रीय कर वितरण में अंतर्राज्यीय भिन्नता

चर्चा में क्यों ?

आलोचकों का तर्क है कि 15वें वित्त आयोग का कर वितरण फॉर्मूला/सूत्र कुछ राज्यों के पक्ष में है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक अंतर्राज्यीय भिन्नता की स्थिति देखी जाती है।

तमिलनाडु द्वारा केंद्र को दिये गए प्रत्येक एक रुपए हेतु केवल 29 पैसे वापस मिलते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश को 2.73 रुपए और बिहार को 7.06 रुपए वापस मिलते हैं।

राज्यों के बीच करों के वितरण की विधि:

- **परिचय:**
  - केंद्र राज्यों से कर एकत्र करता है और उन्हें वित्त आयोग (XVFC) के फार्मूले के आधार पर वितरित करता है।
- **XVFC फॉर्मूला:**
  - XVFC फॉर्मूला प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं (जनसंख्या, क्षेत्र, वन एवं पारिस्थितिकी), इक्विटी (प्रति व्यक्ति आय अंतर) एवं प्रदर्शन (स्वयं का कर राजस्व और कम प्रजनन दर) पर आधारित है।
- **भार:**
  - आवश्यकताओं को 40%, इक्विटी को 45% और प्रदर्शन को 15% वेटेज दिया जाता है।
  - XVFC ने प्रजनन स्तर को कम करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिये प्रजनन दर घटक की शुरुआत की किंतु इक्विटी और आवश्यकताओं की तुलना में इसका भार कम है।
- **तर्क:**
  - आलोचकों का तर्क है कि यह फॉर्मूला कुछ उत्तरी राज्यों के पक्ष में है, क्योंकि इस फॉर्मूले में जनसंख्या को अधिक महत्त्व दिया जाता है।
    - वित्त आयोगों में दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है।
  - कुछ लोगों का तर्क है कि स्थानांतरण राज्य को सेवाओं के तुलनीय स्तर प्रदान करने और क्षैतिज इक्विटी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।
    - हालाँकि अन्य का तर्क है कि सूत्र का किसी राज्य की दक्षता और प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

15वाँ वित्त आयोग:

- **परिचय:**
  - वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के मध्य संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिये विधि व सूत्र निर्धारित करता है।
- **संवैधानिकता:**
  - संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।
- **15वाँ वित्त आयोग:**
  - 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था।
  - इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये मान्य होंगी।
    - सरकार ने वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिये करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% तक बनाए रखने हेतु 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

प्रयोगशाला निर्मित हीरे

चर्चा में क्यों ?

वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में प्रयोगशाला निर्मित हीरों (LGD) पर विशेष ध्यान दिया है।

- न्यूयॉर्क में एक जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को वर्ष 1954 में दुनिया के पहले प्रयोगशाला निर्मित हीरे के निर्माण का श्रेय दिया जाता है।

प्रयोगशाला निर्मित हीरे:

- **परिचय:**
  - LGD प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे के विपरीत प्रयोगशालाओं में निर्मित होते हैं। हालाँकि दोनों की रासायनिक संरचना और अन्य भौतिक एवं ऑप्टिकल गुण समान होते हैं।
  - प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं; वे तब बनते हैं जब पृथ्वी के भीतर दफन कार्बन अत्यधिक गर्मी और दबाव के संपर्क में आता है।

➲ उत्पादन:

- वे ज़्यादातर दो प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं, उच्च दबाव, उच्च तापमान (HPHT) विधि या रासायनिक वाष्प जमाव (CVD) विधि।
- HPHT और CVD दोनों तरीकों से कृत्रिम रूप से निर्मित हीरे में एक बीज, दूसरे हीरे के टुकड़े का उपयोग होता है।
  - HPHT प्रक्रिया में शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ बीज को लगभग 1,500 डिग्री सेल्सियस के उच्च दबाव और तापमान के संपर्क मंज लाया जाता है।
  - कार्बन से भरपूर गैस से भरे सीलबंद कक्ष के अंदर CVD तकनीक का उपयोग करके बीज को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। गैस के बीज से जुड़ने के साथ-साथ हीरा धीरे-धीरे बनता जाता है।

➲ अनुप्रयोग:

- औद्योगिक उपयोगिता के कारण इन्हें मशीनरी और उपकरणों में उपयोग किया जाता है तथा उनकी मज़बूती एवं कठोरता उन्हें कटर के रूप में उपयोगी बनाती है।
- उच्च शक्ति वाले लेज़र डायोड, लेज़र सरणियाँ और उच्च क्षमता वाले ट्रांज़िस्टर के लिये हीट स्प्रेडर के रूप में शुद्ध सिंथेटिक हीरे का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है।

➲ महत्त्व:

- प्रयोगशाला निर्मित हीरे का पर्यावरणीय फुटप्रिंट (Environmental Footprint) प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे की तुलना में बहुत कम होता है।
- पर्यावरण के प्रति सचेत LGD निर्माता, डायमंड फाउंड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार, विकसित किये जाने वाले हीरे की तुलना में प्राकृतिक हीरा प्राप्त करने में दस गुना अधिक ऊर्जा लगती है।
- ओपन-पिट खनन, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरों के खनन के सबसे आम तरीकों में से एक है, जिसमें इन कीमती पत्थरों को निकालने हेतु मृदा और चट्टान में खनन शामिल है।

शेयर बाज़ार विनियमन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निवेशकों को शेयर बाज़ार की अस्थिरता से बचाने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) तथा सरकार मौजूदा नियामक ढाँचे का निर्माण करें।

शेयर बाज़ार:

➲ परिचय:

- शेयर बाज़ार सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में इक्विटी शेयरों के व्यापार हेतु खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाते हैं।
- शेयर बाज़ार एक मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था के घटक हैं क्योंकि वे निवेशक व्यापार और पूंजी के आदान-प्रदान हेतु लोकतांत्रिक पहुँच को सक्षम करते हैं।
  - मुक्त-बाज़ार अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें सरकारी विनियमन के हस्तक्षेप के बिना आपूर्ति तथा मांग द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange- BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange- NSE)।
- SEBI भारत में प्रतिभूति बाज़ार का नियामक है। वह कानूनी ढाँचा निर्धारित करता है और बाज़ार संचालन में रुचि रखने वाली सभी संस्थाओं को विनियमित करता है।
  - प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम (Securities Contracts Regulation Act- SCRA) ने SEBI को भारत में स्टॉक एक्सचेंजों और फिर कमोडिटी एक्सचेंजों को मान्यता देने तथा विनियमित करने का अधिकार प्रदान किया है; यह कार्य पहले केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था।

➲ नियमन के लिये कानून:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (SEBI अधिनियम):
  - यह अधिनियम SEBI को निवेशकों के हितों की रक्षा करने और इसे विनियमित करने के अलावा पूंजी/प्रतिभूति बाज़ार के विकास को प्रोत्साहित करने का अधिकार देता है।
  - यह SEBI के कार्यों और शक्तियों का निर्धारण करता है और इसकी संरचना तथा प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (SCRA):
  - यह कानून भारत में प्रतिभूति अनुबंधों के नियमन के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

- इसमें प्रतिभूतियों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग, स्टॉक ब्रोकर्स एवं सब-ब्रोकर्स का पंजीकरण तथा विनियमन एवं इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक शामिल है।

◆ कंपनी अधिनियम, 2013:

- यह कानून भारत में कंपनियों के निगमन, प्रबंधन और शासन को नियंत्रित करता है।
- यह कंपनियों द्वारा जारी किये जाने वाले प्रतिभूतियों और अन्य प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिये नियम भी निर्धारित करता है।

◆ डिपॉज़िटरी अधिनियम, 1996:

- यह कानून भारत में डिपॉज़िटरी के नियमन और पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण तथा हस्तांतरण के लिये प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।

◆ इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमन, 2015:

- ये नियम भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करते हैं। इस कार्य में शामिल लोगों के लिये आचार संहिता, खुलासे और उल्लंघन के लिये दंड निर्धारित करते हैं।

वोस्त्रो अकाउंट

चर्चा में क्यों ?

भारत और रूस के बीच व्यापारिक लेन-देन के भुगतान का निपटान रुपए में करने के लिये 20 रूसी बैंकों ने भारतीय साझेदार बैंकों के साथ विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (Special Rupee Vostro Accounts- SRVA) खोले हैं।

➲ इसके साथ ही सभी प्रमुख घरेलू बैंकों ने व्यवस्था के तहत निर्यातकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को हल करने हेतु अपने नोडल अधिकारियों को सूचीबद्ध किया है।

पृष्ठभूमि:

➲ जुलाई 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने वैश्विक व्यापार विकास को बढ़ावा देने हेतु रुपए में अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के निपटान के लिये तंत्र शुरू किया था, जिसमें भारत से निर्यात पर ज़ोर दिया गया था, साथ ही रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में बढ़ावा दिया गया था।

- रूस जैसे प्रतिबंध-प्रभावित देशों के साथ व्यापार को सक्षम करने की भी उम्मीद है।

➲ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित तंत्र के अनुसार, भागीदार देशों के बैंक विशेष रुपया वास्ट्रो खाते खोलने हेतु भारत में अधिकृत डीलर बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। अधिकृत डीलर बैंक को ऐसी व्यवस्था के विवरण के साथ केंद्रीय बैंक से अनुमोदन लेना होगा।

नोस्ट्रो खाता:

➲ नोस्ट्रो खाता एक बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक में खोला गया खाता है। यह ग्राहकों को दूसरे बैंक के खाते में पैसा जमा करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी बैंक की विदेश में कोई शाखा न हो। नोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "हमारा"।

- मान लें कि बैंक "A" की रूस में कोई शाखा नहीं है, लेकिन बैंक "B" है। अब रूस में जमा राशि प्राप्त करने के लिये "B" के साथ "A" नोस्ट्रो खाता खोलेगा।
- अब यदि रूस में कोई ग्राहक "A" को पैसा भेजना चाहता है, तो वह "B" में A के खाते में इसे जमा कर सकता है। "B" उस पैसे को "A" में स्थानांतरित कर देगा।

➲ डिपॉज़िट अकाउंट और नोस्ट्रो अकाउंट के मध्य मुख्य अंतर यह है कि डिपॉज़िट अकाउंट व्यक्तिगत जमाकर्त्ताओं के पास होता है, जबकि नोस्ट्रो विदेशी संस्थानों के पास होता है।

सागर परिक्रमा

चर्चा में क्यों ?

मत्स्य विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने 19 फरवरी, 2023 को सूरत, गुजरात में सागर परिक्रमा चरण III कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु:

➲ इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना, सतत् संतुलन पर ध्यान देने के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना है।

- इस कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत मार्च 2022 को मांडवी से की गई थी और इसका समापन 6 मार्च, 2022 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था।
- इस अवसर पर मछुआरों और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों में किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गए थे।
- साथ ही सतपती मछली बाज़ार का उद्घाटन अत्याधुनिक मानकों के अनुरूप किये जाने की भी घोषणा की गई थी।

सागर परिक्रमा:

- **परिचय:**
  - यह सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिये पूर्व-निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक नेविगेशन यात्रा है।
- **महत्त्व:**
  - यह राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा हेतु समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग के साथ स्थायी संतुलन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

भारत में मत्स्य क्षेत्र की स्थिति:

- **परिचय:**
  - भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख देश है।
  - भारत विश्व में मछली निर्यातक चौथा सबसे बड़ा देश है क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है।
    - इसके अलावा भारत दुनिया में अंतर्देशीय मछली उत्पादन में पहले स्थान पर और समग्र मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।
  - वर्तमान में यह क्षेत्र देश में 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है।

भुगतान एग्रीगेटर्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS अधिनियम) के तहत 32 फर्मों को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लिये सैद्धांतिक मंज़ूरी प्रदान की है।

- PSS अधिनियम, 2007 भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है और RBI को उस उद्देश्य तथा सभी संबंधित मामलों के लिये प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।

टिप्पणी:

- सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन का अर्थ है कि कुछ शर्तों या मान्यताओं के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, किंतु अंतिम अनुमोदन देने से पहले अतिरिक्त जानकारी या चरणों की आवश्यकता हो सकती है।

भुगतान एग्रीगेटर्स:

- **परिचय:**
  - ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर वे कंपनियाँ हैं जो ग्राहक और व्यापारी के मध्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करके ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती हैं।
    - RBI ने मार्च 2020 में PA और पेमेंट गेटवे के नियमन हेतु दिशानिर्देश जारी किये है।
- **कार्य:**
  - वे आम तौर पर ग्राहकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड, बैंक हस्तांतरण और ई-वॉलेट सहित कई प्रकार के भुगतान हेतु विकल्प प्रदान करते हैं।
  - यह सुनिश्चित करते हुए कि लेन-देन सुरक्षित और विश्वसनीय हैं, भुगतान एग्रीगेटर भुगतान हेतु जानकारी एकत्र और संसाधित करते हैं।
  - भुगतान एग्रीगेटर का उपयोग कर व्यवसाय अपने स्वयं के भुगतान प्रसंस्करण सिस्टम को स्थापित करने और प्रबंधित करने की आवश्यकता से बच सकते हैं, जो की जटिल और महंगा हो सकता है।
    - भुगतान एग्रीगेटर्स के कुछ उदाहरणों में PayPal, स्ट्राइप, स्क्वायर और अमेज़न पे शामिल हैं।
- **प्रकार:**
  - बैंक भुगतान एग्रीगेटर:
    - इसकी उच्च सेटअप लागत है साथ ही इनको एकीकृत करना मुश्किल होता है।

- उनके पास विस्तृत रिपोर्टिंग सुविधाओं के साथ कई लोकप्रिय भुगतान विकल्पों का अभाव है। उच्च लागत के कारण बैंक भुगतान एग्रीगेटर छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स हेतु उपयुक्त नहीं हैं।
- उदाहरण; Razorpay और CCAvenue।

◆ तृतीय-पक्ष भुगतान एग्रीगेटर:

- तृतीय-पक्ष भुगतान एग्रीगेटर व्यवसायों हेतु अभिनव भुगतान समाधान प्रदान करते हैं और इन दिनों अधिक लोकप्रिय हो गए हैं।
- उनकी उपयोगकर्त्ता-अनुकूल सुविधाओं में एक विस्तृत डैशबोर्ड, आसान मर्चेंट ऑनबोर्डिंग और त्वरित ग्राहक सहायता शामिल हैं।
- उदाहरण.; पे पल, स्ट्राइप और गूगल पे।

➲ **भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में एक इकाई को मंज़ूरी देने के लिये आरबीआई का मानदंड:**

◆ भुगतान एग्रीगेटर ढाँचे के तहत, केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कंपनियाँ ही व्यापारियों को भुगतान सेवाओं का अधिग्रहण और पेशकश कर सकती हैं।

◆ एग्रीगेटर प्राधिकरण के लिये आवेदन करने वाली कंपनी के पास आवेदन के पहले वर्ष में न्यूनतम नेटवर्थ 15 करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष तक कम से कम 25 करोड़ रुपए होना चाहिये।

◆ इसे वैश्विक भुगतान सुरक्षा मानकों के अनुरूप भी होना आवश्यक है।

भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे में अंतर:

➲ भुगतान गेटवे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एक ऑनलाइन स्टोर अथवा व्यापारियों को भुगतान प्रोसेसर से जोड़ता है, जिससे व्यापारी को ग्राहक से भुगतान स्वीकार करने की अनुमति प्राप्त होती है।

◆ दूसरी ओर, भुगतान एग्रीगेटर, मध्यस्थ हैं जो कई व्यापारियों को अलग-अलग भुगतान प्रोसेसर से जोड़ने के लिये एक मंच प्रदान करते हैं।

➲ भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के बीच मुख्य अंतर यह है कि भुगतान एग्रीगेटर वित्त/निधि का प्रबंधन करता है जबकि भुगतान गेटवे प्रौद्योगिकी प्रदान करता है।

➲ हालाँकि भुगतान एग्रीगेटर द्वारा भुगतान गेटवे प्रदान किया जा सकता है, लेकिन भुगतान गेटवे ऐसा नहीं कर सकते हैं।

सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र

चर्चा में क्यों ?

तेलंगाना स्थित सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र (Singareni Thermal Power Plant- STPP) दक्षिण भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन बनने हेतु तैयार है, जो देश के सार्वजनिक उपक्रमों में पहला फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) संयंत्र है।

➲ उत्पन्न फ्लाई ऐश के 100% उपयोग के साथ STPP ने दो बार सर्वश्रेष्ठ फ्लाई ऐश उपयोग पुरस्कार जीता है

फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन:

➲ **परिचय:**

◆ FGD संयंत्र विद्युत उत्पादन हेतु कोयले को जलाने से उत्पन्न सल्फर और अन्य गैसों (नाइट्रोजन ऑक्साइड) को संसाधित करेगा।

- FGD संयंत्र, वायुमंडल में छोड़े जाने से पहले ग्रिप गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को अलग कर देता है जिससे पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम हो जाता है।

भारत में ताप विद्युत क्षेत्र की स्थिति:

➲ **परिचय:**

◆ ताप विद्युत क्षेत्र भारत में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत रहा है, जो देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 75% है।

◆ मई 2022 तक भारत में ताप विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 236.1 गीगावाट है, जिसमें से 58.6% कोयले से और बाकी लिग्नाइट, डीज़ल तथा गैस से प्राप्त होती है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक

एसएंडपी (S&P) ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेज़िंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) के अनुसार, दिसंबर 2022 में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 13 महीनों में सबसे महत्त्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि हुई है।

➲ अक्तूबर से दिसंबर तिमाही के लिये पीएमआई का औसत 56.3 रहा, जो एक साल में सबसे ज़्यादा है। यह इंगित करता है कि विनिर्माण क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और रोज़गार सृजन में योगदान दे सकता है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक:

- यह एक सर्वेक्षण-आधारित प्रणाली है जिसमें संगठनों से पिछले महीने की तुलना में प्रमुख व्यावसायिक परिवर्ती कारकों की वजह से हुए परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी धारणा में आए बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है।
- पीएमआई (PMI) का उद्देश्य कंपनी के निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान एवं भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
- इसकी विनिर्माण और सेवा सेक्टर के लिये अलग-अलग गणना की जाती है और फिर एक कंपोज़िट इंडेक्स भी बनाया जाता है।
- PMI 0 से 100 तक की संख्या में व्यक्त किया जाता है।
  - 50 से ऊपर के स्कोर का अर्थ है विस्तार, जबकि इससे नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है।
  - 50 का स्कोर कोई बदलाव नहीं दर्शाता है।
- यदि पिछले महीने का PMI चालू माह के PMI से अधिक है, तो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है।
- यह आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में जारी किया जाता है। इसलिये इसे आर्थिक गतिविधि का एक अच्छा अग्रणी संकेतक माना जाता है।
- PMI को IHS मार्किट द्वारा दुनिया भर में 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिये संकलित किया गया है।
  - IHS मार्किट दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं को चलाने वाले प्रमुख उद्योगों और बाज़ारों के लिये सूचना, विश्लेषण एवं समाधान हेतु एक वैश्विक मंच है।
  - IHS मार्किट एसएंडपी ग्लोबल का हिस्सा है।

चलन में मौजूद मुद्रा

वर्ष 2016 में सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा के लगभग छह वर्ष और दो महीने बाद चलन में मौजूद मुद्रा एक नई ऊँचाई (विमुद्रीकरण की घोषणा से पहले के दिनों की तुलना में 74% की वृद्धि) पर है।

- चलन में मौजूद मुद्रा की कुल राशि में से बैंक नकदी घटाने के बाद जनता के पास मुद्रा की मात्रा निर्धारित की जाती है।
- भले ही सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने "कैशलेस सोसाइटी" के लिये अभियान चलाया, डिजीटल भुगतान एवं विभिन्न लेन-देन में नकदी के उपयोग पर सीमाएँ भी निर्धारित कीं परंतु नकदी की मात्रा में वृद्धि हो ही रही है।

चलन में मुद्रा:

- चलन में मौजूद मुद्रा से तात्पर्य एक देश के भीतर उस नकदी या मुद्रा से है जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच लेन-देन करने के लिये भौतिक रूप से उपयोग की जाती है।
- चलन में मौजूद मुद्रा देश की मुद्रा आपूर्ति का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक प्राधिकरण चलन में भौतिक मुद्रा (physical currency) की मात्रा पर नज़र रखते हैं क्योंकि यह सबसे अधिक तरल संपत्तियों में से एक का प्रतिनिधित्त्व करती है।
- चलन में मौजूद मुद्रा के अंतर्गत नोट, रुपए के सिक्के और छोटे सिक्के शामिल हैं।
- करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार RBI के पास है। सिक्कों को जारी करने का प्राधिकार भारत सरकार के पास है और मांग के आधार पर यह रिज़र्व बैंक को सिक्कों की आपूर्ति करती है।

मुद्रा आपूर्ति:

- यह ध्यान देने योग्य है कि मुद्रा का कुल स्टॉक मुद्रा की कुल आपूर्ति से भिन्न होता है।
  - मुद्रा की आपूर्ति मुद्रा के कुल भंडार का केवल वह भाग है जो किसी समय विशेष पर जनता के पास होती है।
- चलन में जो धन शामिल होता है उसमें मुद्रित नोट, जमा खातों में धन और अन्य तरल संपत्तियाँ होती हैं।
- आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के चार वैकल्पिक उपायों के लिये आँकड़े प्रकाशित करता है, अर्थात् M1, M2, M3 और M4।
  - M1 = CU + DD
  - M2 = M1 + डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा
  - M3 = M1 + वाणिज्यिक बैंकों में शुद्ध सावधि जमा
  - M4 = M3 + डाकघर में कुल जमा (सावधि जमा+आवर्ती जमा) (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों को छोड़कर)
- CU जनता द्वारा धारित मुद्रा (नोट+सिक्के) है और DD वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित शुद्ध मांग जमा है।
- 'नेट' शब्द का तात्पर्य है कि बैंकों द्वारा रखी गई जनता की जमा राशि को ही मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया जाना है।
  - जब एक वाणिज्यिक बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों में इंटरबैंक डिपॉज़िट रखता है, तो इसे मुद्रा की आपूर्ति का हिस्सा नहीं माना जाता है।

- M1 और M2 को संकुचित मनी (नैरो मनी) कहा जाता है। M3 और M4 को विस्तृत मनी (ब्रॉड मनी) के रूप में जाना जाता है।
- ये श्रेणियाँ तरलता के घटते क्रम में हैं।
  - M1 लेन-देन के लिये सबसे अधिक तरल और आसान है, जबकि M4 सबसे कम तरल है।
  - M3 पैसे की आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। इसे कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है।

गंगा विलास क्रूज़

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज़, एमवी गंगा विलास (MV Ganga Vilas) को झंडी दिखाकर रवाना किया।

- इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी (Tent City) का भी उद्घाटन किया तथा कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु:

- **परिचय:**
  - क्रूज़ का प्रबंधन निजी ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा,जहाज़रानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय ((MoPSW) के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने परियोजना का समर्थन किया है।
  - यह महाबोधि मंदिर, हज़ारदुआरी पैलेस, कटरा मस्जिद, बोधगया, चंदानगर चर्च, चार बंगला मंदिर और अन्य सहित गंगा नदी के तट पर 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा।
  - गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) तथा ब्रह्मपुत्र पर राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (NW-2) को जोड़ने के अलावा, क्रूज 27 नदी प्रणालियों को जोड़ेगा।
    - हल्दिया (सागर) और इलाहाबाद (1620 किमी.) के बीच गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली को वर्ष 1986 में NW-1 घोषित किया गया था।
  - विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका तथा असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा के साथ 51 दिनों की क्रूज़ की योजना बनाई गई है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):

- यह शिपिंग और नेविगेशन के लिये अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं विनियमन हेतु 27 अक्तूबर, 1986 को अस्तित्व में आया।
- यह मुख्य रूप से शिपिंग मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट(IWT) बुनियादी ढाँचे के विकास और रखरखाव के लिये परियोजनाएँ शुरू करता है।
- इसका मुख्यालय नोएडा में है और पटना (बिहार), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), गुवाहाटी (असम) एवं कोच्चि (केरल) में क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा संपूर्ण भारत के अन्य स्थानों पर उप-कार्यालय हैं।

डीप टेक स्टार्टअप्स

चर्चा में क्यों ?

सरकार डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिये डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करेगी।

डीप टेक:

- **परिचय:**
  - डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप व्यवसायों के एक वर्ग को संदर्भित करता है जो मूर्त इंजीनियरिंग नवाचार या वैज्ञानिक खोजों और अग्रिमों के आधार पर नवाचार को बढ़ावा देता है।
  - सामान्यत: ऐसे स्टार्टअप कृषि, लाइफ साइंस, रसायन विज्ञान, एयरोस्पेस और हरित ऊर्जा पर काम करते हैं, हालाँकि इन तक ही सीमित नहीं हैं।
- **डीप टेक की विशेषताएँ:**
  - प्रभाव: डीप टेक नवाचार बहुत मौलिक हैं और मौजूदा बाज़ार को बाधित करते हैं या एक नया विकास करते हैं। डीप टेक पर आधारित नवाचार अक्सर जीवन, अर्थव्यवस्था और समाज में व्यापक परिवर्तन लाते हैं।
  - समयावधि और स्तर: प्रौद्योगिकी को विकसित करने और बाज़ार में उपलब्धता के लिये डीप टेक की आवश्यक समयावधि सतही प्रौद्योगिकी विकास (जैसे मोबाइल एप एवं वेबसाइट) से कहीं अधिक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकसित होने में दशकों लग गए और यह अभी भी पूर्ण नहीं है।
  - पूंजी: डीप टेक को अक्सर अनुसंधान और विकास, प्रोटोटाइप, परिकल्पना को मान्य करने एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिये प्रारंभिक चरणों में पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

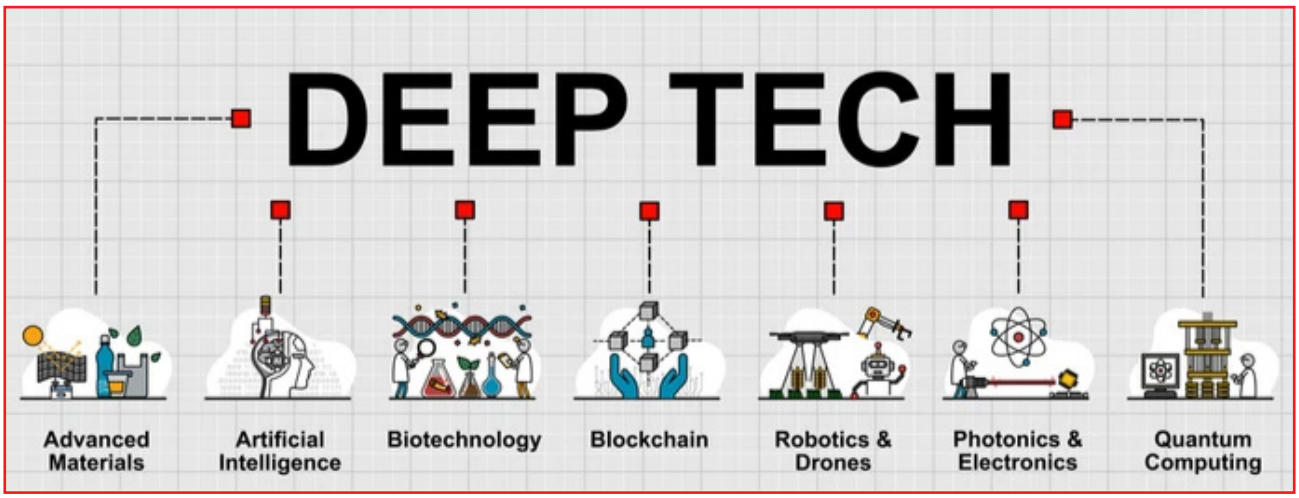

भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स की स्थिति:

- वर्ष 2021 के अंत में भारत में 3,000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप थे, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग (Machine Learning-ML), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स आदि जैसी नए युग की तकनीकों में काम कर रहे थे।
- NASSCOM के अनुसार, भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स ने वर्ष 2021 में वेंचर फंडिंग में 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए और अब यह देश के समग्र स्टार्टअप परितंत्र का 12% से अधिक हिस्सा है।
- पिछले एक दशक में भारत का डीप टेक इकोसिस्टम 53% बढ़ा है और यह अमेरिका, चीन, इज़रायल एवं यूरोप जैसे विकसित बाज़ारों के बराबर है।
  - भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स में बंगलूरू की हिस्सेदारी 25-30% है, इसके बाद दिल्ली-एनसीआर (15-20%) और मुंबई (10-12%) का स्थान है।
- डीप टेक स्टार्टअप ड्रोन डिलीवरी और कोल्ड चेन प्रबंधन से लेकर जलवायु कार्रवाई एवं स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

संबंधित पहल:

- अटल न्यू इंडिया चैलेंज को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission- AIM) के तहत लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य नवाचार हब, ग्रैंड चैलेंजेस, स्टार्टअप व्यवसाय और अन्य स्व-रोज़गार गतिविधियों विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिये एक मंच के रूप में काम करना है।
- वर्ष 2021 में NASSCOM द्वारा शुरू किये गए डीप टेक क्लब (DTC) 2.0 का उद्देश्य उन 1,000 से अधिक फर्मों पर प्रभाव को बढ़ाना है जो AI, ML, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का लाभ उठा रही हैं।